खण्ड-368, अंक-6
सोमवार, 26 भाद्रपद, शक संवत् 1906
(17 सितम्बर, 1984 ई0)

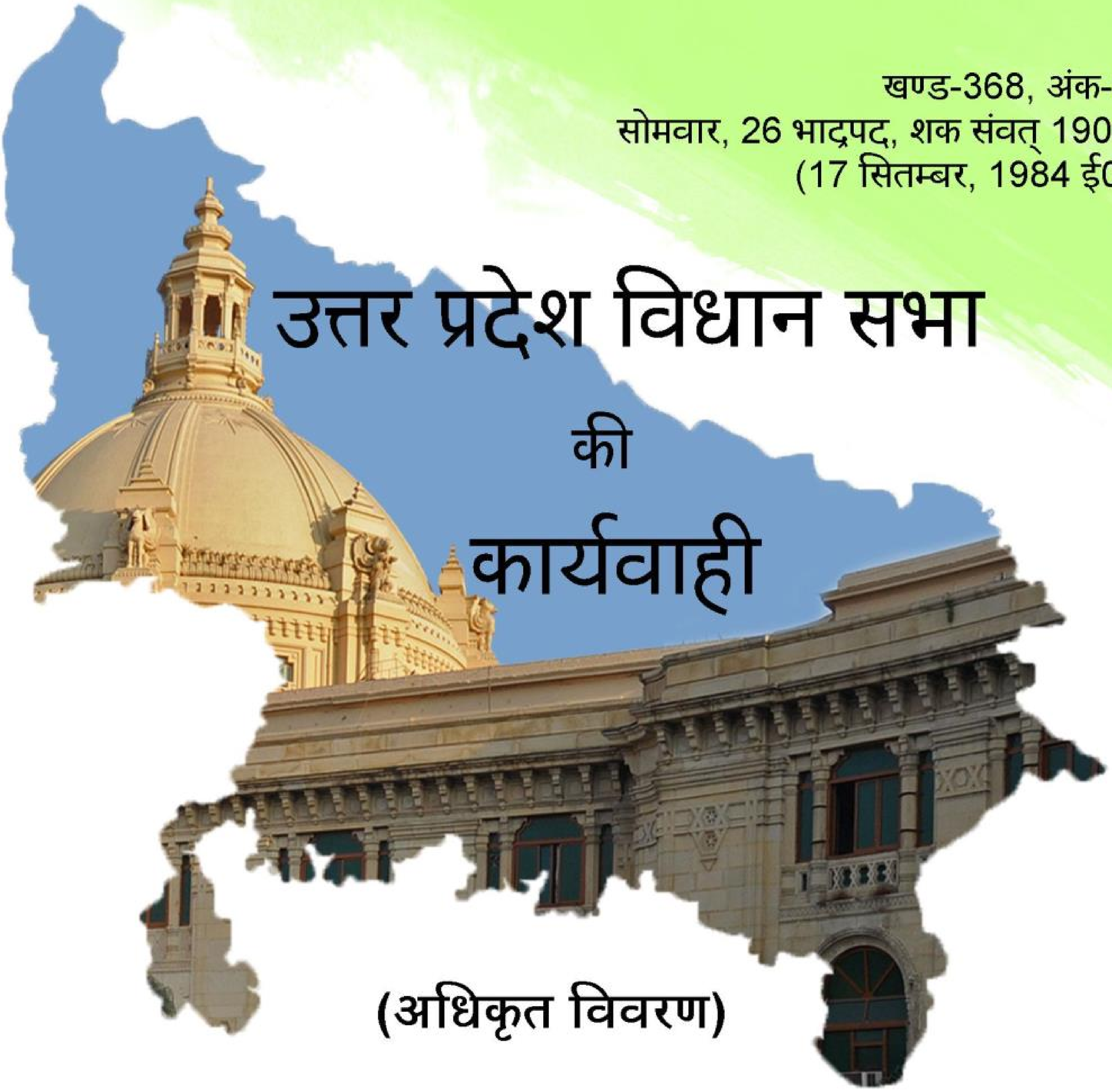

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 368 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1
प्रश्नोत्तर ..	3–76
भूतपूर्व सदस्य चौधरी खूब सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी, श्री राम चरन दोहरे, श्री शम्भू नारायण सिंह, श्री डल्लाराम चौधरी, श्री गज्जू राम और श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी के निधन पर शोकोद्गार ..	76–82
कुमारी वचेन्द्रीपाल, प्रथम महिला तथा सिक्किम के सोनाम ग्यात्सू पर्वतारोहण संस्थान के सदस्यों के एवरेस्ट विजयी होने पर बधाई का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	83–84
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	84–85
नियम 301 की सूचनाएं ..	
ग्राम किसनपुर, शाहजहांपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा किसानों को परेशान किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86
आगरा नगर एवं आसपास की ऐतिहासिक इमारतों एवं जनजीवन को विषैली गैसों के फैलने से खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86
तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले राज्य कर्मचारियों को मकान देने अथवा मकान किराया भत्ता में दुगुनी धनराशि बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86–87
सहकारी चीनी मिल तिलहर, शाहजहांपुर में कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी न करने से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	87
कर्ण प्रयाग एवं आस्था मुनि राजकीय महाविद्यालय, चमोली में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	87–88
ग्राम रंडा कोडर, सीतापुर के किसानों द्वारा चकबन्दी की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	88
सर्वोदय डिग्री कालेज घोसी, आजमगढ़ के कार्यालय में तालाबन्दी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	88

विषय	पृष्ठ-संख्या
राजकीय महाविद्यालय, स्यालदे एवं सल्ट अल्मोड़ा की स्वतन्त्र रूप से स्थापना एवं भवन निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89
प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89
यू० एच० एम० चिकित्सालय, कानपुर के भूतपूर्व स्टोर कीपर द्वारा किए गए गबन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	90
राजकीय बालिका विद्यालय, पीलीभीत में डबल शिफ्ट चलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	90
डुमरियागंज, बस्ती में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	90–91
नौतनवां गोरखपुर के क्षेत्राधिकारी (पुलिस) श्री लाल सिंह द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में लूटपाट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91
प्रदेश के उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों एवं इण्टर कालेजों के कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को अनुमोदन एवं प्रोन्नति न देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91
ग्राम खोटही देवरिया की हदबन्दी से निकली भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91–92
ग्राम पीरपुर, जौनपुर की हरिजन बस्ती में रास्तों को बन्द कर देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92
इटावा जनपद में बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92
जनपद सीतापुर की नहरों में पानी न होने से खरीफ की फसल को हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92–93
पडरौना, देवरिया में असामाजिक तत्वों के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त एवं पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93
झांसी नगर स्थित ऐतिहासिक सरोवर में गन्दगी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93–94
खादी ग्रामोद्योग विकास समिति भरुई, वाराणसी में गबन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोरखपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94-95
ग्राम भस्मा, गोरखपुर के एक ही परिवार के कई व्यक्तियों की नाव डूबने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	95
मिर्जापुर के अहरौरा बंधा के फाटक खोलने व मेड़ी बंधा टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	95-96
ग्राम शिवचरनपुर, इलाहाबाद में हरिजन बस्ती के निर्माण में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	96
सिंचाई विभाग द्वारा मथुरा जनपद में नालों की सफाई न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	96
हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की साठ-गांठ से छात्रवृत्ति वितरण में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97
प्रदेश के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97-98
महाराजा सातन पासी के ध्वस्त महल उन्नाव की खुदाई एवं संग्रहालय की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	98
ग्राम ग्वाल खेड़ा, मुरादाबाद की मस्जिद में तालाबन्द किए जाने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	98
गन्ना किसानों को बकाया गन्ना मूल्य एवं बोनस दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99
जौनपुर-वाराणसी मार्ग पर जलालपुर में सई नदी पर नये पुल की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99
चलित अचलित नलकूप (गण्डक) परियोजना एवं एस0 एफ0 डी0 ए0 परियोजना की सिंचाई विभाग में हस्तान्तरित किए जाने से कर्मचारियों में रोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99-100
विधान सभा क्षेत्र, जान सठ में गंगा नदी की कटान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100
फाजिल नगर, देवरिया में कीड़ों के लग जाने से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100-101

विषय	पृष्ठ-संख्या
कानपुर रोड, लखनऊ स्थित जगत जननी सहकारी आवास समिति की भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101
इलाहाबाद जनपद के प्राथमिक विद्यालयों की क्षतिग्रस्त इमारतों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101–102
अयोध्या शुगर फक्ट्री, राजा का सहसपुर के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102
पैन्टून ब्रिज, बांदा को समय से पहले तोड़ देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102
विकास खण्ड खुनियांव, बस्ती की खांडसारी यूनिट रमवापुर कली के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103
राज्य विद्युत् उपभोक्ताओं के बिलों की धनराशि बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103–104
आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक श्री व्यास मिश्र पर हुए हमले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	104
तहसील मोहनलाल, गंज लखनऊ में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न मिलने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	104–105
अधिशासी अभियन्ता भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, अन्वेषणात्मक छिद्रण खण्ड प्रथम, अलीगढ़ द्वारा किए गए गबन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	105
आजमगढ़ के भूमिहीनों को आवंटित भूमि पर कब्जा न दिलाये जाने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	105–106
डी० ए० वी० डिग्री कालेज, कानपुर का छात्रावास बन्द पड़े होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	106
सिंचाई विभाग से भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रतिनियुक्ति पर आने पर रोक लगाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	106
सुल्तानपुर नगर पालिका के कर्मचारियों को आवासीय भत्ता दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107
राज्य विद्युत् परिषद् में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति देने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107

विषय	पृष्ठ-संख्या
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक श्री गिरिजा शंकर भट्ट को सेवा निवृत्त करने व अवशेष भुगतान न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	108
मथुरा के चकबन्दी अधिकारियों द्वारा टाइम बार्ड अपीलों की सुनवाई में हेराफेरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	108
विधान सभा के प्रश्नों के उत्तर नियमानुसार न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	108–109
वृन्दावन टी0 बी0 सेनीटोरियम में व्याप्त गंदगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109
बकुलाही नदी की बाढ़ से प्रतापगढ़ की सदर तहसील की भूमि बरबाद होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109–110
बलिया जनपद के प्राथमिक शिक्षकों की भविष्य निधि का भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110
लौंगपुर बरेली, निवासी कृष्णपाल सिंह की थाने में हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110
ग्राम निजामुद्दीनपुर, लखनऊ की भूमि को बेनामी तरीके से आवास समिति को बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111
लालपुर डैम व पुल रामपुर के जीर्ण-क्षीर्ण होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना। .	111
ग्राम चांदा महमदपुर, हरदोई के श्री अंगने लाल व श्री हरीकृष्ण के कुर्क किए गए ट्रैक्टर का टायर बदले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111
देवरिया जनपद में धान की फसल पर सैनी कीट के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।	111
ग्राम बभनी बुजुर्ग, गोण्डा की बाढ़ ग्रस्त जनता से सरकारी देयों की जबरन वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112
राजकीय कताई मिल, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के भूतपूर्व अधिशासी श्री डब्लू0 सी0 कक्कड़ तथा सहायक श्रम अधिकारी, श्री दीनानाथ दुबे के भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112–113
भाटपार रानी, देवरिया में हुई हत्याओं व श्री हरिवंश सहाय की जान माल को खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	113–114
पटेल स्मारक इन्टर कालेज, पटेल नगर भटहट, गोरखपुर के प्रबन्ध तंत्र को भंग करन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	114
पंजाब शुगर मिल घुघली, गोरखपुर के मजदूरों के अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	114

विषयवस्तु	पृष्ठ-संख्या
नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से दिया जाने की मांग औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं ..	115-116
काशीनाथ वाराणसी श्री जयपति नाथ की बस्ती में पुनः तैनाती तथा सचिवालय काण्ड का निर्णय न होने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न ..	116-118
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित सेवा) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	118
आगरा मण्डल विकास निगम लि0 का षष्ठम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1981-82 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	118
इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड को प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1976-77 एवं 1977-78 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	118
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेरीफेडरेशन और सदुंध ध केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1984 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	118-119
विधान सभा के वर्ष 1984 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ..	119-121
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	121
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	121
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनाएं ..	121-123
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियां तथा विमुक्त जातियां सम्बन्धी संयुक्त समिति (1984-85) का अठारहवां प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) ..	124
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1984-85) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) ..	124
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित, जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1984-85) का बीसवां प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) ..	124
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1984-85) का इक्कीसवां प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) ..	124

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश अष्टम, विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) ..	125
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का तृतीय प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) ..	125
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का चतुर्थ प्रतिवेदन (सदन म प्रस्तुत किया गया) ..	125
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का पंचम प्रतिवेदन..(सदन में प्रस्तुत किया गया) ..	125
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एव निगम समिति (1983-84) का षष्ठ प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) ..	126
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिग्रहीत की गयी किसानों की भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार सिंह, निवासी ग्राम इस्माइल गंज, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (सदन में उपस्थित की गयी) ..	126
ग्राम चकौरा के घाट पर पक्का पुल बनाने की मांग के सम्बन्ध में श्री हरी शंकर, प्रधान ग्राम नगला जसौला, आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (सदन में उपस्थित की गयी) ..	126
तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	126-127
भूमि विकास बैंक फतेहपुर, बाराबंकी में कार्यरत श्री रज्जन असीन एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	127-128
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	128
दिनांक 6 अप्रैल, 1984 को श्री विजय पाल सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	128-132
विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय मामलों को निपटाने हेतु समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	132-133
आगरा विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	134
उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का सम्वर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1984 (पुरः स्थापित किया गया) ..	134-135

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य स्थगन प्रस्तावों को न लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	135-137
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 (पारित) ..	137-148
प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा 8 तक उर्दू की शिक्षा अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी) ..	148-152
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984 (पारित) ..	152-155
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधि मान्यता) विधेयक, 1984 (पारित) ..	155-159
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ..	159-169
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ..	169-177
दिनांक 11 सितम्बर, 1984 को सदन में उठाए गए औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	177
आज सदन में पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सूचना ..	179-180
वन भूमि हस्तांतरण में प्रदेश सरकार की घोर उदासीनता एवं लापरवाही से पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्य अवरुद्ध होने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	180-187
उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा प्रधानाचार्य की तानाशाही से असन्तोष के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	188-191
ग्राम लखीमपुर, थाना जलालपुर, जिला जौनपुर में 11 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	191-194
जनपद हमीरपुर के कस्बा भरुआ सुमेरपुर निवासी श्री नागा जी महाराज की हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य ..	194-198

विषय	पृष्ठ-संख्या
आगरा में पुलिस द्वारा श्री बदन सिंह विधायक पर कातिलाना हमले से उत्पन्न आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य ..	198-203
जिला जेल बाराबंकी में राजनैतिक आन्दोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार व लाठी चार्ज किए जाने के संबंध में वक्तव्य ..	203-207
उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984 तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	207
गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर करोड़ों रुपया बकाए की सरकारी घोषणाओं के बाद भी अदायगी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	208-217
सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	217-218
नत्थियां ..	219-234

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिहार पंचायत सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 17 सितम्बर, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ीगढ़वाल)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भीम सिंह सीना, श्री (मेरठ)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज), (गोंडा)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र प्रतापशाही, श्री (गोरखपुर)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
श्याम सुन्दर उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सैयद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
हरनारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)

नोट—वित्त एवं ऊर्जा राज्य मंत्री, श्री राजपाल त्यागी तथा आवास राज्य मंत्री, श्री राम सजीवन सिंह भी सदन में अनुपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 17 सितम्बर, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लोक सभाओं तथा विधान सभाओं के चुनाव कराने के सम्बन्ध में पत्र

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मित्र सेन तथा श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाल ही में सरकार को चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में लोक सभा तथा विधान सभाओं के चुनाव कराने के संबंध में कोई पत्र चुनाव की तिथियों तथा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या फैसला किया गया है ?

उप मन्त्री (श्री श्याम लाल बाजपेयी)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता था कि क्या चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोई इस आशय का पत्र भेजा है कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव करा लिये जायें ? उसकी तिथियों के बारे में और व्यवस्था के बारे में जानने के लिये मैंने यह प्रश्न किया था । मूल उत्तर में केवल मंत्री जी ने तकनीकी बात कह दी कि "जी नहीं" । मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री को और शासन के मुख्य सचिव को मुख्य चुनाव आयुक्त के माध्यम से कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ है कि लोक सभा और विधान सभा के चुनावों की सम्भावित तिथियां क्या होंगी और उसकी व्यवस्था आदि के बारे में उस पत्र में क्या पूछा गया है ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया है जिसका कि उत्तर मूल उत्तर में दिया जा चुका है । लेकिन मैं मान्यवर, फिर उनके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि "जी नहीं" ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है । यदि माननीय सदस्य अपने प्रश्न में कुछ और संशोधन करके जो पत्र आया है उसके बारे में जानना चाहें तो मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास पत्र में आया है परन्तु विधान सभा और लोक सभा दोनों के चुनावों के बारे में नहीं केवल लोक सभा के चुनावों के बारे में आया है । यदि माननीय सदस्य उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं देने के लिये तैयार हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि विधान सभा के चुनाव के बारे में कोई पत्र नहीं आया है । तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक सभा के चुनाव के बारे में जो पत्र आया है, यदि उसका कोई हिस्सा गोपनीय हो तो मैं उसके बारे में नहीं पूछूंगा परन्तु यदि जो उसका सार्वजनिक हिस्सा है उसके बारे में जानना चाहूंगा कि उसमें चुनाव की किन्हीं तिथियों का उल्लेख किया गया है कि चुनाव एक, दो या तीन दिन में होंगे ? उसकी प्रक्रिया में क्या कोई परिवर्तन किया गया है, यदि मंत्री जी को इस संबंध में कोई जानकारी हो तो बताने का कष्ट करें ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, चुनाव आयुक्त महोदय उ0 प्र0 के मुख्य मंत्री जी को 23 जुलाई, 1984 को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक दिन के लिये लोक सभा के चुनाव कराने की सम्भावना की व्यवस्था के बारे में उत्तर प्रदेश शासन से पूछा था । जिसका

उत्तर हमारे मुख्य मंत्री ने 13 अगस्त, 1984 को अनन्तिम रूप से चुनाव आयुक्त महोदय को दिया और पूरा उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने 30 अगस्त, 1984 को दिया जिसमें मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक दिन के अन्दर लोक सभा का चुनाव कराना उत्तर प्रदेश शासन के लिये सम्भव नहीं होगा क्योंकि उसके कई कारण हैं। पहला कारण है पुलिस दल, दूसरा कारण परिवहन व्यवस्था और तीसरा कारण जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है चुनाव में कार्य करने वाले व्यक्तियों की व्यवस्था। इन तीन कारणों को बतलाते हुए चुनाव आयुक्त महोदय से उत्तर प्रदेश शासन ने अनुरोध किया है कि यदि दो दिन में चुनाव हो तो इसके साथ ही साथ दो दिन का अन्तराल भी हो। 1980 में मान्यवर, जिस समय चुनाव हुए थे लोक सभा के तो उस समय उत्तर प्रदेश शासन ने केन्द्रीय सरकार से 67 कम्पनीज केन्द्रीय पुलिस दल की मांगी थी। जब कि ,उस समय 65 हजार पोलिंग स्टेशन थे और 41 हजार पोलिंग सेन्टर थे और जब 1980 में विधान सभा का चुनाव हुआ, उस समय यह व्यवस्था और बढ़ गयी। तो अब हमने मांग किया है कि अगर दो दिन में चुनाव कराना चाहते हैं, तो 192 कंपनी पुलिस बल की आवश्यकता होगी और अगर एक दिन में चुनाव कराना चाहते हैं तो 497 कंपनी पुलिस बल की आवश्यकता होगी। केन्द्र सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह इतनी कंपनी पुलिस बल दे सके। तो मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने सिर्फ एक दिन के चुनाव कराने के बारे में पूछा है और उसका उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर दिया है कि एक दिन में लोक सभा का चुनाव कराने में समर्थ नहीं हैं और उसकी यह-यह कठिनाइयां हैं।

श्री मित्रसेन--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग ने संभावित तिथि के बारे में भी शासन से रिपोर्ट मांगी है ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, चुनाव आयोग ने किसी तिथि का अपने पत्र में जिक्र नहीं किया है, केवल व्यवस्था के बारे में कहा है, जैसा कि मैंने स्पष्ट कर दिया है।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या चुनाव आयोग का जो पत्र प्राप्त हुआ है उसके तहत शासन ने जिलाधिकारियों को निदेश दिए हैं कि पोलिंग स्टेशन आदि के बारे में व्यवस्था करें ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि चुनाव आयोग ने केवल यह पूछा है कि एक दिन में चुनाव कराने में हम असमर्थ हैं, उसका उत्तर दे दिया गया है कि हमें दो दिन का समय चाहिए। जिलाधिकारियों को निदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे और मेरी जानकारी को सही मानकर यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि पोलिंग स्टेशन और पोलिंग सेन्टर्स की लिस्ट बना ली जाय और सभी जिलाधिकारियों ने इसको बना लिया है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वह तो बना ही लिया है कि कितने पोलिंग स्टेशन और कितने पोलिंग सेन्टर होंगे। लोक सभा के चुनाव में 75 हजार पोलिंग स्टेशन और 45 हजार पोलिंग सेन्टर होंगे।

श्री किरनपाल सिंह--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर लोक सभा के चुनाव संघीय पद्धति के आधार पर होंगे ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय सदस्य का अप्रासंगिक प्रश्न है। जो इस समय व्यवस्था है उसके बारे में बात करें। संभावना के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है और न कोई उत्तर देना है।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इसी महीने की 9 या 10 तारीख को एक पत्र मिला है कि जिसके तहत एक गुप्त आदेश के द्वारा कुछ जिलों में विपक्षी कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं परेशान किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो चुनाव आयोग का वह कौन सा पत्र है और शासन ने क्या उत्तर दिया ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस (आई) के महामंत्री ने अखबारों में यह कहा था कि 10 सप्ताह में चुनाव हो जायेंगे। तो क्या चुनाव आयोग ने इस तरह की कोई सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को दी है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है। मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव के सिलसिले में व्यवस्था का एक ढंग यह भी है कि विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया जाय और उनके ऊपर रासुका जैसा कानून लगा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता शासन ने जो निर्णय लिया था कि मतदाता की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी जाय तो क्या आगामी चुनाव 18 वर्ष को आधार मानकर होंगे ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इसकी जानकारी प्राप्त करके मैं आपको दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि लोक सभा और विधान सभा के चुनावों को सुव्यवस्थित रूप से कराये जाने के बारे में क्या आपको कोई पत्र मिला है। अब मैं उस प्रश्न को संशोधित करके लोक सभा के चुनाव के बारे में जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रतिपक्ष दल के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग को इस आशय का ज्ञापन दिया कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का सत्तारूढ़ दल और सरकार मिलकर प्रतिपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है और यहां पर राजनैतिक हत्यायें हो रही हैं जिसकी वजह से लोक सभा का चुनाव निष्पक्ष होने के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग ने जो पत्र लिया है उस पत्र में या दूसरे पत्रों में कोई जानकारी प्राप्त की गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मल्लू सिंह चौहान—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह बतायें कि अब तक जिला प्रशासन जो पोलिंग स्टेशन बनाता था उसमें राजनीतिक दलों के जन प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाता था। उसमें जो मीटिंग होती थी उसमें काफी डिसकशन के बाद वह लिस्ट फाइनलाइज होती थी। लेकिन इस वर्ष लोक सभा के चुनाव के लिये जो पोलिंग स्टेशन्स बनाने की तैयारी की गई तो जिला प्रशासन ने अकेले ही सरकार के साथ मिल वह लिस्ट बनाई है और अन्य राजनीतिक दलों को इसकी सूचना नहीं दी गई। क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता है। जब समय आयेगा तो उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सिंधी विद्यालय गर्ल्स हाई स्कूल, रामनगर आलमबाग, लखनऊ में सी0 टी0 वेतनमान में कार्यरत अध्यापिकाओं की ज्येष्ठता भंग किये जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

**2—श्री भीखालाल, श्री रियासत हुसैन, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंधी विद्यालय गर्ल्स हाई स्कूल, रामनगर आलमबाग, लखनऊ में मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षक, षष्ठम मंडल, लखनऊ के पत्रांक शि0 स0/263-65/84-85, दिनांक 6 अगस्त, 1984 के द्वारा वर्ष 1970 से सी0 टी0 वेतनमान में कार्यरत अध्यापिकाओं को वर्ष 1974 से सी0 टी0 वेतनमान में कार्यरत अध्यापिकाओं से कनिष्ठ दिखाया गया ? यदि हां, तो इसमें कितनी अध्यापिकायें ऐसी हैं जिनकी ज्येष्ठता भंग की गयी है और क्यों ? क्या इस अनियमितता के सम्बन्ध में (श्रीमती प्रेमवती तिवारी) राज्य मंत्री, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश का पत्र संख्या 2018/84, दिनांक 17 अगस्त, 1984 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित श्रीमती रमेश खन्ना एवं कुमारी आशा कुमारी शर्मा के प्रकरण पर विचारोपरान्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा श्रीमती रमेश खन्ना को सी0 टी0 वेतनमान में वरिष्ठ पाया गया।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, उत्तर के अंतिम अंश की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि उत्तर पत्र में उल्लिखित श्रीमती रमेश खन्ना एवं कुमारी आशा कुमारी शर्मा के प्रकरण पर विचारोपरान्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा श्रीमती रमेश खन्ना को सी0 टी0 वेतन में वरिष्ठ पाया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह सही है कि श्रीमती रमेश खन्ना सन् 1967 में जे0 टी0 सी0 ग्रेड में नियुक्त हुई और सन् 1974 में सी0 टी0 ग्रेड में प्रोन्नत हुई और कुमारी आशा शर्मा सन् 1970 में सी0 टी0 ग्रेड में नियुक्त हुई तो फिर किस तरीके से श्रीमती रमेश खन्ना कुमारी आशा शर्मा से वरिष्ठ पायी गईं ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, यह सत्य है कि श्रीमती रमेश खन्ना जे0 टी0 सी0 ग्रेड में सन् 1967 में अप्वाइन्ट हुईं और कुमारी आशा शर्मा सी0 टी0 ग्रेड में 2-7-70

में अप्वाइन्ट हुईं । लेकिन नियुक्ति पत्र में स्केल का कोई जिक्र नहीं था और उनकी नियुक्ति केवल टेम्पोरेरी और ट्रायल बेसिस पर की गयी थी ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से बात स्पष्ट नहीं हुई। प्रश्न सिर्फ दो अध्यापिकाओं के बीच का है। कुमारी आशा शर्मा जो बहुत सीनियर थीं और 1970 से सी0 टी0 ग्रेड में काम कर रही थीं और श्रीमती रमेश खन्ना सन् 1974 में सी0 टी0 ग्रेड में आईं लेकिन उनको सीनियर बना दिया गया । इस प्रकार सीनियर को जूनियर और जूनियर को सीनियर बना दिया गया । क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आर0 आई0 जी0 एस0 के जो आदेश थे उनका एप्रूवल शासन से लिया गया या आर0 आई0 जी0 एस0 खुद इसके लिए कंपीटेंट थीं ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, आर0 आई0 जी0 एस0 द्वारा सीनियर को जूनियर या जूनियर को सीनियर बनाने का प्रश्न नहीं है । श्रीमती रमेश खन्ना को 18-4-75 को स्थायी किया गया जब कि आशा शर्मा को स्थायी किया गया 1-11-80 को । श्रीमन्, यही नहीं सर्विस बुक में भी जो काट कर प्रविष्टि की गयी है उसमें 1-7-78 लिखा हुआ है । तो इसके बावजूद भी वह ज्येष्ठता सूची में नहीं आती हैं और श्रीमती रमेश खन्ना ज्येष्ठता सूची में आती हैं ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अध्यापक या अध्यापिका की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति की तिथि से निर्धारित होती है या उनके स्थायीकरण की तिथि से निर्धारित होती है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, जिस दिन से स्थायीकरण किया जायेगा उस दिन से ज्येष्ठता मानी जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कुमारी आशा शर्मा की नियुक्ति 1978 में सी0 टी0 ग्रेड में हुई और आप कहते हैं कि वह अस्थायी नियुक्ति थी । तो उस नियुक्ति पत्र को पढ़ने की कृपा करेंगे ? इसी संदर्भ में मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वह शिक्षा संहिता में नियुक्ति प्रोबेशन पर होती है और स्थायी पोस्ट पर टेम्पोरेरी नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं होता है तो एक साल के बाद प्रोबेशन में काम करने वाले व्यक्ति को कोई नोटिस नहीं दिया जाता है तो वह स्थायी समझा जाता है । तो कुमारी आशा शर्मा के सीनियर न माने जाने का क्या आधार है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, नियुक्ति पत्र अंग्रेजी में है ।

श्री अध्यक्ष—

आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहिये कि वह अंग्रेजी में पत्र व्यवहार न किया करें ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

मान्यवर, यह शिक्षा विभाग का नहीं उस विद्यालय का नियुक्ति-पत्र दिया हुआ है । सिंधी विद्यालय गर्ल्स हाई स्कूल, रामनगर, आलमबाग, लखनऊ । आशा शर्मा की नियुक्ति सहायक अध्यापिका के पद पर 20-5-70 से 30-6-71 तक के लिए इन दि ग्रेड 100+20+यूजवल एलाउन्सेस आन ट्रायल बेसिस पर हुई ।

श्री अध्यक्ष—

आखिरी सवाल, श्री भीखालाल ।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, अभी तक जो उत्तर आये हैं वह स्पष्ट नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को जांच हेतु भेजता हूं ।

(मेजों की थपथपाहट)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मगरवारा जनपद उन्नाव में विषैला पानी पीने से क्षति तथा प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही

*1—श्री छत्तर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मगरवारा जनपद उन्नाव के आसपास के 40 गांवों में विषैला पानी पीने के कारण वहां के काफी लोग पंगु हो गये हैं तथा उनकी हड्डियां मुड़ गई हैं ? यदि हां, तो शासन ने उनके पीने के पानी की क्या व्यवस्था की है तथा क्या यह भी सही है कि यह विषैला पानी मगरवारा में स्थित कुछ रासायनिक उद्योगों के कारण हुआ है ? यदि हां, तो इन रासायनिक उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

यह सत्य है कि मगरवारा, जनपद उन्नाव के आसपास के गांवों में कुछ लोग पंगु रोग से ग्रसित हैं । इस क्षेत्र के तीन गांवों में शासन द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण जुलाई, 1982 में कराया जा चुका है । बीमारी के मुख्य कारण ग्रामीणों द्वारा केसारी दाल का खाने में उपयोग व पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा का अधिक होना है । शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल निगम द्वारा इस क्षेत्र के 21 गांवों में दो योजनाएं विरचित की गई हैं तथा इन पर कार्य प्रगति पर है । अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस रोग से ग्रसित गांवों में जल रसायनिक उद्योगों के उत्प्रवाहों के कारण ही प्रदूषित हुआ है अथवा अन्य किन्हीं कारणों से तथापि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के माध्यम से उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं ।

प्रदूषणकारी उद्योग, जो शुद्धिकरण संयत्र व्यवस्था नहीं लगा रहे हैं, के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम गूलर भोज जनपद नैनीताल में वन विभाग की भूमि पर निर्बल वर्ग के लोगों का अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

*2—श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

क्या वन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामवासी ग्राम गूलरभोज, परगना गूलरभोज, जनपद नैनीताल जो निर्बल वर्ग के हैं, विगत 20 वर्षों से वन विभाग की 4000 एकड़ कृषि योग्य भूमि जोत बो रहे हैं ? यदि हां, तो आज तक उक्त भूमि का पट्टा सरकार या जिला प्रशासन द्वारा न किये जाने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मन्त्री को दिनांक 5-9-1983 का पत्र मय प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित भूमिहीनों का प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन सा प्रभावी कदम इस सम्बन्ध में उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन राज्य मन्त्री (श्री संजय सिंह)—

जी नहीं ।

वस्तु स्थिति यह है कि 255 एकड़ वन भूमि पर निर्बल वर्ग के 161 लोगों का अनधिकृत रूप से कब्जा है । उक्त भूमि का पट्टा विधिक कठिनाइयों के

कारण आज तक नहीं किया जा सका है। मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का 5-9-1983 का पत्र प्राप्त हुआ था। इस पर जिलाधिकारी से आख्या प्राप्त की गयी है जो विचाराधीन है।

श्री रामनारायण सिंह एडवोकेट--

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नौजवान मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है वह अधूरा है। मैं साफ जानना चाहता हूं कि यह 20 वर्षों से निर्बल वर्ग के जो भूमिहीन लोग हैं वह वन विभाग की जमीन को जोत बो रहे हैं, तो स्पष्ट 20 वर्षों की बात मैंने कही थी जिसका उत्तर नहीं दिया कि कितने दिनों से वह जोते हैं ?

दूसरे जब सरकार की स्पष्ट नीति है कि भूमिहीन और निर्बल वर्ग के लोगों को भूमि आवंटित की जायेगी और यह बीस सूत्री कार्यक्रम का अंग है जिसके तहत यह भूमि उनको आवंटित की जानी चाहिये। तीसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मैंने एक पत्र मुख्य मन्त्री जी को दिया था उसके सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी द्वारा उनको पट्टा कब तक किया जायेगा ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, सरकार की यह नीति रही है कि इस पर पहले सिंचाई विभाग का डैम बनाया गया और जो जमीन बची है वन विभाग की उस पर निश्चय किया गया कि डैम के कारण जिनको हटाया गया उनको पहले जमीन दी जाय लेकिन जो वहां पर लेबर थे उन्होंने अनधिकृत कब्जा कर लिया चूंकि नीति है कि विस्थापितों को जमीन दी जाय और जमीन देने का निश्चय भी किया गया। जिलाधिकारी से उसका सर्वे कराया और निश्चय किया गया कि 3 एकड़ से ज्यादा जमीन जिनके पास पहले से है उनको जमीन न दी जाय और जिसके पास नहीं है उसको दी जाय। जिलाधिकारी के माध्यम से सर्वे चल रहा है, बीच-बीच में अशांति पैदा हो जाती है और जब सर्वे हो जायेगा तो जमीन देने में दिक्कत नहीं होगी।

श्री रामनारायण सिंह एडवोकेट--

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि कानूनी दिक्कत के कारण पट्टा नहीं हो रहा है तो कानूनी दिक्कतें क्या हैं, वह बता दें ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, चूंकि नियम यह बनाया गया है कि जिन लोगों के पास 3 एकड़ से ज्यादा जमीन पहले से है उनको जमीन न दी जाये। सर्वे समय से नहीं हो पा रहा है चूंकि अशांति है, यही दिक्कत है।

श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

मान्यवर, जवाब दिया गया है कि 161 लोग अनाधिकृत कब्जा किये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने लोग 3 एकड़ से कम के व्यक्ति हैं।

श्री संजय सिंह--

मैंने पहले ही निवेदन किया कि सर्वे ही पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिये दिक्कत है।

(श्री खैरुल बशर के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष--

जिनका प्रश्न है यह संतुष्ट हैं, इसलिये मैं आगे बढ़ रहा हूं।

सोमवार, दिनांक 17 सितम्बर, 1984 हेतु निर्धारित

तारांकित प्रश्न

*1--श्री सरदार सिंह--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

*2--श्री सन्त बख्श रावत--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण]।

फर्रुखाबाद में स्वीकृत नवीन मंडी का निर्माण

*3—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद में नवीन मंडी का निर्माण 1975 से स्वीकृत है ? यदि हां, तो अब तक भूमि अध्याप्ति कर निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है तथा इस विलम्ब के लिये कौन दोषी है ?

कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

नवीन मन्डी स्थल फर्रुखाबाद के निर्माणार्थ भूमि चयन की प्रक्रिया 1975 में प्रारम्भ हुई थी । भूमि अधिग्रहीत होकर कब्जा दिनांक 10-7-1984 को प्राप्त हो गया है और निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

भूमि का कब्जा चूंकि दिनांक 10-7-1984 को ही मिल पाया अतः निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के लिए किसी को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गिरीश दत्त त्रिवेदी निवासी ग्राम खजुरी, जिला रायबरेली द्वारा अनियमित ढंग से नहर की नाली खोदे जाने के सम्बन्ध में दिया गया प्रार्थना-पत्र

4—श्री मोहन सिंह—

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री गिरीश दत्त त्रिवेदी, निवासी ग्राम खजुरी, तह0 महाराजगंज, जिला रायबरेली ने दिनांक 19-11-1981 को अनियमित ढंग से (कच्चीगुल) नहर की नाली खोदे जाने के सम्बन्ध में उप प्रशासक शारदा सहायक कमांड क्षेत्र विकास परियोजना, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था, जिस पर उप प्रशासक ने अपने पत्रांक 8768 दिनांक 20-11-81 को भूमि संरक्षण अधिकारी, खंड-2 शारदा सहायक समादेश क्षेत्र बछरावां, रायबरेली को जांच के लिए आदेश दिया था ? यदि हां, तो इस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

जी हां ।

जांच होने के पूर्व शिकायतकर्ता के पुत्र श्री महेश दत्त त्रिवेदी ने उपरोक्त जांच उप निदेशक लखनऊ से कराने हेतु प्रार्थन पत्र दिया । तदनुसार उप निदेशक, लखनऊ से जांच कराई गई । जांच में दो लाभग्राहियों की भूमि का सीमा रेखांकन विवाद पाया गया जांच अधिकारी द्वारा उन्हें सुझाव दिया गया कि वे राजस्व अधिकारी से सम्पर्क कर सीमा विवाद हल करवा लें । तदुपरान्त यदि आवश्यक होगा तो गूल ठीक करवा दी जायेगी । श्री त्रिवेदी को वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

पन्नी जी शुगर मिल, बुलन्दशहर के गन्दे नाले की सफाई

*5—श्री छत्तर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर नगर में स्थित पन्नी जी शूगर मिल के गन्दे नाले की सफाई कब से नहीं कराई गयी है तथा गन्दगी के कारण नगर में मच्छर एवं बदबू का प्रकोप है ? यदि हां, तो नगर पालिका से अधिशासी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मन्त्री (श्री विद्याभूषण)—

प्रश्नगत नाले की सफाई शुगर मिल द्वारा पिछली बार अप्रैल, 1984 में करायी गयी थी ।

नगर में मच्छरों की अधिकता अवश्य है, जिन्हें नष्ट करने हेतु नगरपालिका द्वारा समय-समय पर कीट नाशक दवाओं का छिड़काव तथा सफाई व्यवस्था की जाती रही है ।

उल्लिखित नाले का निर्माण चूंकि शुगर मिल द्वारा मिल के ही गन्दे पानी से विकास हेतु किया गया था, अतः उसकी सफाई का दायित्व भी शुगर मिल का है, अतः पालिका के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री किरन पाल सिंह—

(श्री छतर सिंह के अनुपस्थित होने पर) मेरी रुचि मान्यवर, इसमें है ।

श्री अध्यक्ष —

यह पहले से बताना चाहिए था ।

ललित पुर जल संपूर्ति योजना के अन्तर्गत शिरोपरि जलाशय का निर्माण

*6—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर नगर के स्टेशन क्षेत्र नई बस्ती में पेयजल की टंकी का निर्माण दो वर्ष पूर्व हो चुका है ? यदि हां, तो पेयजल संकट को दूर करने हेतु उक्त टंकी का प्रयोग न होने के क्या कारण हैं ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

ललितपुर जल संपूर्ति योजना के अन्तर्गत शिरोपरि जलाशय का निर्माण दिसम्बर, 1982 में पूर्ण हुआ था । इस योजना के लिए सिंचाई विभाग से कच्चा जल न मिलने के कारण प्रश्नगत जलाशय का उपयोग नहीं किया जा सका ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब इस जलाशय को बनाने की योजना बनी थी, तो उस समय सिंचाई विभाग से कच्चा जल प्राप्त होगा, इसकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी या नहीं ? यदि नहीं, तो यह क्यों बनाया गया ? इस पर जो लाखों रुपया रुपया खर्च हुआ है, उसको देखते हुए इसका आप अन्य क्या उपयोग करने जा रहे हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

माननीय सदस्य धन के अपव्यय की परवाह न करें, मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं । यह कार्य सन् 1982 में प्रारम्भ हुआ था और यह तय था कि ट्यूबवेल से इसका पानी दिया जाएगा लेकिन उसके लिए ट्यूब वेल सफल होने के कारण हाल ही में सिंचाई विभाग से इस पर समझौता हो गया है । गोविन्द सागर डेम से इसके लिए पानी की समस्या हल हो जाएगी और मार्च, 85 तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

83 में मन्त्री जी ने शपथ ली थी ..

श्री रणजीत सिंह जूदेव—!

नहीं, 82 में ली थी ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

चलिए और अच्छा हो गया है, तो 82 में मंत्री जी ने शपथ ली थी और उनके रहते ललितपुर में लोग पीने के पानी के बिना प्यासे मर रहे हैं, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गोविन्द सागर बांध से जो आपने जल लेने का समझौता किया है, यह किस तिथि को हुआ है ? और जल निगम द्वारा कब से लाइन डालने का काम होने जा रहा है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

पहली बात तो वहां पर प्यास के कारण कोई मरा नहीं है, न मर रहा है । 12-3-1984 को यह समझौता हुआ है और गोविन्दसागर से पानी के साप्लाई का काम शुरू हो गया है ।

इलाहाबाद नगर में निर्माणाधीन पर्यटक आवास गृह की स्वीकृत योजना

*7—श्री पंचानन राय—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर में निर्माणाधीन पर्यटक आवास गृह की जो योजना स्वीकृत थी उसे परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा निर्माणाधीन भवन में डारमेटरी की व्यवस्था की जा रही है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

इलाहाबाद नगर में पर्यटक आवास गृह के निर्माण की जो योजना स्वीकृत थी, उसमें मूल लागत में वृद्धि होने तथा सीमित परिव्यय को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय संशोधन कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मूल योजना के प्रस्तावित डारमेटरी का निर्माण धनाभाव के कारण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, इलाहाबाद पर्यटक आवास गृह में 24 बेड़ों का एक डारमेटरी बनाने की बात थी, जिससे कि साधारण आय के पर्यटक भी वहां आसानी से ठहर सकें, तो वह किया नहीं गया है। यदि धनाभाव की बात थी और उसके कारण से उसमें संशोधन करने की आवश्यकता थी तो उसमें अन्य कमरे आप कम कर सकते थे, डारमेटरी की सुविधा क्यों समाप्त कर दी गयी ? तो इस डारमेटरी के प्राविधान को समाप्त करने का क्या औचित्य है ? और सरकार इस मामले में पुनर्विचार करके क्या उसमें डारमेटरी की व्यवस्था कराने की कृपा करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट है, यह योजना अभी स्थगित की गयी है, अन्तिम रूप से अस्वीकार नहीं की गई है। दूसरे आपसे अर्ज करूं, शासन इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि ठहरने की साधारण और सस्ती व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करायी जाए और डारमेटरी की व्यवस्था तो हम निश्चित रूप से करेंगे। इसका जो मानचित्र था, उसके अनुसार डारमेटरी चौथी मंजिल पर बननी थी और अभी तीन मंजिल बन पायी है।

दूसरे अब व्यवस्था यह है कि जो पुरानी इमारत थी उसमें 6 कमरे बाकी हैं। फिलहाल उनमें हम सुधार करके वहां पर डारमेटरी की व्यवस्था करेंगे।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि जगह-जगह पर जो पर्यटक विश्राम गृह बने हैं उसमें साधारण होटलों से ज्यादा पैसा पर-डे वसूल किया जाता है। मैं इलाहाबाद में ठहरा था वहां पर 65 रुपया मुझसे ले लिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिससे साधारण आदमी भी उसमें रह सके ? मूल्य कम करने पर विचार करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, इसमें तो हम तमाम साधन जुटा रहे हैं। हाल ही में गोमती होटल में साढ़े 4 रुपये थाल की व्यवस्था की है।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, मैंने कमरे में रहने की व्यवस्था के बारे में पूछा है। माननीय मंत्री जी थाल के बारे में बता रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, हमारा रख-रखाव मंहगा है। फिलहाल तो यह सम्भव नहीं है लेकिन हम प्रयास करेगें।

श्री मारकंडेय चन्द्र--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुछ दिनों पूर्व इस प्रकार का शासन का विचार था, जिस प्रकार से विधायकों के लिये दिल्ली में जिस दर से रहने के लिये लिया जाता है, तो पर्यटक विश्राम गृहों में क्या इसी प्रकार से व्यवस्था कराने पर विचार करेगें ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, अब तक तो इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है। भविष्य में क्या परिस्थितियां होंगी यह देख लिया जायगा।

दुग्ध डेरी, राम नगर, वाराणसी में सालाना घाटा

*8--श्री ऊदल--

क्या पशुपालन मंत्री को जानकारी है कि दुग्ध डेरी, राम नगर, वाराणसी की जब से स्थापना की गयी है तबसे लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री संजय सिंह--

जी हां। दुग्धशाला क्षेत्र में दूध की कमी तथा दुग्ध उपार्जन हेतु समुचित संख्या में कुशल-प्रबन्धयुक्त दुग्ध सहकारी समितियों के अभाव के कारण यह दुग्धशाला अपनी क्षमता के अनुरूप दूध की हैन्डलिंग नहीं कर सकी। फलस्वरूप विगत वर्षों में हानियां होती रहीं। किन्तु पिछले दो वर्षों में विशेष प्रयासों से समुचित संख्या में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन/पुनर्गठन करके दुग्ध-शाल की दुग्ध हैन्डलिंग में वृद्धि की गई है तथा डेरी का व्यवसाय बढ़ा है और वर्ष 1983-84 में इस दुग्धशाला की नकद हानियों में अत्यधिक कमी हुई है। डेरी की इस प्रगति को देखते हुये फिलहाल किसी प्रकार की जांच कराये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेगें कि कुल कितने लाख रुपयों का अब तक नुकसान हुआ है ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, जब से यह डेरी बनी है तब से में सालाना आंकड़े आपको बता दूं कि कितना घाटा हुआ है। 1979-80 में 24.2 लाख, 1980-81 में 29.35 लाख, 1981-82 में 25.54 लाख, 1982-83 में 39.64 लाख तथा 1983-84 में घाटा घटकर 7.95 लाख रह गया है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि इस डेरी की क्षमता कितने लीटर दूध की थी और इसमें कितने लीटर दूध प्राप्त होता रहा ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, यह डेरी 1 लाख लीटर की बनी थी। मैं नहीं जानता कि किस तरह इसका निर्णय लिया गया था। 1 लाख लीटर कैपेसिटी की यह डेरी बनायी गयी लेकिन उस हिसाब से उतना दूध वहां था नहीं। इसी वजह से जिस साल से डेरी लगी तब से आज तक घाटे पर चल रही है। चूंकि डेरी डिपार्टमेन्ट के पास पैसा कम रहा लगाने के लिये लेकिन एक चीज विशेष ध्यान देने लायक है कि 83-84 में यह घाटा घटकर 7.95 लाख रुपये हो गया है। मुझे विश्वास है कि एक या डेढ़ साल में फायदा होगा। आपरेशन फ्लड-2 में बनारस लिया गया है। इस वजह से इसमें पूरी व्यवस्था होगी।

श्री ऊदल--

इस डेरी के बनने के पूर्व सरकार ने एक योजना बनायी थी कि पूरे बनारस को और खासकर तहसील चन्दौली और चकिया को, गाजीपुर को भी तथा जौनपुर को भैंस और गाय के लिए अनुदान देकर बड़े पैमाने पर पशुपालन कराया जायगा, ताकि इस डेरी को ज्यादा से ज्यादा दूध उपलब्ध हो। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करेंगे कि उस योजना को लागू नहीं किया गया, जिसके ऊपर इस डेरी का बनाया गया था, उसी का नतीजा है कि आज दूध बहुत कम मिल रहा है, क्या इसकी जांच करेंगे ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, इसकी जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन जिलों का जिक्र किया गया, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर आदि, उसमें सारी योजनाएं लागू हुई हैं। उसमें आनन्द पद्धति लागू है। उसमें उनकी सुविधा की व्यवस्था, अच्छे चारे की व्यवस्था स्वयं अपने आप इस योजना के अन्तर्गत है।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जौनपुर, बलिया, बनारस, गाजीपुर की बात कही है, मैं यह जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिला उसी के पड़ोस में है। तो मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह जानना चाहता हूं कि आजमगढ़, बनारस, जौनपुर और गाजीपुर के सरहद पर है, तो वहां पर जो डेरी बन्द हो गयी है, आजमगढ़ के बारे में बता दें कि इसके लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, भविष्य में अवश्य किया जायगा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, डेरी फेडरेशन के अन्तर्गत जो सारी जगहों पर, बनारस, दलतपुर आदि जगहों पर यह डेरी चल रही है, घाटे पर चल रही है, उसी को देखते हुए यह आनन्द पद्धति लागू करने की बात है। इस पैटर्न पर जो सोसाइटियां बनाने का कार्यक्रम है, उसके लिए कोई निर्धारित समय की घोषणा करने की कृपा करेंगे कि इस फैक्ट्री के आस-पास 10-10 किलोमीटर की एरिया में सोसाइटियां बना दी जायेंगी, क्योंकि अब तक जो मिल्क सप्लाई टायर पर 100-100, 200-200 किलो मीटर से आता है, वह ठेकेदारों के जरिये से आता है, कभी फट जाता है, कभी समय पर नहीं पहुंचता है। आनन्द पद्धति की जो बात है, वह कहीं बनाई नहीं जा रही है, चाहे वह दलतपुर का हो, चाहे बनारस का हो, क्या आप कोई निश्चित डेट की घोषणा करेंगे कि इस तारीख के अन्दर आनन्द पैटर्न पर सारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन करके मिल्क सप्लाई करना शुरू कर देंगे ?

श्री संजय सिंह--

अभी जो माननीय सदस्य ने बात कही, मेरी समझ से वह बिलकुल सत्य से परे है। जो जिले आनन्द पद्धति के अन्तर्गत लिए गए हैं, उनमें जो सोसाइटियां रजिस्टर्ड की जाती हैं, उनके रिजल्ट देखने के बाद हम इनको बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें पैसे की भी व्यवस्था करनी होती है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि एक दिन में 500 सोसाइटियां बन जायं। जब वह ठीक काम करने लगती हैं, तो उनका रिजल्ट देखने के बाद, तब धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। जहां पर फ्लड आपरेशन-2 लागू है, वहां पर यह आनन्द पद्धति चालू है।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, जब से डेरी राम नगर की बनी है 1984-85 से वहां पर घाटा

ही हो रहा है, उसमें क्योंकि ज्यादातर अमेठी और सुल्तानपुर की नियुक्ति की जा रही है। पूरा जो रामनगर की डेरी है, आपने उसमें नियुक्तियां 80 प्रतिशत से ज्यादा सुल्तानपुर और अमेठी की ही की हैं और वहां के स्थानीय लोगों ने दूध न देने का संकल्प ले लिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय मंत्री जी सब जिलों के बारे में उत्तर दे रहे हैं। मैं बुलन्दशहर के बारे में जानकारी चाहता हूं। जब से इस जिले में डेरी विभाग खोला गया है, उसकी स्थापना से आज तक उसको चौथाई दूध मिल रहा है जितना पहले मिलता था। क्या उन कारणों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

स्पोर्ट्स कालेज के कर्मचारियों हेतु स्वीकृत सेवा नियमावली

*9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित स्पोर्ट कालेज के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली शासन के द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद भी अभी तक कालेज में लागू न होने का क्या कारण है ?

श्री संजय सिंह—

"दि स्पोर्ट्स कालेज" लखनऊ (टीचिंग एन्ड एलाइड स्टाफ) सर्विस रूल्स 1981" दिनांक 3-7-84 से स्पोर्ट्स कालेज कर्मचारियों पर लागू कर दिए गए हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित सेवा नियमावली अन्तिम रूप से बनकर शासन को कब प्राप्त हुई और शासन द्वारा उसकी स्वीकृति कब प्रदान की गयी ?

श्री संजय सिंह—

इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है मैं माननीय सदस्य को सूचना दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरे प्रश्न की मंशा यह थी कि बहुत से निगमों, संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण इसलिए किया जा रहा है कि वहां सेवा-नियमावली नहीं है। उनके हितों का ध्यान सरकार नहीं दे रही है। सरकार द्वारा नियमावली स्वीकृत हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक लागू नहीं होती है। नियमावली वहां लागू हो गई, इसका लाभ तो मिल गया। मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट किया था कि शासन स्तर पर सेवा-नियमावली बनाने और लागू करने के बारे में कोई विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था है। जिन सेवाओं के लिए सेवा नियमावली नहीं लागू है वहां माडल सेवा-नियमावली लागू कर दी जाय। श्रीमन्, भारत के संविधान में यह कहा गया है कि आजादी के बाद सभी सेवाओं के लिए नियमावली जल्दी ही बना दी जायेगी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि विभिन्न विभागों में सेवा नियमावली लागू करने के बारे में शासन में कोई विचार चल रहा है ?

श्री संजय सिंह—

3-7-84 को नियमावली लागू कर दी गयी है ?

पर्वतीय जिलों में लीसा पर आधारित लघु उद्योगों को दिए गए लीसे की दर

*10—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में लीसा पर आधारित लघु उद्योगों को क्रमशः 1087 रु0 12 पैसा और 459 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लीसा दिया जा रहा है ? यदि हां, तो एक ही प्रकार के लघु उद्योगों को अलग-अलग दर पर लीसा क्यों दिया जा रहा है ? सरकार इस फर्क को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री संजय सिंह—

पर्वतीय जिलों में लीसा पर आधारित उन इकाइयों को, जो "धर कमेटी" द्वारा संस्तुत पात्र इकाइयों की श्रेणी में आती हैं, वर्ष 1983-84 में आरक्षित एवं सिविल पंचायती वनों से प्राप्त लीसा 459·00 रु0 प्रति क्विंटल की दर से तथा निजी वनों से प्राप्त लीसा उन इकाइयों को जो उपरोक्त कमेटी द्वारा संस्तुत पात्र इकाइयों की श्रेणी में नहीं आती हैं, अन्तिम रूप से 1087 रु0 12 पैसा की दर से आवंटित किया गया है ।

आरक्षित वनों से उत्पादित लीसा की बिक्री से प्राप्त आय शासन की होती है और सिविल तथा पंचायती वनों से प्राप्त आय का वितरण जिला परिषद सम्बन्धित ग्राम सभा तथा वन विभाग के बीच होता है । इसके विपरीत निजी वनों से प्राप्त आय में से वन विभाग केवल उत्पादन व्यय काटकर शेष आय निजी वनों के स्वामियों को भुगतान करता है । इन निजी वनों के स्वामियों की यही मांग रहती है कि उनके वनों से उत्पादित समस्त लीसा का निस्तारण नीलाम द्वारा किया जाय ताकि उन्हें अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो सके । अतएव वर्ष 1983-84 में आवंटित निजी वनों से उत्पादित लीसा का मूल्य अन्तिम रूप से औसत बाजार भाव के समरूप रखा गया जिससे निजी सेवकों को अपने लीसा का उचित मूल्य मिल सके ।

उपरोक्त स्थिति में लीसा की दरों में अन्तर होना स्वाभाविक है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की ओर से जो उत्तर आया है उसको आपने भी अच्छी तरह से देखा होगा । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि धर कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इस धर कमेटी ने कौन-कौन सी इकाइयों को अपना पात्र माना है ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, कमेटी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि लीसा का उत्पादन बहुत कम होता है और लीसा चाहने वाले बहुत अधिक हैं । इसलिए इसके वितरण के लिए कमेटी की आवश्यकता पड़ी और कमेटी बनाई गई । जो इस कमेटी में आते हैं उनको जो लीसा दिया जाता है वह अलग दाम पर दिया जाता है और जो इस कमेटी के अन्तर्गत नहीं आते हैं उनको लीसा अलग दाम पर दिया जाता है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, एक तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में यह लीसा निकलने वाले जंगल का पर्यावरण दूसरा पंचायती तीसरा आरक्षित, यह तीन बात है, इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आरक्षित एवं सिविल पंचायती वनों से प्राप्त लीसा 459·00 रु0 प्रति क्विंटल की दर से तथा निजी वनों से प्राप्त लीसा उन इकाइयों को, यानि धर कमेटी के जो पात्र हैं, उनको दी जाती है और जो धर कमेटी के पात्र नहीं हैं उनको

लीसा 1087 रु0 12 पैसा की दर से दी जाती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह कुपात्र कहां से पैदा हो गए हैं जो उनको 1087 रु0 12 पैसा की दर से लीसा दी जाती है और जो पात्र हैं उनको लीसा 459·00 रु0 की दर से लीसा दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इनके पात्र पुत्र हैं उनको विरोजा किस भाव से जाता है और जो कुपात्र हैं उनको विरोजा किस भाव से जाता है ?

श्री संजय सिंह—

लीसा का जो उत्पादन है वह पर्यावरण आदि सभी चीजों को देखकर किया गया है। जो कमेटी है इसने देखा है कि इसमें सब गुण विद्यमान हैं। सरकार स्वयं सबको कम दाम पर देती लेकिन जो प्राइवेट लोगों के वन हैं वह ज्यादा पैसा चाहते हैं इसलिए इनका यह रखा गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि धर कमेटी ने किस आधार पर संस्तुतियां की हैं कि इन व्यक्तियों को लीसा 459 00 रु0 तथा इन व्यक्तियों को 1087 रु0 प्रति कुन्टल की दर से लीसा दिया जाए। क्या इसका आधार था ? क्या साल भर में कोई कमेटी बनेगी जो सामान्य संस्तुति के आधार पर लीसा देने का कष्ट करेगी ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, 22 फरवरी, 1984 को निर्णय लिया गया है कि जो प्राइवेट लोगों का लीसा है उनको 75 प्रतिशत नीलाम द्वारा शेष 25 प्रतिशत आवंटन द्वारा दिए जाने का निश्चय किया गया है, लेकिन इसकी कहीं-कहीं आलोचना हुई तो यह निश्चय किया गया कि जितना लीसा है उस सबको नीलाम किया जाए।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, यह लीसे सम्बन्धी प्रश्न ऐसा है जिस पर पर्वतीय अंचलों का उद्योग बहुत निर्भर करता है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इसमें इस प्रकार की विषमता क्यों पैदा कर दी गयी है, जबकि पर्वतीय अंचल में लीसे के बहुत कम उद्योग हैं। यह विषमता क्यों है कि किसी को किसी भाव से और अन्य को दूसरे भाव से दिया जा रहा है ? माननीय मुख्य मंत्री जी यह आश्वस्त करने की कृपा करें कि जबकि पर्वतीय अंचल में लीसे की बहुत कम यूनिटें हैं, अतः सबको समान दर से देने का निर्णय लेंगे। यदि पहले ही कोई निर्णय लिया गया हो तो वह अंतिम निर्णय नहीं है। चूंकि वहां पर नाम मात्र के उद्योग धंधे हैं। गढ़वाल में और कुमाऊं में लीसे के 20-22 उद्योग भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में क्या मा0 मुख्य मंत्री जी समान दर से देने के लिए एक कमेटी बना कर निरीक्षण करवा कर निर्णय लेने की कृपा करेंगे, ताकि पर्वतीय अंचल में लीसा उद्योग को सहायता दी जा सके ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में लीसे के उत्पादन की कम क्षमता को देखते हुए ही ये सारे निर्णय लिये गये थे और इस समय तो यह भी निर्णय है कि वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी लीसे की यूनिट का लाइसेंस न दिया जाय, इसके बावजूद लीसे के लिये लाखों प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन सबको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि यह जो फर्क रखा गया है, सिर्फ इसलिये रखा गया है ताकि

इनकी सहायता से आपको पैसे मिले ताकि आप अपना चुनाव प्रचार कर सकें, इसलिये आप यह फर्क कम नहीं करना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह फर्क गलत रखा गया है। आपके माननीय मंत्री जी लीसे के बारे में नहीं जानते हैं। ये अमेठी के रहने वाले हैं, लेकिन आपने इनको वन मंत्री बना दिया है। वन के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी पर्वतीय अंचल के रहने वाले हैं, ये चीड़ के पेड़ों को पहचानने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह फर्क क्यों रखा गया है? क्या आप इस अन्तर को मिटाने के लिये कोई नयी कमेटी बनाएंगे, ताकि यह फर्क तुरन्त समाप्त हो?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं अपने रानीखेत के सम्मानित सदस्य के विचार से विनम्रतापूर्वक असहमति व्यक्त करता हूं कि मेरे योग्य सहयोगी इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। मैं समझता हूं कि जो प्रयास किया गया वह वनों को बढ़ाने के लिये सराहनीय था। इसमें माननीय सदस्य रानीखेत का भी सहयोग मिलना चाहिये। यह सही है कि पर्वतीय क्षेत्र में लीसे का बहुत महत्व है। माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के वनों की सुरक्षा के लिये एक व्यापक जन आंदोलन चला जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रख्यात हुआ और जिसको व्यापक जन सहयोग प्राप्त हुआ। इसके बाद यह निश्चय हुआ कि एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर के चीड़ के पेड़ों का दोहन न हो, इसीलिये लीसे के उत्पादन में भी कमी आयी। इसका प्रभाव पर्वतीय क्षेत्र के लीसे के उद्योगों पर भी पड़ा और उद्योगों को लीसा कम आवंटित किया जा सका। मेरे सहयोगी ने जैसा बताया कि घर कमेटी की रिपोर्ट अंतिम नहीं है और इस पर पुनः विचार किया जायगा, हम पर्वतीय क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके, इसका उपाय निकालने का प्रयास करेंगे। श्रीमन्, यह मात्र इतना प्रश्न नहीं है कि लीसे की जो कीमत ली जाती है, उसका एक स्थिरीकरण हो और समीचीनीकरण हो। लीसे के उत्पादन को बढ़ाया जाय और किस सीमा तक बढ़ाया जाय, उसका वितरण कैसे किया जाय, पहले जो उद्योग लगे हैं और जिनकी एक निश्चित कैपेसिटी है, उन्हें लीसा प्राथमिकता के आधार पर पहले आवंटित किया जाय और या फिर जो नये उद्योग लगे हैं, उनको आवंटित किया जाय और कितना किया जाय, जिन पर घर कमेटी ने विचार किया था। यदि किसी नयी कमेटी की आवश्यकता हुई, उसके बारे में मैं अपने योग्य सहयोगी वन मंत्री जी को सलाह दूंगा कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, यह अन्याय है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जायं मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट सदन त्याग कर चले गये।)

यू० पी० स्टेट एग्रो कारपोरेशन लार, देवरिया के कर्मचारियों के विरुद्ध वाद पर निर्णय

*11—श्री फिरंगी प्रसाद शारदा—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि धारा 409/420 भा० दं० वि० में यू० पी० स्टेट एग्रो कारपोरेशन लार, देवरिया के कुछ कर्मचारियों के ऊपर वाद संख्या 1172/82 न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट देवरिया के यहां ब्रांच मैनेजर यू० पी० एग्रो, गोरखपुर ने चलाया था, जिसका निर्णय दिनांक 30-9-83 में हुआ है, जिसमें सम्बन्धित कर्मचारीगण

निर्दोष पाए गए हैं ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों का ड्यूटी पर योगदान न लिये जाने का क्या कारण है ?

कृषि राज्य मन्त्री (कु0 सरस्वती अम्माल)—

जी हां । सम्बन्धित कर्मचारी का ड्यूटी पर योगदान इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि मुंसिफ मजिस्ट्रेट, देवरिया के निर्णय दिनांक 30-9-83 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रिमिनल रिवीजन दायर हो चुका है और इनकी सेवाएं पहले ही समाप्त हो चुकी हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । उत्तर में जो कहा गया है कि क्रिमनल प्रोसीजर के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में वाद दाखिल है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चैलेन्ज के साथ सरकार से कहना चाहता हूं कि दो महीने पूर्व हाईकोर्ट ने अपने वाद संख्या 232/84 तथा अपने फैसले दिनांक 12-7-1984 द्वारा, जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट देवरिया के यहां श्री कैलाश प्रसाद के विरुद्ध दायर किया गया था, ने उन्हें निरपराध पाकर छोड़ दिया था और हाईकोर्ट ने भी इस मुकदमे को बलहीन व तथ्यहीन पाकर खारिज कर दिया था । आज जब सदन के अन्दर उत्तर आया है, दो महीने बाद तो उसमें भी गलत बयानी की गई है । क्या सरकार को यह जानकारी है कि हाईकोर्ट ने दो महीने पूर्व इस मुकदमें को खारिज कर दिया है ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, हां, दिनांक 27-8-1984 को मुकदमा खारिज हो चुका है । इस सम्बन्ध में हम लीगल एडवाइस ले रहे हैं, जैसे ही लीगल एडवाइस मिल जायेगी, उस पर हम विचार करेंगे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, शासन की इस गलत बयानी के लिए मैं आपके माध्यम से विशेषाधिकार हनन की सूचना इस सदन में दे रहा हूं । मुन्सिफ मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से जब यह फैसला हुआ तो विभाग उसके बाद चुके से सम्बन्धित फाइल में उनकी सेवायें 10-12-1982 को समाप्त दिखा रहा है । गोरखपुर से प्रकाशित एक अखबार में लिखा गया है कि यह निर्णय दिनांक 30-9-1983 में हो गया था । अब समय के अन्तराल को आप देखेंगे तो काफी लम्बा है । इस समयान्तराल में कितने लोगों की सेवायें समाप्त की गयी हैं । मैं स्वयं कैलाश प्रसाद जी की एप्लीकेशन को लेकर एम0 डी0 महोदय के पास गया था और उनसे कहा था कि इनकी सेवा आप नये ढंग से करें य पुरानी सेवा को मानते हुए करें । विभाग ने इस मामले में प्रेज्यूडिस होकर न तो फर्टिलाइजर रिसीव कराया और न रजिस्टर में चढ़ाया ही, जबरदस्ती उनको हतोत्साह किया जा रहा है और सेवा से हटाया जा रहा है ? हाईकोर्ट के निर्णय को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी उन कर्मचारियों को सेवा में पुनः लेंगे ? पुरानी सेवा के आधार से लेंगे या नयी नियुक्ति करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत होते हुए भी मैं आपके माध्यम से उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे कृपया भावनाओं में न बहें, केवल जिस व्यक्ति की वह मदद करना चाहते हैं या जो न्याय चाहते हैं, उसके बारे में जिस प्रकार की उनकी भावनाएं हैं उस व्यक्ति के साथ, हमारी भावनाएं भी उसी तरह उससे सम्बद्ध हैं मैं किसी विद्वेष भावना से कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता हूं । उसके विरुद्ध धारा 420/409 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत थाना लार (देवरिया) में मुकदमा दायर किया गया जो वहां से खारिज हो गया लेकिन वे ड्यूटी से ऐब्सकोन्ड रहे । वैसे मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का

आदर करते हुए यही कहना चाहूंगा ला डिपार्टमेन्ट से राय ली जा रही है, उसके बाद निश्चित रूप में कोई कार्यवाही की जायेगी ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट 5, देवरिया के यहां स्टेट बनाम कैलाश प्रसाद मुकदमा चलाया गया और फिर 4-12-82 को जमानत करवा कर केस की पैरवी श्री कैलाश प्रसाद करते रहे, जिसका फैसला माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30-9-1983 में हुआ । फिर भी विभाग वालों ने उनको फरार कहा हुआ है, जबकि न्यायालय में आमने सामने केस की पैरवी करते रहे ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

तो क्या यह सही है कि श्री कैलाश प्रसाद से विद्वेश भावना से प्रेरित होकर के अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत न कर, जबकि सम्बन्धित फाइल विभाग के ही कार्यालय में थी तथा 10-12-82 में सेवा सम्बन्धी घोषणा करने के बाद दिनांक 30-9-83 आज समाचार पत्र जो गोरखपुर से प्रकाशित होता है, द्वारा 30-9-83 को सेवाएं समाप्ति की सूचना छपवायी तो क्या यह सही नहीं है कि किसी भी अस्थायी सरकारी कर्मचारी के लिए एक माह पूर्व सूचना देना चाहिए, जो नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

सेवा में लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता । इस सिलसिले में हमारा डिपार्टमेन्टल जो प्रोसीडिंग है, उस पर राय ली जा रही है ला डिपार्टमेन्ट की, फिर उसके बाद कोई कार्यवाही की जायेगी । दूसरा प्रश्न फरार वाला जो है, फरार का मतलब यह नहीं कि वह शहर छोड़ कर कहीं चले गये बल्कि वह ड्यूटी से फरार रहे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, देवरिया के यहां से जो फैसला हुआ है उसके विरुद्ध विभाग यह कह रहा है कि मामला अभी न्यायालय में लम्बित है, तो क्या इस बिन्दु की जांच कराकर मामले में उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, वैसे आपका आदेश शिरोधार्य है, माननीय सदस्य यदि मुझे भी सन्तुष्ट कर दें तो अवश्य उस पर कार्यवाही की जायेगी । दूसरी बात यह मामला अब न्यायालय में नहीं बल्कि उच्च न्यायालय में लम्बित है ।

निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत बनने वाले आवासों हेतु आवंटित धनराशि

*12—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को ज्ञात है कि निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत बनने वाले आवासों के लिए मात्र दो हजार रुपये प्रति आवास ही आवंटित किये जाते हैं ? क्या सरकार इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु इस धन की मात्रा बढ़ाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु शासकीय अनुदान दिया जाता है । यह अनुदान मैदानी क्षेत्र में लागत का 75 प्रतिशत या दो हजार रु0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 75 प्रतिशत या तीन हजार रुपये जो भी कम हो, दिया जाता है ।

सीमित साधनों के अन्तर्गत अधिकाधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनुदान की सीमा में वृद्धि किया जाना सम्भव तथा उचित नहीं है। लाभार्थियों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, यह स्पष्ट है कि निर्बल वर्ग आवास योजना समाज के निर्बल वर्ग के लोगों को और विशेषकर परिगणित जाति और परगणित जनजाति के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये ली गयी है। यह जो लागत लगती है उसका 75 प्रतिशत यह जो बात है, यह तो समझ में आती है लेकिन यह समझ से परे है कि योजना जब से लागू की गयी तब से आज तक 2 हजार रु0 और पर्वतीय क्षेत्र में 3 हजार रुपये यह एक सीमा बांध दी गयी है अधिकतम। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं किस आधार पर यह सीमा बांधी गयी, कब बांधी गयी और उसके अनुसार जो हर चीज की बाजारू कीमतें बढ़ी हैं, क्या आवास की कीमत की बढ़ोत्तरी को देखते हुये आवास के लिए और अधिक धन आवंटित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, 1979-80 के अन्तर्गत यह आवास योजना लागू की गयी। मान्यवर, इस योजना के तहत अब तक करीब 17 लाख हाउसिंग साइट एलाट किये गये हैं और मान्यवर, इसमें केवल 72 हजार को सहयोग प्रदान किया गया। मान्यवर, अभी जैसा मान्यवर माननीय सदस्य ने कहा कि कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है इन सब चीजों को देखते हुये ही ग्रामीण आवास परिषद् का गठन किया गया, जिसके तहत उनको ऋण देने की योजना लागू की गयी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी, यह जो योजना है, इसका कृपया परीक्षण करा लें और यह देख लें कि क्या उसमें और विचार किया जा सकता है।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, यह जो निर्बल वर्ग आवास योजना है, इसमें अनुदान देने की बात कही जा रही है, माननीय मन्त्री जी ऋण देने की बात कह रहे हैं। मान्यवर, गरीबों को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, उनके लिये सीमा बांधी गयी है 2 हजार रुपए। जो सरकारी निर्माण कराया जाता है मान्यवर, आप देख लें हर साल 20 प्रतिशत लगान बढ़ा दी जाती है। यह योजना तो गरीबों के लिए है, परिगणित जाति और जनजाति के लोगों के लिए है, इसकी सीमा मान्यवर न बढ़ाये जाने का क्या औचित्य है? मैं यह भी स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या उन निर्बल वर्ग के लोगों के लिए, उन परिगणित जाति के लोगों के लिये, जिनके लिये यह योजना लागू की गयी, स्पष्टतया उनको लाभान्वित करने के लिये इस सीमा को बढ़ाने के लिये सरकार आज घोषणा करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इस निर्बल वर्ग आवास योजना से अधिक आवास उत्तर प्रदेश में बने, इस सम्बन्ध में 4 बैठकें अभी हाल ही में मैं कर चुका हूं। कल रात भी 3 घन्टे बैठक चली। चूंकि इसमें अंतिम निर्णय होना बाकी है, इसलिए श्रीमन् पहले से आपसे आज्ञा नहीं चाही कि कुछ कहूं। हमारा यह विचार है कि हम इस सम्बन्ध में गुजरात, महाराष्ट्र और तामिलनाडु की तरह बड़े पैमाने पर प्रदेश में निर्बल वर्ग के लिये आवास बना सके। यह सही है कि दो हजार रुपये में मकान नहीं बन सकता। हम यह चाहते हैं कि इसका कोई ऐसा प्राविधान हो जिससे कि एक अच्छे स्तर का मकान, जिसमें कि सामान्यतः निर्बल

वर्ग के लोग रह सकते हैं, इसका एक स्थायी मापदण्ड बना कर, बड़े पैमाने पर बनाया जाय और बैंकों से जो 4 प्रतिशत डिफरेंशियल रेट आफ इन्टरेस्ट पर जो ऋण मिल सकता है, उसका भी प्रयोग किया जाय। हरिजन विकास निगम है और जो दूसरे निगम हैं, वे भी इस स्तर के मकान बनाये और इस सबसिडी को, जो मार्जिन मनी है, उसको प्रयोग में लाया जाय। एक करोड़ रु0 इसमें प्राविधानित है। कल मैंने जिस आधार पर बातचीत की है, मैं समझता हूं कि 7-8 दिन के अन्दर रूपरेखा को अन्तिम रूप देकर तय कर लेंगे। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दो हजार की लिमिट से काम नहीं चलेगा, लिमिट क्या हो, सीधे उनको दिया जाय या मकान बना कर दिया जाय, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, इन सारी बातों पर एक हफ्ते 10 दिन में निर्णय लेंगे।

लखनऊ में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी बहुमंजिले भवनों का निर्माण

*13--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में इस समय करीब एक दर्जन सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी बहुमंजिले भवनों का निर्माण चल रहा है तथा हैवलक रोड पर परियोजना भवन निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त भवनों का नक्शा पास हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त भवनों के निर्माण पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

लखनऊ में इस समय केवल 8 सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी बहुमंजिले भवनों का निर्माण चल रहा है तथा हैवलक रोड पर योजना भवन निर्माणाधीन है।

उक्त भवनों के नक्शों की स्थिति निम्नानुसार है--

1--सपरू मार्ग पर उ0 प्र0 फल उपयोग निदेशालय भवन--इस भवन में अप्राधिकृत निर्माणों के प्रति 3806 रु0 शमन शुल्क प्राप्त करके भवन मानचित्र 29-2-1984 को पास कर दिया गया था।

2--मीराबाई मार्ग पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् का भवन--इसका भवन मानचित्र परिषद् द्वारा अनुमोदित है।

3--मीराबाई मार्ग पर उ0 प्र0 विद्युत् परिषद् का नया भवन--इस भवन का नक्शा पास है किन्तु चहारदिवारी व अस्थायी निर्माण नक्शे के विरुद्ध होने के कारण उसे गिराने हेतु विद्युत् परिषद् को नोटिस दी गई है।

4--छितवापुर (स्टेशन रोड) पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन व्यावसायिक केन्द्र की योजना प्राधिकरण से अनुमोदित है।

5--पुराना विधायक निवास में राज्य सम्पत्ति विभाग का निर्माणाधीन भवन--इस भवन का नक्शा पास कराये बिना ही कार्य आरम्भ कर दिये जाने के कारण उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा 27 (1) के अधीन नोटिस दी गई है और उसका मुकदमा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।

6--हैवलक रोड पर निर्माणाधीन योजना भवन का एफ0 ए0 आर0 पहले 150 स्वीकृत हुआ था जिसे नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुसार कामन सर्विसेज के लिए 20% अतिरिक्त एफ0 ए0 आर0 अनुमन्य कराये जाने पर अब कुल

एफ0 ए0 आर0 180 तक सीमित रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण को योजना भवन के मानचित्र पर तद्नुसार स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने के निदेश दिये गये हैं ।

7--स्टेडियम के पास स्टेट बैंक का भवन--इसका नक्शा पास ।

8--अलीगंज में जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया का निर्माणाधीन भवन--इसका नक्शा पास नहीं है । उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 (1) के अधीन नोटिस दी गई है । मुकदमा सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है ।

वर्णित स्थिति के अनुसार निर्माणाधीन 8 सरकारी व अर्द्ध सरकारी बहुमंजिले भवनों में से 5 भवनों के नक्शे अनुमोदित हैं और योजना भवन का नक्शा पास करने की कार्यवाही की जा रही है । पुराना विधायक निवास तथा अलीगंज में जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के निर्माणाधीन भवनों के मुकदमे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन होने के कारण उसके निर्माण पर रोक नहीं लगाई जा सकी

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, इस सरकार के अधीन आज की जो अफसरशाही है, वह कतई नहीं है । इस जवाब से जाहिर है कि इस प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के भवनों का निर्माण हो रहा है जब मान्यवर, इतनी इमारतों में से 8 सरकारी व अर्द्ध सरकारी बहुमंजिले भवनों में से भवन ऐसे हैं जिनके नक्शे पास नहीं हैं । योजना भवन जो बन रहा है जो कि आपके पिछवाड़े है और जिसके कारण पानी के संकट से आप भी ग्रसित हैं । इस सम्बन्ध में पिछले सत्र में भी मैंने एक प्रश्न किया था जिसके उत्तर में तत्कालीन नगर विकास मंत्री, श्री बलराम सिंह यादव ने मुझे यहां सदन में आश्वासन दिया था कि उस योजना भवन का 6 मंजिल के बाद 7वीं मंजिल नहीं बनाई जायेगी । उनके आश्वासन यहां पर देने के बावजूद भी उसकी 7वीं मंजिल बनाई जा रही है, इसका क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, मुझे बड़े दुःख के साथ मानना पड़ रहा है कि श्री बलराम सिंह यादव के आश्वासन के बावजूद भी योजना भवन की सातवीं मंजिल बनती रही । इसके बाद एक मीटिंग हुई थी मुख्य सचिव के साथ उसमें यह तय हुआ कि फ्लोर एरिया बढ़ा दिया गया था उसे 150 से 180 कर दिया गया था ताकि उसे नियमानुसार 7वीं मंजिल तक कर सकें । उसके बाद भी देखा गया कि 7वीं मंजिल जैसाकि आप कह रहे हैं, बनाने का औचित्य नहीं है । आपकी बात के अनुसार ही हम लोग उसे देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं उसको रुकवाने के लिये ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

अभी माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि श्री बलराम सिंह जी ने आश्वासन दिया था और उसके बावजूद भी वहां 7वीं मंजिल बन रही है । ऐसी स्थिति के बारे में शासन ने एक निर्देश जारी किया है लेकिन फिर भी 7वीं मंजिल बन रही है और आगे आठवीं मंजिल भी बनेगी । हेवलक रोड पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है ऐसी स्थिति को देखते हुए क्या आप उस 7वीं मंजिल को ध्वस्त करायेंगे और कोशिश करेंगे आगे उस पर और कोई मंजिल न निर्मित की जाय ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, इसके बाद एक बैठक हुई थी जिसमें योजना सचिव, मुख्य सचिव और नगर सचिव भी थे, उसमें एफ0 ए0 आर0 बढ़ा कर 150 से 180 कर दिया गया था । 180 से यह बहुत बड़ा एरिया हो गया तो बिल्डिंग बढ़ा

दी गयी, अब यह बिल्डिंग 180 में आती है तो हम उसको गिरा नहीं सकते हैं ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं कबूल किया है कि बलराम सिंह यादव ने आश्वासन दिया था । उनके आश्वासन के बावजूद वहां पर सातवीं मंजिल बनायी गयी तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, क्या शासन उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? दूसरे क्या प्रधान मंत्री के कार्यालय से सचिव, श्री अरोड़ा का कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ है यदि हां, तो उसमें क्या निर्देश थे, मैंने शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित भी किया था । यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जो आपका पहला प्रश्न है कि जो अधिकारी दोषी हों उनको दण्ड दिया जायेगा या नहीं । जहां तक नगर विकास का प्रश्न है, जब नक्शा पास नहीं हुआ तो अधिकारी को दोषित होने का प्रश्न ही नहीं उठता । पूरी बिल्डिंग जो बन रही है इसमें सरकार का पैसा लगा है, जब नक्शा पास ही नहीं कराया गया तो उन्हें दण्ड देने का हमारे विचार से कोई प्रश्न नहीं उठता । हां, एक सरकारी विभाग, जिसने बिना नक्शा पास कराये बिल्डिंग बनायी उसके खिलाफ हम जरूर कार्यवाही करेंगे । दूसरी बात कि माननीय सदस्य ने 16 अप्रैल को श्री बलराम सिंह यादव को एक पत्र लिखा था कि जब उन्होंने आश्वासन दे दिया है तो यह निर्माण क्यों हो रहा है, तो इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की बात कही गयी थी । यह आपका 16 अप्रैल का पत्र जब मिला तो इसी के परिप्रेक्ष्य में 23 जून को एल0 डी0 ए0 से इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी है लेकिन अभी तक हमारे पास यह जानकारी आयी नहीं है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

16 अप्रैल का पत्र है, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी नहीं है । जैसा आपने कहा कि श्री बलराम सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि 7वीं मंजिल न बनायी जाये, तो जिन अधिकारियों ने आदेशों का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी और क्या प्रधान मंत्री के यहां से भी कोई पत्र आया था कि 7वीं मंजिल न बनायी जाय ? यदि हां, तो उसके कन्टेन्ट क्या थे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, प्रधान मंत्री कार्यालय से कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

जनपद बस्ती में उर्वरक निरीक्षकों द्वारा लिए गये नमूनों का परीक्षण

*14--श्री कुबेर भंडारी--

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि कृषि विभाग, बस्ती द्वारा वर्ष 1982-83 में खाद्य व्यापारियों के यहां से कितने उर्वरक के नमूने लिए गए, उनमें से कितने नमूने प्रयोगशाला विश्लेषण हेतु भेजे गए ? विश्लेषण में मानक से कम पाए गए नमूनों पर संबंधित उर्वरक व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 में लिए गए उर्वरक नमूनों में से अधिकांश नमूने सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा गायब कर दिए गए हैं और पांच उर्वरक विक्रेताओं के नमूने मानक से कम पाये जाने के बावजूद एक वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री यशपाल सिंह--

बस्ती जनपद में वर्ष 1982-83 में खाद व्यापारियों के यहां से विभिन्न उर्वरक नरीक्षकों द्वारा 94 नमूने गृहित किये गये जिनमें से 31 नमूने विश्लेषण हेतु प्रेषित हुए। इनमें से 26 नमूने विश्लेषण के लिए स्वीकार कर प्रयोगशाला भेजे गये।

विश्लेषण में मानक से कम पाये गये नमूनों से सम्बन्धित व्यापारियों के निबंधन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिये गये।

इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

जी नहीं।

जांच निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर द्वारा गन्ने के वास्तविक क्षेत्रफल का अनुमान लगाने सम्बन्ध परियोजना

*15—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेंटर द्वारा वर्ष 1982-83 में गन्ने के वास्तविक क्षेत्रफल का अनुमान लगाने सम्बन्धी परियोजना से क्या तथ्य सामने आए हैं? क्या गन्ना क्षेत्रफल सम्बन्धी वर्ष 1982-83 व 1984-85 में इस परियोजना से प्राप्त आंकड़े गन्ना विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों से मेल खाते हैं? यदि नहीं, तो क्या-क्या अन्तर पाया गया?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वर्ष 1982-83 में रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेंटर द्वारा इस परियोजना पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जनवरी, 1984 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का विशिष्ट वायुवीय सर्वेक्षण करवाया गया। इसी समय के ही उपग्रहीय आंकड़ों का कम्प्यूटर निर्वचन किया जा रहा है। विश्लेषण के उपरान्त ही गन्ने के वास्तविक क्षेत्रफल के आंकड़े मिल सकेंगे तथा उनका विभागीय आंकड़ों से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकेगा।

*16—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

[नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदस्य को सूचना भेजी गयी।]

मोहल्ला नगरिया (नया) ठाकुरगंज-हरदोई मार्ग, लखनऊ के निवासियों के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

*17—श्री यमुना प्रसाद—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला नगरिया (नया) ठाकुरगंज, हरदोई मार्ग, लखनऊ के निवासियों के संयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता तथा सर्वश्री धनीराम सिंह मेगी व बैजनाथ पाल, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के पत्र सहित क्रमशः दिनांक 27 मार्च, 1984, 12 अप्रैल, 1984, 5 जनवरी, 1984, 2 फरवरी, 1984, 14 फरवरी, 1984, 27 मार्च, 1984, 16 अप्रैल, 1984 तथा 3 अप्रैल, 1984 को उन्हें तथा प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उपर्युक्त प्रार्थना-पत्रों में मोहल्ले के निवासियों द्वारा क्या निवेदन किया गया है और उन पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों और विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री विद्या भूषण—

जी हां।

मोहल्ले में नागरिक सुविधायें यथा पानी, बिजली, सीवर लाइन, सड़क आदि की व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

वस्तुस्थिति यह है कि इस मोहल्ले में खेतों की जमीन खरीद कर बिना नक्शा पास कराये और विकास योजना स्वीकृत कराये भवन बना लिये गये हैं । इस प्रकार के क्षेत्रों में निर्माण के साथ विकास का कार्य स्वयं भू-स्वामियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है । विकास के पश्चात् जब क्षेत्र को महापालिका को हस्तांतरित कर दिया जायेगा तब महापालिका द्वारा वहां नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खंड, लखनऊ के विरुद्ध फर्जी स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता भुगतान लेने के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही

*18—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या क्षेत्रीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 12 दिसम्बर, 1983, 3 अक्तूबर, 1983 एवं 13 फरवरी, 1984 का पत्र अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खंड, लखनऊ के विरुद्ध फर्जी स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता भुगतान लेने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त अधिकारी को मुख्य अभियन्ता ने दंडित करने हेतु शासन को कोई संस्तुति की है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

प्राप्त शिकायती-पत्रों पर मुख्य अभियन्ता को आख्या प्राप्त करने के उपरान्त श्री एस० के० दुबे, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खंड, लखनऊ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार सम्पूर्ण मामले की जांच करने के लिये श्री श्री गोपाल, अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई, आगरा मंडल को जांच अधिकारी शासन के पत्र संख्य 5362/54-3-1419(18)-74, दिनांक 23 अगस्त, 1984 में नियुक्त किया गया है । जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रतिभा सिनेमा, लखनऊ द्वारा महायोजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में पत्र

*19—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम प्रकाश, मन्त्री, भ्रष्टाचार विरोधी समिति, लखनऊ का 10 अगस्त, 1983 का कोई पत्र उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रतिभा सिनेमा, लखनऊ द्वारा महायोजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है और उसकी प्रतिलिपि आवास अनुभाग 3 में भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के ब्लाक कुठौन की ग्राम शंकरपुर दिवारा की हस्तगत की गयी भूमि को पुनः ग्राम सभाओं को दिलाने की मांग

*20—श्री धनी राम वर्मा—

क्या वन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद जालौन, ब्लाक कुठौन की ग्राम

सभा शंकरपुर बधावली व खेरा की यमुना नदी के किनारे की लगभग 200 एकड़ रेतीली भूमि वन विभाग ने 4 साल पूर्व हस्तगत कर ली है, जिसमें 4 माह यमुना की धारा बहने के कारण कोई पेड़-पौधे नहीं उगते हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त जमीन पर काश्तकार ग्राम सभाओं से स्थायी पट्टे पर लेकर तरबूज आदि की जायद फसल उस पर लगाया करते थे जिससे ग्राम सभाओं की आय हुआ करती थी और गरीब काश्तकारों के परिवार का पालन-पोषण होता था ? यदि हां, तो क्या सरकार उस भूमि को पुनः ग्राम सभाओं को देने के लिए निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में वस्तु-स्थिति यह है कि जनपद जालौन के ब्लाक कुठौन के अन्तर्गत ग्राम अब्दुल्लापुर दिवारा की 84 एकड़ भूमि, ग्राम शंकरपुर दिवारा की 96 एकड़ भूमि तथा खेड़ा दिवार की 148 एकड़ भूमि वन अधिनियम की धारा 4 के द्वारा सुरक्षित वन बनाने हेतु वर्ष 1954 में प्रस्तावित की गयी थी जिसे वर्ष 1966 एवं वर्ष 1972 में वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है । यह भूमि रेतीली होने के कारण वृक्ष विहीन है ।

यह कहना सही नहीं है कि चार वर्ष पूर्व उक्त क्षेत्रों की भूमि ग्राम सभाओं द्वारा काश्तकारों को तरबूज आदि की खेती हेतु स्थायी पट्टे पर दी जाती रही है । उक्त क्षेत्रों की भूमि आरक्षित वन घोषित हो चुकी है और भारत सरकार के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कोई वन भूमि बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये अन्तरित किया जाना सम्भव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

पशुपालन विभाग से पशु चिकित्साधिकारी तथा क्षेत्र प्रबन्धक (कुक्कुट) के वेतनमान में असमानता

1—श्री मोहन सिंह—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग के पशु चिकित्साधिकारी तथा क्षेत्र प्रबन्धक (कुक्कुट) के वेतनमान दिनांक 1-4-65 तथा 1-8-72 को समान थे ? यदि हां, तो दिनांक 1-7-79 से उक्त पदों के वेतनमान में असमानता क्यों हुई ? क्या उक्त पदों के वेतनमानों में समानता लाने के लिए सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

दिनांक 1-7-79 से द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुति पर पशु चिकित्साधिकारी (परिवर्तित पदनाम पशुधन विकास अधिकारी) (ग्राम समूह) का वेतनमान 850-1720 रु0 तथा असम्वर्गीय पद होने के कारण क्षेत्र प्रबन्धक (कुक्कुट) का वेतनमान 690-1420 रु0 पुनरीक्षित किया गया था तथा इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा एवं पशुपालन विभाग के कुक्कुट निरीक्षकों के वेतनमान में असमानता

2—श्री मोहन सिंह—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा एवं पशुपालन विभाग के कुक्कुट निरीक्षकों का वेतनमान दिनांक 1-7-79 से पूर्व समान था तथा 1-7-79 के बाद उक्त पदों के वेतनमान में असमानता हो गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा के पोल्ट्री इंसपेक्टरों का वेतनमान पुनरीक्षित करने के लिए विचार करेगी ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

पशुपालन विभाग के कुक्कुट निरीक्षकों को प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं जबकि पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा के कुक्कुट निरीक्षकों को प्रोन्नति के अवसर नहीं हैं । उक्त के आधार पर वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पशुपालन विभाग के कुक्कुट निरीक्षकों को वेतनमान 430–685 रु0 तथा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा के कुक्कुट निरीक्षकों को वेतनमान 470–735 रु0 स्वीकृत किया गया है । अतः दोनों के प्रोन्नति स्रोतों में असमानता के कारण पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा के कुक्कुट निरीक्षकों के बराबर पशुपालन विभाग के कुक्कुट निरीक्षकों का वेतनमान पुनरीक्षित किया जाना उपयुक्त नहीं है ।

ग्राम सभा चन्दवारा, विकास खंड मसौली, जनपद बाराबंकी की धनराशि गांव सभा के खाते में स्थानान्तरित किये जाने की मांग

3—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा चन्दवारा, विकास खंड मसौली, जनपद बाराबंकी का 28963 रु0 तथा 12 पैसे वर्ष 1978 से कोषागार बाराबंकी में जमा हैं ? यदि हां, तो यह पैसा गांव सभा के खाते में स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं तथा यह पैसा गांव सभा के खाते में कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 32 के अधीन अनुमन्य स्रोतों से ही प्राप्त आय गांव निधि में जमा की जा सकती है । अधिनियम में पुनर्ग्रहीत भूमि की कीमत का गांव निधि में जमा किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है । अतः उक्त धनराशि को गांव सभा के खाते में स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका धामपुर (जनपद बिजनौर) में शिवाजी पार्क में पानी की टंकी के निर्माण में कमियां

4—श्री धम्मन सिंह गहलौत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका धामपुर (जनपद बिजनौर) में शिवजी पार्क में पानी की टंकी का निर्माण 13 लाख रुपये की लागत से वर्ष 1984 में पूरा हुआ है जिसमें पहली बार ही पानी भरने पर पानी टपकने लगा है और वह बनी भी तिरछी है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

नगरपालिका धामपुर (जनपद बिजनौर) में शिवाजी पार्क में पानी की टंकी का निर्माण ठेकेदार के माध्यम से 4,85,400 रु0 की लागत से कराया गया है । कार्य का अभी ट्रायल एवं टेस्टिंग चल रहा है । पानी की टंकी तिरछी नहीं बनी है । पानी भरने पर टंकी में जो कमियां पाई गई उन्हें ठेकेदार द्वारा दूर किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परियोजना अधिकारी (कृषि), बस्ती द्वारा हरिजन कोटा पूर्ण किये जाने का आश्वासन

5—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परियोजना अधिकारी (कृषि), बस्ती ने पिछले वर्ष सदन में आश्वासन देने के बावजूद भी दिनांक 1–2–84 को

श्री कमला पाण्डेय, कामदार को कनिष्ट लिपिक के पद पर प्रोन्नत किया है ? क्या इसके पूर्व हरिजन कोटा पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । जी नहीं । अब श्री राम संवारे कामदार (अनुसूचित जाति) की प्रोन्नति करके हरिजन कोटा पूर्ण कर लिया गया है । समय से हरिजन कोटा पूर्ण न करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है ।

विकास खंड काकोरी के न्याय पंचायत क्षेत्र , बराबन कला तथा माधोपुर में श्री विन्द्रा प्रसाद मिस्त्री द्वारा हैण्डपम्प लगवाने के व्यय की प्रतिपूर्ति

6--श्री तपेश्वर--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में सूखा राहत कार्य के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ में काकोरी खंड के न्याय पंचायत क्षेत्र-बराबन कलां में 4 तथा माधोपुर में 2 हैण्ड पम्प श्री विन्द्रा प्रसाद मिस्त्री द्वारा लगाये गये थे ? यदि हां, तो क्या हैण्डपम्प लगवाने के व्यय की प्रतिपूर्ति मिस्त्री को कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था कर दी गयी है ।

रिमोट सेन्सिंग की तकनीक द्वारा बृहत् नहर सिंचाई क्षेत्रों में नहरों द्वारा वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल का पता लगाने से सम्बन्धित परियोजना

7--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेंटर द्वारा वर्ष 1982-83 में बृहत् नहर सिंचाई क्षेत्रों में नहरों द्वारा वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल का पता लगाने की परियोजना किस-किस क्षेत्र में चलाई गई और उसमें क्या तथ्य सामने आए हैं ? क्या रिमोट सेन्सिंग तकनीक से प्राप्त आंकड़े सिंचाई विभाग के आंकड़ों से मेल खाते हैं ? यदि नहीं, तो क्या-क्या अन्तर पाया गया ?

श्री कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

वर्ष 1982-83 में रिमोट सेन्सिंग की तकनीक द्वारा बृहत् नहर सिंचाई क्षेत्रों में नहरों द्वारा वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल का पता लगाने से सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी ।

अतः सिंचाई विभाग के आंकड़ों से अन्तर होने का प्रश्न नहीं उठता।

8--श्री जयदीप सिंह बरार--

[दिनांक 10-9-84 को अता० प्र० सं० 27 द्वारा उत्तरित]

उस्का बाजार (बस्ती) के बी०डी०ओ० के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

9--श्री अम्बिक सिंह तथा श्रीमती कमला साहनी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ब्लाक प्रमुख उस्का बाजार (बस्ती) के शिकायती-पत्र के साथ सांसद

श्री काजी जलील अब्बासी ने उस्का बाजार के बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध लखनऊ के किसी अधिकारी से जांच कराने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 1984 को कोई पत्र पंचायती राज मन्त्री को दिया है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र की जांच किस अधिकारी से कराई गई और जांच रिपोर्ट क्या है तथा जांच के बाद उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ऐसा कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

10--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

मलिहाबाद क्षेत्र को फल पट्टी घोषित किया जाना

11--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन मानकों के आधार पर मलिहाबाद क्षेत्र को आम्रपट्टी (मैंगोबेल्ट) घोषित किया गया है ? क्या सरकार उन्हीं आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों की छोटी बागवानी भूमि की बनावट को देखते हुए कम क्षेत्रफल के फल क्षेत्रों को सेब पट्टी, आम्रपट्टी घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दशपाल सिंह--

फलदार वृक्षों के सम्बर्द्धन करने और उनके समीपस्थ ईंट भट्ठों या अन्य हानिप्रद अधिष्ठानों के कारण होने वाले पादप रोग से उनका संरक्षण करने के लिए और तत्सम्बधी विषयों की व्यवस्था के लिए मलिहाबाद क्षेत्र को फल पट्टी शासन न घोषित किया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पर्वतीय क्षेत्र में ईंट भट्ठों जैसी कोई समस्या नहीं है जिससे फल उद्यानों को किसी तरह की क्षति की आशंका हो । अतः इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है ।

सामान्य तौर पर पर्वतीय क्षेत्र में पहले से ही फल पट्टियां स्थापित हैं ।

लखनऊ नगर महापालिका क्षेत्र के अन्तर्गत गोवंश उन्नति हेतु सांडों की मुक्ति, स्वास्थ्य रक्षा हेतु किये गये उपचार

12--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महापालिका क्षेत्र के अन्तर्गत गोवंश उन्नति हेतु बहुत से सांड़ सरकार ने मुक्त किये हैं ? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ? इनको बीमारी से बचाने या उपचार करने का दायित्व किस अधिकारी पर है ? क्या विगत तीन वर्षों से इस दायित्व का निर्वाह किया गया ? यदि नहीं, तो सरकार इन महत्वपूर्ण जानवरों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए कर्तव्य निर्धारण तय करेगी ?

श्री संजय सिंह--

जी नहीं ।

जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की सुरक्षित सीमा के अन्दर स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 की इकाई को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

13--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की सुरक्षित सीमा के अन्दर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 की एक इकाई कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पार्क के पर्यावरण, कर्मचारियों की सुरक्षा, वन्य प्राणियों की स्वच्छन्दता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त इकाई को अतिशीघ्र

स्थानान्तरित करने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

जिस कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की सुरक्षित सीमा के अन्दर स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 को इस इकाई को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

जनपद एटा में महारानी लक्ष्मी बाई कन्या इन्टर कालेज में फर्नीचर स्टाक बुक गुम हो जाने से दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

14—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में महारानी लक्ष्मी बाई कन्या इन्टर कालेज नगर-पालिका में वर्ष 1975-76 में फर्नीचर स्टाक बुक गुम हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट क्या उच्च अधिकारियों को की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि शिक्षा संहिता के अनुसार फर्नीचर के रख-रखाव का उत्तरदायित्व प्राचार्य का है और स्टाक-बुक के रख-रखाव दिसम्बर, 1981 तक प्राचार्य द्वारा किया भी गया है ? यदि हां, तो फर्नीचर गुम होने का उत्तर-दायित्व एवं 1291 कुर्सियां व डेस्क गुम होने के प्रति दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां ।

यह सही है कि फर्नीचर के रख-रखाव का उत्तरदायित्व प्राचार्य का है किन्तु उनकी देखरेख में स्टाक बुक का रखरखाव कार्यालय लिपिक द्वारा किया गया ।

फर्नीचर कम होने के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासक द्वारा जांच की गई जिसमें उन्होंने श्री सुरेन्द्र पाल गुप्ता, प्रधान लिपिक, स्वर्गीय राम सिंह, चौकीदार व उसके पुत्र श्री अशोक स्वीपर-चौकीदार तथा श्रीमती सरोज सक्सेना, प्रधानाचार्या को उत्तरदायी व दोषी पाया और उनसे फर्नीचर की कीमत वसूल करने का आदेश दिनांक 4-2-84 को पारित किया । तदनुसार सम्बन्धित कर्मचारियों को नोटिसें दी जा चुकी हैं ।

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 के सदस्यों का स्थानान्तरण

15—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 के सदस्यों का स्थानान्तरण एक जनपद से दूसरे जनपद में कितने वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात् किया जाता है ?

श्री यशपाल सिंह—

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 के सदस्यों का स्थानान्तरण मण्डल में एक जनपद से दूसरे जनपद में तीन वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात् किया जाता है ।

श्री बी0 के0 राय, वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक का स्थानान्तरण

16—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बी0 के0 राय, वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक, जनपद गोरखपुर से देवरिया हेतु स्थानान्तरित कितने वर्ष गोरखपुर में कार्य करने के पश्चात् किया गया है ?

श्री यशपाल सिंह—

श्री बी0 के0 राय, वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक का स्थानान्तरण जनपद गोरखपुर से जनपद देवरिया के लिए 7 माह 23 दिन कार्य करने के पश्चात् किया गया था ।

कृषि रक्षा अनुभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां एवं कुछ मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्तियां

17—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि कृषि रक्षा अनुभाग में 1-4-83 के पश्चात् चतुर्थ श्रेणी में कितने कर्मचारियों की नई नियुक्ति या पुनः नियुक्ति की गई है ? उनके नियुक्ति के दिनांक के साथ उनका पूर्ण पता सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करेंगी ?

श्री यशपाल सिंह—

कृषि रक्षा अनुभाग में दिनांक 1-4-83 के पश्चात् विभिन्न जनपदों में चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों की नियुक्तियां की गईं। इनकी नियुक्ति से सम्बन्धित विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 219 पर।)

18—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1-4-83 के पश्चात कृषि रक्षा अनुभाग के कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई है तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में किस-किस आदेश संख्या व तिथि से नियुक्त किया गया है ?

श्री यशपाल सिंह—

कृषि रक्षा अनुभाग में दिनांक 1-4-83 के पश्चात 11 कर्मचारियों की मृत्यु हुई। मृतकों के आश्रितों को राजकीय सेवा में संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार अभी तक नियुक्तियां दे दी गयी हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 221 पर।)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में राजस्व अधिकारी श्रीश कुमार जायसवाल के स्थानान्तरण की मांग

19—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिशिर जायसवाल, राजस्व अधिकारी के पद पर विकास प्राधिकरण इलाहाबाद में नियुक्त हैं और उनके सगे भाई श्री सतीश कुमार जायसवाल इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में सदस्य हैं ? यदि हां, तो क्या राजस्व अधिकारी के पद पर श्री शिशिर जायसवाल की नियुक्ति राजाज्ञाओं के विपरीत नहीं है ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 31-3-84 को इलाहाबाद नगर लोकदल का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय विकास मन्त्री से मिला था ? यदि हां, तो शिशिर जायसवाल को इलाहाबाद से स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में अभी तक विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विद्या भूषण—

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में श्री शिशिर जायसवाल नहीं अपितु श्री श्रीश कुमार जायसवाल राजस्व अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं और उनके ज्येष्ठ भाई श्री सतीश चन्द्र जायसवाल की नियुक्ति शासन द्वारा विकास प्राधिकरण इलाहाबाद के अवैतनिक सदस्य के रूप में की गयी है। उ० प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 973 की धारा 5 (2) के अन्तर्गत इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा श्री श्रीश कुमार जायसवाल की उक्त पद पर नियुक्ति की गयी है जो नियमानुसार है। अधिनियम अथवा नियमों में यह प्रतिबन्ध नहीं है कि विकास प्राधिकरण के अवैतनिक सदस्य के सम्बन्धी को विकास प्राधिकरण में किसी पद पर नियुक्त न किया जाये। जी हां, यह सही है कि दिनांक 31-3-84 को इलाहाबाद नगर लोकदल

का एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन माननीय नगर विकास मंत्री से मिला था। विकास प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त अधिकारी स्थानान्तरणीय नहीं है। अतः श्री जायसवाल को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्तमान जल निगम व पूर्व के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में हैंड बोरिंग व नल-कूपों की बोरिंग का कार्य

20—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान जल निगम, उ0 प्र0 व पूर्व के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में हैंडबोरिंग व नलकूपों को बोरिंग आदि का कार्य मैकेनिकल शाखाओं के माध्यमसे कराया जाता रहा है तो वर्तमान समय में हैण्ड पम्पों के लगाने व उसकी बोरिंग का कार्य जो कि शत प्रतिशत मैकेनिकल कार्य है, किन कारणों से उ0 प्र0 जल निगम की सिविल शाखाओं द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है जिसकी वजह से अधिकांश लगाये गये हैण्डपम्प किसी न किसी खराबी की वजह से काम नहीं कर रहे हैं? उक्त कार्यों को मैकेनिकल शाखाओं के माध्यम से कराने के सम्बन्ध में क्या आदेश दिये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण—

वर्तमान जल निगम व पूर्व के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में हैंडबोरिंग व नलकूपों की बोरिंग का कार्य वि/यां व सिविल, दोनों ही शाखाओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार कराया जाता रहा है। नलकूपों की बोरिंग का कार्य सामान्यतया वि/यां शाखाओं द्वारा कराया जाता है। हैंड पम्पों के लगाने व उसकी बोरिंग का कार्य शत-प्रतिशत मैकेनिकल नहीं है। सिविल शाखाओं द्वारा हैण्डपम्प के कार्य केवल ठेकेदारों के माध्यम से ही नहीं कराये जा रहे हैं। प्रदेश के ग्रामों में जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्डपम्प साधारणतः खराब नहीं हुए हैं। जिन हैंड पम्पों के खराब होने की सूचना प्राप्त हुई उन्हें ठीक करा दिया गया या कराया जा रहा है। उक्त कार्यों को मैकेनिकल शाखाओं के माध्यम से कराने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिये जा रहे हैं क्योंकि हैण्ड बोरिंग का कार्य वि/यां संवर्ग विशेष का कार्य नहीं है।

उ0 प्र0 जल निगम में विद्युत् यांत्रिक शाखाओं एवं सिविल शाखाओं का अनुपात

21—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में वर्तमान समय में मैकेनिकल शाखाओं व सिविल शाखाओं का अनुपात तथा मैकेनिकल व सिविल अभियन्ताओं, जे0 ई0, ए0 ई0, एक्स इंजीनियर एस0 ई0, चीफ इंजीनियर आदि का अनुपात क्या है? क्या यह अनुपात पूर्व में उक्त कार्यों के बंटवारे हेतु शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के अनुरूप है जिसे लागू करने हेतु शासन की स्वीकृति मिल चुकी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण—

उ0 प्र0 जल निगम में वर्तमान में कुल विद्युत यांत्रिक शाखाओं एवं सिविल शाखाओं का अनुपात 1 : 6 का है। विद्युत यान्त्रिक/सिविल के अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियंताओं, अधिशासी अभियन्ताओं तथा अधीक्षण अभियन्ताओं का अनुपात क्रमशः 1 : 6·6, 1 : 8, 1 : 6.5 तथा 1 : 6·25 का है। अवर मुख्य अभियंता, जो अब मुख्य अभियन्ता स्तर 2 कहलाते हैं के पदों पर पदोन्नतियां सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा सेवा विनियमावली 19 7 के विनियम संख्या-दो (घ) के अनुसार

की जाती हैं में इसके अनुसार इस पद के लिये यदि वह वर्ग विशेष के लिये न हो, विद्युत, यान्त्रिक तथा सिविल सभी के वर्गों के अभियन्ता पात्रता क्षेत्र में आते हैं। अतः मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के पदों पर विद्युत यान्त्रिक तथा सिविल का प्रतिशत निकाला जाना सम्भव नहीं है।

जल निगम की मेकैनिकल शाखाओं व मंडलों पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (यांत्रिकी) का प्रशासनिक नियंत्रण

22—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम की कुछ मेकैनिकल शाखाओं व मंडलों को ही अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (यांत्रिकी) के प्रशासनिक नियंत्रण में क्यों दिया गया है ? क्या ठोस प्रशासनिक नियंत्रण व कामों में एकरूपता लाने के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम की समस्त मेकैनिकल शाखाओं को अतिरिक्त मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखने के आदेश दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत मामले में स्थिति यह है कि जिन 5 मेकैनिकल शाखाओं और एक मण्डल को उनके अधीन किया गया है वह एक अस्थाय व्यवस्था है।

जो नहीं, प्रशासनिक कारणों से यह सम्भव नहीं है। कार्यों में एकरूपता लाने के लिये विभाग में सभी विद्यालय/यांत्रिकी/शाखाओं/मण्डलों को तकनीकी मार्गदर्शन मुख्यालय द्वारा पहिले से ही दिया जाता है।

जल निगम की अस्थायी निर्माण शाखा, गोरखपुर तथा द्वितीय अस्थायी निर्माण शाखा, आजमगढ़ के कार्य क्षेत्र

23—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम गोरखपुर व द्वितीय अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम आजमगढ़ द्वारा पहले किन–किन जिलों का कार्य कराया जाता था व अब उन जिलों के कार्यों को उक्त शाखाओं के कार्य करते रहने व समाप्त न किये जाने पर किन कारणों से दूसरी शाखाओं से कराया जा रहा है व उक्त अनियमितताओं को दूर करने के सम्बन्ध में क्या आदेश दिये जा रहे हैं और नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत मामले में स्थिति यह है कि नवम्बर, 1983 से पहिले अस्थायी निर्माण शाखा, गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर, बस्ती, देवरिया तथा बलिया के कार्य एवं द्वितीय अस्थायी निर्माण शाखा, आजमगढ़ द्वारा जनपद आजमगढ़ तथा गाजीपुर के कार्य कराये जाते थे तथा ये शाखायें मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र के नियन्त्रण में कार्य कर रही थीं। नवम्बर, 1983 में ही गोरखपुर क्षेत्र में मुख्य अभियन्ता का नया कार्यालय खुलने पर शाखाओं एवं कार्यों का पुनर्नियोजन किया गया जिसके फलस्वरूप ये दोनों शाखायें मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर के नियन्त्रण में कर दी गयीं, परन्तु उपरोक्त जनपदों में से जनपद गाजीपुर एवं बलिया के समस्त कार्य मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद के अन्तर्गत ही रहने दिये गये। इसमें कोई अनियमितता नहीं है। अतः इसके लिये किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश जल निगम में मस्टर रोल एवं कार्य प्रभारी अधिष्ठान में नियुक्तियों पर रोक

24—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से उत्तर प्रदेश जल निगम में मस्टर रोल एवं कार्य प्रभारी अधिष्ठान की नियुक्तियों पर रोक लगा दी गयी है जब कि उक्त निगम में अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियंताओं की नई नियुक्तियों हेतु कोई रोक नहीं है ?

श्री विद्या भूषण—

जल निगम में किसी भी पद पर नियुक्ति किये जाने का निर्माण कार्य की आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। मस्टर रोल तथा कार्य प्रभारी अधिष्ठान में अभी और कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है, अतः नियुक्तियों पर रोक लगायी गयी है।

उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्य प्रभारी अधिष्ठान या मस्टर रोल में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य के घंटे

25—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में वर्तमान समय में कार्य प्रभारी अधिष्ठान में या मस्टर रोल में कार्यरत कर्मचारियों से कुल कितने घंटे काम लिया जाता है ? क्या उनके शोषण को रोकने एवं उनसे सिर्फ 8 घंटे ही काम लेने के लिये अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

सामान्यतः इन कर्मचारियों से 8 घंटे काम लिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार जब कभी इनसे 8 घंटे से अधिक कार्य लिया जाता है तो नियमित कर्मचारियों की भांति इन्हें भी मार्ग व्यय भत्ता दिया जाता है। अतः इन कर्मचारियों के शोषण का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियन्ता (यांत्रिकी) को यांत्रिकी शाखा के प्रशासनिक नियंत्रण एवं निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी

26—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से उत्तर प्रदेश जल निगम की सम्पूर्ण यांत्रिकी शाखाओं के प्रशासनिक नियंत्रण एवं निर्माण कार्यों की देखरेख की जिम्मेदारी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (यांत्रिकी) उत्तर प्रदेश को नहीं दी जा रही है, जब कि उस विभाग की सम्पूर्ण सिविल शाखाओं को सिविल अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत मामले में स्थिति यह है कि कार्यों में समन्वय एवं प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से कथित जिम्मेदारी मुख्य अभियन्ता (यांत्रिकी) को दिया जाना जनहित में न तो उचित है और न ही आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश जल निगम की विद्युत/यांत्रिक शाखाओं में अनुसंधान शाखा तथा विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु सम्पूर्ण अनुरक्षण शाखाओं का चार्ज दिये जाने का प्रश्न

27—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम

में किन कारणों से एक भी विद्युत् यांत्रिकी की प्रकल्प, सर्वे या अनुसंधान शाखा का निर्माण नहीं किया गया है जब कि उक्त कार्यों के लिये सिविल की दो दर्जन से अधिक शाखायें कार्यरत हैं व अब उक्त के सम्बन्ध में क्या आदेश दिये जा रहे हैं ?

श्री विद्या भूषण—

उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त सूचनानुसार निगम में सर्वेक्षण, अन्वेषण, नियोजन तथा डिजाइन के कार्य में विद्युत्/यांत्रिक अभियंताओं का योगदान कम होता है, अतः अनुसंधान शाखाओं का सृजन नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है ।

28—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

उक्त के सन्दर्भ में, क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि उत्तर प्रदेश जल निगम में विद्युत यांत्रिकी की नयी शाखाओं का सृजन करना सम्भव नहीं है, तो क्या विद्युत यांत्रिकी अभियन्ताओं की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिये उत्तर प्रदेश जल निगम की सम्पूर्ण अनुरक्षण शाखाओं (मेन्टीनेन्स डिवीजन) का चार्ज उन्हें दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

उत्तर प्रदेश जल निगम में विद्युत यांत्रिकी अभियन्ताओं की पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त हैं । कार्य की आवश्यकता को देखते हुये रख-रखाव शाखाओं में में विद्युत/यांत्रिक तथा सिविल दोनों ही संवर्गों के अभियन्ताओं को नियुक्त किया जाता है । अतः उत्तर प्रदेश जल निगम की सम्पूर्ण अनुरक्षण शाखाओं (मेन्टीनेंस डिवीजन) को केवल विद्युत यांत्रिकी अभियन्ताओं के चार्ज में दिया जाना कार्यहित में नहीं है ,

उ0 प्र0जल निगम में कार्य प्रभारी अधिष्ठान में 5 वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण

29—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में पांच साल से अधिक समय से कार्य प्रभारी अधिष्ठान में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनके नियमितीकरण के सम्बन्ध में क्या आदेश जारी किये गये हैं व उस पर कहां तक अमल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

उत्तर प्रदेश जल निगम में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कार्य प्रभारी अधिष्ठान में लगभग 4800 कर्मचारी हैं, जिनके नियमितीकरण के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि से निरन्तर कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को, जो सेवा में बनाये रखने योग्य पाये जायं आवश्यक विनियम बनाकर नियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कर दिया जायेगा । नियमितीकरण के लिये विनियम बनाये जा रहे हैं ।

मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम गोरखपुर के कार्य क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के पम्प हाउसों में पम्प आपरेटर्स के कार्य के घंटे

30—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, जल निगम गोरखपुर के कार्य क्षेत्र में, किन-किन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के पम्प हाउसों पर, एक ही पम्प

आपरेटर या पम्प अटेन्डेन्ट की नियुक्ति की गई है तथा उसे 24 घन्टे अकेले कार्य करना पड़ता है एवं उसके बदले में न तो कोई ओवरटाइम दिया जाता है और न ही अवकाश ? यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि उक्त कार्य, श्रम कानूनों के विपरीत है ? यदि हां, तो उक्त पम्प हाउसों पर विभाग के पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्तियां के आदेश दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण--

मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के कार्य क्षेत्र में 21 ग्रामीण पेयजल योजनाओं (सूची संलग्न) के पम्प हाउसों पर एक ही पम्प आपरेटर या पम्प अटेन्डेन्ट की नियुक्ति की गयी है । इन योजनाओं पर अभी पम्पिंग प्रतिदिन आंशिक रूप से की जाती है । अतः 24 घन्टे काम लेने या ओवर टाइम देने का प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ग', आगे पृष्ठ 223 पर) ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में वर्क चार्ज व मस्टर रोल में सरप्लस स्टाफ

31--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में पहले से ही वर्क चार्ज व मस्टर रोल में सरप्लस स्टाफ है ? यदि हां, तो किन कारणों से उक्त सरप्लस स्टाफ की पूर्व में नियुक्तियां की गयी थीं व उनके वेतन आदि के मद में हुए फालतू खर्च के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

32--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

देवरिया जनपद में बेलडांड से पिपराकोठ मार्ग का आगणन तथा उक्त मार्ग का निर्माण

33--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के बरहज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बेलडांड पी0 डब्लू0 डी0 मार्ग से पिपरा कोठ (कोटपुर पिपरा) सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या 4542, दिनांक 28-11-1983 मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? उक्त सम्पर्क मार्ग को कब तक बनवाया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

बेलडांड से पिपराकोठ मार्ग का प्रारम्भिक आगणन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के पत्र दिनांक 28-11-1983 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुआ है । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के प्रबन्धकारिणी समिति (गवर्निंग बाडी) द्वारा उल्लिखित मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय हेतु स्वयं सक्षम है ।

देवरिया जनपद के विकास खन्ड रामपुर कारखाना के कतिपय ग्रामों के सम्पर्क मार्ग

34—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हरपुर, बईपुर मझरीया सामीमपट्टी मोहन मुडेरा, पिरहया चिरकिहवां आदि गांवों में जाने के लिए कोई सम्पर्क मार्ग है ? यदि हां, तो उसका नक्शा प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन ग्रामों के सम्पर्क के लिए मार्ग निर्माण करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

देवरिया जनपद के विकास खंड रामपुर-कारखाना के अन्तर्गत ग्राम मझरिया में आवागमन के लिये कोई सम्पर्क मार्ग नहीं है । ग्राम सामीपट्टी में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग निर्मित हुआ है । ग्राम पिपरहिया भरथराय में चकरोड पर कुछ कार्य भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किया गया है । ग्राम हरपुर, बरईपुर, विशनपुर चिरकिहवा तथा मोहनमडेरा में किसी योजना के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण सम्पर्क नहीं कराया गया । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्वयं इस प्रकार के कार्यों को स्वीकृत करने के लिये सक्षम है । खंड विकास अधिकारी, रामपुर कारखाना से प्राप्त नक्शा सुविधानुसार माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी के कक्ष में अवलोकित किया जा सकता है ।

जनपद हरदोई मे ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वितीय खंड के अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

35—श्री भीखा लाल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 58 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 20-3-1984, उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में शासन ने क्या अग्रिम कार्यवाही की और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-3-1984 प्राप्त हुआ ।

इस मामले में टेक्निकल आडिट सेल, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा जांच की गई । जांचोपरान्त दोषी अवर अभियंता, श्री मारकन्डे पान्डेय को मुख्य अभियन्ता के आदेश दिनांक 31-3-1984 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है तथा उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । सम्बन्धित सहायक अभियन्ता श्री सैयद हुमायुं जहां का स्थानान्तरण मुख्य अभियंता के आदेश दिनांक 31-5-1984 द्वारा सीतापुर को किया जा चुका है ।

गोरखपुर जनपद के विकास खंड पिपरौली, खोराबार एवं कौड़ीराम में भूमिहीन गारन्टी योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

36—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के विकास खंड खोराबार,

पिपरौली, विकास खंड कौड़ीराम के कौड़ीराम निर्वाचन क्षेत्र में भूमिहीन ग्रामीण बेरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 व 1984-85 में कुल कितने कि0 मी0 सड़कों का निर्माण कराया गया ? क्या यह सच है कि कौड़ीराम निर्वाचन क्षेत्र में 3 कि0 मी0 का प्रस्ताव था परन्तु 1 कि0 मी0 भी सड़क नहीं बनायी गयी ? यदि हां, तो कारण क्या है क्या सरकार भौवापार हरैया, सुवा बाजार सनहा, नगवा एकला, गिरधरपुर बंदौली, गजपुर हरैया, छतई पुलबेलवाड़ाडी व भौवापार बेरिया मार्ग का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा कौडीराम निर्वाचन क्षेत्र में भूमिहीन गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में किसी सड़क का निर्माण नहीं किया गया । वर्ष 1984-85 में कौडीराम निर्वाचन क्षेत्र में 3 किमी0 कार्य प्रस्तावित है । निर्माण कार्य बरसात के बाद प्रारम्भ किया जायेगा । विकास खंड पिपरौली, खोरवार एवं कौडीराम में इस योजना के अन्तर्गत कुल 9·5 किमी0 निर्माण कार्य प्रस्तावित है । भौवापारहरैया, सुवा बाजार, सनहा नगवा एकला, गिरधरपुर बेदौली, गजपुर, हरया, छताई पुल बेलवा डाडा व भौवापार बेरिया मार्गों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

37—श्री प्रभू नारायण सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के चौथे सोमवार के अत0 प्र0 सं0 106 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उक्त योजना का कार्य सम्बन्धित विकास खंडों में किन-किन स्थानों पर कराया गया और उसकी आज तक की प्रगति क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में विकास खंड धर्मापुर, मुफ्तीगंज व जलालपुर में विकास खंडवार लिये जाने वाले कार्यों का विवरण स्थान जहां कार्य किया जा रहा है उसकी अद्यावधि प्रगति पृथक् से संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 228 पर)

आई0 आर0 डी0 पी0 योजनान्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की सूची खंड विकास अधिकारी, शेरगढ़ द्वारा सम्बन्धित विधायक को उपलब्ध कराया जाना

38—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि सम्बन्धित शासनादेश के विपरीत खंड विकास अधिकारी शेरगढ़ जनपद बरेली ने आई0 आर0 डी0 पी0 के अन्तर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थियों की कोई भी सूची वर्ष 1982-83 प्रश्नकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई जिससे प्रश्नकर्ता 20 सूत्रीय कार्यक्रम के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण सूत्र के कार्यान्वयन का अनुश्रवण कर सके ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी आवश्यक सूचियां प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराकर शासनादेशों की अवहेलना करने वाले उपरोक्त खंड विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

खंड विकास अधिकारी शेरगढ़ द्वारा आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 में लाभान्वित लाभार्थियों की सूची दिनांक 30 दिसम्बर 1983 को ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से प्रश्नकर्ता के निवास स्थान पर भेजी थी, परन्तु प्रश्नकर्ता के घर पर उपलब्ध न होने पर यह सूची उनके मैनेजर को उपलब्ध करा दी गयी थी। उक्त सूची खंड विकास अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से पुनः दिनांक 19, अगस्त 1984 को प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करा दी है। वर्णित दशा में सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत किये गये वृक्षारोपण का अनुश्रवण

39—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत किये गये वृक्षारोपण की निश्चित समय पश्चात् कोई जांच अथवा अनुश्रवण किया गया है जिससे यह पता चल सके कि कितने प्रतिशत पौधे जीवित बचे हैं ? यदि हां, तो क्या परिणाम सामने आये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी जांच अथवा अनुश्रवण कराने की कृपा करेगी ?

श्री संजय सिंह—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण की जांच अथवा अनुश्रवण अभी नहीं किया गया है। वन विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत किये गये वृक्षारोपण की जांच उनके 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर की जावेगी।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कराए गये कार्यों की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच

40—श्री रामेश्वर प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत कराये गये राहत कार्यों में हुए घोटाले की जांच तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के आदेश से सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या प्रगति है और जांच कब तक पूरी करा ली जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा नहीं की जा रही है बल्कि अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा द्वारा शिकायतों की जांच की जा रही है। जांच की प्रगति की सूचना प्रतीक्षित है।

जिला परिषद् देवरिया द्वारा विकास कार्यों पर जिला योजना एवं परिषद् का व्यय एवं कराये गये कार्य

41—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्–देवरिया जनपद देवरिया में 83–84 में विकास कार्य में कितना धन जिला योजना एवं परिषद् का व्यय किया है तथा मूल कार्य कहां रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला परिषद् देवरिया को जिला योजना से वर्ष 1983–84 में कोई धन शासन से आवंटित नहीं हुआ था। जिला परिषद द्वारा वर्ष 1983–84 में साधारण एवं विशेष सड़क अनुदानों, अपने अंशदान से 8,46,567.12 रु0 की धनराशि व्यय करके 15 नई एवं 19 पुरानी सड़कों पर कंकड़, ईंट

सोलिंग, पुलियों का निर्माण तथा पेन्टिंग का कार्य कराया गया । सभी कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में कराया गया है ।

देवरिया जनपद में जिला योजनान्तर्गत सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा तहसील सलेमपुर में स्वीकृत सड़कों का विवरण

42—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 84-85 में जनपद देवरिया में कितना धन विशेष रूप से सड़कों के निर्माण पर व्यय होना है ? तहसील सलेमपुर के समस्त विकास क्षेत्रों में कौन-कौन सी नई सड़कें कितने कि0 मी0 लम्बी बन रही हैं तथा कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1984-85 में जिला योजना में सड़कों तथा पुलों के निर्माण हेतु 150.90 लाख रु0 सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वीकृत है ।

तहसील सलेमपुर में निम्न विवरण के अनुसार तीन नई सड़कें स्वीकृत हैं :

सड़क का नाम	लम्बाई (कि0 मी0)	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1	2	3
1—रायवारी को भटनी बलुआ अफगान मार्ग से जोड़ना	2.50	2.50
2—खेतादेई नदौली चुरिया मार्ग	3.00	3.00
3—महुई श्रीकान्त मार्ग	5.00	5.00
योग ..	10.50	10.50

अभी यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है कि निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ।

श्री रामयतन सिंह कुशवाहा, अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई) द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (लघु सिंचाई) की टिप्पणी के बावजूद भी श्री कुशवाहा को झांसी एवं इलाहाबाद वृत्तों का कार्य भार

43—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री रामयतन सिंह कुशवाहा, अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई) झांसी एवं इलाहाबाद दोनों वृत्तों के अधीक्षण अभियन्ता का चार्ज लिये हुए हैं, जबकि इनसे वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता विभाग में पड़े हैं ? क्या यह भी सही है कि मुख्य अभियन्ता ने श्री कुशवाहा के सम्बन्ध में यह टिप्पणी लिखी है कि श्री कुशवाहा को अधीक्षण अभियन्ता का चार्ज नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इसके यह पात्र नहीं है ? यदि हां, तो श्री कुशवाहा को यह चार्ज किन परिस्थितियों में दिया गया ? क्या मंत्री जी इस विवरण को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई ने श्री रामयतन कुशवाहा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता तथा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने के बारे में शासन को सूचित किया था । इस पर शासन द्वारा मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई को आदेश दिये गये हैं कि इस सम्बन्ध में श्री कुशवाहा का स्पष्टीकरण प्राप्त करके अग्रेतर कार्यवाही करें ।

44—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि श्री कुशवाहा ने बिना

बजट प्राविधान के लाखों रुपयों का यंत्र एवं संयंत्र खरीदा है तथा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर उन्होंने कतिपय अवर अभियंताओं, लिपिकों की नियुक्तियां की हैं? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में शासन ने श्री कुशवाहा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

यह बात सही है कि मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई ने शासन को इंगित किया था कि इनसे वरिष्ठ अधिशासी अभियंता कार्यरत हैं इसलिए अधीक्षण अभियंता के पद पर नियमित चयन किया जाय, किन्तु यह नहीं कहा था कि श्री राम यतन कुशवाहा, अधीक्षण अभियन्ता पद के पात्र नहीं हैं ।

कार्यहित में तथा अन्तरिम व्यवस्था में श्री राम यतन कुशवाहा अधिशासी अभियन्ता को झांसी वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता का चार्ज दिया गया था । अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई, इलाहाबाद के सेवा निवृत्त हो जाने पर मंडलायुक्त इलाहाबाद की संस्तुति पर श्री कुशवाहा को इलाहाबाद का भी दोहरा चार्ज दिया गया है। यह व्यवस्था मात्र अधीक्षण अभियन्ता के नियमित चयन तक के लिए अन्तरिम रूप से की गयी है ।

लखनऊ नगर महापालिका के मार्ग प्रकाश विभाग में स्टोरकीपर तथा सहायक स्टोर-कीपर के रिक्त पद

45—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्ग प्रकाश विभाग, नगर महापालिका, लखनऊ में एक स्टोर कीपर तथा दो सहायक स्टोर कीपर के पद लगातार कई वर्षों से रिक्त चले आ रहे हैं जबकि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गयी ?

श्री विद्याभूषण —

मार्ग प्रकाश विभाग का अलग स्टोर अभी नहीं बना है, अतः पद नहीं भरे गये ।

वन विभाग में वरिष्ठ सहायक तथा कार्यालयाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता का आधार तथा आरक्षण कोटा

46—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में वरिष्ठ सहायक, कार्यालयाध्यक्ष के पदोन्नति में वरिष्ठता का क्या आधार रखा गया है ? क्या उसमें आरक्षण का प्राविधान भी रखा गया है ? यदि हां, तो कुल पद कितने हैं और उसमें आरक्षण का कोटा पूरा है ?

श्री संजय सिंह—

वन विभाग में वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधीक्षक के पदों पर पदोन्नति उत्तर प्रदेश वन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1981 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार, वरिष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए गठित चयन समिति के माध्यम से की जाती है । इन पदों पर वरिष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जायं तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हों, अवधारित की जाती है ।

वन विभाग में वरिष्ठ सहायक (अ लेखक प्रालेखक एवं प्रधान लिपिक) के कुल पद 138 हैं, जिनमें आरक्षण का प्राविधान है। उक्त पदों में 125 पद सामान्य तथा 13 पद आरक्षण द्वारा भरे गए हैं । आरक्षण का कोटा उपयुक्त

कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण अथवा अनिच्छा व्यक्त करने के कारण पूर्ण नहीं है ।

विभाग में कार्यालय अधीक्षक का कोई पद स्वीकृत नहीं है परन्तु कार्यालय अधीक्षक ग्रेड (प्रथम) तथा अधीक्षक ग्रेड (द्वितीय) पद स्वीकृत हैं। कार्यालय अधीक्षक ग्रेड (प्रथम) के केवल 3 पद हैं इनमें एक आरक्षण कोटा का है । कार्यालय अधीक्षक ग्रेड (द्वितीय) में कुल 36 पद हैं । इनमें 3 पद वर्तमान समय में रिक्त हैं । शेष 33 पदों में 5 आरक्षण से भरे गए हैं ।

निदेशालय पशुपालन विभाग के लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों का पर्वतीय संवर्ग के लिए विकल्प तथा अपर निदेशक पशुपालन (पर्वतीय) के वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्ति

47 —श्री मोहन सिंह—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय संवर्ग में सम्मिलित होने के लिए निदेशालय पशुपालन विभाग के लिपिकीय संवर्ग के किन-किन कर्मचारियों ने विकल्प दिया तथा उन विकल्पों के आधार पर दिनांक 31-7-83 से रिक्त अपर निदेशक पशुपालन (पर्वतीय) के वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही अब तक न किए जाने का क्या कारण है ? उन रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक सम्भावित है ?

श्री संजय सिंह—

पर्वतीय संवर्ग में सम्मिलित होने हेतु निदेशालय के लिपिकीय संवर्ग के 2 कर्मचारियों (सर्वश्री के0 डी0 कापरी तथा एन0 एस0 राना) ने विकल्प दिए थे । इनमें से श्री कापरी, जोकि ज्येष्ठ कर्मचारी हैं तथा अपर निदेशक पशुपालन (पर्वतीय) गोपेश्वर, चमोली के वैयक्तिक सहायक पद हेतु पात्र थे, की नियुक्ति अपर निदेशक, पशुपालन (पर्वतीय) के आदेश दिनांक 4-6-84 द्वारा वैयक्तिक सहायक के पद पर की जा चुकी है । दूसरे कर्मचारी श्री एन0 एस0 राना का भी पर्वतीय संवर्ग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है तथा उन्होंने दिनांक 11-6-84 को उक्त पद पर योगदान कर लिया है ।

48 —श्री राम नरायन सिंह एडवोकेट—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

उप निदेशक सधन विकास पशुधन कार्यालय, इलाहाबाद कार्यालय में की गई नियुक्तियां तथा आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन न होने पर कृतकार्यवाही

49—श्री विश्राम दास—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद इलाहाबाद में उप निदेशक सधन विकास पशुधन कार्यालय में 1981-82, 1982-83, तथा 1983-84 में कितनी नियुक्तियां किन-किस श्रेणी की, की गयी हैं ? उनमें से कितनी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों में क्या आरक्षण सम्बन्धी शासन के आदेशों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जनपद इलाहाबाद में उपनिदेशक, पशुपालन (सधन पशु विकास खंड) इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 में की

गया श्रेणीवार नियुक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
	1	2	3	4
वर्ष 1981-82				
तृतीय श्रेणी	5	..	..	5
चतुर्थ श्रेणी	10	4	..	14
वर्ष 1982-83				
तृतीय श्रेणी	6	..	..	6
चतुर्थ श्रेणी	15	..	..	15
वर्ष 1983-84				
तृतीय श्रेणी	2	..	..	2
चतुर्थ श्रेणी	7	..	..	7

उक्त नियुक्तियों में आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन नहीं हुआ है जिसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसकी पुनरावृत्ति न हो इस उद्देश्य से निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्त प्राधिकारियों को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि भविष्य में आरक्षण नीति का पदों को भरते समय पालन किया जाय।

शाहजहांपुर जनपद के ग्राम सभा बरुआ के प्रधान के विरुद्ध शिकायतों की जांच

50—श्री रामेश्वर नाथ चौबे, श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा बरुआ, विकास क्षेत्र जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर के प्रधान के विरुद्ध सदस्यों व ग्रामीण जनता ने लिखित शिकायतें जून 84 के दूसरे सप्ताह में मुख्य मंत्री जी से की ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने मौके पर जाकर की और जनहित में क्या कार्यवाही तत्काल की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

किन्तु शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक रहित होने के कारण निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायतें जून, 84 के दूसरे सप्ताह में ही की गयी। जांच सम्बन्धित नायब तहसीलदार द्वारा स्थल पर की गयी परन्तु शिकायतें निराधार पाये जाने के कारण प्रधान के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

शाहजहांपुर जनपद के ग्राम सभा भनपुरा के कार्यवाहक प्रधान द्वारा पेड़ों के अवैध कटान के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर कृत कार्यवाही

51—श्री जगदीश सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा भनपुरा, थाना मीरानपुर कटरा, जिला शाहजहांपुर के कार्यवाहक प्रधान ने अवैध रूप से आम के पेड़ काटे जाने की शिकायत दिनांक 6-6-84 को परगनाधिकारी तिलहर तथा 7-6-84 को सी० ओ० पुलिस तिलहर से की ? यदि हां, तो उस पर तत्काल क्या कार्यवाही की गई और पेड़ काटने वालों के विरुद्ध जनहित में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

विवेचनोपरान्त कोई अपराध न बनने के कारण पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी।

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य श्री गिरीश चन्द्र पाठक द्वारा कोयले की खरीद के प्रकरण की जांच

52-53--श्री मुरलीधर मुनीम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ के तत्कालीन प्रधानाचार्य ने मार्च, 1982 में कितना कोयला खरीदा, क्या इस कोयले की खरीद हेतु कोई टेन्डर आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किन विक्रेताओं ने टेन्डर भरे थे और कोयला किससे क्रय किया गया ? सम्पूर्ति करने वाले विक्रेता क्या कोयला बिक्री हेतु लाइसेंसी थे ? यदि हां, तो उनका लाईसेन्स नम्बर क्या है ?

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि स्पोर्ट्स कालेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री गिरीश चन्द्र पाठक द्वारा मार्च, 1982 में कालेज हेतु क्रय किये गये कोयले पर कितना बिक्री कर सरकार को दिया गया ? क्या उक्त कोयला स्टोर करने हेतु प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं, तो क्या इस कोयले को खरीद कर रखने हेतु कोल कन्ट्रोल एवं स्टोरेज ऐक्ट के उल्लंघन हेतु उक्त ऐक्ट के तहत प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

संदर्भगत प्रकरण की प्राथमिक जांच से तथ्यों की स्पष्ट जानकारी न हो सकने के कारण पुनः एक अति वरिष्ठ अधिकारी को जांच आदेश दिए जा रहे हैं ।

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक श्री जाहिद हुसैन का वेतन निर्धारण

54--श्री मुरलीधर मुनीम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में कार्यालय अधीक्षक के रूप में कार्यरत श्री जाहिद हुसैन के विरुद्ध उनकी पूर्व सेवा जिला कचेहरी लखनऊ में उन्हें निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त श्री हुसैन ने धोखाधड़ी करके स्पोर्ट्स कालेज सेवा में अपना वेतन निर्धारित उन्हें देय पेन्शन की राशि घटाये बिना ही करा लिया है ? उनका वेतन निर्धारण किस प्रकार किया गया है ।

श्री संजय सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ का आय-व्ययक तथा वित्त सेवा के अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव

55--श्री मुरलीधर मुनीम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ का कुल वार्षिक आय-व्यय कितने रुपये की है ? क्या उक्त कालेज के वित्तीय मामलों को नियमित ढंग से चलाने हेतु वहां वित्त सेवा का कोई अधिकारी नियुक्त किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ का वार्षिक आय-व्ययक लगभग 32 लाख रुपये है । स्पोर्ट्स कालेज में वित्त सेवा के अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में कतिपय पदों के सृजन तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

56—श्री मुरलीधर मुनीम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में उप प्रधान चार्य, कार्यालय अधीक्षक, मेट्रन कम अवधाता, कैशियर एवं वार्डन का कोई पद सृजित है ? यदि नहीं, तो इन पदों पर किस आधार पर लोग कार्यरत हैं तथा उनका वेतन किस प्रकार आहरित किया जा रहा है ? उक्त पदों पर नियुक्त करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री संजय सिंह—

केवल कार्यालय अधीक्षक का पद सृजित है । अन्य न कोई पद सृजित है एवं न ही कोई कार्यरत है ।

57—श्री मुरलीधर मुनीम—

[दिनांक 10 सितम्बर, 1984 को अतारांकित प्रश्न सं0 143 द्वारा उत्तरित]

मत्स्य विकास निगम को हस्तांतरित जलाशयों की रायल्टी तथा आय का बंटवारा, स्थानान्तरण का औचित्य, नियुक्त स्टाफ तथा अवध शिकारमाही की रोक थाम के उपाय

58—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

क्या मत्स्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विकास निगम की प्रबन्ध व्यवस्था के लिए मत्स्य विभाग से 13 जलाशय स्थानान्तरित किये गये थे ? क्या उन जलाशयों से प्राप्त आय का बंटवारा, सिंचाई विभाग को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उसके लिए कौन दोषी है ?

श्री संजय सिंह—

जी हां । प्रदेश के 13 जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम को हस्तान्तरित की गयी थी ।

जलाशयों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रबन्ध नीति के अनुसार मत्स्य विकास निगम, मत्स्य निदेशालय को एक निश्चित राशि रायल्टी के रूप में देगा । रायल्टी के अतिरिक्त भी आय का बंटवारा मत्स्य विकास निगम द्वारा मत्स्य निदेशालय के साथ किया जाता है न कि सिंचाई विभाग से । निगम को कथित जलाशयों से प्राप्त आय का बंटवारा सिंचाई विभाग को नहीं करना है । अतः इसके लिए कोई दोषी नहीं है ।

59—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

क्या यह सही है कि 13 जलाशय प्रथम श्रेणी के मत्स्य विभाग के मत्स्य विकास निगम में, स्थानान्तरित किये गये हैं ? विभाग से निगम में स्थानान्तरण का क्या औचित्य है ? जलाशयों पर स्वीकृत स्टाफ को, निगम द्वारा न लिये जाने का क्या कारण है ? क्या निगम के पास इतना प्रशिक्षित एवं अनुभवी तकनीकी स्टाफ है, जो विभाग से अच्छी व्यवस्था उन जलाशयों की कर सकता है ? जलाशयों में अवैधानिक शिकारमाही की रोकथाम के लिए इतने कम स्टाफ द्वारा क्या नीति अपनायी गयी है ?

श्री संजय सिंह—

जी हां । मत्स्य विकास निगम को प्रथम श्रेणी के 13 जलाशय स्थानान्तरित किये गये हैं । पूर्व में निगम को दो जलाशय दिये गये थे और उनकी आय में वृद्धि हुई थी । इस कारण 11 अतिरिक्त जलाशय निगम को वाणिज्यिक तौर पर शिकारमाही हेतु दिये गये ।

निगम एक स्वायित्वशासी संस्था है और उसे अपने स्टाफ की आवश्यकतायें अलग से पूरी करने का अधिकार प्राप्त है । प्रशिक्षित एवं तकनीकी स्टाफ को नियुक्त करने के पूर्व आवश्यकतानुसार मत्स्य विभाग से महाप्रबन्धक (मत्स्य उत्पादन) अधिशासी प्रबन्धक, मत्स्य अधिशासी इत्यादि की नियुक्ति प्रति नियुक्ति पर की गयी है । अवैधानिक शिकारमाही की रोकथाम

के लिये जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग प्राप्त कर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है अवैधानिक शिकमाही करने वालों के जाल, नल इत्यादि जब्त कर लिये जाते हैं और वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति हेतु इन्हें वित्तीय दण्ड दिया जाता है ।

60—श्री मोहन सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नगर पालिका शाहजहांपुर के प्रभारी अधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

61—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र, पत्र सं0 128/83-84 प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, शाहजहांपुर एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका शाहजहांपुर श्री दूबे जो कि इस समय अधिशासी अधिकारी के पद पर नगरपालिका, शाहजहांपुर में कार्यरत हैं, के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी प्रभारी अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां, शिकायती-पत्र सं0 128/83-84 प्राप्त हुआ है । शिकायतों की जांच की जा रही है । जांच में शिकायतें सिद्ध होने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

नगरपालिका, शाहजांपुर के भूतपूर्व प्रभारी अधिकारी श्री बाबू लाल तिवारी के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग की कथित जांच

62—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व प्रभारी अधिकारी श्री बाबू लाल तिवारी, नगरपालिका, शाहजहांपुर के विरुद्ध शासन के दस लाख रुपये के दुरुपयोग की जांच सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय, श्रीमती कुसुम शर्मा ने किया था ? यदि हां, तो क्या जांच की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? जांचोपरान्त उसमें क्या दोषी अधिकारी को दण्ड दिया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण—

श्री बाबू लाल तिवारी, भूतपूर्व प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, शाहजहांपुर के विरुद्ध शासन के दस लाख रुपये के दुरुपयोग की कोई जांच श्रीमती कुसुम शर्मा, सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय ने नहीं की थी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

गोरखपुर जनपद के बागापार कृषि फार्म में श्रमिकों का भुगतान की जा रही मजदूरी की जांच

63—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के बागापार कृषि फार्म में लगे मस्टर रोल के कर्मचारियों की जांच प्रश्नकर्ता ने दिनांक 7/8 मई, 1984 में मौके पर जाकर किया जिसमें कम मजदूरी देकर अधिक पर हस्ताक्षर कराकर श्रमिकों के शोषण का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराने की कृपा करेगी तथा प्रश्नकर्ता से भी पूछताछ की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

प्रश्नकर्ता माननीय विधायक जी ने दिनांक 19-8-84 को विभाग के अधिकारियों के साथ स्वयं जांच की और यह पाया कि राजकीय कृषि फार्म

बागापार में श्रमिकों को नियमानुसार निर्धारित दरों पर मजदूरी दी जा रही है ।

64—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या कृषि मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त फार्म पर कार्यरत बालिग मजदूरों को मजदूरी पिछले दो माह से कम दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता की शिकायत पर भाव 5 रुपये की जगह पर 7 रुपये ही दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण में भी उक्त तिथियों में प्राप्त शिकायत पर भी प्रश्नकर्ता से जांच के समय पूछा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं । माननीय विधायक जी तथा विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा जांच कराने पर नियमानुसार निर्धारित दर पर ही मजदूरी के भुगतान की पुष्टि हुई ।

इलाहाबाद जनपद में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा शारदा सहायक की फूलपुर ब्रान्च के निर्माण में किये गये व्यय की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

65—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा शारदा सहायक खण्ड-30 के फूलपुर ब्रांच को बनाने के लिए जो धनराशि स्वीकृत थी, उसका निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नियमों के अनुसार न व्यय करके फर्जी मस्टररोल बनाकर भुगतान कर दिया गया है, जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता के करने पर जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी फूलपुर से जांच करवाने का आदेश दिया है ? इस जांच में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद से उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रश्नगत शिकायत की जांच परगनाधिकारी, फूलपुर द्वारा करायी गयी है । परगनाधिकारी, फूलपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही जिलाधिकारी, इलाहाबाद के स्तर पर विचाराधीन है ।

66—श्री मुरलीधर मुनीम एवं श्री प्रियदर्शी जेतली—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

मेरठ मण्डल विकास निगम द्वारा जनपदों में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स, कार्यरत कर्मचारी तथा कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय

67—श्री दीपक कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ मण्डल विकास निगम द्वारा मण्डल के किस-किस जनपद में कौन-कौन से प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं ? इन प्रोजेक्ट्स पर कितने समय से कार्य चल रहा है और इन्हें पूर्ण करने में कितना समय लगेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मेरठ मण्डल विकास निगम की चूना फैक्ट्री, बेगराजपुर जनपद मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन है, जिस पर जनवरी, 1983 से निर्माण कार्य चल रहा है और दिसम्बर, 1984 तक पूर्ण होने का अनुमान है ।

68—श्री दीपक कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ मण्डल विकास निगम में कुल

कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा अब तक उक्त कर्मचारियों पर शासन को कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड में इस समय 51 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ।

निगम की स्थापना दिनांक 31-3-76 को हुई और तब से दिनांक 31-7-84 तक अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर रु0 11,18,435·00 की धनराशि व्यय की जा चुकी है ।

उत्तर प्रदेश मन्डी परिषद् निर्मित मार्गों की देख-रेख की व्यवस्था

69—श्री दीपक कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्षों में जो मार्ग उ0प्र0 मन्डी परिषद् द्वारा निर्मित हुये, उनकी देख-रेख कौन कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मन्डी शुल्क की आय से मार्गों के निर्माण में होने वाले व्यय पर प्रतिबन्ध लगा देने के कारण मार्गों की देख-रेख की की व्यवस्था नहीं हो पा रही है ।

निजी भवन के स्वामी होने के बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं नगर महापालिका लखनऊ की कालोनियों में निवास कर रहे आवंटियों का विवरण तथा भवन खाली कराए जाने की कार्यवाही

70—श्रीमती कमला देवी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं नगर महापालिका लखनऊ की कालोनियों में लखनऊ के कितने ऐसे अधिकारी आवंटी हैं, जिनके लखनऊ शहर में अपने निजी मकान हैं और किराये पर उठाए गए हैं ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों का विस्तृत जांच कर कर उनके आवंटन निरस्त करने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री विद्याभूषण—

केवल तीन अधिकारी ऐसे हैं, जो नगर में अपना मकान होते हुए भी नगर महापालिका की कालोनी के भवनों में किराए पर रह रहे हैं । उनके आवंटन को निरस्त करके उनके विरुद्ध पी0 पी0 एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है । नगर महापालिका को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है । इसी प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण की कालोनी में कुल 55 आवंटी ऐसे हैं, जिनके पास स्वयं के निजी भवन हैं तथा स्वयं के मकान होने के बावजूद इनकी कालोनी में किराये के मकानों में रह रहे हैं । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह भवन व्यक्तिगत नाम से आवंटित किये गये हैं, पद नाम से नहीं। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने आवंटी अधिकारी की श्रेणी में आते हैं । ऐसे आवंटियों को भवन खाली करने की नोटिस विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई है ।

इलाहाबाद जनपद के विकास खंड कौंधियारा में पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद

71—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में वर्ष 1981 में नवसृजित विकास खण्ड कौन्धियारा में सृजन के साथ ही एक पशु चिकित्सक के पद का सृजन हुआ है, किन्तु अभी तक किसी भी डाक्टर की नियुक्ति न कर मात्र ए0 डी0 ओ0 (एच0) की नियुक्ति का क्या कारण है ? 3 वर्ष से कार्यरत पशु चिकित्सालय में कम्पाउन्

तथा 2 निम्न कर्मचारियों के पदों का सृजन जिला योजना समिति द्वारा स्वीकृत होने के बाद भी निदेशालय एवं शासनस्तर से पदों के सृजन की स्वीकृति न होने से पशु चिकित्सालय से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है ? उन सभी पदों पर इस चिकित्सालय में कब तक डाक्टर सहित अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हां । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अनुमोदित पशुधन विकास अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी । किन्तु सहायक पशुधन प्रसार अधिकारी (ए0 डी0 ओ0) (ए0 एच0) की नियुक्ति के अतिरिक्त पशुधन, विकास अधिकारी, करछना को अपने कार्य के अतिरिक्त इस चिकित्सालय का कार्य भी सौंपा गया है । पदों के सृजन नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

देवरिया जनपद के सहायक विकास अधिकारी कृषि श्री इन्द्रजीत सिंह के विरुद्ध जांच पर कृत कार्यवाही

72—श्री नन्द राम—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्र जीत सिंह, सहायक विकास, अधिकारी कृषि, विकास खंड देवरिया, जनपद देवरिया द्वारा सामान्य एवम् विशेष (रबी एवं जायद) मिनी किटों के वितरण में व्यापक स्तर पर की गई अनियमितताओं की जांच कराई गई ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी एवम् कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां । जांच द्वारा प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर श्री इन्द्रजीत सिंह को सतर्कतापूर्वक कर्तव्यों का पालन न करने हेतु कड़ी चेतावनी दे दी गयी है ।

देवरिया जनपद में श्री इन्द्रजीत सिंह यादव सहायक विकास अधिकारी (कृषि) द्वारा श्री महेन्द्र सिंह यादव ग्राम सभा चौबरिया को वायो गैस हेतु दिलाया गया अनुदान

73—श्री नन्द राम—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्रजीत सिंह यादव, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) वि0 खं0 देवरिया द्वारा श्री महेन्द्र सिंह यादव, गांव सभा चौबरिया पट्टी, विकास खन्ड देवरिया को फर्जी वायो गैस अनुदान वर्ष 82-83 में दिलाया गया है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1982-83 में श्री इन्द्रजीत सिंह यादव, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) विकास खंड देवरिया द्वारा श्री महेन्द्र सिंह यादव, ग्राम सभा चौबरिया पट्टी विकास खंड देवरिया सदर को अनुदान दिलाया गया है । श्री महेन्द्र सिंह यादव विकास खंड देवरिया के ब्लाक प्रमुख भी रहे हैं तथा इनका नाम यहां की मतदाता सूची में भी है । इन्होंने चौबरिया पट्टी से अनुदान लिया था जो बिहार सीमा पर उत्तर प्रदेश में स्थित है । इनका गांव बिहार प्रदेश में चौबरिया पट्टी से 3 किलोमीटर दूरी पर है यहां उन्होंने अपनी सुविधानुसार संयंत्र स्थापित कराया है । संयंत्र ठीक प्रकार कार्य कर रहा है । प्रदेश के बाहर निर्मित संयंत्र पर अनुदान देने पर अनुदान देने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

74—श्री यदुनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद ललितपुर के ग्राम वुडेरा में बन्धियों का निर्माण तथा बन्धियों के नियोजन और पक्के कार्यों में सीमेन्ट के अनुपात की जांच

75—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम वुडेरा विकास खंड जखौरा, जिला ललितपुर में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा 6 बंधियों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि तीन बंधियां सर्वेक्षण के अनुरूप नहीं बनाई गई हैं जिससे किसानों के खेतों के दो-दो एवं तीन-तीन टुकड़े हो गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

उप कृषि निदेशक (भू0 सं0) नदी घाटी योजना मताटीला ललितपुर द्वारा नियोजित परियोजना वुडेरा-प्रथम में कुल 37 बंधियों का नियोजन वर्ष 1983-84 में अनुमोदित किया गया। जिसमें वित्तीय वर्ष 1983-84 में ही 18 बंधियों में निर्माण कराया जा चुका है, जो विकास खंड जखौरा में स्थित हैं सभी बन्धियों का नियोजन ठीक प्रकार से किया गया या नहीं, इसकी जांच कराया जा रही है।

76—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव वुडेरा, ब्लाक जखौरा, जिला ललितपुर के आर जी नं0 443/9 में एक पुरानी बंधी थी ? क्या यह सही है कि कुछ नयी मिट्टी डालकर उसको नयी बंधी दिखाकर तीन हजार रु0 ले लिया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

जांच करायी जा रही है।

77—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त गांव की बंधियों में कितने पक्के कार्य, जैसे चेकडेम पुलिया स्लोप बनाए गए हैं ? क्या यह सही है कि उसमें एक दस के अनुपात में सीमेन्ट बालू लगाया गया है ? क्या सरकार सभी पक्के कामों की जांच करायेगी ? क्या यह सही है कि 3-3-84 को उस गांव के प्रधान एवं किसानों ने माननीय कृषि मंत्री एवं कृषि सचिव को प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

जांच करायी जा रही है।

जी हां।

वाराणसी जनपद के कतिपय ग्रामों में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाये जाने की योजना

78—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल योजना के अन्तर्गत वाराणसी जिले में पेयजल नलकूप लगाने का कार्य सन् 1982-83 से ही बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पुनः इस योजना को चालू कर स्थान मोरी ब्लाक पिंडरा एवं स्थान कठिरांव तथा ताड़ी या कुवार ब्लाक बड़ा गांव में पेयजल के लिए नलकूप लगाने पर विचार करेगी ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां, शासन की नीति के अनुसार जिन स्थानों पर हैण्डपम्प सफल हैं वहां नलकूप बनाकर पाइप द्वारा पेयजल व्यवस्था किये जाने के स्थान पर गहरे नलकूपों पर इन्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्नगत स्थान 1972 की समस्या-ग्रस्त ग्रामों की सूची में नहीं है, अतः शासन की वर्तमान नीति के अनुसार

इनमें पेयजल व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में फिलहाल कार्यवाही नहीं की जा रही है।

परन्तु इस बात को देखते हुए कि कतिपय ग्राम उपरोक्त समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में नहीं हैं और वहां पेयजल की विशेष समस्या है अतः उन ग्रामों में भी जिलाधिकारियों को अपने विवेकानुसार उपलब्ध धनराशि से जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प लगवाये जाने के सुझाव दिये गये हैं।

वाराणसी जनपद के स्थान सुराही में नाद नदी पर पुल निर्माण

79—श्री ऊदल—

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नाद नदी में स्थान सुराही, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में एक पुल ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा बनाने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक बनेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नगत मार्ग पर पुल बनाने की कोई योजना ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा नहीं बनायी गयी है।

वाराणसी जनपद में नदी हिरामनपुर व पतिराजपुर मार्ग पर मिट्टी का कार्य तथा पुल का निर्माण

80—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नदीय, हिरामनपुर, पतिराजपुर मार्ग ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी का ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, वाराणसी द्वारा मिट्टी का कार्य पूरा कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि हिरामनपुर व पतिराजपुर के बीच में एक पुल का निर्माण नहीं किया जा सकता है? यदि हां, तो इस पुल को कब तक बनवा दिया जायगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के अन्तर्गत बरना देवजा होते हुए नदीय हिरामनपुर व पतिराजपुर मार्ग पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा मिट्टी का कार्य कराया जा चुका है। हिरामनपुर व पतिराजपुर के बीच में पुल निर्माण धन के अभाव में नहीं कराया जा सका। इसका निर्माण धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

81—श्री अकबर हुसैन—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

सुलतानपुर जनपद की तहसील मुसाफिरखाना के कतिपय ग्रामों से मन्डी स्थल जाफरगंज के लिये सड़कें

82—श्री अकबर हुसैन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम लखदूमपुर बाहरपुर बालापुर पूरेबाबू बहादुर तथा रसूलपुर-परगना-जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर से जाफरगंज मण्डी तक वाहनों के आवागमन हेतु कोई सीधी सड़क नहीं है? यदि हां, तो क्या शासन उक्त सड़क बनवाने पर विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह—

प्रश्नगत ग्रामों से नवीन मण्डी स्थल जाफरगंज तक कोई सीधा रास्ता नहीं है परन्तु सभी ग्रामों से मण्डी स्थल तक आंशिक पक्का व आंशिक कच्चा रास्ता उपलब्ध है।

मण्डी समिति के पास इस कार्य के लिए वित्तीय संसाधन न होने से मण्डी स्थल से इन ग्रामों तक सीधी सड़क बनवाया जाना सम्भव नहीं है।

फैजाबाद जनपद में टांडा बसखारी रोड पर थिरूक ड्रेन पर लोहे के पुल का-नव निर्माण

83—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपा बतायेंगे कि जिला फैजाबाद में नगरपालिका टांडा के अन्तर्गत टांडा बसखारी रोड पर थिरूक ड्रेन पर एक लोहे का बड़ा पुराना पुल है तथा उक्त पुल आवागमन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या उक्त जर्जर पुल को पुनः नये सिरे से निर्माण कराये जाने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को भवन/भूखंड/दुकानों का आवंटन

84—श्री अकबर हुसैन—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 26 सूत्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दुर्बल आय वर्ग को दुकानों/साइट एवं सर्विसेज के भवनों एवं भूखंडों का आवंटन 30 मार्च, 1985 तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है । अतः प्राधिकरण द्वारा इसके अन्तर्गत आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है । यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । दिनांक 30 मार्च, 1985 तक जो भवन/भूखण्ड/दुकानें/साइट सर्विसेज सभी प्रकार से निर्मित विकसित हो जायेगी, उनका आवंटन नियमानुसार कर दिया जायेगा ।

85—श्री अकबर हुसैन—

[दूसरे गुरुवार में अता0 प्रश्न संख्या 97 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में फलों की मण्डी के प्रस्ताव की प्रगति

86—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के चौथे सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 175 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर शाहजहांपुर में फलों की मण्डी के प्रस्ताव की प्रगति क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

शाहजहांपुर में फल मण्डी निर्माणार्थ 11·21 एकड़ भूमि चयनित कर ली गयी है । चयनित भूमि के आपसी बात चीत से क्रय करने के प्रयास किये गये, जो विफल रहे । अतः उसके अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ।

नगरपालिका शाहजहांपुर को उपलब्ध धनराशि तथा व्यय की उच्च स्तरीय जांच

87—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के तीसरे गुरुवार के अता0 प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो अधिकारी दोषी पाये गये उनके नाम क्या थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

इस मामले में श्री बाबू लाल तिवारी, तत्कालीन प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, शाहजहांपुर तथा श्री वीरेन्द्र शुक्ला कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक जांच कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं

नगर महापालिका, लखनऊ में वर्क चार्ज में कार्यरत डिप्लोमा होल्डर कार्य पर्यवेक्षकों को गैर तकनीकी योग्यता वाले कार्य पर्यवेक्षकों से अधिक वेतन की मांग

88—श्री पहलवान—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ में वर्कचार्ज में कार्यरत डिप्लोमा होल्डर (तकनीकी योग्यता प्राप्त) कार्य पर्यवेक्षकों एवं गैर तकनीकी योग्यता वाले कार्य पर्यवेक्षकों को समान वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आदि विभागों के समान डिप्लोमा होल्डर कार्यपर्यवेक्षकों को गैर तकनीकी योग्यता वाले कार्यपर्यवेक्षकों से अधिक वेतन भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण—

जी हां।

नगर महापालिका, लखनऊ में पर्यवेक्षकों को, वर्कचार्ज पर नियुक्ति दैनिक वेतन पर की गयी है। अतः डिप्लोमा होल्डर कार्यपर्यवेक्षकों को, गैर तकनीकी योग्यता वालों से अधिक वेतन दिया जाना सम्प्रति संभव नहीं है।

खण्ड विकास अधिकारी, सुरियावां वाराणसी के सम्बन्ध में पत्र

89—श्री बनवारी राम—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक प्रार्थना-पत्र संख्या 7923/क्षे0 बी0 म0/84, दिनांक 20-4-84 को जनपद वाराणसी विकास खण्ड सुरियावां के खण्ड विकास अधिकारी के सम्बन्ध में दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बाराणसी जनपद के ग्राम कपूरीपुर में निर्मित मुसहर आवास की जांच

90—श्री बनवारी राम—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के खण्ड विकास सुरियावां के ग्राम कपूरीपुर में 20 घर का मुसहर आवास बनाया गया है ? इसकी जांच के सम्बन्ध में मंत्री जी को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-4-84 पत्र संख्या 7924/क्षे0 बी0 म0/84 दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई, जांच किसके द्वारा कराई गई तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। प्रश्नकर्ता का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-4-84 शासन को प्राप्त हुआ था जिसे दिनांक 18 मई, 1984 को जिलाधिकारी, वाराणसी को जांच हेतु भेज दिया गया था। जांच आख्या शासन को अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। उपलब्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

हरदोई जनपद के बिलग्राम में निर्माणाधीन पुनर्गठन पेयजल योजना

91—श्री हरि शंकर—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम द्वारा बिलग्राम, जिला हरदोई में पुनर्गठित पेयजल योजना चालू किये जाने के बावजूद भी सम्पूर्ण नगर में पाइप लाइन कब तक डाल दी जायेगी ?

श्री विद्या भूषण—

बिलग्राम (जनपद हरदोई) पुनर्गठन पेयजल योजना निर्माणाधीन है। उक्त योजना के अन्तर्गत 10.45 किमी0

जल वितरण प्रणाली प्रस्तावित थी जिसमें से 7.20 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाई जा चुकी है। शेष वितरण प्रणाली के माह मार्च, 1985 तक बिछाये जाने का लक्ष्य है।

श्री महेश पाण्डेय, जिला कृषि अधिकारी आजमगढ़ के विरुद्ध सतर्कता जांच

92—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1975 से 1979 के मध्य जिला कृषि अधिकारी आजमगढ़ श्री महेश पाण्डेय के विरुद्ध सतर्कता जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो उसमें कौन से तथ्य सामने आये और कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां, जांच में श्री पाण्डे दोष मुक्त पाये गये। जांच में दोषी पाये गये अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कृषि निदेशक को निर्देश दिये गये हैं।

फैजाबाद जनपद के समस्त ब्लाकों में विशेष मिनीकिट योजना के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरक तथा बीज का वितरण

93—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के समस्त ब्लाकों में 1983 व मार्च, 1984 तक कितने कुन्तल बीज, खाद मिनीकिट प्लान के तहत किसानों को वितरित किया गया ? बीज व खाद का कुन्तल में अलग-अलग विवरण क्या है तथा कुल व्यय धन का विवरण क्या रहा ? क्या मिनी किट के तहत वितरित बीज व खाद का प्रयोग नियमानुसार किया जा रहा है तथा क्या उक्त योजना की जांच समस्त विकास खंडों के विकास अधिकारी द्वारा करके जिला विकास अधिकारी को रिपोर्ट भेजी गयी है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

फैजाबाद जनपद के समस्त ब्लाकों में विशेष मिनी किट योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में 3535.37 कुंतल रासायनिक उर्वरक तथा 945.04 कुंतल बीज का वितरण किया गया।

रसायनिक उर्वरकों में डी0 ए0 पी0 3094.90 कुन्तल, पोटास-421.57 कुन्तल तथा यूरिया 18.90 कुन्तल वितरित किया गया। बीज में चना 607.20 कुंतल, मटर 105.60 कुंतल राई सरसों 49.09 कुंतल, मूंग 163 40 कुंतल, उरद 16.60 कुंतल तथा सूरजमुखी 3.15 कुंतल वितरित किया गया। कुल 13,38,703.70 रुपये का व्यय किया गया।

उपलब्ध सूचना के अनुसार वितरित बीज व खाद का प्रयोग नियमानुसार किया जा रहा है।

क्षेत्र समिति की संस्तुति के आधार पर ही मिनी किट का वितरण किया जाता है। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

उप कृषि निदेशक, गोरखपुर के अधीन कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

94—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप कृषि निदेशक, गोरखपुर के अधीन गोरखपुर मंडल में एक स्थान पर 12 वर्ष या इससे अधिक समय से लेखा वर्ग में कौन-कौन कर्मचारी अब भी कार्यरत है ? क्या इन कर्मचारियों में से अनेकों का स्थानान्तरण कई-कई बार हुआ, परन्तु उन्हें कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया और उनका स्थानान्तरण रुक दिया गया ? इसका क्या कारण और औचित्य है ?

रोक पार करने की अनुमति प्रदान की जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

आजमगढ़ जनपद में वर्ष 1983 में कार्यरत 3 चकबन्दी अधिकारियों तथा 8 सहायक चकबन्दी अधिकारियों को वर्ष 1983 तथा इससे पूर्व दक्षता रोक देय था। इनमें से किसी को भी दिनांक 21-3-1984 तक दक्षता रोक पार न कराये जाने का प्रमुख कारण सम्बन्धित जिलों से अभिलेख एवं सूचना का समय से प्राप्त न होना था। प्रश्नगत अधिकारियों में से तीन चकबंदी अधिकारी तथा चार सहायक चकबन्दी अधिकारियों को दक्षता रोक पार कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। शेष चार सहायक चकबन्दी अधिकारियों में से दो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के कारण एक के सम्बन्ध में रिट याचिका के दायर होने तथा शेष एक की चरित्र पंजिका की प्रविष्टियां अपूर्ण होने के कारण दक्षता रोक पार करने की अनुमति मामलों के निर्णयोपरान्त ही प्रदान करना सम्भव होगा।

आजमगढ़ जिले के ग्राम अमुवारी-नरायनपुर के सेक्टर नं0 14 के गाटों की गलत प्रविष्टि

88--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 3रे शुक्र के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 106 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर नम्बर 14 में दो बार प्रविष्टि के लिये कौन से कर्मचारी उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई है तथा रकबा कब तक सही करा दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सेक्टर नम्बर 14 में कुछ गाटों की दो बार प्रविष्टि के लिये सहायक चकबंदी अधिकारी को दोषी पाया गया है उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। रकबा सही करने का काम प्रभावित चकों की सुनवाई के उपरान्त लिये गये निर्णय के पश्चात् करा दिया जायेगा।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के अन्तर्गत घाघरा नदी से भूमि का कटाव

89--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 3रे शुक्र के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 44 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गांगेपुर मठिया तथा हाजीपुर घुसवा की कितनी भूमि का कटाव हुआ है तथा इस सम्बन्ध में प्रभावित व्यक्तियों को क्या राहत दी गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

दिनांक 1-1-83 से 10-12-83 तक की अवधि में ग्राम गांगेपुर मठिया तथा हाजीपुर घुसवा (तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़) में घाघरा नदी से भूमि का कोई कटाव नहीं हुआ था। अतः उक्त अवधि के लिये प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले के ग्राम कौखमार की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की मांग

90--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 3रे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 79 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित गांव में हरिजन बस्ती विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युत् कनेक्शन दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

संदर्भित ग्राम कौखमार विकास खंड आजमगढ़, जनपद आजमगढ़ में कोई

पत्र खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास खंड अधिकारी द्वारा गलत ढंग से खारिज किए गए तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

ब्लाक मलवां में उम्र कम होने, मतदाता सूची में नाम न होने, नाम निर्देशन-पत्र में दुहरी लिखावट होने तथा जिला परिषद् की धनराशि बकाया होने के कारण कुल 15 नामांकन-पत्र अवैध तथा शेष वैध पाये गए।

जी हां ।

श्री प्रकाश दत्त शुक्ल व श्रीमती करुणा देवी शुक्ला का नामांकन-पत्र पंचायत राज ऐक्ट की धारा 5 (ए) (ई) के तहत सहायक विकास अधिकारी द्वारा खारिज किया गया ।

नामांकन-पत्र सहायक निर्वाचन अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी द्वारा गलत ढंग से खारिज किया गया था जिन्हें उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट 1947 की धारा 12 बी0 डी0 (1) के अन्तर्गत दन्डित किया गया ।

गोरखपुर जनपद में खाद्यान्न योजनान्तर्गत वनस्पति रायगंज मार्ग के निर्माण का मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

97—श्रीमती गौरी देवी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के खोराबार विकास खंड में वनस्पति-रायगंज मार्ग जिसका निर्माण खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कराया गया था, के 34 मजदूरों की 28 दिन की मजदूरी रु0 4,760 के भुगतान के सम्बन्ध में श्री पी0एल0 लोई मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक 63/पंचायत/खा0 यो0 वि0 स0 प्र0/82-83, दिनांक 27 नवम्बर, 1982 को लिखा था ? यदि हां, तो श्री बन्सू पुत्र छेदी साकिन रायगंज, ब्लाक खोराबार, जिला गोरखपुर को क्या मजदूरी का भुगतान 2,380 रु0 दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 के पूर्व कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो श्री बन्सू से धन वसूली करने के कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिलाधिकारी से सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्मोड़ा जनपद की कतिपय ग्राम सभाओं में लिफ्ट पेयजल बनाये जाने हेतु ग्रामवासियों द्वारा क्रमिक अनशन

98—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या नगर विकास मन्त्री को प्रश्न-कर्ता का दिनांक 27-5-84 जिला अल्मोड़ा में ग्राम सभा मोहणा, कनोणी, परथोला, आलों मंहग्यारी, गोगता व रोटापानी वासियों द्वारा रामगंगा नदी सेमासा गैरखेत लिफ्ट पेयजल योजना बनाने के लिए 25 मई, 1984 से से क्रमिक अनशन किये जाने की सूचना उन्हें मिली थी ? यदि हां, तो वर्ष 1968 से लगातार उठायी जा रही इस मांग पर अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-5-84 उपलब्ध नहीं हुआ । परन्तु दिनांक 25-5-84 से मासी में क्रमिक अनशन किये जाने सम्बन्धी सूचना शासन को सचिव, संघर्ष समिति क्षेत्रमासी, अल्मोड़ा से प्राप्त हुई थी ।

मोहणा ग्राम समूह एक वृहद पम्पिंग पेयजल योजना है जिसमें विकास क्षेत्र स्याल्दे तथा विकास क्षेत्र चौखुटिया के लगभग 15 ग्राम (मोहणा, कनोड़ा, परथोला, आंकों, मंहग्यारी, गोगता व रोटा पानी आदि) सम्मिलित होंगे ।

इस योजना का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य जुलाई, 1984 में प्रारम्भ कर दिया गया है।

इन ग्रामों को पेयजल योजना विरचित कराये जाने के आश्वासन पर दिनांक 28-5-1984 को ग्राम वासियों द्वारा अनशन समाप्त कर दिया गया था।

पर्वतीय क्षेत्र में मानव भक्षी शेरों/गुलदारों की समस्या के निराकरण हेतु उपाय

99--श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर शेर व चीतों के आक्रमण का हमेशा भय व्याप्त रहता है? इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संजय सिंह—

यह सत्य नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर शेर या गुलदारों (चीता प्रजाति अब लुप्त हो गयी है) के आक्रमण का हमेशा भय व्याप्त रहता है। यदा-कदा कुछ गुलदार मानव भक्षी हो जाते हैं। इन हिंसक मानवभक्षी वन्य जीवों को वन विभाग द्वारा यथाशीघ्र जीवित ही पकड़ा जाता है अथवा नष्ट कर दिया जाता है। इस वर्ष से मानव-भक्षी शेरों/गुलदारों की समस्या के निराकरण के लिये टाइगर वाच टीम का गठन किया गया है जो प्रदेश में नरभक्षी जीवों को जीवित पकड़ने/नष्ट करने के प्रयास करेगी। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण संगठन को सुदृढ़ करने के भी प्रस्ताव हैं। आशा है कि इन उपायों से मानव भक्षी जीवों की समस्या का निदान हो सकेगा।

चीड़ देवदार तथा यूकेलिप्टस के शुद्ध वनों का पक्षियों तथा जंगली जानवरों के प्रजनन पर प्रभाव

100—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मन्त्री को ज्ञात है कि नया सामुदायिक व राजकीय वृक्षारोपण के अन्तर्गत एक ही प्रकार के वृक्षों के वन लगाने से (विशेषकर चीड़, देवदार, यूकेलिप्टस) चिड़ियों व जंगली जानवरों के निवास व प्रजनन तथा वंशवृद्धि में भारी गिरावट आयी है? यदि हां, तो इस समस्या के निदान, हेतु सरकार ने क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संजय सिंह—

यह सही नहीं है कि चीड़, देवदार तथा यूकेलिप्टस प्रजातियों के शुद्ध वन लगाने से चिड़ियों व जंगली जानवरों के निवास व प्रजनन तथा वंशवृद्धि में भारी गिरावट आई है। चीड़ तथा देवदार प्रजातियों के शुद्ध वन प्राकृतिक रूप में भी पाये जाते हैं जिनमें जंगली जानवर एवं पक्षी पूर्व से ही निवास करते आये हैं। यूकेलिप्टस के वनों में जंगली पशु तथा पक्षी तुलनात्मक रूप में कुछ कम अवश्य पाये जाते हैं परन्तु इनके निकटवर्ती अन्य प्रजातियों के वनों में जंगली जानवर एवं पक्षी निवास एवं प्रजनन करते हैं। गत कुछ वर्षों से वनों में यूकेलिप्टस वृक्षारोपण कम कर दिया गया है।

दुधवा राष्ट्रीय पार्क में आसाम के गैंडों के पुनर्वासन की योजना तथा उस पर व्यय

101--श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क में आसाम के गैंडों को बसाने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है? यदि हां, तो

क्रमशः किन-किन चरणों में कितनी धनराशि द्वारा इसको कार्यान्वित किया गया है ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

भारत सरकार के सहयोग एवं निर्देशानुसार प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के दुधवा राष्ट्रीय पार्क में आसाम के गेंडों के पुनर्वास हेतु, गत वित्तीय वर्ष 1983-84 से योजना कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना पर अब तक सम्पूर्ण 25,75,447.00 रु0 की धनराशि निम्नलिखित चरणों में व्यय की गयी है —

(1) गैण्डों का क्रय, उनके पकड़ने एवं आसाम से दुधवा तक लाने पर हुआ व्यय 22,24,837.00 रु0 ।

(2) दुधवा पार्क में गैण्डों के रखने की व्यवस्था आदि पर हुआ व्यय 3,50,610.00 रु0 ।

लखनऊ प्राणि उद्यान के क्षेत्रफल के विस्तार तथा उद्यान के सीमान्तर्गत उपलब्ध स्थानों में नये बाड़ों के निर्माण की योजना

102—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ स्थित प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) का कुल क्षेत्रफल लखनऊ की लगातार बढ़ती जनसंख्या तथा चिड़ियाघर में बढ़ती दर्शक संख्या को देखते हुए वर्तमान चिड़ियाघर के क्षेत्रफल को बढ़ाते हुए लखनऊ में स्थान-स्थान पर पशु-पक्षी पौधगृह बनाकर पर्यावरण शुद्ध कराने हेतु ठोस कार्यक्रम बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हां । यद्यपि लखनऊ प्राणि उद्यान के क्षेत्रफल में विस्तार इसके चारों ओर से बस्तियों के घिरे होने के कारण सम्भव नहीं है, तथापि उद्यान के सीमान्तर्गत उपलब्ध स्थानों में ही नये बाड़ों के निर्माण की योजना है और पुराने बाड़ों के जीर्णोद्धार की कार्यवाही आरम्भ की गयी है । पर्यावरण में सुधार की दृष्टि से भी रिक्त स्थानों पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार नये पौधे लगाये जा रहे हैं तथा प्राणि उद्यान से गुजरने वाले नाले को भी ढकने की कार्यवाही की गयी है । बाड़ों के अन्दर पानी को शुद्ध रखने के लिये एक नया ट्यूबवेल भी निर्मित किया गया है । इससे पर्यावरण सुधार में सहायता मिलेगी ।

प्रधान, ग्राम सभा बहादुरपुर जनपद मुरादाबाद का वृक्षारोपण हेतु पौधे उपलब्ध कराये जाने तथा तकनीकी जानकारी दिये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

103—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रधान ग्राम सभा बहादुरपुर, विकास क्षेत्र बिलारी, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद ने डी0 एम0 मुरादाबाद को कोई प्रार्थना-पत्र ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही दिनांक 7-6-83 के प्रस्ताव सं0 2 तथा दिनांक 4-7-83 प्रस्ताव सं0 4 के साथ दिया था जिसमें गाटा नं0 424, 425-मि0 426 मि0 427/1 मि0 428 मि0, 429/1 मि0 कुल रकबा 1-87 डी0 में आम तथा अमरूद के वृक्ष एवं यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने हेतु मार्ग दर्शन कराने के लिये सक्षम अधिकारी को निर्देशित करने के लिये प्रार्थना की गयी थी और क्या यह भी सही है कि जिला अधिकारी, मुरादाबाद ने दिनांक 25-8-83

को संभागीय वन अधिकारी, मुरादाबाद को जानकारी देने हेतु आदेशित किया था ? यदि हां, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं, परन्तु श्री बहोरन सिंह, प्रधान, ग्राम सभा बहादुरपुर, विकास क्षेत्र बिलारी, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद का एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 25-8-83 (जिलाधिकारी मुरादाबाद को सम्बोधित) जिलाधिकारी के माध्यम से बहादुरपुर क्षेत्र समिति बिलारी, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में वृक्षारोपण हेतु, आवश्यक पौधे दिये जाने एवं तकनीकी जानकारी के लिये, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इस पर तदनुसार कार्यवाही की गयी तथा दिनांक 7-9-83 को आवश्यक तकनीकी जानकारी देते हुए 500 यूकेलिप्टस के पौधे वनविद की तकनीकी जानकारी में रोपित कराये गये।

1 4—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[3रे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्थानीय विकास योजनान्तर्गत जिला परिषद् वाराणसी द्वारा सर्वश्री हीरा लाल, जवाहर लाल तथा मौजी लाल को ट्रैक्टर क्रय हेतु दिये गये ऋण पर अनुदान

105—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्टम सर्विस हेतु ट्रैक्टर क्रय करने के लिये श्री हीरा लाल, जवाहर लाल, मौजी लाल पुत्रगण मौजी राम, ग्राम आदमपुर, विकास खंड हरहुआ, जिला वाराणसी को 60 हजार रु0 का ऋण प्राप्त हुआ और ट्रैक्टर क्रय किया गया ? क्या यह सही है कि विकास योजना के अधीन सहायक अनुदान नियमावली, 1978 के अन्तर्गत फार्म भर कर लघु कृषक प्रमाण-पत्र के साथ अनुदान फार्म अलग-अलग बी0 डी0 ओ0 हरहुआ को दिया गया था ? क्या यह भी सही है कि ग्राम सेवक, ए0 डी0 ओ0 एवं बी0 डी0 ओ0 हरहुआ, जिला वाराणसी ने तीनों फार्म पर साठ-साठ हजार रु0 का ऋण लिखकर जिला परिषद्, वाराणसी को भेज दिया। जब कि 20-20 हजार रु0 ही होता है और यही लिखना चाहिए था ? यदि हां, तो अनुदान के फार्म को जिला परिषद्, वाराणसी ने 7-1-84 को खारिज कर दिया ? ऐसा क्यों ? क्या यह भी सही है कि अनुदान का फार्म सन् 1982 में ही भरा गया था ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उपरोक्त व्यक्तियों को अनुदान देने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। सर्वश्री हीरा लाल, जवाहर लाल, मौजी लाल पुत्रगण मौजीराम ग्राम आदमपुर विकास खण्ड हरहुआ को स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद वाराणसी ने स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद द्वारा ऋण देना नियमावली, 1978 के अन्तर्गत संयुक्त रूप से ट्रैक्टर खरीदने हेतु 60,000 रु0 का ऋण दिया था ?

जी हां। उक्त व्यक्तियों ने स्थानीय विकास योजना के अधीन सहायक अनुदान नियमावली, 1978 के अन्तर्गत अनुदान के फार्म अलग-अलग भरकर लघु कृषक के प्रमाण-पत्र के साथ बी0 डी0 ओ0 हरहुआ को दिया था और यह भी सही है कि बी0 डी0 ओ0 हरहुआ द्वारा जिला परिषद् वाराणसी को प्रेषित अनुदान प्रपत्रों पर 60,000 रु0 का ऋण लिखा हुआ है।

यह भी सही है कि जिला परिषद् वाराणसी ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (स्थानीय विकास योजना

के अधीन सहायक अनुदान) नियमावली, 1978 के नियम 3 के अनुसार नियोजन समिति की सिफारिश पर अनुदान अस्वीकृत कर दिया। अनुदान अस्वीकृत करने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

हरदोई जनपद के कतिपय ग्राम प्रधानों के विरुद्ध दुरुपयोग के मुकदमें

106—श्री हरी शंकर—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के कितने ग्राम प्रधानों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग के मुकदमें विचाराधीन हैं और प्रधान पद पर कार्यरत हैं ? क्या पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत इन व्यक्तियों को निलम्बित किया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद हरदोई के 12 ग्राम प्रधानों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग का मुकदमा विचाराधीन है। इसमें 7 ग्राम प्रधान अपने पद पर कार्यरत हैं। पांच निलम्बित हैं।

जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार श्री गुरुदीन मिश्र, प्रभारी बीज भण्डार पोथनरामपुर, जिला सुल्तानपुर की बहाली

107—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री गुरुदीन मिश्र सेवा निवृत्त प्रभारी बीज भण्डार, पोथनरामपुर, जनपद सुल्तानपुर द्वारा प्रेषित आपत्ति पर जिला कृषि अधिकारी, सुल्तानपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्रांक 2326/कृषि–4/गबन, दिनांक 11 अगस्त, 1979 को अपनी जांच रिपोर्ट कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश गबन अभ[illegible] लखनऊ को दी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या यह भी सही है कि उक्त रिपोर्ट में श्री गुरुदीन मिश्र को निर्दोष बताते हुए सेवा में बहाल किये जाने हेतु संस्तुति की है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी को बहाल करके सेवा में लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं। अपितु जिला कृषि अधिकारी, सुल्तानपुर ने दण्डादेश दिनांक 1–6–77 के विरुद्ध श्री गुरुदीन मिश्र के अपील पर अपनी आख्या भेजी थी। इसलिए जांच रिपोर्ट के विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता है। जांच रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि श्री मिश्र द्वारा दायर की गयी याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में विचारोपरान्त उनको सेवा में पदारूढ़ कर दिया गया है।

108—श्री अकबर हुसैन—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

हरदोई जनपद की नगरपालिका बिलग्राम व साण्डी में निर्मित जलाशयों से जल की आपूर्ति

109—श्री हरी शंकर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न0 पा0 बिलग्राम व साण्डी, जिला हरदोई में ओवर हैडटैंक कब तैयार किये गये और किस तिथि से जनता को जल आपूर्ति की जा रही है ?

श्री विद्या भूषण—

नगर पालिका बिलग्राम एवं साण्डी जनपद हरदोई में जलाशय का निर्माण क्रमशः दिसम्बर, 1983 एवं जुलाई, 1983 में किया गया।

बिलग्राम नगर की टंकी का नलकूप विद्युत् संयोजन न मिलने के कारण चालू

नहीं किया जा सका है। साण्डी नगर की टंकी से पेयजल आपूर्ति माह जुलाई, 1983 से की जा रही है।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम कुसमौरी में किया गया वृक्षारोपण

110--श्री अकबर हुसैन--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुसमौरी, परगना भूड़, विकास खंड बांकेगंज, लखीमपुर खीरी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने पेड़ लगाये गये और इस समय उसमें से कितने जीवित हैं ?

श्री संजय सिंह--

प्रश्नगत ग्राम में 9 व्यक्तियों द्वारा अपनी निजी भूमि पर 5752 वृक्ष लगाये गये जिसमें से 4429 वृक्ष जीवित हैं।

जिला लखीमपुर खीरी के ग्राम कुसमौरी के मुख्य मार्गों पर खड़न्जा

111--श्री अकबर हुसैन--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुसमौरी, विकास खंड बांकेगंज, जिला लखीमपुर खीरी में केवल ग्राम प्रधान के निवास स्थान तक खड़न्जा लगाया गया है, बाकी आबादी में खड़न्जा लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार आबादी के अन्दर खड़न्जा लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम सभा रोशन नगर (ग्राम कुसमौरी) में दो मुख्य मार्ग हैं। पहला लखीमपुर रोड से ग्राम के उत्तर किनारे का मार्ग जिस पर हरिजन आबादी, सरकारी संस्थायें (अस्पताल एवं बैंक शाखा है) तथा इसी रास्ते पर प्रधान का निवास स्थान आदि हैं, इस पर खड़ंजा लगा है। दूसरा मार्ग शेष है, जिस पर इस वर्ष खड़ंजा लगवाने की योजना है।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम कुसमौरी में आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की सूची

112--श्री अकबर हुसैन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कुसमौरी, परगना भूड़, तहसील लखीमपुर, जिला लखीमपुर खीरी में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत किन-किन लोगों को क्या-क्या सहायता दी गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

लखीमपुर जनपद के ग्राम कुसमौरी, परगना भूड़ में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ से जुलाई, 1984 तक 39 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। उक्त लाभार्थियों के नाम उपलब्ध करायी गयी परिसम्पत्ति तथा अनुदान के विवरण संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 228 पर)

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम धौरहरा बुजुर्ग के कतिपय व्यक्तियों के उक्त ग्राम के मूल निवासी होने के सम्बन्ध में जानकारी

113--श्री अकबर हुसैन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रमेश पुत्र द्वारिका, दीना पुत्र रामानन्द, राम किशुन पुत्र निरंजन, बाबू पुत्र देवी दीन, राम दुलारे पुत्र खिल्ला, शंकर पुत्र सुखदेव, सुदर्शन पुत्र विन्ध्याचल, धरखन पुत्र दुखी, बाबू पुत्र सहदेव, ग्राम धौरहरा बुजुर्ग, ग्राम सभा रोशन नगर, परगना,

भूड़, तहसील लखीमपुर, जिला लखीमपुर खीरी मूल निवासी हैं तथा उनके पूर्वज भी इसी ग्राम के निवासी हैं ? क्या यह सत्य है कि यह लोग तथा उनके पूर्वज ग्राम धौरहरा बुजुर्ग के मूल निवासी नहीं हैं और न उनका नाम विधान सभा मतदाता सूची में है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

जी हां, मूल निवासी नहीं हैं ।

रमेश पुत्र द्वारिका, बाबू पुत्र देवी दीन तथा बाबू पुत्र सहदेव का नाम विधान सभा मतदाता सूची में है ।

114—श्री अकबर हुसैन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गजराज पुत्र कलपू, सम्मपति पुत्र गंगाराम, बिर कुट पुत्र गौरा, राम कुमार पुत्र सीताराम, रमाकान्त पुत्र गांधा, राम सिंगार पुत्र सूबेदार, प्रेम चन्द्र पुत्र जगन्नाथ ग्राम धौरहरा बुजुर्ग, ग्राम सभा रोशन नगर, परगना भूड़, तहसील लखीमपुर, जिला लखीमपुर खीरी के निवासी हैं ? यदि हां, तो कब से और क्या पेशा करते हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गजराज पुत्र कल्पू सम्मपति पुत्र गंगाराम को छोड़कर शेष 12 वर्ष से प्रश्नगत ग्राम में रह रहे हैं तथा इनका पेशा कृषि व मजदूरी है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अलीगंज योजना में भवन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश कश्यप के प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

115—श्री यमुना प्रसाद—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश कश्यप, निवासी, इरादत नगर (गोड़यन टोला) अलीगंज, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के संलग्नक सहित उन्हें तथा अध्यक्ष/सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिनांक 12-3-84 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा प्रश्नगत प्रकरण पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां, माननीय विधायक श्री यमुना प्रसाद का पत्र दिनांक 12-3-84 को प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने निवेदन किया था कि श्री ओम प्रकाश कश्यप को अलीगंज योजना में कोई भवन आवंटित करके उन्हें कृत कार्यवाही से सूचित किया जाय । श्री ओम प्रकाश कश्यप को अलीगंज योजना में भवन संख्या-ई-3-320 वर्ष 1978 में आवंटित हुआ था । इन्होंने इस भवन पर कब्जा नहीं प्राप्त किया था इस कारण इनके भवन का आवंटन निरस्त कर दिया गया था निरस्त करने के पश्चात् माननीय विधायक की संस्तुति प्राप्त होने पर इन्हें पुनः दूसरा रिक्त, भवन अलीगंज योजना में ई-6-142 सेक्टर "एम" आवंटित कर दिया गया है । माननीय विधायक को भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 14-8-84 द्वारा सूचित कर दिया गया है ।

पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न वन प्रभागों में अग्नि से हुई हानि का विवरण

116—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि इस वर्ष माह अप्रैल, मई में पर्वतीय क्षेत्र में व्यापक वन अग्नि के कारण वन में बहुत हानि हुई है ? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्र के किन-किन वन प्रभागों का क्रमशः कितनी हानि हुयी ? उपरोक्त अग्निकाण्डों के कारणों के निदान हेतु सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हां। पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न, वन प्रभागों में इस वर्ष अग्नि से हुई हानि का विवरण संलग्न है।

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु वन विभाग द्वारा एक योजना पहले से ही चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त यू0 एन0 डी0 पी0 (यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम) की सहायता से एक नयी विस्तृत योजना भी इसी वर्ष से चलाये जाने का प्रस्ताव है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 230 पर।)

विवेकानन्द पुस्तकालय के स्थायी भवन व वाचनालय निर्माण हेतु भूमि स्वीकृति कराने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

117—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने 17 अप्रैल, 1983 के पत्र द्वारा उनका ध्यान, लोहाघाट में श्री घन सिंह द्वारा निःस्वार्थ भाव से की जा रही सेवा के लिए वर्तमान विवेकानन्द पुस्तकालय के स्थायी भवन व वाचनालय निर्माण हेतु, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने अनुसचिव नजूल अनुभाग उ0 प्र0 शासन को पत्रांक 2123/25-20(80-81), दिनांक 10 मार्च, 83 को एक नाली भूमि स्वीकृत करने हेतु पत्र भेजे जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया था ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में अब तक स्वीकृत न देने के क्या कारण हैं ? क्या इन कारणों की जानकारी जिलाधिकारी या सम्बन्धित व्यक्ति को दी गयी ? इस सर्वश्रेष्ठ कार्य हेतु भूमि देने के विषय में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 1983 प्राप्त नहीं हुआ था।

जिलाधिकारी का प्रस्ताव, दिनांक 10 मार्च, 1983 शासन को प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है तथा मामले में शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्र में फलों के संरक्षण हेतु फल पट्टी घोषित करने की मांग

118—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या कृषि मंत्री को प्रश्नकर्ता के दिनांक 1-5-84 के पत्र द्वारा (जिसकी प्राप्ति निदेशक उद्यान एवं फल उपयोग, उ0 प्र0 ने अ0 शा0 पत्र संख्या 2971-72 दिनांक 6 जून, 1984 को दी है) मलिहाबाद की तरह पर्वतीय क्षेत्र में फलों के संरक्षण हेतु फल पट्टी घोषित करने की मांग प्राप्त हुयी ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

मलिहाबाद स्थित फल उद्यानों को ईंट भट्ठों आदि से होने वाली क्षति से बचाने हेतु शासन ने फल पट्टी घोषित की है। इसके विपरीत पर्वतीय क्षेत्र में ईंट भट्ठों जैसी अन्य कोई समस्या नहीं है, जिससे फल उद्यानों को किसी तरह की क्षति की आशंका हो। अतः इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

सामान्य तौर पर पर्वतीय क्षेत्र में पहले से फल पट्टियां स्थापित हैं।

119—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[दूसरे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कुमालगांव के निवासियों के वन के हक-हकूक दिलाये जाने सम्बन्धी पत्र

120--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या वन मन्त्री को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत कुमालगांव के निवासियों के वन के हक-हकूक दिलाये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का दिनांक 1 मई का पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जी हां ।

इस सम्बन्ध म कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि हक निर्धारण सूची (शेड्यूल बी) में जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत कुमाल गांव का कोई हक अंकित नहीं है ।

लघु सिंचाई विभाग झांसी में भण्डार सम्बन्धी आपूर्ति में क्रय सम्बन्धी अनियमिततायें तथा कोर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चेक डेमों के निर्माण में अनियमिततायें

121--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग झांसी में वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में भण्डार सम्बन्धी आपूर्ति नियमानुसार टेन्डर पद्धति पर रजिस्टर्ड फर्म द्वारा की गई है ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में चल रहे कोर प्रोजेक्ट के अन्तगत चेकडैम एवं बन्दी की निर्माण सामग्री की सप्लाई नियमानुसार टेण्डर पद्धति से की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1983-84 में क्रय सम्बन्धी कुछ अनियमितायें प्रकाश में आई हैं । वर्ष 82-83 एवं 83-84 में किये गये क्रय के सम्बन्ध में सूचनायें एकत्र करके परीक्षण कराया जा रहा है ।

2--वर्ष 84-85 में कोर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चेक डेमों के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से कोई स्वीकृति नहीं दी गई है । सम्भवतः जिला प्रशासन द्वारा इनका निर्माण कार्य अधिशासी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से कराया जा रहा है । अतः कार्य कराने के सम्बन्ध में तथा कार्यों के निर्माण में अनियमितताओं के सम्बन्ध म विवरण एकत्र कराया जा रहा है ।

जिला फैजाबाद स्थित विकास खन्ड अकबरपुर व कटेहरी में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

122--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह अप्रैल, मई, 1984 में जिला फैजाबाद स्थित विकास खन्ड अकबरपुर व कटेहरी में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायत की जांच की गयी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा कब जांच कराई गई ? जांच में क्या तथ्य पाये गये और क्या जांच अधिकारी ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा विधायकों द्वारा की गयी जांचों में शिकायतकर्ता विधायकों के पक्ष को भी सुनने सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी जांच मुख्य अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा स्वयं की गयी ।

जांच में कुछ मार्गों व भवनों की गुणता खराब पायी गयी जिसके लिए श्री रंगीले प्रसाद, सहायक विकास अधिकारी, ग्रामीण अभिन्त्रण सेवा, फैजाबाद की मुख्य अभियन्ता के आदेश दिनांक 23 मई, 1984 के द्वारा निलम्बित किया गया तथा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं । अधिशासी अभियन्ता को दोषपूर्ण कार्य ठीक कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है उनका स्थानान्तरण भी कर दिया गया है ।

इस जांच के लिए मुख्य अभियन्ता के अर्द्ध शासकीय पत्रांक 46/ग्रा0 अ0 से0 सी0 मु0 अ0, दिनांक 8 मई, 1984 द्वारा शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया था कि मुख्य अभियन्ता दिनांक 9-5-1984 को जांच हेतु प्रातः अकबरपुर पहुंच रहे हैं, किन्तु शिकायतकर्ता से सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति श्री गुलाम हुसैन द्वारा त्याग पत्र के पश्चात् अनधिकृत कार्यवाही के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

123—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति श्री गुलाम हुसैन द्वारा त्याग-पत्र के पश्चात् अनधिकृत कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र के प्रत्युत्तर में प्रेषित श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी संयुक्त सचिव, मुख्य मन्त्री उत्तर प्रदेश के पत्र सं0 एम0 2/5/47/सी0 एम0-2-84 कार्यालय अनुभाग-2 दिनांक 12 जून, 1984 के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री यशपाल सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद बस्ती में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्तियां

124—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि बस्ती जनपद में कनिष्ठ लिपिक के 4 पद रिक्त हुए और उन पर उप कृषि निदेशक, गोरखपुर द्वारा अभियन्त्रण संवर्ग के श्री बृजराज मिश्र, ट्रैक्टर चालक, श्री ज्वाला प्रसाद राय, नलकूप चालक एवं परियोजना अधिकारी, कृषि बस्ती द्वारा श्री कमला प्रसाद पाण्डेय, कनिष्ठतम कामदार की पदोन्नति कर तथा श्री राम सहाय पाल जिनकी सेवा अभी चन्द दिनों की है, स्थानान्तरण कर रिक्तियां पूर्ण कर ली गयीं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस प्रोन्नति में आरक्षण का ध्यान नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस अनियमित प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करके और अनियमित कार्य करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत जनपद में रिक्त चार कनिष्ठ लिपिक के पदों पर श्री राम सहाय पाल कनिष्ठ लिपिक को जनपद फैजाबाद से श्री उमेश्वर राय कनिष्ठ लिपिक को जनपद देवरिया से स्थानान्तरित करके, तथा सर्व श्री कमला प्रसाद पाण्डेय (सवर्ण) व राम संवारे (अनुसूचित जाति) को प्रोन्नति देकर नियुक्तियां की गयी । इस प्रकार आरक्षण कोटे की पूर्ति कर ली गयी है । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

125--श्री प्रियदर्शी जेतली--

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

126--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

विकास खंड उस्का बाजार के ग्राम सभापति श्री अब्दुल गफ्फार के विरुद्ध कार्यवाही

127--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिनीकिट योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले के विकास खंड उस्का बाजार के ग्राम सभापति श्री अब्दुल गफ्फार ग्राम सभा सिहांस दरमियानी ने अपने पिता तथा सगे भाई के नाम उन्नतिशील खाद व बीज लिया है जब यह बीज व खाद छोटे-छोटे किसानों को देने के लिए था इस संबंध में संबंधित गांव के वारिस अली नाम के व्यक्ति ने सभापति के विरुद्ध हाकिम परगना नौगढ़ के यहां दरखास्त दिया था? यदि हां, तो हाकिम परगना नौगढ़ ने उक्त प्रधान के खिलाफ क्या कार्यवाही की? अगर नहीं की, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां।

सभापति के पिता श्री लल खान लघु एवं सभापति के सगे भाई श्री अब्दुल जब्बार सीमान्त कृषकों की सूची में हैं।

जी हां।

जांच उपरान्त प्रधान दोषी नहीं पाये गये, अतः उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

नरेन्द्र नगर विकास क्षेत्र की थान ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित ग्रामों की स्वीकृत धनराशि तथा व्यय

128--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि 1983 में जिला टिहरी गढ़वाल विकास खंड नरेन्द्र नगर के थान ग्राम के ग्रामवासियों द्वारा पेयजल हेतु किये जन आन्दोलन के बाद जल निगम ने थान ग्राम के साथ-साथ विडोन, खांकर, सुनारकोट, कौड़ आदि 6-7 गांवों की सम्मिलित पेय जल योजना तैयार की जिसके पानी की आपूर्ति हेंवल नदी के पार काणी गाड़ से होनी थी? यदि हां, तो उपरोक्त योजना हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत/खर्च की गयी? संबंधित किन-किन गांवों को कब से लगातार पानी दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण--

नरेन्द्रनगर विकास क्षेत्र की थान ग्राम समूह पेय जल योजना में सम्मिलित राजस्व ग्राम थान (कोड सं0-8) एवं विडोन (कोड सं0 7) को माह दिसम्बर, 1983 में, कोरगांव (कोड सं0 10), सुनारकोट (कोड सं0 6) एवं खाखर (कोड सं0 9) को माह जनवरी, 1984 में तथा टिपली (कोड सं0 5) अटाली मल्ली (कोड सं0 16) अटाली तल्ली (कोड संख्या 17) को माह फरवरी, 1984 में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। योजना की स्वीकृत अनुमानित धनराशि 13.078 लाख रुपये के विरुद्ध लगभग 14.00 लाख रु0 व्यय हुआ है।

गोमती नदी में जल प्रदूषण के कारणों की जांच

129--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ जनपद की सीमा अंतर्गत गोमती नदी में प्रतिवर्ष ग्रीष्म

ऋतु में, जलकुम्भी का अत्यधिक प्रसार होती है जिससे जलीय जन्तुओं के स्वास्थ्य तथा लखनऊ नगर को दिये जाने वाले पानी पर कुप्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस जलदूषण को रोकने के उपायों की जांच हेतु उच्च वैज्ञानिकों की समिति बैठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लखनऊ जनपद की सीमा के अन्तर्गत गोमती नदी में ग्रीष्म ऋतु में जलकुम्भी का कभी-कभी प्रसार होता है जिससे जल की गुणता तथा जलीय जन्तुओं के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। गोमती नदी में हो रहे जल कुम्भी के प्रसार एवं अन्य कारणों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिये पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा गोमती नदी के जल की गुणता की जांच उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से कराई जा रही है।

उक्त जांच पूर्ण हो जाने पर जांच के परिणाम के अनुसार ही आगे की कार्यवाही पर विचार करना सम्भव होगा।

गोण्डा जिले के परसपुर विकास खंड में आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत वितरित ऋण में अनियमितताओं की जांच, तथा परियोजना अधिकारी को दिया गया कथित शिकायत-पत्र

130—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के परसपुर विकास खंड में सन् 1982-83 व 1984 वर्षों में, आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत दिये हुये परियोजना ऋण में फर्जी वितरण संबंधी शिकायतें जिला परियोजना अधिकारी को मिली हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और शिकायतों का विवरण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, गोन्डा जिले के परसपुर विकास खंड में सन् 1982-83 व 1984 में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण के संबंध में श्री शीतल प्रसाद शुक्ल, प्रमुख से परियोजना अधिकारी, गोन्डा को शिकायतें मिली हैं जिनमें डनलप तथा बैलगाड़ी के फर्जी वितरण के आरोप हैं। जांचोपरान्त कुछ मामलों में अनियमिततायें पाई गयीं हैं जिसमें आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

131—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के परसपुर ब्लाक में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत भैंसों की फर्जी खरीद, फर्जी भैंस मृत प्रमाण-पत्र आदि सम्बन्धी शिकायतें जिला परियोजना अधिकारी को मिली हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत आई0 आर0 डी0 में परियोजना अधिकारी गोण्डा को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राम चन्द्र पटेल, भूमि संरक्षण निरीक्षक निचलौल इकाई, गोरखपुर के पौड़ी स्थानान्तरण हेतु लिखा गया पत्र

132—श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त कृषि निदेशक भूमि संरक्षण, कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश (भूमि संरक्षण अनुभाग) ने अपने

अ0 शा0 पत्रांक भू0 स0–मिस0–238/ दिनांक 28 दिसम्बर, 1983 में उप–सचिव, उ0 प्र0 शासन, कृषि अनुभाग–9, सचिवालय लखनऊ को सम्बोधित करके पत्र लिखा है जिसमें श्री राम चन्द्र पटेल, भूमि संरक्षण निरीक्षक, निचरौल इकाई, गोरखपुर के पौड़ी स्थानान्तरण हेतु लिखा है, जिसकी प्रतिलिपि मुझे भी प्रेषित है ? यदि हां, तो इसका पालन क्यों नहीं कराया गया ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने जनवरी, 1984 से अब तक कितने पत्र सरकार को लिखे और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? पूरा विवरण क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां । प्रश्नगत स्थानान्तरण आदेश के अनुक्रम में भूमि संरक्षण अधिकारी, निचलौल (गोरखपुर) ने श्री राम चन्द्र पटेल को अपने आदेश दिनांक 8–2–84 द्वारा कार्यमुक्त करते हुए उन्हें उप निदेशक, भूमि संरक्षण, पौड़ी के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित किया था परन्तु पुनः श्री पटेल के अनुरोध पर उन्हें उप कृषि निदेशक, गोरखपुर के अधीन स्थानान्तरित किया गया । इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांकित 9–9–83, 27–1–84 तथा 21–6–84 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उल्लिखित आरोपों की जांच की जा रही है ।

जयमोहनी रेन्ज, वाराणसी में प्लान्टेशन के कार्य तथा चोरमरवा व महिला पौधशाला में पौध उगाने का निर्धारित लक्ष्य एवं पुराने व नये प्लानटेशन की जांच

133—श्री ऊदल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जयमोहनी रेंज, वाराणसी में 1983 में प्लांटेशन किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्लांटेशन पूरा नहीं किया गया है और पूरे का बिल बनाकर सब पैसे लिया गया ? क्या यह भी सच है कि डी0 एफ0 ओ0, वाराणसी को कर्मचारियों ने नौढ़ विश्राम भवन में 12–4–83 को लिखित एवं मिलकर शिकायत की है ? उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? डी0 एफ0 ओ0 ने जांच किया कि नहीं ?

श्री संजय सिंह—

जी हां, जयमोहिनी रेंज, वाराणसी वन प्रभाग में 110 हैक्टेयर का रोपण 1983 वर्ष में किया गया था । यह सही नहीं है कि उक्त प्लान्टेशन का काम पूरा नहीं किया गया और पूरा बिल चार्ज कर लिया गया । 12–4–83 का कथित शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

134—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पौधशाला चोरमरवा व महिला त0 चकिया (नौगढ़), जिला वाराणसी में कितने पौध उगाने का लक्ष्य रखा गया था और धन दिया गया ? क्या यह सही है कि पौध कम उगाई गयी और पूरा पैसा ले लिया गया ? क्या इसकी जांच की जायेगी ? पौधशाला के रजिस्टर की भी जांच की गयी ?

श्री संजय सिंह—

चोरमरवा पौधशाला में 3,50,000 तथा महिला पौधशाला में 1,50,000 पौध वर्ष 1983–84 में उगाने का लक्ष्य निर्धारित था । उपरोक्त कार्यों के

लिये निम्नलिखित धनर शि स्वीकृत की गई थी :—

पौधशाला का नाम	वर्ष	धनराशि
1—चोरमरवा	1982–83	52,000·00
	1983–84	17,400·00
योग	..	69,400·00
2—गहिला	1982–83	20,300·00
	1983–84	7,500·00
योग	..	27,800·00

यह सही नहीं है कि उक्त पौधशालाओं में पौध कम उगाये गये और पैसा पूरा चार्ज कर लिया गया। पौधशाला रजिस्टर की जांच समय–समय पर तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक द्वारा की गई थी।

135—श्री ऊ दल —

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जं मोहनी, मजगाई, नौगढ़ ब्लक नौगढ़, त0 चकिया, जिला वाराणसी में पहले भी प्लान्टेशन किया गया था और नया प्लान्टेशन भी किया गया है ? क्या सरकार पुराने प्लान्टेशन व नये प्लान्टेशन की जांच कराने का आज्ञा देगी ?

श्री संजय सिंह—

जी हां। सभी पुराने व नये प्लान्टेशन का मूल्यांकन कार्य योजना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कैम्पस स्कूल के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के सृजित पद तथा वेतनमान

136—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कैम्पस स्कूल के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता के शिकायत –पत्र दिनांक 21-3-84 के संबंध में श्री मोहन लाल गौतम, संयुक्त सचिव के अर्ध शा0 पत्रांक 30 बी0/12–8–400/61/84 कृषि अनुभाग–8, लखनऊ दिनांक 5–4–84 के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

प्रश्नगत पद दिनांक 29 सितम्बर, 1981 को पुराने वेतनमान में विश्वविद्यालय द्वारा सृजित हुए थे।

उक्त दिनांक के पश्चात् पुराने वेतनमानों में सृजित अन्य पदों के साथ प्रश्नगत पदों के पुनरीक्षण का प्रश्न विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

श्री राम प्रकाश गुप्त, कर अधीक्षक, नगर महापालिका आगरा के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

137—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम प्रकाश गुप्त, कर अधीक्षक, नगर महापालिका, आगरा के विरुद्ध माननीय विधायक मुन्शी लाल द्वारा 1 जनवरी, 1983 से 15 अप्रैल, 1983 के मध्य में कोई शिकायती–पत्र दिया गया था ? क्या शासन द्वारा इस पर कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

श्री विद्या भूषण—

राम प्रकाश गुप्त, कर अधीक्षक, नगर महापालिका, आगरा के विरुद्ध माननीय विधायक श्री मुन्शी लाल जी का शिकायती–पत्र दिनांक 1 जनवरी, 1983 से 15 अप्रैल, 1983 के मध्य प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

138—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राम प्रकाश गुप्त, कर अधीक्षक के विरुद्ध

जनता की अनेकों शिकायती-पत्रों पर निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो प्रशासक द्वारा आक्ट्राय विभाग में नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

श्री विद्या भूषण--

राम प्रकाश गुप्त को, नगरपालिका, शिकोहाबाद के वर्ष 1978 में कर अधीक्षक पद पर उनके कार्यकाल में हुई अनियमितताओं के आरोप में निलम्बित किया गया था। श्री गुप्ता को प्रशासक नगर महापालिका, आगरा द्वारा प्रशासनिक आधार पर टोल टैक्स के कार्य से सम्बद्ध किया गया है।

ग्राम गौरराई, विकास खंड खेसरहा, जनपद बस्ती में तालाब का पट्टा गलत ढंग से किये जाने विषयक शिकायती-पत्र की जांच

139--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम गौरराई, विकास खंड खेसरहा, तहसील बांसी, जनपद बस्ती में तालाब का फर्जी पट्टा गलत ढंग से किये जाने विषयक आयुक्त, गोरखपुर मण्डल को श्री बृजेश कुमार, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मत्स्य उत्पादन अनुभाग-क का कोई अर्ध शा० प० सं० 3766/12-मत्स्य/83, दिनांक 20-8-83 जांच हेतु प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उपरोक्त मामले में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जी हां। प्रश्नगत पत्र आयुक्त गोरखपुर मण्डल को लिखा गया था। बस्ती जनपद में ग्राम गौरराई विकास खंड खेसरहा स्थित ग्राम सभा के तालाब का पट्टा गलत ढंग से किये जाने के सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) गोरखपुर ने सूचित किया है कि शासन के अर्ध शा० प० संख्या 3766/12-मत्स्य-83, दिनांक 29-8-83 में वर्णित बिन्दुओं पर परगनाधिकारी की आख्या प्राप्त की गयी जिसके अनुसार उक्त विषयक पट्टे के सम्बन्ध में यह दर्शाया गया है कि दिनांक 11-3-82 की नीलामी कार्यवाही में सर्वश्री लगन, भूलन एवं लक्ष्मी ने अंगूठा निशानी नहीं लगाया है।

श्री अदालत की वरीयता के विषय में विचार किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या के अनुसार सन्दर्भगत मामले में वाद अदालत बनाम अमरुल्लाह, अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम्य विकास अभिकरण, वाराणसी द्वारा ब्लाक पिंडरा में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण

149--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवराई, बरवां सम्पर्क मार्ग, पांचोसिवाला से रसूलपुर, मंगारी से पिंडरा, करिखियांव से खालिसपुर मार्ग तथा देवाजी से नदोय हिरामनपुर मार्ग ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के लिए कितना रुपया स्वीकृत है और कितने रुपये की मिट्टी डलवायी गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, वाराणसी द्वारा ब्लाक पिंडरा में निम्नलिखित सम्पर्क मार्गों पर उनके सम्मुख अंकित स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध व्यय किया गया--

मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि	मिट्टी के कार्य के माप के अनुसार भुगतान की गई धनराशि
	लाख	रु०
देवराई-बरवा मार्ग	0.80	80,240
पांचोशिवाला-रसूलपुर मार्ग	0.95	1,29,959
मंगारी-पिंडरा मार्ग	1.00	97,629
करिखियांव-खालिसपुर	0 40	..

करखियांव से खालिसपुर मार्ग एवं देवजी नदोय से हिरामनपुर मार्ग पर न तो कोई कार्य कराया गया है और न ही उस पर भुगतान किया गया है ।

मंगारी–पिंडरा वाया जगदीशपुर मार्ग का निर्माण तथा व्यय

141—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंगारी–पिंडरा मार्ग पहले से ही 8 फिट चौड़ा, ऊंचा बना था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उसके किनारे–किनारे तीन–तीन, चार–चार फिट मिट्टी किनारे भर दिया गया है और चार्ज पूरी सड़क का किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और जांच रिपोर्ट प्रश्नकर्ता की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मंगारी–पिंडरा वाया जगदीशपुर मार्ग पर लगभग 2 फर्लांग 8 फिट चौड़ा मार्ग खाद्यान्न योजनान्तर्गत बनवाया गया जो बरसात के कारण कटकर 3–4 फिट चौड़ा रह गया । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त मार्ग का निर्माण 20 फिट चौड़ा कराया गया है तथा पहले से खाद्यान्न योजनान्तर्गत जो मिट्टी डाली गयी थी उसका मूल्य कम करके ही खंड विकास अधिकारी द्वारा धन का भुगतान किया गया है।

देवराई–बरवा मार्ग, ब्लाक पिन्डरा का निर्माण तथा भगतान

142—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री देवराई–बरवां मार्ग, ब्लाक पिन्डारा की भी जांच करायेंगे कि यह मार्ग पहले से ऊंचा बना हुआ था और बहुत कम मिट्टी डालकर पूरा भुगतान कर लिया गया है ? क्या सरकार इसकी भी जांच करायेगी और जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला अधिकारी, वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार देवराई–बरवा मार्ग ब्लाक पिन्डरा पहले से नहीं बना था बल्कि वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि के अनुसार कराये गये मिट्टी के कार्य पर खंड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान किया गया ।

मंगारी से ओदार–सिधौरा मार्ग, ब्लाक पिन्डरा, जिला वाराणसी के निर्माण कराने की स्वीकृति

143—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मंगारी से ओदार–सिधौरा मार्ग ब्लाक पिन्डरा, जिला वाराणसी के सम्पर्क मार्ग के रूप में कई बार प्रस्ताव बी0 डी0 सी0 पिंडरा, वाराणसी ने पास कर सी0 डी0 ओ0, वाराणसी को भेजा है ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण मार्ग को अब तक योजना में शामिल न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार इस मार्ग को 84–85 की योजना में शामिल करने की स्वीकृति देगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मंगारी से ओदार सिधौरा मार्ग ब्लाक पिन्डरा, जिला वाराणसी को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराने की स्वीकृति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्रदान कर दी गई है ।

गांव सभा मंगारी एवं नेवादा में खड़ंजा तथा नाली निर्माण का कार्य

144—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा मंगारी, नेवादा

ब्लाक पिंडारा वाराणसी में खड़ंजा हेतु क्रमशः 17 हजार व दस हजार रुपया स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो खड़ंजा लगा दिया गया, कि नहीं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि नम्बर एक ईट लगाया गया, कि नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम्य सभा मंगारा एवं नेवादा में ग्राम सभा के अंशदान से क्रमशः 20 हजार व 30 हजार रुपये खड़ंजा व खड़ंजा तथा नाली निर्माण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत धन-राशि खंड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम प्रधानों को निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु उपलब्ध करा दी गयी है। ग्राम सभा मंगारा में 700 मीटर खड़ंजा निर्माण पूरा कराया जा चुका है। ग्राम सभा नेवादा में निर्माण कार्य चल रहा है। जहां तक निर्माण कार्य में एक नम्बर की ईट लगाये जाने का प्रश्न है, इसकी जांच करायी जा रही है।

गांव सभा खरगपुर, ब्लाक पिंडरा में तालाब सुधार हेतु स्वीकृत धनराशि

145—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा खरगपुर के नारायनपुर ब्लाक पिंडारा, जिला वाराणसी में एक तालाब के लिए 40 हजार रु0 स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि तालाब की खुदाई भी ठीक से नहीं की गयी, बहुत कम कार्य हुआ और कम से कम 25 हजार रु0 निकाल लिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 ब्लाक पिंडरा के खिलाफ भी कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम सभा खरगपुर ब्लाक पिंडरा में एक तालाब सुधार हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 हजार रुपये स्वीकृत किया गया। शिकायत मिलने पर कि इस तालाब में कम मात्रा में कार्य कराया गया है और भुगतान अधिक किया गया है की जांच तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (विकास) एवं सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई से करायी गयी तथा जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है।

विकास खंड पिंडरा, जनपद वाराणसी में अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत आई0 आर0 डी0 स्कीम व लघु किसानों को दी गयी छूट

146—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत सन् 79 से लेकर मई, 84 तक आई0 आर0 डी0 स्कीम व लघु किसानों को छूट का रुपया ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में नहीं दिया गया है? क्या सरकार सन् 79 से लेकर अब तक प्रत्येक वर्षों की जांच करायगी और छूट लघु सीमान्त किसानों को दिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं, जिला वाराणसी के विकास खंड पिंडारा में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1979–80 से 1984–85 में मई 1984 तक 477 मामलों में कुल रु0 9,45,660 का अनुदान चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराया।

उपलब्ध कराये गये अनुदान के वर्षवार विवरण संलग्न† तालिका में अंकित

†(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 233 पर।)

हैं । आई0 आर0 डी0 में देय अनुदान समायोजित किया जा चुका है, लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1983-84 में कतिपय कृषकों को छूट दिया जाना अवशेष है । ऐसे कृषकों को वर्ष 1984-85 के बजट से छूट दिलाने का कार्यवाही की जा रही है ।

मार्ग प्रकाश विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उक्त पदों पर समायोजित नियुक्ति किये जाने का कथित आश्वासन

147—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब मार्ग प्रकाश योजना का अधिग्रहण लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग से किया गया था, उस समय शासन ने मार्ग प्रकाश विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि उन्हें उक्त पदों पर ही समायोजित/नियुक्त कर लिया जायेगा ? यदि हां, तो अब तक शासन ने कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया है और कितने शेष हैं ? क्या शेष कर्मचारियों को भी शीघ्र ही नियुक्त करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

ऐसा कोई आश्वासन दिए जाने की जानकारी नगर विकास विभाग में नहीं है ।

ग्राम रसूलपुर विकास खंड शुक्ल बाजार के नव निर्मित प्राइमरी स्कूल में विद्यार्थियों हेतु पेयजल व्यवस्था

148—श्री अकबर हुसैन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रसूलपुर विकास खंड शुक्ल बाजार, जिला सुल्तानपुर में नव निर्मित प्राइमरी स्कूल भवन में पढ़ने वाले बच्चों को पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिससे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पेयजल उपलब्ध नहीं है, यदि हां, तो इस स्थान पर जल निगम द्वारा पेयजल की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विद्याभूषण —

प्राप्त सूचना के अनुसार ये विद्यार्थी कुए का पानी पीते हैं जो स्कूल के पास ही उपलब्ध है ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार केवल 1972 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर चयनित समस्याग्रस्त ग्रामों में ही जल निगम द्वारा पेयजल व्यवस्था की जा रही है । ग्राम रसूलपुर समस्या-ग्रस्त ग्रामों की इस सूची में नहीं आता है अतः जल निगम द्वारा अभी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है ।

परन्तु इस बात को देखते हुए कि कतिपय ग्राम उपरोक्त समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में नहीं हैं और वहां पेयजल की विशेष समस्या है अतः उन ग्रामों में भी जिलाधिकारियों को अपने विवेकानुसार उपलब्ध धनराशि से जल निगम द्वारा हैन्ड पम्प लगाये जाने के सुझाव दिये गए हैं ।

मोहल्ला रहीमनगर, जनपद लखनऊ में सड़क पर खड़ंजा तथा नाली के निर्माण हेतु निवासियों का प्रार्थना-पत्र

149—श्री स्वामी नेमपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोहल्ला रहीमनगर, पोस्ट महानगर, जनपद लखनऊ में श्री शम्भूनाथ एडवोकेट के मकान से लेकर, दुर्गा भवन तक सड़क पर खड़ंजा तथा नाली के निर्माण हेतु वहां के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र माह मई, 1984 में प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो उक्त स्थान पर निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां।

निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।

डाक्टर एम0 पी0 एस0 यादव, पशुधन चिकित्साधिकारी, सिधौली सीतापुर के स्थानान्तरण रोकने के विरुद्ध दिये गये पत्र

150—श्री खैरुल बशर—

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें डाक्टर एम0 पी0 एस0 यादव, पशुधन चिकित्साधिकारी, सिधौली, सीतापुर के स्थानान्तरण रोकने के विरुद्ध कई पत्र डाक्टर गंगाराम, सम्पादक देशदीप सिधौली, सीतापुर सर्वश्री हरीश बाजपेयी, सदस्य विधान परिषद्, हरगोविन्द वर्मा, सदस्य विधान सभा, रामलाल, सदस्य विधान सभा आदि के पत्र माह जून तथा जुलाई 1984 में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि श्री यादव का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर हरदोई के लिए हुआ था ? यदि हां, तो उन्हें अब तक रिलीव क्यों नहीं किया गया ?

श्री संजय सिंह—

जी हां।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुए —

1—डाक्टर गंगाराम मिश्र, सम्पादक देशदीप, सिधौली (सीतापुर) के पत्र दिनांक

(1) 22-6-84
(2) 13-7-84

2—श्री हरगोविन्द वर्मा, विधायक का पत्र दिनांक

26-6-84 (डाक्टर मिश्र के पत्र दिनांक 22-6-84 को अग्रसरित करते हुए)

3—श्री राम लाल, विधायक के पत्र दिनांक

(1) 13-7-84
(2) 17-7-84

4—श्री मोहन सिंह, विधायक का पत्र दिनांक

18-7-84

5—श्री हरीश बाजपेयी, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक

1-9-84

डाक्टर यादव का स्थानान्तरण हुआ था किन्तु उसे जिला पशुधन अधिकारी की संस्तुति पर उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 22-6-84 द्वारा मण्डलायुक्त के अनुमोदन के बाद निरस्त कर दिया। उक्त शिकायती-पत्रों के परिप्रेक्ष्य में मामले की जांच करायी जा रही है।

भूमि संरक्षण इकाई, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की मांग

151—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण इकाई, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारी अस्थायी पदों पर हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक स्थायी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का स्थायीकरण मन्डल में उपलब्ध स्थायी पदों के विरुद्ध इकाइयों के आधार पर न होकर मन्डल स्तर पर उनकी वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है । उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), अल्मोड़ा को निर्देश दिये गये हैं कि वे शीघ्र ही कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही पूरी करें ।

ग्राम इजहा, विकास खंड बारकोट, जनपद पिथौरागढ़ में खाद्यान्न योजनान्तर्गत क्रीड़ा मैदान का निर्माण

152--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य इजहा वि0 ख0 बाराकोट, जनपद पिथौरागढ़ में खाद्यान्न योजना द्वारा वर्ष 1981 में क्रीड़ा मैदान बनाया गया, लेकिन बनाने वाले को अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो उसका अभी तक भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव --

जी हां ।

ग्राम इजहा, विकास खन्ड बाराकोट, जनपद पिथौरागढ़ में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 में क्रीड़ा मैदान का निर्माण कार्य कराया गया है । इस निर्माण में लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान हो चुका है ।

भूतपूर्व सदस्य चौधरी खूब सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह, अधिकारी, श्री राम चरन दोहरे, श्री शम्भु नारायण सिंह, श्री डल्ला राम चौधरी, श्री गज्जू राम और श्री सच्चिदा नन्द नाथ त्रिपाठी के निधन पर शोकोद्गार

(12 बजकर 20 मिनट)

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन् मुझे बड़े ही खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे सम्मानित सदन के कई भूतपूर्व सम्मानित सदस्य, चौधरी खूब सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी, श्री राम चरन दोहरे, श्री शम्भू नारायण सिंह, श्री डल्ला राम चौधरी, श्री गज्जू राम और श्री सच्चिदा नन्द नाथ त्रिपाठी इस संसार में नहीं रहे । चौधरी खूब सिंह जी स्वयं में एक संस्था थे और उनका व्यक्तित्व न केवल उनके जनपद में था, बल्कि वे एक कुशल राजनैतिक और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे और प्रदेश के एक जाने माने नेता थे । वह सन् 1937 में निर्वाचित हुए थे और उस समय वह ब्रिटिश साम्राज्यशाही से लड़ते रहे । वह 1937, 1946, 1952, 1957, 1962 और 1967 के चुनावों में बिजनौर जिले से विधान सभा के लिए निर्वाचित हुये । उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन और भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया । मेरा उनसे सम्पर्क पिछले 25 सालों से था कुछ दिन पूर्व वह दिल्ली आये थे, सामाजिक और शैक्षणिक कार्य से, उन्होंने कई शिक्षा संस्थाओं का निर्माण किया । उन्होंने एक डिग्री कालेज की स्थापना की और जिसके लिए वह जीवन भर संघर्ष करते रहे । इसके अलावा बिजनौर रुहेलखंड में न जाने कितनी सड़कें बनवायी और सार्वजनिक कार्य के लिए जो उनके जीवन के गीत गाते रहेंगे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, लक्ष्मण सिंह अधिकारी वास्तव में एक नेता थे। पर्वतीय क्षेत्र के अग्रिम नेताओं में वह एक थे। वह 1957 में पहली बार दूसरी विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये और उन्होंने श्री चन्द्रभानु गुप्त के लिए अपना स्थान रिक्त कर दिया और वह लगातार इस प्रयास में रहे कि श्री चन्द्रभानु गुप्त जी उनके स्थान पर नेतृत्व करें। इस प्रकार वह सदैव जन सेवा के लिए समर्पित रहे और वह पर्वतीय क्षेत्र के बहुत बड़े नेता थे। ऐसे पर्वतीय क्षेत्र के महान नेता का निधन 83 वर्ष की आयु में हो गया।

श्री राम चरन दोहरे इटावा के एक सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। पहली बार वह संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी से अजीतमल क्षेत्र से चुनकर आये थे। वह केवल सामाजिक कार्यकर्त्ता ही नहीं थे, बल्कि जिला दलित वर्ग के अध्यक्ष भी थे और प्रदेश के निर्बलों के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहे। अध्ययन और अध्यापन कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री दोहरे राधा वल्लभ इंटर कालेज के अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय शिक्षक संघ के सदस्य भी थे। उन्होंने व्याकरण तथा भूगोल की प्रारम्भिक पुस्तकें भी लिखीं। श्री दोहरे के निधन से इटावा ही नहीं बल्कि वहां के सम्पूर्ण क्षेत्र ने एक अग्रणी समाजसेवी कार्यकर्त्ता को खो दिया।

चौधरी डल्ला राम सीतापुर जनपद के एक प्रमुख नेता थे। वे मिश्रिख निर्वाचन क्षेत्र के 1952 में और मछरेहटा निर्वाचन क्षेत्र से सन् 1962 में इस विधान सभा में चुनकर आये थे। चौधरी डल्ला राम सन् 1941 और 1942 के सत्याग्रह आन्दोलन में जेल भी गए थे। उन्होंने अनेक राजनीतिक आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया था। वे जिला बोर्ड और कई अन्य विद्यालयों में भी मैनेजर के रूप में कार्यरत रहे।

देवरिया के श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी इस सदन में अपना गांधीवादी विचारधारा, सत्यवादिता के लिए एक दर्शनीय मूर्ति थे। श्रीमन्, मुझे याद है कि जब वे सन् 1952 से सन् 1957 तक यहां पर सदस्य रहे वे कैसे श्वेत वस्त्र, धवल और स्वच्छ रहते थे और मनसा वाचा कर्मणा-गांधीवादी थे। इस प्रकार देवरिया जनपद का एक प्रतिष्ठित समाजसेवी हमारे बीच में नहीं रहा।

श्री शम्भू नारायण सिंह जी एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे और विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों के नेता थे। वे सन् 1931 से 1942 तक लगातार आजादी के आन्दोलन में जेल गये और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में भी अग्रणी थे। कई आन्दोलनों में उन्होंने भाग लिया। फैजाबाद जनपद का जो प्रमुख 'जनमोर्चा' दैनिक है उसके सम्पादक भी वे रहे। वे सन् 1969 से 1974 तक इस विधान सभा के सदस्य रहे और इस सदन के द्वारा उन्होंने जनता की आवाज उठाई।

चौधरी गज्जू राम जी का निधन लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी में 6 जुलाई, 1984 को हुआ। वे ललितपुर विधान सभा की सीट से सन् 1952 से 1957 तक चुने गये थे सन् 1957 में वह पुनः चुने गये थे और यहां पर विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से समाज सेवा में समर्पित कर दिया था और हरिजनों के उत्थान के लिये जीवन पर्यन्त लगे हैं। वे कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनके निधन से बुन्देलखंड के क्षेत्र ने एक प्रतिष्ठित समाजसेवी तथा राजनीतिक नेता खो दिया।

तो श्रीमन्, कृपया मेरी ओर से, हमारे दल की ओर से और इस सम्पूर्ण सदन की ओर से इन दिवंगत महानुभावों के परिवारों को इस सदन की हार्दिक संवेदनायें आप पहुंचाने का का कष्ट करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी जिन दिवंगत विधान सभा सदस्यों के सम्बन्ध में नेता सदन ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और साथ ही दुख भी प्रकट करना चाहूंगा कि आज हम जिन दिवंगत महानुभावों के बारे में शोक प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, यदि आप उनके दिवंगत होने के तिथियों को देखेंगे तो मालूम होगा कि किसी सदस्य का निधन जुलाई में हो गया और किसी का अगस्त में हुआ। आज सितम्बर की 17 तारीख है और 10 तारीख से विधान सभा चल रही है। तो वह कौन सी प्रशासनिक शिथिलता थी जिसके कारण सूचनायें आज तक नहीं आयी और सत्र के प्रथम दिन जब हमने अपने कुछ भूतपूर्व सदस्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की थी उसी दिन उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिये थी। यह एक चिंता विषय है। मैं समझता हूं प्रशासन को जिलाधिकारियों को सचेष्ट और सचेत करना चाहिये कि जिस समय इस प्रकार की सूचनायें उनको मिलती हैं उसी समय आपके पास वह सूचनायें आ जानी चाहिये। आज की जो सूचनायें हैं इनमें से अधिकांश एक आध को छोड़कर ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वतन्त्रता की लड़ाई में आगे की पंक्ति में रहे और जिनके जीवन से हमें बराबर राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में प्रेरणा मिलती रही चौधरी खूब सिंह जी के साथ मुझे तो यहां बैठने का सौभाग्य नहीं मिला लेकिन जो ख्याति उनकी थी वह अपने क्षेत्र में ही नहीं पूरे जनपद में अत्यन्त पापुलर थे जिसका उदाहरण 1946 से 1967 तक के चुनावों में वे लगातार विजयी होकर आये और आजादी की लड़ाई में प्रथम पंक्ति में रह कर हमारी प्रेरणा के केन्द्र रहे।

श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी जिनके बारे में जितना कुछ कहा जाय वह कम है क्योंकि उनका जीवन केवल स्वतन्त्रता संग्राम में ही नहीं बल्कि उसके बाद भी सामाजिक क्षेत्र में उनकी प्रमुख भूमिका रही।

एक प्रखर समाजसेवी राम चरन दोहरे का जीवन काल समाज सेवा में बीता। उनका सामाजिक क्षेत्र अध्यापकों के क्षेत्र से शुरू हुआ। अखिल भारतीय स्तर तक के अध्यापकों के हितों, उनके सेवा शर्तों के संरक्षण के लिए वे बराबर संघर्षरत रहे।

डल्लाराम जी मेरे जनपद के ही थे और मेरा उससे निकट का सम्बन्ध रहा। जब वह बीमार थे तो मैं उनसे मिलने गया तो उनकी बातों से बड़ी प्रेरणा मिलती थी क्योंकि मेरे बचपन में उन दिनों को देखा है जब स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई में देश भक्ति से प्रेरित होकर बंदेमातरम का झंडा लेकर निकलते थे और उनके दर्शन करके प्रेरणा मिलती थी। वे बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी उनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान प्रशंसनीय है। इनके निधन से हमने एक उच्च समाज सेवी खो दिया है।

स्व0 श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी के बारे में जैसा नेता सदन ने बताया वह एक आदर्श व्यक्ति थे और आदर्शों के लिए जीवित रहे तो ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से चला जाना सचमुच में दुखद है जब कि जीवन मूल्यों में संकट आया हुआ हो उस समय में हमें प्रेरणा देने वाले लोग हमारे बीच से चले जायं यह अत्यन्त दुखदायी है।

स्व0 श्री शम्भू नारायण सिंह स्वन्तत्रता संग्राम सेनानी थे लेकिन उनका रूप हमारे आदर्श के लिए एक प्रखर कलम के धनी पत्रकार के रूप में रहा है जो हमारे बीच नहीं रहे यह अत्यन्त दुख की बात है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्व0 श्री गज्जू राम निर्बल वर्ग के थे लेकिन उनकी सामाजिक सेवा की सदा प्रशंसा की जाती रहेगी ।

इन शब्दों के साथ जिन भूतपूर्व माननीय सदस्यों के प्रति माननीय नेता सदन ने श्रद्धाजलि अर्पित की उनके प्रति मैं और मेरा दल विनम्र शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आपसे प्रार्थना है कि हमारे दल की ओर से इन सब के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना सन्देश पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं अपनी पार्टी की ओर से स्व0 श्री खूब सिंह, स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी, स्व0 श्री रामचरण दोहरे, स्व0 श्री डल्लाराम, स्व0 श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, स्व0 श्री शम्भू नारायण सिंह और स्व0 श्री गज्जू राम जी के सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल ने प्रकट किये हैं उनसे अपने को जोड़ता हूं। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में एक चिंता का विषय है, माननीय मुख्य मन्त्री जी जरा ध्यान दें। श्रीमान् हमारे माननीय विधायक बदन सिंह या रियाज साहब पीटे जाते हैं इस प्रकार का प्रकरण रोज यहां आता रहता है। परन्तु यह खेद का विषय है कि जो हमारे भूतपूर्व सदस्य रहे हैं उनके निधन की सूचना जो जिलाधिकारियों को देना चाहिये थी कितनी उदासीनता बरतते हैं जिसका यह उदाहरण है। मान्यवर, यहां पर तीन-तीन साल बाद तक की सूचनायें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां माननीय मुख्य मन्त्री जी आप स्वयं जानते होंगे श्री शिव स्वरूप सिंह जो हमारे ठाकुरद्वारे तहसील के थे नहीं रहे जो कई बार यहां के और पार्लियामेंट तक के सदस्य रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि जो आप के जिले के अधिकारियों का तरीका है, शासन के आदेशों के बावजूद, कि जब किसी फ्रीडम फाइटर का निधन हो जाय या किसी राजनैतिक हस्ती का निधन हो जाये तो शासन का या डी0 एम0 का प्रतिनिधि उसके अन्तिम संस्कार में शामिल हो, यह आदेश कई बार गये हैं। लेकिन चौधरी शिव स्वरूप जिनकी 12 सितम्बर को मृत्यु हुई, तहसीलदार (सदर) उनके मकान पर गये, 9 बजे उनका निधन हुआ और 10.30 बजे तहसीलदार गये, 200-250 आदमी, उनके रिश्तेदार सहित वहां मौजूद थे, तहसीलदार ने पूछा कि इनका कार्यक्रम क्या है ? उनके लड़के ने बताया कि कल 10 बजे अन्तिम संस्कार के लिए शरीर जायेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि 13 तारीख (सितम्बर) को जब उनका शरीर गया तो कोई भी आदमी प्रशासन और डी0 एम0 की तरफ से उसमें सम्मिलित होने के लिए नहीं गया। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह जो उदासीनता जिलाधिकारियों की तरफ से बरती जा रही है, वह चाहे सूचना भेजने के सम्बन्ध में हो या अन्तिम संस्कार में शामिल होने के लिये हो, खासतौर से फ्रीडम फाइटर के लिये, बारबार शासन से कहा गया है, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रभावशाली कदम आप उठायेंगे। श्री चौधरी शिव स्वरूप का नाम इसमें शामिल नहीं है, 12 सितम्बर को निधन उनका हुआ है और अभी तक सूचना नहीं आयी है और जिलाधिकारी ने अन्तिम संस्कार में भी उदासीनता बरती है इसलिए इस सम्बन्ध में आपको कार्यवाही करनी चाहिये।

चौधरी खूब सिंह जो 6 बार इस सदन में इलेक्ट होकर आये। मैं जब उनकी शक्ल देखता था तो मुझे उनसे प्रेरणा मिलती थी। उन्होंने जो फील्ड के अन्दर, शिक्षा जगत में और अंग्रेज मुकाबले से लेकर अभ तक जो काम किये वह भुलाये नहीं जा सकते हैं। हमारे सामने जब वह आते थे तो उनसे दुआ सलाम होती थी। आज वह हमारे बीच नहीं हैं लेकिन बिजनौर और मुरादा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाद दोनों बार्डरों की राजनीति उनसे प्रभावित थी ।

इसके अलावा अन्य माननीय भूतपूर्व सदस्यों, जिनके बारे में नेता सदन ने जिक्र किया उनके प्रति मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, आप हमारी सम्वेदनायें उनके दुखी परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

*श्री फखरे आलम—

अध्यक्ष महोदय, मौत ने किसी को बख्शा नहीं, आज उनका और कल हमारा वही हाल होना है, यह दिन सभी के लिए आना है । लेकिन अफसोस होता है कि जब ऐसे-ऐसे लोग हमारे बीच से हट जाते हैं जिनके मरने की इतिला इतनी देर में आये ।

मान्यवर, नेता सदन और उपनेता विरोधी दल एवं माननीय श्री रियासत हुसेन ने जिन ख्यालातों का इजहार किया है, मैं और मेरा दल अपने को उनसे सम्बद्ध करता है । चौधरी खूब सिंह बिजनौर जिले के पहले रुहेलखंड के जाने-माने और काम किए हुए नेता थे । उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था । श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी भी आजादी की लड़ाई के एक बड़े सपूत थे और मुल्क की आजादी के लिए बहुत कुछ किया था । भूतपूर्व सदस्य श्री रामचरन दोरे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सेवा के साथ-साथ समाज के उस वर्ग को बढ़ाने की कोशिश किया जिसके साथ हमेशा ज्यादती होती रही है । भूतपूर्व सदस्य चौधरी डल्ला राम भी मने जाने और तजुर्बेकार व्यक्ति थे जिनकी याद को भुलाया नहीं जा सकता है । भूतपूर्व सदस्य श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी ने बहुत बड़ी सामाजिक सेवा की और राजनीति में बहुत बड़ी उनको कुशलता थी । श्री शम्भू नारायण सिंह जी का भी योगदान किसी से कम नहीं था । इसके अलावा गज्जूराम के निधन से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है । यह सब वह लोग थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में पुराने लीडरों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी । उनके उठ जाने से जो क्षति हुई है, उसका पूरा होना किसी तरह सम्भव नहीं है । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इन गुजरे हुए—भूतपूर्व सदस्यों के लिए दुआ करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि दुखी परिवार को हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री भीख लाल—

अध्यक्ष महोदय, सदन के भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन के सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन, माननीय उपनेता विरोधी दल ने व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । हमारे साथी, भूतपूर्व सदस्यों, जिनके सम्बन्ध में आज शोक प्रस्ताव रखा जा रहा है, उसमें से खूब सिंह, लक्ष्मण सिंह अधिकारी, डल्ला राम, शम्भू नारायण सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बद्ध, तपे हुए सिपाही थे । इनका आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है । इनके निधन से हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है । माननीय शम्भू नारायण सिंह का सम्बन्ध हमारे दल से था । सन् 1930 से ही उन्होंने अपने को राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए समर्पित कर दिया था और सन् 1930-31 से भारत छोड़ो आन्दोलन के समय तक कई बार उन्होंने जेल की यात्राएं की, जेल यातनायें सहीं । बाद में वह समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा के प्रभावित होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हुए थे और उसके टिकट पर चुनकर यहां आए थे । फैजाबाद में वह हमारी पार्टी के संस्थापक थे और उनके निधन से हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है । मैं मान्यवर, अपने दल की ओर से और अपनी ओर

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से इन दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी समवेदना के भावों को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। (दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति ने कहा 'आप लोग सुनो, फर्रुखाबाद का... मेरी हत्या करवाना चाहता है।" के नारे लगाये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोध दल और अन्य माननीय नेताओं ने भूतपूर्व सदस्य माननीय चौधरी खूब सिंह, लक्ष्मण सिंह अधिकारी, रामचरन दोहरे चौधरी डल्ला राम, माननीय सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, शम्भू नारायण सिंह और गज्जूराम के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। जहां तक चौधरी खूब सिंह जी का सम्बन्ध है 29 जुलाई, 1984 को उनका निधन हो गया। वह जब पहली बार 1937 में इस सदन में चुनकर आए थे। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा जोर था जमींदारों का, उनका समाज पर, सब लोगों पर बड़ा असर हुआ करता था। चुनाव में एक तरफ इन जमींदारों का दल हुआ करता था और दूसरी तरफ जो समाजवादी और इस प्रकार के व्यक्ति थे वह हुआ करते थे और एक बहुत बड़ी तैयारी होने के बाद, मारकाट होने के बाद चुनाव हुआ करते थे। वह 1946 में सदस्य रहे, 1952 में रहे, 1957 में रहे और 1962 व 1967 में भी वह बिजनौर जिले से चुनकर आए थे। 1937 से लेकर उनके बाद तक जैसा कि अभी संकेत दिया गया है, भारत छोड़ो आन्दोलनों के समय तक उन्होंने स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में जो कार्य किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। जहां तक खूब सिंह जी का सम्बन्ध है, मैं नजदीक से उनको जानता था और वह यहां पर बहुत सीनियर मेम्बर थे, पुराने आदमी थे, इसलिए एम0 एल0 एज0 की जो ओथ आदि होती है, उसमें सीनियर होने के कारण उन्होंने एम0 एल0 एज0 की ओथ इत्यादि भी करायी थी। जहां तक स्वतन्त्रता संग्राम का सम्बन्ध है, उन्होंने एक वरिष्ठ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के रूप में कार्य किया। वह हमारे बीच में नहीं हैं। उनके निधन से हमने एक वरिष्ठ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी खो दिया है जिसको भुलाया नहीं जा सकता।

इसी प्रकार से लक्ष्मण सिंह अधिकारी का जहां तक सम्बन्ध है वह दो बार इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे। 1960 में जैसा माननीय नेता सदन ने जिक्र किया, उन्होंने स्व0 चन्द्रभानु गुप्त के पक्ष में अपनी सीट खाली कर दी थी और उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया था। वह विधान परिषद् के भी सदस्य रहे। उन्होंने हरिजनोद्धार, सामाजिक कुरीतियों के सम्बन्ध में कार्य किया। उन्होंने कुटीर उद्योग, सहकारी संगठनों तथा ग्राम्य विकास के कार्यों में सक्रिय कार्य किया था। 1929 में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और भारत छोड़ो आन्दोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। हमने अपने बीच में से कुमायूं पर्वत का होनहार और उच्चकोटि का एक समाज सेवक खो दिया है।

इसी प्रकार से स्व0 श्री रामचरन दोहरे भी 1967 से 1968 तक आदरणीय सदन के सदस्य रहे और उस वक्त वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुन कर आये थे। वह जिला दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी में बहुत काम किया था। हालांकि वह ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ वह इस आदरणीय सदन के कार्यों में हिस्सा लेते थे और सदन के कार्यों में दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेते थे। उनकी पुस्तकों को पढ़ने की बहुत रुचि थी। उनके निधन से हमने अपने बीच से एक जनप्रिय समाजसेवी को खो दिया है।

चौधरी डल्ला राम 1952 के सामान्य निर्वाचन में यहां सदन में आए थे और उसके बाद 1962 से 1967 तक सदन के सदस्य रहे । चौधरी डल्ला राम सत्याग्रह आन्दोलन में जेल गए थे और उनको एक वर्ष की सजा मिली थी । 1942 के राष्ट्रीय आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था । उनके न रहने से हमने एक वीर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी और जनप्रिय समाजसेवी को खो दिया है ।

माननीय सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी के निधन से हमने एक प्रतिष्ठित समाजसेवी को खो दिया है। वह देवरिया से आते थे। 1952 में वह पहली बार इस सदन में आये थे और 1957 तक इस सदन के सदस्य रहे । जहां तक उनका सम्बन्ध है, वह दारुलशफा में मेरे पड़ोस में रहते थे । वह अपनी नैतिकता, सत्यवादिता और गांधीवादी जीवन पद्धति के जो तौर-तरीके थे उसके अनुसार काम करने के लिए प्रसिद्ध थे । वह कभी नहीं भुलाए जा सकते । हमने उनको अपने बीच से खोकर एक प्रतिष्ठित समाजसेवी को खो दिया है ।

श्री शम्भू नारायण सिंह जी आजमगढ़ से आते थे । वह 1969 से 1974 तक इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे । 1931 से 1940 तक उन्होंने राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लिया था और अनेकों बार जेल गए। 1942 में वह फरार रहे किन्तु कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिए गए और 3 माह तक कैद में रहे । भारत छोड़ो आन्दोलन में उन्होंने विशेष रूप से हिस्सा लिया और 1945 में उनको 6 माह की कैद तथा 100 रुपए जुर्माने की सजा हुई । कम्युनिस्ट पार्टी के आवाहन पर वह कई बार जेल गए। वह हमारे बीच में नहीं हैं । उनके निधन से हमने एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी खो दिया है ।

चौधरी गज्जू राम का निधन लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में 6 जुलाई, 1984 को 83 वर्ष की आयु में हो गया । वह 1952 में इस सदन में चुनकर आये थे और 1957 में वह पुनः चुने गए। हालांकि श्री गज्जूराम जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनके काम करने का जो तौर तरीका था और जिस तरह वह सदन के कामों में दिलचस्पी लेते थे वह मुझे अच्छी तरह से याद है । उनके निधन से हमने अपने बीच से एक सक्रिय कार्यकर्त्ता खो दिया है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है । उनके निधन से जनपद के हरिजनों को विशेष रूप से आघात पहुंचा है । मैं आदरणीय नेता सदन से एक बात कहना चाहता हूं, जिसका कि संकेत किया गया, भविष्य में आप इस बात को देखें । माननीय नेता सदन, जिस प्रकार से माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय रियासत हुसैन ने जिक्र किया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जहां तक सम्बन्ध है, आप इस तरह को हिदायतें पहुंचायें कि उसका पालन होता है कि नहीं होता है । उनका उसी प्रकार सम्मान होना चाहिए जिस प्रकार का जी० ओ० भेज रखा है । उसके अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है । भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात को भी आप विशेष रूप से देखेंगे कि उसमें देर भी न हो । इस आदरणीय सदन ने जो भाव प्रकट किये हैं और नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो भाव प्रकट किये हैं, मैं इस सदन की भावनाओं को और माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं की भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा ।

कृपया सभी माननीय सदस्य दो मिनट मौन खड़े हो जायें ।

(सभी सदस्य दो मिनट अपने-अपने स्थानों पर मौन खड़े हुए ।)

कुमारी बचेन्द्री पाल, प्रथम महिला तथा सिक्किम के सोनाम ग्यात्सू पर्वतारोहण संस्थान के सदस्यों के एवरेस्ट विजयी होने पर बधाई का प्रस्ताव

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सदन में निम्न बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"यह सदन भारतीय एवरेस्ट अभियान 1984 की सफलता पर, जिसमें गढ़वाल मन्डल के उत्तरकाशी जनपद के नाकुरी गांव की 29 वर्षीया कुमारी बचेन्द्री पाल को भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजयिनी होने का सम्मान मिला, सिक्किम में सोनाम ग्यात्सू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षक फू दोरजी को बिना आक्सीजन के एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने का प्रथम भारतीय होने का गौरव मिला, ल्हाटू दोरजी, आंग दोरजी, सोनाम पल्जोर सहित दल के पांच सदस्यों को एवरेस्ट विजय की सफलता मिली, हार्दिक बधाई देता है।"

श्रीमन्, नगाधिराज हिमालय, माउन्ट एवरेस्ट पर्वत हमेशा मनुष्य के लिए, मानव के लिए चुनौती रहा है और सदैव प्रत्येक देश के पर्वतारोही, पर्वत पुत्र, पर्वत प्राण जो अध्यवसायी दलों का यह प्रयास रहा है कि वह एवरेस्ट की चोटी पर जाकर विजय प्राप्त करें। दसियों वर्ष तक यह प्रयास नहीं हो सका कि वह एवरेस्ट तक पहुंच सकते। तत्पश्चात् मानव को सफलता मिली और श्री हेलरी और तेनसिंह पहले मानव सदस्य हुए, जो एवरेस्ट तक पहुंचे। लेकिन श्रीमन् हमारी विशेषता यह रही कि अनेक दल एवरेस्ट विजय प्राप्त करने में सफल रहे। महिलायें भी विजय प्राप्त करने में सफल रही। लेकिन यह गौरव कुमारी बचेन्द्री पाल को मिला जिन्हें भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजयिनी होने का सम्मान प्राप्त हुआ।

(मेजें थपथपाई गयीं)

उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार पर्वतारोही जगत में अध्यवसायी, साहस से, धैर्य से क्या कुछ कर सकता है। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्रीमन्, इसी तरह से सिक्किम में सोनाम ग्यात्सो पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षक फू दोरजी को बिना आक्सीजन के एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने का प्रथम भारतीय होने का गौरव मिला, ल्हाटू दोरजी, आंग दोरजी, सोनाम पल्जोर सहित दल के पांच सदस्यों को एवरेस्ट विजय की सफलता मिली। श्रीमन्, यह सभी जानते हैं। जो इन्होंने बिना आक्सीजन मानव शक्ति की चरमसीमा पर पहुंच कर, मानव की सहनशीलता की पराकाष्ठा दिखाई है उसके लिए यह बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार उनके दल के अन्य सदस्य भी बधाई के पात्र हैं। मेरा आग्रह है कि इस सदन की हार्दिक बधाई कुमारी बचेन्द्री पाल, ल्हाटू दोरजी, आंग दोरजी, सोनाम पल्जोर तथा दल के अन्य सदस्यों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो प्रस्ताव नेता सदन द्वारा प्रस्तुत किया गया और जो विचार उन्होंने व्यक्त किया है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारे देश का कोई भी नागरिक जब कोई ऐसा कार्य करता है, जिसमें शौर्य, पराक्रम का परिचय मिलता है, कोई नया कीर्तिमान स्थापित करता है तो हमारा सिर गौरव से उठ जाता है। जैसा नेता सदन ने कुमारी पाल की चर्चा की, पर्वतमालायें हमारे यहां अलंघ्य कही जाती हैं, उसको लांघ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर यानी वहां पहुंच कर जिस साहस का परिचय दिया है उससे हमारा गौरव बढ़ा है। इन शब्दों के साथ में बधाई देते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। दूसरी बात माननीय नेता सदन ने कही कि वैज्ञानिक उपकरणों से तो कई लोग पहुंचे, लेकिन बिना आक्सीजन के कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा। सच में यह नया कीर्तिमान है। इससे हम सब का गौरव बढ़ा है। इन शब्दों के साथ हम ल्हाटू जी, दोरजी तथा उनके दल के अन्य सदस्यों को भी बधाई देते हैं। आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव को उन लोगों तक पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रस्ताव नेता सदन ने रखा और जिसका समर्थन उप नेता विरोधी दल ने किया है। मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। जहां तक इस वीरता का सम्बन्ध है, मैंने स्वयं नैनीताल में जाकर देखा है कितना कठिन कार्य है, थोड़ा आंख चूकी कि एकदम नीचे गये। जो परिश्रम होता है, दिक्कत होती है, जहां आक्सीजन की कमी होती है वहां पर एक महिला, जिसकी आयु 29 वर्ष है, किस साहस के साथ पहुंची। ये सभी बधाई के पात्र हैं। भारत की यह प्रथम महिला है। मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं, जो ट्रेनिंग कालेज हैं, उनमें कुछ सहायता या और अधिक ट्रेन्ड करने पर विचार कर लें। जो प्रस्ताव है और जिसको नेता सदन ने पढ़ा है, प्रश्न उपस्थित करता हूं यह सदन भारतीय एवरेस्ट अभियान 84 की सफलता पर, जिसमें गढ़वाल मन्डल के उत्तर काशी जनपद के नाकुरी गांव की 29 वर्षीया कुमारी बचेन्द्री पाल को भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजयिनी होने का सम्मान मिला, सिक्किम में सोनाम ग्यात्सू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षक फू दोरजी को बिना आक्सीजन के एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने का प्रथम भारतीय होने का गौरव मिला, ल्हाटू दोरजी, आंग दोरजी, सोनाम पल्जोर सहित दल के पांच सदस्यों को एवरेस्ट विजय की सफलता मिली, हार्दिक बधाई देता हूं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

एक महिला की जीत पर प्रस्ताव आया है एक महिला की हार पर आ जाय तो उचित होगा....

श्री भीखालाल--

नेता सदन एक प्रस्ताव आंध्र प्रदेश में जो जनतंत्र की बहाली हुई है, उसके बारे में ले आये तो बहुत उचित होगा....

(व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राना ने एन0 टी0 रामा राव जिन्दाबाद के नारे लगाए। (कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रकार से आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983†

शिक्षा राज्य मन्त्री (डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 9957/15-5-83-400 (45)-80, दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

†छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष —

आप सब बैठ जायं ।

नियम 301 की सूचनायें††

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या व्यवस्था उठा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आज का एजेन्डा देखकर हतप्रभ रह गया । मान्यवर, आइटम नम्बर 4 ले लिया गया, लेकिन इसके बीच में जो 301 की सूचना हैं उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैं इसको दुबारा पढ़वा लूंगा ।

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 69 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इनमें से मैंने 66 सूचनाओं को स्वीकार किया है । केवल तीन सूचनायें इस प्रकार की हैं माननीय मोहन सिंह जी, इनकी दो सूचनायें हैं इसलिए दूसरी सूचना को स्वीकार नहीं किया गया है । श्री दल सिंगार यादव तथा श्री किरन पाल सिंह जी की जो सूचना हैं यह अन्य माननीय सदस्यों द्वारा प्राप्त हो गयी हैं इसलिए इनको स्वीकार नहीं किया गया है ।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

जहां तक डा0 विनोद कुमार तिवारी, श्री बदन सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री सत्यपाल सिंह, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री मुख्तार अनीस, श्री रामधनी, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री भगवानदीन कुशवाहा, श्री राम आसरे वर्मा, श्री खलील बशर, श्री हरिवंश सहाय, श्री केदार नाथ सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री रियाज अहमद, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री धरम पाल, श्री श्याम नारायन तिवारी, श्री रामहर्ष राय, श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री धनीराम वर्मा, श्री हरि गोविन्द वर्मा, डा0 बृज किशोर मिश्र, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री ऊदल, श्री मित्रसेन, श्रीमती गौरी देवी, श्री यदुनाथ सिंह, श्री राधेश्याम पटेल, श्री सरदार सिंह, श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री लल्लू सिंह चौहान, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री कुबेर भण्डारी, श्री प्रभू नारायण सिंह, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री दीपक कुमार, श्री विश्वनाथ, श्री बच्चा पाठक, श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री अकबर हुसैन एवं श्री रियासत हुसैन, श्री शिव नरेश, श्री शंकर सिंह, श्री माता प्रसाद पांडेय, श्री ख्वाजा हलीम, श्री राम कुंवर सिंह, श्री सन्त बख्श रावत, श्री पूरन चन्द्र, श्री भूधर नारायण मिश्र, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री मुईद अहमद, श्री भोखा लाल, श्री विद्या सागर नौटियाल, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री लाल प्रताप सिंह, श्री गौरी शंकर भैया, श्री नन्द राम, श्री दूधनाथ राजभर, श्री राम स्वरूप निम, श्री रामपाल सिंह, श्री बलबीर सिंह, श्री हरी शंकर का सम्बन्ध है, मैंने इन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं दी है और...

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

मैं कह रहा हूं । अभी आपको खड़ा नहीं होना चाहिए । इन सूचनाओं पर जो पढ़कर कार्यवाही होती है वही कार्यवाही अब भी होगी । यह प्रोसीडिंग का पार्ट होगी । इसको पढ़ने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

††पढ़ी हुई मानी गई ।

ग्राम किसनपुर, शाहजहांपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा किसानों को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक अत्यन्त लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

ग्राम किसनपुर, हरीपुर, परगना खुबर, तहसील पुवाया, जिला शाहजहांपुर में चकबन्दी कार्य समाप्त हो चुका है। कृषक अपने खेतों एवं चकों पर कब्जा भी प्राप्त कर चुके हैं, परन्तु राज्य सरकार की और गांव सभा की ओर से धारा 49 चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत बराबर किसानों पर मुकदमा चलाया जा रहा है जिससे कि निरीह किसान मुकदमे में फंस कर तबाह हो रहे हैं।

अतः सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकार व गांव सभा की ओर से पूरे ग्राम के काश्तकारों के विरुद्ध अवैधानिक मुकदमें जो चलाये जा रहे हैं उन्हें समाप्त किया जाए एवं भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया जाय। इस प्रकरण में ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र भी संलग्न† कर रहा हूं।

आगरा नगर एवं आसपास की ऐतिहासिक इमारतों एवं जन-जीवन को विषैली गैसों के फैलने से खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह--

महोदय, आगरा शहर के निकटवर्ती ग्रामीण अंचल में वाशन एण्ड कम्पनी, आगरा टेनरी, महाजन टेनरी, पार्क लेदर फैक्टरी दयालबाग, टेनरी, आगरा लेदर बोर्ड ननहाई तांज टेनरी, लाइनोस्ल टेनरी सिकन्दराबाद, बायोलाजिकल एनवास फैक्टरी के मालिकों ने नियंत्रण बोर्ड के उच्च अधिकारियों की साठगांठ से जल एवं वायु शुद्धि के लिए बिना प्लांट लगाये और विभागीय राजस्व की चोरी करते हुए बड़े-बड़े उद्योग-समूह स्थापित कर रखे हैं। जिनके वेस्ट वाटर एवं निकली हुई विषैली गैसों से समस्त आसपास के गांव व पूरे आगरा शहर के लिए संकट पैदा कर दिया है। इन फैक्टरियों से निकला हुआ प्रदूषित जल एवं वायु जन जीवन के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही राष्ट्र की अमूल्य धरोहर ताजमहल को भी नष्ट करने का आधार बन रही है। इससे आगरा शहर तथा आसपास की ग्रामीण जनता भारी चिन्ता में फंस गई है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उक्त सभी उद्योग समूहों को जल एवं वायु शुद्धि के लिये प्लांट लगवाने को बाध्य करें और सांठ-गांठ करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले राज्य कर्मचारियों को मकान देने अथवा मकान किराया भत्ता में दुगुनी धनराशि बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता इतना कम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

मिलता है कि वे अपने स्तर का पर्याप्त स्थान वाला आवास राज्य सम्पत्ति विभाग के आवास से अन्यत्र लेकर नही रह सकते । राज्य सम्पत्ति विभाग पर्याप्त आवास न होने के कारण राज्य कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्ष की राजकीय सेवा का प्रतिबंध लगाते हुए भी आवास उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, जबकि यह प्रतिबंध 10 के स्थान पर स्थायीकरण हेतु मान्य अवधि 3 साल का ही होना चाहिए । इससे राज्य कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है और उनका असंतोष किसी भी समय आन्दोलन का रूप ले सकता है ।

अतः या तो राज्य कर्मचारियों को 3 वर्ष की सेवा पर तुरन्त आवास दिलाने की कृपा करें अथवा ऐसी व्यवस्था करें कि जहां भी राज्य कर्मचारी अपने स्तर के किराये के आवास पर रहें, वे वही किराया अदा कर सकें जो राजकीय आवास देने पर उनसे लिया जाता । अन्यथा, उनको वह वास्तविक किराया, जिस पर वे आवास लेकर रह रहे हैं, दिया जाय । यदि यह सम्भव न हो तो इस समस्या को देखते हुए मकान किराया भत्ते में दोगुनी वृद्धि की जाय ।

सहकारी चीनी मिल, तिलहर शाहजहांपुर में कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी न करने से असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।

सहकारी चीनी मिल, तिलहर शाहजहांपुर में पिराई कार्य वर्ष 1981-82 से प्रारम्भ हो चुका है परन्तु इसमें कार्यरत कर्मचारियों को अब तक नियुक्ति-पत्र प्रदान नहीं किए गए हैं । पता चला है कि सहकारी चीनी मिल संघ ने निर्णय ले लिया है कि स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार नियुक्ति-पत्र दे दिये जायं । परन्तु स्वार्थी तत्व उन नियुक्ति-पत्रों को कर्मचारियों के हित में वितरण कराने से रोकना चाहते हैं । यदि स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार नियुक्ति-पत्र दे दिए जाते हैं तो नियुक्ति-पत्र प्राप्त कर्मचारियों को स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार समायोजित किया जा सकता है । स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सहकारी चीनी मिल संघ से परिपत्र भी जारी कराने के आदेश हो जाने से कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित हो जायेगा ।

अतः आपसे अनुरोध करूंगा कि शासन को आदेश देकर कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे ।

कर्ण प्रयाग एवं अगस्त मुनि राजकीय महाविद्यालय चमोली में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

महोदय, जनपद चमोली में राजकीय महाविद्यालय कर्ण प्रयाग एवं राजकीय महाविद्यालय अगस्त मुनि में प्रवक्ताओं के भारी संख्या में स्थानान्तरण किये जाने से अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं, जिससे छात्रों के पठन-पाठन में भारी व्यवधान उत्पन्न हो गया है । राजकीय महाविद्यालय अगस्त मुनि में विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित विषयों में तथा कला संकाय में भूगोल एवं दर्शन शास्त्र विषयों में कोई भी प्रवक्ता न होने से कक्षाएं शुरू नहीं हो पायी हैं । छात्र विवश होकर विद्या-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लयों को छोड़ कर अन्यत्र जा रहे हैं। इससे छात्रों एवं अभिभावकों में भारी असन्तोष एवं रोष व्याप्त हो गया है जिससे स्थिति अत्यन्त गम्भीर एवं चिन्ताजनक हो गयी है। अतएव मैं इस प्रश्न द्वारा वह मांग करता हूं कि इन दोनों महाविद्यालयों में सभी प्रवक्ताओं के रिक्त स्थानों पर तत्काल नियुक्ति की जाय।

ग्राम रंडाकोडर, सीतापुर के किसानों द्वारा चकबन्दी की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुख्तार अनीस--

महोदय, ग्राम रंडाकोडर, परगना कोडरी, तहसील बिसवां सीतापुर में 1975 में बन्दोबस्त हुआ था जिसमें ग्राम प्रधान एवं लेखपाल की साजिश से भूमि आवंटन में भारी गड़बड़ी की गयी थी। जनता ने इसके विरोध में अपील किया तथा 1978 में रिकार्ड आपरेशन का आदेश दिया गया जो कि नहीं हो सका।

इस दौरान पुराने जोतदारों की भूमि को ग्राम प्रधान ने हरिजनों को आवंटित करना प्रारम्भ कर दिया जिसके विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जिलाधिकारी, सीतापुर ने जन असन्तोष को देखते हुए शासन को लिखा कि चकबन्दी करायी जाय। शासन की ओर से चकबन्दी का आदेश न होने के कारण जनता में व्यापक असंतोष है। जनता की मांग है कि तुरन्त चकबन्दी करा कर भूमि अभिलेखों में ग्राम प्रधान द्वारा की गयी गड़बड़ी की जांच की जाय तथा जो ग्राम समाज की फाजिल जमीन हो भूमिहीनों में वितरित की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सर्वोदय डिग्री कालेज, घोसी आजमगढ़ के कार्यालय में तालाबन्दी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामधनी--

मान्यवर, आयोग द्वारा चयनित प्राचार्य डाक्टर बैकुंठ राय ने 21 जुलाई, 1984 को सर्वोदय डिग्री कालेज, घोसी आजमगढ़ के प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। भूतपूर्व तदर्थ प्राचार्य में भ्रष्ट तथा विवादित प्रबन्ध समिति के कुछ अनियमित सदस्यों की साजिश से कार्यालय पर ताला बन्द कर रखने के कारण महाविद्यालय के कार्यालय का कार्य भी बन्द है। उपर्युक्त स्थिति के कारण महाविद्यालय का शैक्षिक वातावरण विकृत हो गया है। कर्मचारियों तथा छात्रों में रोष एवं असंतोष व्याप्त है। जुलाई, 1984 से प्राचार्य, शिक्षकों, कर्मचारियों का वेतन भुगतान विवादित प्रबन्ध तन्त्र नहीं कर रहा है। उक्त की जानकारी होने के बावजूद भी कुलपति, जिला प्रशासन विभाग के अधिकारी तमाशबीन बने हुए हैं।

अस्तु लोकमहत्व के इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय प्रश्न पर राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 58 के अन्तर्गत उक्त विवादित प्रबन्धतन्त्र को निलम्बित करके सक्षम अधिकार नियंत्रक नियुक्त कर प्राचार्य, शिक्षकों, कर्मचारियों का जुलाई, 1984 से बकाया वेतन का भुगतान अविलम्ब कराने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देने की कृपा करें

राजकीय महाविद्यालय स्याल्वे एवं सल्ट अल्मोड़ा को स्वतन्त्र रूप से स्थापना एवं भवन निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, 1979 में जनता सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय स्याल्वे की स्थापना के बाद उस स्थान में भवन निर्माण की लगातार मांग व जन-आन्दोलन किये जाते रहे हैं। इसी सन्दर्भ में मेरे आमरण अनशन के बाद अनशनकारी 84 वर्षीय श्री गंगा दत्त नेगी जी की मृत्यु हो गयी। माननीय मुख्य मन्त्री ने 17 अगस्त, 1984 को दूरभाष द्वारा मुझे बताया कि मेरी सारी मांगें मान ली गयीं हैं।

उपरोक्त सन्दर्भ में माननीय मुख्य मन्त्री ने 5 सितम्बर, 1984 को खुमाड़ (सल्ट) अल्मोड़ा में शहीद स्मारक के उदघाटन समारोह में घोषणा की कि पांच वर्षों से चल रहे राजकीय महाविद्यालय स्याल्वे के भवन निर्माण का कार्य तत्काल संचालित करवाने के बजाय स्याल्वे तथा सल्ट महा-विद्यालय एक परिवार के रूप में एक प्रधानाचार्य के अधीन चलेंगे जिसके भवन निर्माण हेतु 25 लाख रुपयों की स्वीकृति दी गयी है।

कुमायूं विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि में महाविद्यालय के बंटवारे से विभिन्न समस्याएं खड़ी हो गयी हैं। स्थानीय जनता को मात्र निहित स्वार्थ के कारण आपस में लड़ाया जा रहा है।

मान्यवर, पिछले दो दिनांक के अवकाश में दिल्ली में पर्वतीय प्रवासियों ने एवं क्षेत्रीय जनता ने मुझे तथा शासन को धमकी दी है कि यदि अतिशीघ्र इस सम्बन्ध में दोनों महाविद्यालयों की स्वतन्त्र स्थापना नहीं की गयी तो वे व्यापक जनआन्दोलन चला कर बन्द आदि का आयोजन करेंगे। जिसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा और इस आन्दोलन से आपसी सौहार्द एवं जनशक्ति का कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, उ0 प्र0 के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्म-चारियों की न्यायोचित मांगों की सरकार द्वारा सतत उपेक्षा किये जाने से उनमें भीषण असन्तोष एवं उत्तेजना है। आन्दोलनरत हैं। 22 अगस्त से राज-धानी में क्रमिक अनशन एवं धरना देते रहे। 14 सितम्बर को मुख्य मन्त्री जी का घेराव कर सैकड़ों ने गिरफ्तारी भी दी। वर्तमान शासन के मन्त्री एवं सचिव 9 बार वादे कर चुके हैं परन्तु वर्ष 81 में पहला आश्वासन पाने के बाद वह बराबर आश्वासन पर ही जिन्दा हैं।

अवकाश, नकदीकरण, चयन वेतन-मान, पारवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का 25 हजार का सामूहिक बीमा, बोर्ड परीक्षा में पालीवार पारिश्रमिक, निलम्बन सीमा का निर्धारण आदि के बारे में वादे किये गये। एक ही विभाग तथा छत के नीचे कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सैद्धान्तिक भेद दुर्भाग्य पूर्ण है।

मांग है कि ये मांगे अविलम्ब स्वीकार कर उनके कार्यान्वयन हेतु राजा-ज्ञायें तुरन्त निर्गत हों।

यू0 एच0 एम0 चिकित्सालय कानपुर के भूतभूर्व स्टोर कीपर द्वारा किये गये गबन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भगवानदीन कुशवाहा—

महोदय, इस सदन के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मेरे जनपद कानपुर के यू0 एच0 एम0 चिकित्सालय के जनरल स्टोर का चार्ज भूतपूर्व स्टोर कीपर श्री एच0 एल0 बाजपेयी ने 1978 से अभी तक अनेकों आदेशों के बावजूद नहीं किया तथा गोलमाल करके लाखों रुपयों की सरकारी क्षति की है। रहस्य खुलने की आशंका से स्टाक बुक ही गायब कर दी जिसमें कई लाख के घपले का अनुमान है।

अतः उपरोक्त विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

राजकीय बालिका विद्यालय, पीलीभीत में डबल शिफ्ट चलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रियाज अहमद—

मान्यवर, एक लम्बे समय से पीलीभीत में लड़कियों के शिक्षा के सम्बन्ध में मैं प्रयास कर रहा हूं। पीलीभीत की जनसंख्या एक लाख के ऊपर है। यहां केवल एक बालिका इन्टर कालेज है जिसमें प्रवेश की समस्या दिन पर दिन जटिलतम होती जा रही है। यह समस्या केवल पीलीभीत की ही नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों में आम लड़कियों को शिक्षा दिलाना दुष्कर कार्य हो गया है। नये विद्यालयों को खोलने में दिक्कतों को सोचते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक लाख से ऊपर आबादी वाले नगरों में शिक्षा डबल शिफ्ट करने की व्यवस्था तत्काल की जाय।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि पीलीभीत में तत्काल वर्तमान राजकीय बालिका इन्टर कालेज में शिफ्ट की व्यवस्था की जाय।

डुमरिया गंज बस्ती में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान डुमरियागंज तहसील में राप्ती व बूढ़ी राप्ती से गत 8 जुलाई से आयी हुई भीषण बाढ़ की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। सदन के अन्दर स्वयं माननीय राजस्व मन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि बाढ़ से पीड़ित जिलों में बस्ती जनपद का स्थान सर्वप्रथम है। 27 जुलाई, 1984 को आई हुई बाढ़ में हाई फ्लड लेबिल 99.235 डुमरियागंज में था और इस बाढ़ में जो 8 सितम्बर, 1984 से आई है उसका हाई फ्लड लेबल 99.035 था। खेद है कि बस्ती जनपद के प्रशासन ने इस बाढ़ में जिसमें डुमरियागंज तहसील के लगभग 542 गांव पानी में डूबे रहे, आने का रास्ता ठप्प रहा फिर भी कोई राहत कार्य नहीं किया गया। इन अधिकारियों ने इस बाढ़ का कोई महत्व नहीं दिया जबकि इस बाढ़ से नुकसान पिछले बाढ़ से ज्यादा हुआ है। क्योंकि खेतों में फसल तैयार थी। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन से मांग करता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इन गांव में राहत सामग्री तत्काल वितरण की जाय, किसानों के कर्जे व लगान माफ किये जायें, छात्रों की वर्ष भर की पूरी फीस माफ की जाय अन्यथा जनता इसका मुकाबला करने के लिए सीधे सड़कों पर निकलेगी और इसके दुष्परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे ।

नौतनवां गोरखपुर के क्षेत्राधिकारी (पुलिस) श्री लाल सिंह द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में लूटपाट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धरमपाल—

मान्यवर, दिनांक 29-8-84 को गोरखपुर जिले के नौतनवां थाने में वहां के वर्तमान क्षेत्राधिकारी (पुलिस) लाल सिंह एवं उनके साथ रह रहे असामाजिक तत्वों ने अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय सहित आधे दर्जन घरों पर लूटपाट की जिसकी सूचना जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गयी और वहां के क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध तीन डकैती के मुकदमें दर्ज हुए, बाकी लोगों का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, परन्तु इस कांड में सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । क्षेत्र में भयानक आतंक व्याप्त है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की तरफ श्रीमान् के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कर तत्काल उचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।

प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं इन्टर कालेजों के कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को अनुमोदन एवं प्रोन्नति न देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम नरायन तिवारी—

महोदय, राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं इन्टर कालेजों के भारी संख्या में कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के अर्से से अनुमोदन एवं प्रोन्नति न होने से व्याप्त रोष के सम्बन्ध में राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं इन्टर कालेजों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य 5 से 15 वर्षों से कार्यरत हैं । परन्तु वेतन अध्यापक का पाते हैं, हर प्रकार से प्रबन्ध समितियां शोषण करती है । आर्थिक एवं मानसिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है । भयानक रोष एवं असन्तोष व्याप्त है ।

अतः श्रीमान् के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की तरफ आकृष्ट कर उनकी अनुमोदन एवं प्रोन्नति से तत्काल मांग करता हूं ।

ग्राम खोटही, देवरिया की हदबन्दी से निकली भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम हर्ष राय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय देवरिया जनपद के ग्राम खोटही तहसील हाटा में करीब 360 एकड़ हदबन्दी से निकली जमीन पर अवैध कब्जे भूमिहीनों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में है—

मान्यवर, देवरिया जनपद के ग्राम खोटही तहसील हाटा में गरीब भूमिहीनों को मिलने वाली 360 एकड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमीन जो हदबन्दी से निकली थी, पैसे वाले तिकड़म से अपने कब्जे में कर लिए हैं गरीब हरिजन भूमिहीनों में भयानक रोष एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः श्रीमान्, के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

ग्राम परिपुर, जौनपुर की हरिजन बस्ती में रास्ते को बन्द कर देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

मान्यवर, ग्राम परिपुर, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर हरिजन (चमार) आबादी है। परिपुर में ठाकुरों के गांव के पास ट्यूबवेल है। वहीं से परिपुर के हरिजनों के बस्ती को एक चकरोड जाता है जो उनके निकलने का मात्र रास्ता था। अब वह चकरोड कागज में नाली बिखला कर रोक दिया गया। आगे गड्ढा भी है। कोई रास्ता नहीं रह गया। चारों तरफ हरिजन घिर गये हैं। निकल नहीं सकते, चकरोड के लिये सरकार में आवेदन भी दिये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। इसके कारण हरिजनों में घोर असंतोष व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय की तरफ श्रीमन् के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर तुरन्त रास्ता खुलवाने की मांग करता हूं।

इटावा जनपद में बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धनीराम वर्मा—

महोदय, मैं लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय को सदन तथा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे जनपद में वर्ष 1980 से वर्ष 1984 तक भीषण वर्षा एवं बाढ़ से सैकड़ों प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन क्षतिग्रस्त अथवा पूर्णतया ध्वस्त हुए हैं जिनकी मरम्मत हेतु इस अवधि में लगभग 20 लाख रुपया शासन द्वारा प्रदान किया गया परन्तु अभी तक मरम्मत के नाम पर डेढ़ लाख रुपया व्यय करके तीन या चार भवनों की मरम्मत हुई है जिससे क्षतिग्रस्त भवनों से सम्बन्धित विद्यालयों के विद्यार्थी गर्मी, सर्दी व वर्षा में खुले आकाश में बैठने को मजबूर हैं। शिक्षण कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। छात्रों का भविष्य और जीवन अंधकार में है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ईंट, सीमेंट आदि के लगभग 4 गुने दाम होने के कारण 60 लाख रुपये अतिरिक्त प्रदान करके क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत अतिशीघ्र करायी जाय।

जनपद सीतापुर की नहरों में पानी न होने से खरीफ की फसल की हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरगोविन्द वर्मा—

महोदय, आपके संज्ञान में लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय को लाकर सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर में पिछले वर्षों से बाढ़, जल भराव तथा सीपेज से किसान, मजदूर और आम जनता दुखी थी। इस वर्ष सूखा का प्रकोप इतना बढ़ा है कि खरीफ की फसल लगभग 70 फीसदी समाप्त हो चुकी है। शेष फसल बारिश व पानी के अभाव में समाप्त हो गयी है। यदि सरकार ने एक सप्ताह के अन्दर विद्युत विभाग और कैनाल विभाग को सख्त निर्देश देकर पानी खेतों को उपलब्ध न कराया तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो जायेगी। यह सब होते हुए सरकार व सरकारी मशीनरी किसान पर बकाये पैसे की वसूली सख्ती से कर रही है। जिससे किसान के जेवर बर्तन, जानवर, पेड़ और जमीनें बिक रही हैं। मेरी सरकार से मांग है कि तुरन्त सरकारी वसूली रोकी जाय गरीबों पर कर्जों पर से ब्याज माफ किया जाय तथा काम के बदले अनाज की योजना चलाकर जनपद को भुखमरी से बचाया जाय। मुझे आशा है कि सरकार इस अविलम्बनीय प्रश्न को ध्यान में रखते हुए तुरन्त कार्यवाही करके जनपद के लाखों लोगों के जीवन की रक्षा करेगी।

पडरौना, देवरिया में असामाजिक तत्वों के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त एवं पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

महोदय, देवरिया जिलान्तर्गत पडरौना क्षेत्र में इस समय अपराधियों का नग्न तांडव हो रहा है। जिसके फलस्वरूप पडरौना क्षेत्र की जनता का जन जीवन अस्त-व्यस्त एवं असुरक्षित हो गया है। खड्डा से लेकर विशुनपुरा तक पडरौना क्षेत्र में 8 माह के अन्दर अपराधों में गुणात्मक वृद्धि हुई है। हत्या, लूट, डाका, अपहरण, बलात्कार, चोरी आदि जैसी 178 संगीन घटनाएं 8 माह के अन्दर पुलिस के रोजनामचे के अनुसार घटी हैं जबकि घटनाओं में वृद्धि अबाध गति से हो रही है। अपराध और अपराधकर्मियों पर निरोधात्मक कार्यवाही न होने के कारण जनता का विश्वास पुलिस प्रशासन से समाप्त हो गया है। कुछ थानों के थानाध्यक्ष जोकि अपराध एवं अपराधकर्मियों पर काबू पाना चाहते हैं वह अपने मुकामी अधिकारी के आतंक से आतंकित होकर अपराधियों के खिलाफ कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। जिसके फलस्वरूप अपराधकर्मी निर्भय होकर क्षेत्र तथा क्षेत्र की जनता को दरिन्दों की भांति रौंद रहे हैं। कुछ थानों के थानाध्यक्षों ने निरोधात्मक कार्यवाही करने के लिये आवश्यक कदम भी उठाये थे। लेकिन क्षेत्र के मुकामी अधिकारी का उन्हें कोपभाजन बनना पड़ा। शासन ने इस पर तत्काल आवश्यक कदम नहीं उठाया तो रक्षक कहे जाने वाले ही जनता का भक्षण कर जायेंगे। मैंने इस सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन का ध्यान कई बार आकर्षित भी किया है।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मन्त्री जी से मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में तत्काल हस्तक्षेप कर शांति व्यवस्था कायम करवायें।

झांसी नगर स्थित ऐतिहासिक सरोवर में गन्दगी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सदन के संज्ञान में अति लोकमहत्व की सूचना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाना चाहता हूं। झांसी नगर के ऐतिहासिक स्थलों के बीच एक सुप्रसिद्ध सरोवर है जो कि प्रदूषण के कारण उसका जल अत्यधिक विषैला हो गया है। इस सरोवर के निकट ही काली मां का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां सैकड़ों लोग प्रतिदिन दर्शनार्थ आते रहते हैं। इन स्थलों के बीच एकमात्र जलाशय होने से उसके दूषित जल से नागरिकों में भयंकर बीमारियां फैल रही हैं जिसके कारण नागरिकों में भयंकर रोष व्याप्त है। निकट भविष्य में इस मन्दिर के पास ही एक विशाल धार्मिक मेला का आयोजन किया जा रहा है लेकिन शासन द्वारा इस सरोवर के जल प्रदूषण की ओर ध्यान न दिये जाने से जनता काफी परेशान है। इस जल प्रदूषण से और दूषित जल के प्रयोग से कुछ समय पूर्व कुछ जानवरों की मृत्यु के समाचार भी सुनने में आये हैं। इसी दूषित जल से निकट के राजकीय उद्यान नारायण बाग के पौधों की सिंचाई की जाती है जोकि इस दूषित जल से नष्ट होते जा रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से मैं शासन से मांग करता हूं कि जनहित में इस ऐतिहासिक सरोवर के जल को प्रदूषण से रोकने की तत्काल कार्यवाही करें और इसके चारों ओर प्रकाश की व्यवस्था करें।

ग्रामोद्योग विकास समिति मरूई, वाराणसी में गबन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ऊदल—

खादी ग्रामोद्योग विकास समिति मरूई, पो0 सिंधोरा, जिला वाराणसी में लाखों रुपया का गबन, दुरुपयोग एवं फर्जी बिल बाउचर बनाकर समिति के अध्यक्ष इसराज यादव तथा अन्य कर्मचारियों ने किया है। सन् 1981 से फरवरी, 1984 तक इसका आडिट किया गया जिसमें 6 लाख के ऊपर का गबन, दुरुपयोग एवं फर्जी बिल बाउचर बनाकर हड़पा गया है। खादी ग्रामोद्योग की देख-रेख उद्योग विभाग भी करता है लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसलिए इस लोकमहत्व के प्रश्न को आप की आज्ञा से माननीय सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही तथा प्रशासक की नियुक्ति और गबन, जालसाजी करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग माननीय उद्योग मन्त्री से करता हूं।

जनपद गोरखपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की अनियमितताओ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं। जनपद गोरखपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा लाखों रुपये के सार्वजनिक धन का घोटाला किया जा रहा है। गोरखपुर महराजगंज मार्ग के कि0 मी0 नं0 2 से 7 तक फर्जी सीलिंग के नाम पर अतिरिक्त भुगतान, कि0 मी0 नं0 5, 6, 7 एवं 11 पत्थर की गिट्टी की आपूर्ति में फर्जी भुगतान, कि0 मी0 नं0 4 से 12 पर नये पुलियों के नाम पर पुरानी पुलिया की मरम्मत कराकर फर्जी भुगतान किया गया है। उक्त जनपद के इन्दरपुर-राजपुर-खजुरिया-मछलीगंज मार्ग के मरम्मत एवं निर्माण कार्य में फर्जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एम0 आर0 दिखाकर लाखों रुपये का घपला किया गया है। इसी प्रकार हटवार-भुसवल मार्ग पर सीलिंग का फर्जी बाण्ड बनाकर तथा गन्डक नहर गोरखपुर की पट्टी पर फर्जी सीलिंग के नाम पर लाखों रुपये का अनियमित भुगतान किया गया है। यही नहीं उक्त विभाग गोरखपुर की वर्ष 1982 में खरीदी गयी नयी जीप नं0 यू0 आर0 ओ0 4696 की अगली पहिया के टायर एवं ट्यूब की वर्ष 1982 में ही फर्जी तरीके से गायब दिखाकर कई हजार रुपयों का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकार सार्वजनिक सम्पत्ति के अनियमित भुगतान से क्षेत्रीय जनता में गहरा असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही की मांग करता हूं।

ग्राम भस्मा, गोरखपुर के एक ही परिवार के कई व्यक्तियों की नाव डूबने से हुई मृत्य के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, गोरखपुर जनपद के ग्राम भस्मा के एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों की नाव से डूब जाने से मृत्य हो गई तथा 7 सितम्बर 1984 को भगवानपुर के राम प्रताप सिंह नामक व्यक्ति की नाव के अभाव में पानी में डूब जाने से मृत्यु हो गई। भगवानपुर के उप प्रधान तथा जनता पार्टी के नेताओं ने एक महीना पूर्व नाव की मांग किया था। परन्तु तहसीलदार एवं जिला प्रशासन ने बिना जाने यह कहकर नाव नहीं दिया कि वहां पानी नहीं है और नाव की आवश्यकता नहीं है, नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा नाव न देने के कारण श्री राम प्रताप सिंह की मृत्यु हो गयी। इस कारण जनता ने जिला प्रशासन की लापरवाही के विरुद्ध 10 सितम्बर 1984 को विशाल प्रदर्शन हुआ। जिला प्रशासन की अतावधानी से भस्मा गांव की घटना घटी और किसी को बचाया नहीं जा सका। इन घटनाओं से जनता में भारी क्षोभ एवं असन्तोष है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने तथा मृतक रामप्रताप सिंह भगवानपुर तथा मृतक छोटकऊ, लल्ला, रामअजोर, रवीन्द्र, निवासी भस्मा के परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जाय।

मिर्जापुर के अहरौरा बंधा के फाटक खोलने व मेड़ी बंधा टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

*श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि मिर्जापुर जनपद का अहरौरा बंधा के सभी फाटक खोल देने से एवं भड़ी बंधा टूट जाने से 70 गांव चनार तहसील के जलमग्न हो गये हैं। इस प्रकार 23 अगस्त, 1984 से लेकर 7 सितम्बर 1984 तक जो बन्धे में पानी को रखकर सिंचाई कार्य के उपयोग के लिये आवश्यक रहा वही आज काश्तकारों के सामने खरीफ की फसल की तबाही एवं सैकड़ों मकान गिर गये हैं। रबी फसल के आपसी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण समस्या उत्पन्न हो गयी है। जिससे करोड़ों रुपये की क्षति हुई।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः शासन से अपेक्षा है कि उपरोक्त चुनार तहसील के 70 गांव में राहत कार्य चलाया जाय और काश्तकारों के लगान एवं पनीकट एक वर्ष का माफ किया जाय। विद्यार्थियों की फीस एक वर्ष की माफ की जाय।

ग्राम शिवचरनपुर, इलाहाबाद में हरिजन बस्ती के निर्माण में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम पटेल--

मान्यवर, ग्राम शिवचरनपुर (नूरपुर), ब्लाक बहरिया, इलाहाबाद में हरिजन कालोनी निर्माणार्थ वर्ष 1981-82 में 19 आवास गृहों का चयन एवं निर्माण ग्राम पंचायत अधिकारी वंशधारी सिंह की देखरेख में प्रारम्भ हुआ। पंचायत अधिकारी के आधे से अधिक रुपया फर्जी बाऊचर सम्मिलित करके सरकारी खजाने से निकाल कर खा गया। लाभार्थियों ने पंचायत अधिकारी के आश्वासन पर सामान उधार लेकर घर बनवाकर पूर्ण कर लिया है। परन्तु पैसा या सामान मांगते-मांगते थक गये तो जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद को दरख्वास्त दी और विभागीय जांच भी हुई परन्तु आज तक उनकी बकाया धनराशि लगभग 20 हजार रुपये का भुगतान नहीं हुआ उल्टे उनके घरों को गिराने एवं दी गयी धनराशि की वसूली करने की धमकी दी जा रही है जिससे उनमें असुरक्षा, भय एवं आतंक व्याप्त हो गया है और न्याय मिलने की आशा विभाग से खत्म हो गयी है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करा कर लाभार्थियों का बकाया तुरन्त दिया जाय और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय।

सिंचाई विभाग द्वारा मथुरा जनपद में नालों की सफाई न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह--

महोदय, सिंचाई विभाग, मथुरा द्वारा इस वर्ष जनपद में नालों की सफाई न करने के कारण सभी नाले अपना कार्य सुचारु रूप से नहीं कर रहे हैं। इस कारण जनपद में जल भराव की समस्या ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। और कुछ इलाकों में खरीफ की फसल तबाह कर दी है और रबी की फसल समय पर न बोये जाने के आसार पैदा हो गये हैं। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। जनपद की छाता तहसील के लोक दल कार्यकर्ता पानी को निकालने के लिए और रोगों की रोकथाम के लिए तहसील मुख्यालय पर 14 सितम्बर, 1984 से अनशन कर रहे हैं। समस्या के निदान के लिए शासन की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। नालों में जल कुम्भी नामक पौधा अत्यधिक मात्रा में हो जाने के कारण यह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गयी है।

मैं मान्यवर, आप एवं सम्मानित सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि जल निकासी व्यवस्था अविलम्ब करायी जाय। पीड़ित लोगों को राहत युद्ध स्तर पर दी जाय तथा बैंक ऋणों एवं सरकारी समस्त देयों की वसूली स्थगित कर माफ की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की सांठ-गांठ से छात्रवृत्ति वितरण में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

महोदय, मैं निम्नांकित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

सन् 1981 के शासनादेश के अनुसार छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये । इसका पालन पूरे प्रदेश में न होने के कारण छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिली और निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण व जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों की सांठ-गांठ से फर्जी विद्यालयों व फर्जी छात्रों को लाखों रुपयों का फर्जी भुगतान करके धन हड़प लिया, जैसे कि जौनपुर, कानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद और देवरिया के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों ने प्रधानाचार्यों से सांठ-गांठ करके लाखों का गोल-माल किया है । इसी प्रकार निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण न वाराणसी, देवरिया, इलाहाबाद और आजमगढ़ के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी की सांठ-गांठ से फर्जी फर्मों से कय दिखा कर लाखों का गोलमाल किया है । जिससे प्रदेश के हरिजनों में भयंकर रोष व क्षोभ व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं नियम 301 के अन्तर्गत माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री से उक्त निदेशक, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों व बाल विकास परियोजना अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं जिन्होंने नियम भंग करके गबन किया है ।

प्रदेश के बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह चौहान--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन के समक्ष इस महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रदेश में लगभग 50 हजार से अधिक बी० टी० सी० प्रशिक्षित व्यक्ति 30 वर्ष की आयु सीमा को पार कर चुके हैं तथा ट्रेनिंग पास किये उन्हें 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं । इनमें से अधिकांश विवाहित हैं और उनके बच्चे भी हैं जिस उद्देश्य से इन्होंने ट्रेनिंग की थी वह पूर्ण नहीं हो सका और उनकी युवावस्था समाप्त हो गयी । बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों के समक्ष वे स्वतः स्फूर्ति आन्दोलन चलाये जा रहे हैं । इन्होंने अनेक जिला केन्द्रों पर भूख हड़तालें आयोजित कीं और कतिपय जिलों में जेल भरो आन्दोलन भी चलाये गये परन्तु इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ । यदि स्वीकृत सिद्धान्त के आधार पर 40 छात्रों पर 1 अध्यापक नियुक्त कर दिया जाय तो प्रदेश में लगभग 40 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है ।

श्रीमन्, शिक्षा स्तर में सामान्यतः ह्रास तथा प्राइमरी शिक्षा में विशेष ह्रास को देखते हुए तत्काल इन बेरोजगारों,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शिक्षकों को नियुक्त करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाये और जिन्हें नियुक्त करना इस सत्र में सम्भव नहीं हो तो 100 रु० मासिक बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था की जाय ।

मैं उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में माननीय मुख्य मन्त्री और शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

महाराजा सातन पासी के ध्वस्त महल उन्नाव का खुदाई एवं संग्रहालय की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपकी अनुमति से उन्नाव जनपद परगना बगर मऊ के ग्राम रामपुर सचान कोर्ट में महाराजा सातन पासी के ध्वस्त किले के ऐतिहासिक लोक महत्व के एक अविलम्बनीय विषय को आप एवं सदन के समक्ष लाना चाहता हूं । 12 शताब्दी तक उत्तर भारत में पासी राजाओं का राज्य था और वे पासी वंश के संस्थापक राजा थे । यह बात अवध गजेटियर से प्रमाणित है ।

इन्हीं राजा सातन के वंशज आज इस देश में अनुसूचित जाति में पासी जाति के नाम से जाने जाते हैं । राजा सातन की स्मृति में प्रति वर्ष सारे देश के पासी और अन्य समाज के लोग सचान कोर्ट में आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।

महाराजा सातन की स्मृतियों से सम्बद्ध प्रस्तावित भूमि को महाराजा सातन स्मारिका समाज कल्याण संस्थान को 90 वर्ष के पट्टे पर दे दिया जाय, जिससे समाज कल्याण की विभिन्न योजनायें कार्यान्वित की जा सकें । इसी के साथ उक्त स्थल की खुदायी करा के निकली हुई सामग्री को महाराजा सातन संग्रहालय तथा शोध के कार्य की स्थापना की मांग करता हूं ।

ग्राम ग्वाल खेड़ा मुरादाबाद की मस्जिद में ताला बन्द किये जाने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रियासत हुसैन--

महोदय, ग्राम ग्वालखेड़ा, थाना बिलारी, जनपद मुरादाबाद के अल्पसंख्यक वर्ग मुसलमान मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ते थे । एक सप्ताह पहले से ग्राम के गैर मुस्लिम लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में रात की (ईशा) नमाज में बाधा डालनी शुरू कर दी और दिनांक 15 सितम्बर की सुबह को थाना बिलारी की पुलिस ने मस्जिद में ताला डाल दिया और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया । जब मुसलमानों ने इस पर आपत्ति की तो 30 मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया ।

इस गम्भीर घटना से जनपद मुरादाबाद और विशेष रूप से बिलारी क्षेत्र की जनता में अविश्वास एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी है ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से उठाने की अनुज्ञा चाहता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रिपोर्ट में निगम 1982–83 तक बराबर लाभ में रहा तो नलकूप निगम द्वारा बनाये गये चलित एवं अचलित नलकूप (गण्डक) परियोजना एवं एस0 एफ0 डी0 ए0 परियोजना सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित किये जा रहे हैं क्यों ? तथा निगम के उच्च पदस्थ अधिकारी सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अधिकारी हैं जो प्रोन्नति के बाद अपने विभाग को वापस चले जाते हैं तथा निगम के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं तो निगम में सिंचाई विभाग को छोड़ कर अन्यत्र या निगम से ही प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति नहीं की जाती है ऐसा क्यों किया जा रहा है। साथ ही निगम से निर्मित गण्डक के 226 नलकूपों को बनाये गये इंडिपेन्डेन्ट फीडर चलाने पर निगम को कितना लाभ होगा तथा नलकूप निगम एक कमर्शियल आर्गनाइजेशन है तो निगम नलकूपों की विद्युत् दरें इंडस्ट्रियल रेट से नहीं लग रहा है क्यों ? और निगम के नलकूप हस्तांतरण के साथ–साथ हर वर्ग के कर्मचारी सिंचाई विभाग में नहीं लिये जा रहे हैं तथा उन्हें निगम की वरिष्ठता योगदान तिथि एवं वेतनमान में नहीं रखा जा रहा है ऐसा क्यों ?

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन आवश्यक जांच एवं कार्यवाही करे।

विधान सभा क्षेत्र जानसठ में गंगा नदी की कटान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीपक कुमार—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं शासन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र जानसठ में गंगा के कटाव से ग्राम रेहड़वा, लालपुर, ग्यार हल्ला आदि ग्रामों की आबादी बर्बाद होने का खतरा उत्पन्न हो गया है उपरोक्त ग्रामों की हजारों एकड़ भूमि गंगा के कटाव में आकर बर्बाद हो चुकी है तथा यहां के गरीब किसान भूमिहीन व बेरोजगार हो चुके हैं।

ग्राम रेहड़वा तथा लालपुर की जनसंख्या लगभग 15,000 की है ये दोनों ग्राम गंगा के कटाव से दो–तीन वर्ष से प्रभावित हो रहे हैं। अब गंगा का कटाव आबादी के अत्यन्त समीप आ चुका है।

अतः मेरा शासन से अनुरोध है इस कटाव को रोकने हेतु मध्य गंगा बैराज से प्रभावित ग्रामों तक पत्थर की ठोंकरें शीघ्र लगवाने की अत्यन्त आवश्यकता है वरना उपरोक्त ग्राम बह जायेंगे तथा बर्बाद हो जायेंगे और इन ग्रामों की दूसरी जगह बसाने की समस्या सरकार के सामने खड़ी होगी।

फाजिलनगर, देवरिया में कीड़ों के लग जाने से फसल की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्वनाथ—

मान्यवर, फाजिलनगर क्षेत्र, जनपद देवरिया के सैकड़ों गांवों में धान की फसल की बालों को कीड़े काट कर बड़ी तेजी से गिरा रहे हैं। किसानों की गाढ़ी कमायी इन कीड़ों द्वारा बरबाद की जा रही है इनके इस भयंकर फसल नाशक आक्रमण से इस विस्तृत क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति निश्चित रूप से पैदा होनी है। इस दिशा में सरकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्तर पर बचाव का कोई प्रयास नहीं हो रहा है ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भुखमरी से भयंकर स्थिति से किसानों को बचाने के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव सरकारी स्तर पर तत्काल किया जाय अन्यथा किसान निश्चित रूप से भुखमरी का शिकार हो जायेगा ।

कानपुर रोड, लखनऊ स्थित जगत जननी सहकारी आवास समिति की भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बच्चा पाठक—

महोदय, मैं निम्नलिखित लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं :—

लखनऊ स्थित कानपुर रोड में एक जगत जननी सहकारी आवास समिति है जिसने खसरा नं0 459 को अपने सदस्यों हेतु खरीद लिया है और अपने सदस्यों को भूखंडों का आवंटन कर दिया है । जिनमें कई मकान भी बन चुके हैं उनकी नगर महापालिका, लखनऊ से हाऊस टैक्स भी निर्धारित हो चुके हैं समिति ने 250 रु0 शुल्क (समिति की रजिस्ट्री के साथ) लखनऊ विकास प्राधिकरण, को रसीद संख्या 173/76 दिनांक 31-12-1983 द्वारा जमा करा दिया है अब इसको लखनऊ विकास प्राधिकरण अधिग्रहीत करना चाहती है । आवास अनुभाग-2 में शासनादेश संख्या 634/37-2-80-29 आ0 सं0-79, दिनांक 9-4-1980 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि जो भूखंड सहकारी आवास समितियों द्वारा खरीदे गये हों और उनके नाम रजिस्ट्री हो चुकी हो, उनको विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत नहीं किया जायेगा क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है । अब यदि विकास प्राधिकरण उक्त भूखंड को अधिग्रहीत करता है तो वह उक्त शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन होगा साथ ही इससे आवास सहकारी समितियों के उद्देश्य को धक्का पहुंचेगा ।

अतः मैं चाहूंगा कि सरकार इसको देखे व उचित आदेश दे ।

इलाहाबाद जनपद के प्राथमिक विद्यालयों की क्षतिग्रस्त इमारतों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

महोदय, जनपद इलाहाबाद के गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवनों की दशा मरम्मत के अभाव में अत्यन्त दयनीय एवं जीर्ण-क्षीर्ण हो गयी है जिससे बच्चों की पढ़ाई तो दूर बरसात में बैठना भी असम्भव है यही नहीं सैकड़ों विद्यालय तो भवन विहीन हैं जहां टूटे-फूटे टपटपाते छत वाले भी भवन नहीं हैं । सोरांव क्षेत्र के अधिकतर विद्यालय समुचित भवन के अभाव में जरा भी वर्षा होने पर बन्द होने को बाध्य हैं । भवन की मरम्मत हेतु जो धन जिले में वर्तमान है उसका उपयोग न होने से क्षेत्रीय जनता, छात्रों एवं अभिभावकों में असंतोष एवं निराशा व्याप्त है । यहीं नहीं अध्यापकों की संख्या भी पर्याप्त नहीं रह गयी कहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो सिर्फ एक अध्यापक 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ा रहे हैं जिससे छात्रों एवं अभिभावकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

अतः जिला इलाहाबाद विशेषकर सोरांव क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की इस तात्कालिक लोक महत्व की अविलम्बनीय समस्या पर जनहित में शासन से तुरन्त प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

अयोध्या शुगर फैक्ट्री राजा का सहसपुर के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन--

महोदय, अयोध्या शुगर फैक्ट्री, राजा का सहसपुर, जनपद मुरादाबाद केन्द्रीय सरकार कस्टोडियम की मैनेजमेंट में है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि इस वर्ष केन्द्र सरकार ने स्पष्ट रूप से इस फैक्ट्री को चलाने से इन्कार कर दिया है और इसी कारण फैक्ट्री की कोई सफाई या मरम्मत का काम नहीं हुआ है। इस फैक्ट्री का क्षेत्र अधिकतर गन्ना कृषकों का क्षेत्र है और जनपद मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गन्ने की उपज इसी क्षेत्र में होती है।

केन्द्रीय सरकार की इस नीति के कारण इस फैक्ट्री से संबंधित हजारों गन्ना कृषकों के लिये चिन्ता का विषय बन गया है और उसमें व्यापक रूप से असंतोष और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है। क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है कि इस संबंध में क्या कार्यवाही होगी और इन गन्ना कृषकों का गन्ना कहां जायेगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पैन्टून ब्रिज, बांदा को समय से पहले तोड़ देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिव नरेश--

महोदय, मैं आपकी अनुमति से अति लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। बांदा के राजापुर टाउन एरिया में पैन्टून ब्रिज जो प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के माह में बनता है और जून के माह में समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन, इस वर्ष अधिशासी अभियंता द्वारा ठेकेदार से साठ-गांठ करके अवैध कमाई करने की नीयत से उपर्युक्त पुल को समय से पहले ही अप्रैल-मई में तोड़ दिये जिससे हजारों रुपए की गबन की गयी राशि जांच में पकड़ी न जा सके। उपरोक्त अवधि में पुल के टूट जाने से क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने दौरे के समय दिनांक 7-5-1984 को उक्त पैन्टून पुल की दुर्दशा को एवं जनता की कठिनाइयों को देखा था और इस आधार पर दिनांक 19-5-1984 को उक्त अधिशासी अभियन्ता के स्थानांतरण के आदेश दिये थे परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण जनता में काफी असंतोष व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से इस अति लोक महत्व की सूचना के आधार पर शासन से मांग करता हूं कि इस अधिशासी अभियंता का स्थानान्तरण करके सभी अनियमितताओं की जांच करायें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद जालौन में नलकूपों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शंकर सिंह--

महोदय, मैं अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जनपद जालौन में 300 से अधिक राजकीय नलकूप हैं इन नलकूपों में 90 प्रतिशत नलकूप पिछले वर्ष से खराब पड़े हैं जिसके कारण पिछली रबी की फसल में भी किसान उनका उपयोग पूर्ण रूप से नहीं कर सके। अब पुनः किसान को पानी की आवश्यकता है परन्तु विभाग द्वारा नलकूपों को ठीक कराने एवं नालियों की मरम्मत व निर्माण करने की कोई भी व्यवस्था नहीं करायी जा रही है। नलकूपों की मोटरें, बिजली की लाइनें खराब पड़ी हैं। नालियां एवं पाइप लाइनें टूटी पड़ी हैं। बहुत से नलकूपों का विद्युतीकरण ही नहीं किया गया है या बिजली की लाइनें टूटी पड़ी हैं। पम्प नहरों का भी यही हाल है। स्थानीय विभागीय अधिकारियों से किसानों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार मांग करने के बाद भी कोई कार्यवाही उक्त संबंध में नहीं की जा रही है। विभाग की इस उदासीनता के कारण किसानों में भारी क्षोभ व्याप्त है।

मैं उक्त अविलम्बनीय विषय पर सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

विकास खंड खोनयांव, बस्ती की खान्डसारी यूनिट, रमवापुर कली के बन्द होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पान्डेय--

महोदय, बस्ती जनपद के अन्तर्गत गोरखपुर मन्डल विकास निगम की एक खांडसारी यूनिट एक रमवापुर कली विकास खंड खोनयांव में स्थित है। यह खान्डसारी यूनिट विगत तीन वर्षों से धनाभाव में बन्द है। किसानों के गन्ने का मूल्य वर्ष 1980-81, 1981-82 का लगभग साढ़े तीन लाख रुपया अभी भी अवशेष है किसानों ने बार-बार मिल कर प्रदर्शन किया परन्तु शासन ने निरन्तर आश्वासन ही दिया और अभी तक गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं किया और यह धनराशि छोटे-छोटे किसानों की है। पैसा न मिलने के कारण किसानों में असंतोष है अतएव आपके माध्यम से अनुरोध है कि गोरखपुर मंडल विकास निगम द्वारा संचालित उक्त रमवापुर खान्डसारी यूनिट पर बकाये गन्ने के मूल्य के भुगतान के लिये शासन अलग से धन की व्यवस्था करे।

राज्य विद्युत् उपभोक्ताओं के बिलों की धनराशि बढ़ाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ख्वाजा हलीम--

महोदय, उत्तर प्रदेश के समस्त पावर विद्युत् उपभोक्ताओं के पास माह अगस्त में आये विद्युत बिलों की धनराशि के साथ-साथ बिना किसी पूर्व सूचना के अनियमित रूप से अतिरिक्त धनराशि जमानत के रूप में जमा करने के निदेश दिये और बिल पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखा है कि यह धनराशि अतिरिक्त जमानत की है, जबकि जमानत धनराशि विद्युत् कनेक्शन देने से पूर्व ही जमा करा ली जाती है और विद्युत का यह हाल है कि उपभोक्ताओं के अनुबन्ध के अनुसार उनको उसका पांचवां हिस्सा ही मिलती है। एकाएक इस अवैधानिक और अनुचित धनराशि मांगे जाने से विद्युत् उपभोक्ताओं में हाहाकार तो मचा ही है, साथ ही विद्युत बोर्ड की गलत नीतियों एवं उसके खोखलेपन को भी उजागर करती है। यह अकाट्य सत्य प्रतीत होता है कि विद्युत् बोर्ड के अधिकारीगण सारा सुरक्षा धन अपनी जेबों में भर चुके हैं। अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को आपके माध्यम से सदन और सरकार के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि इसका तुरन्त समाधान किया जाये।

आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक श्री व्यास मिश्र पर हुए हमले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कुंवर सिंह--

मान्यवर, विगत 19 जुलाई, 1984 को आजमगढ़ जिले म उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक श्री व्यास मिश्र पर प्राणघातक हमला किया गया। श्री मिश्र का काम बहुत ही सराहनीय है। इन्होंने नियमों के अनुसार न्यायपूर्वक काम किया है। संघ के लोग इनके अच्छे कामों से घबड़ाकर मिश्र के साथ उपरोक्त कार्य किये और अब मिश्र के स्थानान्तरण के लिये शासन पर विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। इनका स्थानान्तरण करना आजमगढ़ की शिक्षा पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। इनका स्थानान्तरण न किया जाय और सुरक्षा की व्यवस्था किया जाय।

तहसील मोहन लाल गंज, लखनऊ में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न मिलने से उत्पन्न आक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संत बख्श रावत--

महोदय, तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ के ग्राम सतई खेड़ा भोटाकला, भोरा खुर्द चली खेड़ा, जमालपुरबढ़ुरी और बलसिंह खेड़ा आदि ग्रामों के किसानों का शारदा सहायक परियोजना में कई भूमि एवं फसलों का कई लाख रुपया मुआवजा भूमि अध्याप्ति अधिकारी लखनऊ को दिया गया जिसे किसानों को न देकर भूमि अध्याप्ति अधिकारी एवं कार्यालय के कर्मचारी हड़प गये। राम सनेही पुत्र राम स्वरूप, बाबू लाल पुत्र भुइयादीन दिनांक 23-6-1982 श्याम बिहारी पुत्र राम चरन का वाउचर नं0 70 पर, 15-8-1983 को निकाला गया जबकि श्याम बिहारी की मृत्यु 12 वर्ष पहले हो चुकी है। पंचम पुत्र हेमराज के एक ही नम्बर को दो बार भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया। बाबूलाल पुत्र भुइयादीन की भूमि नं0 662, 661, 650, 654, 674 का मुआवजा किसी नाबालिग को वाउचर नं0 27 के द्वारा किया गया। शिव नारायण की भूमि नं0 287 का रुपया वाउचर नं0 54, दिनांक 21-6-1982 को निकाल लिया गया। इस प्रकार अनेकों किसानों का लाखों रुपया निकाल कर धोखाधड़ी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गई है। जिसके कारण सम्पूर्ण क्षेत्र के किसानों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है। अतः दोषी व्यक्तियों को दंडित कर मुआवजे के भुगतान की मांग करता हूं।

अधिशासी अभियन्ता भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, अन्वेषणात्मक छिद्रण खन्ड प्रथम, अलीगढ़ द्वारा किए गए गबन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन चन्द्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के सम्बन्ध में निम्न-लिखित तथ्यों की ओर क्षेत्रीय विकास मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, अन्वेषणात्मक छिद्रण खंड प्रथम को जनपद अलीगढ़ में लगभग 8 लाख रुपये वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में पंट्रो केमिकल्स साइसटेस में अन्वेषणात्मक छिद्रण हेतु भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। जिसमें किसी स्थान पर अन्वेषणात्मक छिद्रण नहीं करवाया गया। कागज पर ड्रिलिंग दिखा कर सारे धन को खर्च किया गया दिखाया गया है। उपरोक्त साइटों पर सर्व प्रथम जियोफिजिकल सर्वे करवाना था। जिससे ज्ञात होता कि उस क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध है कि नहीं। तत्पश्चात ड्रिलिंग करके इलेक्ट्रिकल लागर द्वारा स्टेटा चेक करके रिपोर्ट बनाकर केन्द्रीय भूजल परिषद से विचार विमर्श करना था। ऐसा नहीं किया। फरवरी, 1984 में इलेक्ट्रालागर की 40 हजार रु0 की फर्जी रिपेयरिंग अवध इंजीनियरिंग वर्क्स लखनऊ जो कि कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है, से करवायी है। जबकि लखनऊ में मात्र अपट्रान लागर की रिपेयरिंग करता है। अपट्रान के अलावा किसी फर्म को तकनीकी ज्ञान नहीं है। जिसकी जांच कार्यालय के रिकार्ड देखकर की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि कार्यालय का रिकार्ड सील करके इसकी जांच टेक्निकल आडिट सेल से करवायी जाय।

आजमगढ़ के भूमिहीनों की आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलाये जाने से उत्पन्न आक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को कृषि योग्य भूमि के आवंटन का कार्यक्रम सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में तेजी से चलाया गया तमाम भूमिहीन गरीब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विमुक्त जाति एवं समाज के सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊसर-बंजर परती गांव सभा की भूमि का आवंटन हुआ। इसी भूमि आवंटन कार्यक्रम के चलते जनपद आजमगढ़ में भी उपरोक्त श्रेणी के लोगों को उक्त किस्म की भूमि का आवंटन हुआ। सरकारी माल विभाग के खसरा खतौनी में नाम तो ऐसे गरीबों का जरूर दर्ज हो गया जिसकी नकलें भी प्राप्त हो गयीं। परन्तु मौके पर आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं हो सका। गरीब बेसहारा तबका कागज में अपना नाम देकर घूम रहा है। अनेक बार इस महत्वपूर्ण विषय पर जिलाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। परन्तु बात अनसुनी कर दी गयी। फलस्वरूप आवंटित भूमि पर कब्जा न मिल पाना गरीब भूमिहीनों के लिए एक विकट समस्या बनी हुई है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि भूमि-हीनों को आवंटित भूमि पर "कब्जा दिलाओ" विशेष अभियान चलाकर समस्या

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का समाधान किया जावे ताकि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि आवंटन कार्यक्रम का लाभ मिल सके।

डी0 ए0 वी0 डिग्री कालेज, कानपुर का छात्रावास बन्द पड़े होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भूधर नारायण मिश्र—

मान्यवर, मैं अपने जिले के डी0 ए0 वी0 डिग्री कालेज, कानपुर के छात्रावास के बन्द होने के सम्बन्ध में लोक महत्व के प्रश्न को नियम 301 के अन्तर्गत प्रस्तुत करता हूं।

लगभग 3 वर्षों से डी0 ए0 वी0 डिग्री कालेज, कानपुर का छात्रावास विद्यार्थियों के लिए बन्द होने के कारण छात्रों में घोर असन्तोष है। उक्त महाविद्यालय में लगभग 7 हजार छात्र विद्यार्जन करते हैं जिनमें से अधिकांश कानपुर के आसपास के जिलों में से आते हैं। जिन्हें विद्यालय में प्रवेश के साथ साथ छात्रावास की विशेष आवश्यकता होती है। इन छात्रों में भी गरीब, हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की असुरक्षा होती है। पिछले महीनों में छात्रावास खुलवाने के सम्बन्ध में डी0 ए0 वी0 डिग्री कालेज के छात्रसंघ के अध्यक्ष ने माननीय मुख्य मन्त्री को ज्ञापन भी दिया है परन्तु अभी तक कोई भी प्रभावी कार्यवाही न हो पाने के कारण छात्रों में रोष व्याप्त है एवं छात्रावास खुलवाने हेतु छात्रसंघ निकट भविष्य में आन्दोलन का आह्वान भी किया है। जिससे कि नगर में अशान्ति फैलने का संकेत है।

अतः नगर की स्थिति शान्तिपूर्ण रहे इसलिए आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि छात्रों की सुविधा हेतु छात्रावास खुलवाने के आदेश जिला प्रशासन को अविलम्ब किये जायें। जिससे कि कोई भविष्य में अप्रिय घटना न घटित हो सके।

सिंचाई विभाग से भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रतिनियुक्ति पर आने पर रोक लगाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मैं ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत भूगर्भ जल सर्वेक्षण में हो रही गड़बड़ी को सदन के संज्ञान लाना चाहता हूं।

इस समय भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी एवं कर्मचारियों जिनको 5 वर्ष से ऊपर हो गया है इस विभाग से अपने मूल विभाग में जो वर्ष 1975 के बाद आये थे वापस करने का निर्णय शासन ने लिया था। इस निर्णय को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया जबकि इन अभियन्ताओं की सिंचाई विभाग में बहुत आवश्यकता है। क्योंकि इस वर्ष सूखे एवं बाढ़ से निपटने के लिए तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों के हित में सिंचाई विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गये अभियन्ताओं को तुरन्त वापस किया जाय मुझे ज्ञात हुआ है कि अभी भी सिंचाई विभाग से अभियन्ता भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रति नियुक्ति पर आ रहे हैं जो कि देश हित में कृषकों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इनको तुरन्त इनके पैतृक विभाग को वापस किया जाय।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुल्तानपुर नगर पालिका के कर्मचारियों की आवासीय भत्ता दिए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुईद अहमद—

महोदय, मैं नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

सुल्तानपुर नगर पालिका की सीमा जनवरी, 1984 में ही बढ़ने के कारण नगर पालिका सुलतानपुर की आबादी लगभग 59 हजार हो गई है। नियमों के अनुसार यदि किसी भी नगर पालिका की आबादी 50 हजार या उससे अधिक है, तो वहां के कर्मचारियों को आवासीय भत्ता देय होता है और प्रदेश की समस्त नगर पालिकायें, जिनकी आबादी 50 हजार से ऊपर हैं, वहां कर्मचारियों को आवासीय भत्ता मिल रहा है। प्रदेश में केवल सुलतानपुर नगर पालिका इस सुविधा से वंचित है। जिसके लिए राज्य कर्मचारी महासंघ शाखा सुलतानपुर के कर्मचारियों ने प्रदर्शन व धरना भी दिया था और जिलाधीश के कार्यालय पर लगातार 17 दिन तक धरना चला और क्षेत्रीय विधायक की हैसियत से मैंने धरने को समाप्त भी कराया था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी का आश्वासन मैंने तत्कालीन नगर विकास मन्त्री माननीय राम सिंह खन्ना जो सुलतानपुर जिले के इन्चार्ज मन्त्री थे, के आश्वासन पर ही दिया था।

अतः आप से अनुरोध है कि शासन स्तर से सुल्तानपुर नगर पालिका के कर्मचारियों को शीघ्र आवासीय भत्ता दिलाये जाने की घोषणा करायें।

राज्य विधुत परिषद् में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति देने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भोला ला —

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पदोन्नति विषय विसंगतियों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सर्व प्रथम शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 1973 द्वारा दी गयी थी। अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 20-3-1974/27-12-1974 द्वारा की गयी थी। इन आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये कार्मिक अनुभाग 1 ने अधिसूचना संख्या 15/38/84 कार्मिक 1 दिनांक 21-6-1984 तथा शासनादेश संख्या या 22/51-1982 कार्मिक-2, दिनांक 5-7-1984 द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए पदोन्नति के मामलों में उक्त आरक्षित वर्गों के लिए ज्येष्ठता के आधार पर पृथक पात्रता सूची बनाने की व्यवस्था तो कर दी गई परन्तु श्रेष्ठता के आधार पर पृथक पात्रता सूची बनाने के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किए गए जो शासन द्वारा निर्धारित नीति के विपरीत है। उक्त विसंगति से पूरे अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के कर्मचारियों का अहित हो रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतएव इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अविलम्ब विचार करके सुसंगत निर्णय की अपेक्षा करता हूं ।

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक श्री गिरिजा शंकर भट्ट को सेवा निवृत्त करने व अवशेष भुगतान न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, उत्तर काशी में श्री गिरिजा शंकर भट्ट भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अध्यापक हैं, खराब स्वास्थ्य के कारण श्री भट्ट को पेट का आपरेशन करना पड़ा है और उसके तत्काल बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनका स्थानान्तरण जनपद के दूरस्थ स्थान जखोल में कर दिया, उपशिक्षा निदेशक ने स्थानान्तरण आदेश रद्द करते हुए जुलाई 82 से फरवरी 83 तक का अवशेष वेतन भुगतान करने का भी आदेश दिया, श्री भट्ट को जून, 83 में सेवा निवृत्त होना था किन्तु राष्ट्रीय पुरस्कार के कारण उनकी सेवा दो वर्ष के लिए बढ़ा दी गई इस आदेश के प्राप्त होते ही श्री भट्ट का स्थानान्तरण पुनः हुडोली कर दिया गया, जो दूरस्थ स्थान है, दूरस्थ स्थानों में अपने खराब स्वास्थ्य से न जा सकने के कारण श्री भट्ट ने सन् 1976 में पदोन्नति का अवसर त्याग दिया था, 83 में 58 वर्ष पूरे कर चुके हैं किन्तु नियमानुसार प्रोविडेन्ट फन्ड का भुगतान नहीं किया गया ।

आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि श्री भट्ट का उत्पीड़न बन्द कर उन्हें जोशियाड़ा में रखा जाय और प्रोविडेन्ट फन्ड का अवशेष वेतन का भुगतान किया जाय ।

मथुरा के चकबन्दी अधिकारियों द्वारा टाइमबार्ड अपीलों की सुनवाई में हेराफेरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप निम—

महोदय, जनपद मथुरा तहसील सादाबाद ब्लाक सहपऊ के ग्राम उपई में विगत वर्ष में चकबन्दी की गयी थी और चकबन्दी की सभी कार्यवाहियां पूरी कर ली गई और लोगों को चकों पर कब्जा दिला दिये गये किन्तु टाईमबार्ड हो जाने के बाद भी चकबन्द विभाग के स्वार्थी अधिकारी टाइमबार्ड अपीलों की सुनवायी कर पैसे के बल पर मनमाने ढंग से हेरा फेरी कर रहे हैं । उदाहरण के लिए श्री प्यारे लाल पुत्र श्री रतीराम, सुखदेव पुत्र करन सिंह बाबू लाल पुत्र रेवती राम इत्यादि की चकों में हेरा फेरी की गयी है और जो अपील शेष हैं उनमें भी हेराफेरी एस0 ओ0 सी0 व डी0 डी0 सी0 श्री संसार सिंह इत्यादि के स्तर से होने की आशा है । श्री प्यारे लाल, रेवती राम व राम स्वरूप निम पुत्रगण रतीराम व रतीराम पुत्र श्री भोपाल सिंह इत्यादि का चकों पर पूरी माप तौल लगातार लिखा पढ़ी के बाद भी नहीं की गयी ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर आपके माध्यम से सरकार से उच्च स्तरीय जांच तथा की गई धांधलेबाजी को पुनः ठीक करने की प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।

विधान सभा के प्रश्नों के उत्तर नियमानुसार न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, समय-समय पर जारी किए गए सरकारी घोषणाओं व माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अध्यक्ष द्वारा निर्देशित तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कर औचित्य के प्रश्न को उठाने की अनुमति चाहता हूं ।

मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सत्र एवं इसके पूर्व के उपवेशनों में आपके द्वारा बराबर कहा जाता रहा है कि जिन शिकायतों को माननीय सदस्यगण स्वतः जांच पड़ताल कर शासन की जानकारी में लाते हैं ऐसी शिकायतों में माननीय विधायकगण को मौके पर साक्ष्य व प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु बुलाया जाना चाहिए परन्तु वर्तमान शासन ऐसा नहीं कर रहा है जिससे विधायकों में काफी आक्रोश व असन्तोष व्याप्त है ।

उदाहरण स्वरूप मेरे द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 व 134 व 101 दिनांक 10-9-1984 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 18 दिनांक 11-9-84 एवं तारांकित प्रश्न सं0 10 दिनांक 12-9-84 विशेष रूप से देखने लायक है । मुझे किसी ने भी मेरे द्वारा की गयी शिकायत में नहीं बुलाया गया । शासन व सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है और विधायकों को सदन में गलत उत्तर देकर असन्तुष्ट कर रहा है ।

आशा है कि इस दिशा में इस औचित्य के प्रश्न पर शीघ्र आवश्यक निर्देश देकर कार्यवाही की जायगी ।

वृन्दावन टी0 बी0 सेनीटोरियम में व्याप्त गंदगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, टी0 बी0 सेनीटोरियम, वृन्दावन में पूरे प्रदेश के एवं प्रदेश के बाहर के मरीजों का इलाज होता है । बड़े दुख की बात है आज इस अस्पताल की हालत बिगड़ती जा रही है । आज भी वहां पर छोटे कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है और वे हड़ताल पर हैं । डाक्टरों की कमी है । अस्पताल में मरीजों के थूक, गन्दे खून आदि को खुला छोड़ दिया जाता है जिस से अन्य लोगों में भी इस रोग का फैलाव हो जाता है । उत्तर प्रदेश शासन की इस सेनीटोरियम में 50 सीटें हैं । सीट कम होने के कारण प्रतीक्षा सूची इतनी लम्बी हो जाती है कि कुछ मरीज नम्बर आने से पहले ही मर जाते हैं । अध्यापकों के लिए जो सीटें शासन की ओर से आरक्षित है, वे उनके वेतनमान बढ़ जाने के कारण खाली पड़ी रहती हैं ।

अतः आप एवं सम्मानित सदन के माध्यम से मैं शासन से मांग करता हूं कि अविलम्ब सीटें 50 से बढ़ा कर 100 कर दी जायं । व्याप्त गन्दगी एवं अनियमितताओं को दूर किया जाय । चल रही डाक्टरों की एवं अन्य स्टाफ की कमी को दूर कराया जाय तथा अध्यापकों से सम्बन्धित आरक्षण के नियमों को संशोधित किया जाय ।

बकुलाही नदी की बाढ़ से प्रतापगढ़ की सदर तहसील की भूमि बरबाद होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लाल प्रताप सिंह—

हमारे जनपद प्रतापगढ़ में हमारे क्षेत्र सदर और निकटवर्ती क्षेत्र कुन्डा में बकुलाही नदी, जिसकी लम्बाई 100-125 कि0 मी0 है, बहती है । प्रतिवर्ष इसकी बाढ़ से लगभग कई हजार एकड़ जमीन बरबाद होती है तथा हमारा पूरा क्षेत्र बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होता है । इस नदी का आकार सर्पाकार है, जिसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कारण बरसात के दिनों में पूरा सदन क्षेत्र कई द्वीपों में विभाजित हो जाता है। एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। सम्पूर्ण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। गत तीन वर्षों से नदी में पूरे वर्ष तक पानी भरा रहता है, इस कारण बारहों महीने जनजीवन प्रभावित रहता है।

मान्यवर, क्षेत्र के विकास और सुख समृद्धि के लिए इस सर्पाकार बकुलाही नदी पर कम से कम पांच पुलों की आवश्यकता है, जिसमें हंसी में पुल अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस विषय को सदन में रखकर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस नदी पर पुल बनवाने की व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे आवागमन सुलभ हो सके।

बलिया जनपद के प्राथमिक शिक्षकों को भविष्य निधि का भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गौरी शंकर भैया—

मान्यवर, बलिया के प्राथमिक शिक्षकों का अनिवार्य जमा निधि, भविष्य निधि सम्बन्धी लगभग 15 लाख रुपया विभागीय लापरवाही होने के कारण भुगतान नहीं हो रहा है। स्थायी अधिकारियों ने कानपुर में जनपद बलिया के अध्यापकों का भविष्य निधि सम्बन्धी पैसा 2-3 माह विलम्ब से भेजा जिसके पेनाल्टी स्वरूप जिला बेसिक अधिकारी, बलिया पर 62,500 रु0 पेनाल्टी की गयी है। स्थानीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा 62,500 रु0 की पेनाल्टी रिजर्व बैंक में न जमा करने के कारण जनपद के प्राथमिक शिक्षकों का लगभग 15 लाख रुपयों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त हेतु शिक्षक संघ ने समय-समय पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जनपद बलिया के अध्यापकों में सरकार के प्रति अविश्वास, निराशा एवं हेय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानआकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि पेनाल्टी की धनराशि रिजर्व बैंक में जमा कर प्राथमिक शिक्षकों के पैसे को अविलम्ब भुगतान कराने की व्यवस्था की जाय।

लौंगपुर बरेली निवासी कृष्ण पाल सिंह की थाने में हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्दराम—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि दिनांक दिसम्बर, 1983 में बरेली जिले के थाना फरीदपुर के गांव लौंगपुर के ठाकुर कृष्णपाल सिंह को उसी थाने के कुछ पुलिस कर्मियों ने अकारण थाने में पकड़कर ले गये तथा थाने में इतना मारा कि वह मर गये और बड़े भोर में लाश को एक गली में डाल दिया। जनता ने यह वाकया स्वयं देखा तथा पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही न होने से तत्काल जनता ने रोड जाम कर दिया।

आज 9 माह बीत गये परन्तु अभी तक दोषी हत्यारे पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं तत्काल दोषी पुलिसजनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राम निजामुद्दीनपुर, लखनऊ की भूमि को बेनामी तरीके से आवास समिति को बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम पाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके अनुज्ञा से यह सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ग्राम निजामुद्दीनपुर, तहसील परगना व जिला लखनऊ में कई बीघा भूमि जो बाग भूमि है एवं वक्फ खानदानी मुतवल्ली श्री फरीउद्दीन पुत्र श्री गयासुद्दीन के नाम से है। उक्त मुतवल्ली की मृत्यु लगभग 6 वर्ष पूर्व बिना किसी खानदानी वारिस के हो चुकी है। उक्त भूमि पर मोहम्मद फारुक एवं उनका परिवार अवैध रूप से काबिज है जो कि आम के हरे भरे सैकड़ों पेड़ों को काट कर खेत बना रहे हैं एवं कटान जारी रखे हुये हैं तथा उपरोक्त सन्दर्भित भूमि को बेनामी तरीके से आवास समितियों को बेचा जा रहा है। इससे ग्राम वासियों में घोर असन्तोष व्याप्त है एवं झगड़ा तथा दंगा होने की प्रबल आशंका है।

अतः मेरा अनुरोध है कि सम्बन्धित व्यक्ति का कब्जा तत्काल हटाकर इसके बेनामी विक्रय पर तुरन्त रोक लगायी जाय एवं पेड़ों का अवैध कटान रोका जाय।

लालपुर डैम व पुल रामपुर के जीर्ण-शीर्ण होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

आप की आज्ञा से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि रामपुर जनपद में लालपुर डैम जो कि कोसी नदी पर है 85 वर्ष पुराना बना हुआ है 10 वर्ष पूर्व यह पुल खतरनाक हो गया है इसकी घोषणा सरकार व विभाग द्वारा की जा चुकी है। इस पर एक आवागमन के लिए रामपुर टान्डा जोड़ने के लिए पुल भी 85 वर्ष पुराना है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका है। रामपुर जनपद की जनता में पुल व डैम न बनाये जाने से रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। वहां की जनता आन्दोलन की राह पर है।

अतएव शासन से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर तुरन्त डैम व पुल का पुनः निर्माण कराया जाय इसके साथ-साथ लालपुर से दड़िहाल तक दायीं ओर कच्चा बंधा भी बनवाया जाय ताकि लोगों को बांढ़ से राहत मिल सके।

ग्राम चांदा महमदपुर, हरदोई के श्री अंगने लाल व श्री हरी कृष्ण के कुर्क किए गए ट्रैक्टर का टायर बदले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरी शंकर--

तहसील बिलग्राम जिला हरदोई में हरीकृष्ण व अगने लाल बाकीदार निवासी चांदा महमदपुर, तहसील बिलग्राम के कुर्क शुदा ट्रैक्टर जो तहसीलदार बिलग्राम के कब्जे में था, के दोनों पिछले टायर जो अच्छी हालत में थे, बदल लिये जाने की बात मालूम हुई है। इस सम्बन्ध में अ0 स0 153 अन्तर्गत धारा 379/409 आई0 पी0 सी0 कोतवाली बिलग्राम, हरदोई में दिनांक 24-8-84 को मुकदमा भी कायम हुआ है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्षेत्र में सरकार के प्रति काफी असन्तोष व्याप्त है। कृपया इस लोक महत्व के मामले में अविलम्ब चर्चा कराने का कष्ट करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देवरिया जनपद में धान की फसल पर सैनी कीट के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह--

महोदय, सम्पूर्ण देवरिया जनपद में तैयार धान की फसल पर सैनी कीट का प्रकोप हो गया है जिससे धान की फसल की बाल कट कर जमीन पर गिर रही है। यह कीट दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। दवा का प्रबन्ध बिलकुल नहीं है। जिला प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। इसका प्रभाव मुख्यतः फाजिलनगर, तगकुट्टी देसही देवरिया, बेतालपुर, भाटपार रानी, बनकटा, भटनी, गौरी बाजार, देवरिया में है। यह महामारी के समान है। साधारण किसानों के पास इसके लिये कोई रक्षा नहीं है।

अस्तु माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय कृषि मंत्री से मांग करते हैं कि फसलों की रक्षा हेतु हवाई जहाज से छिड़काव कराया जाय। इसे महामारी मान ली जाय।

ग्राम बभनी बुजुर्ग, गोन्डा की बाढ़ ग्रस्त जनता से सरकारी देयों की जबरन वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा--

महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि गोंडा जिले का ग्राम बभनीबुजुर्ग तहसील उतरौला में गत कई वर्षों से बाढ़ की चपेट में आने के कारण पीड़ित है, इस कारण गत वर्षों में सभी प्रकार की सरकारी देयों की वसूलियां रोक दी गयीं थीं। लेकिन अब इस वर्ष और ऐसे समय में जबकि पूरा क्षेत्र भीषण बाढ़ से ग्रस्त है, शासन की ओर से वसूलियां सख्ती से की जा रही हैं।

कुछ किसानों ने कृषि कार्य हेतु बैंकों से ऋण ले रखा है, लेकिन बाढ़ आने के कारण फसलें नष्ट हो जाने से वे किस्तों का धन जमा नहीं कर रहे हैं उनकी भी इस समय सख्ती से वसूली की जा रही है।

मान्यवर, इसी क्षेत्र से दो बार निर्वाचित हुए विधायक, श्री राजेन्द्र चौधरी के भी घर और सामान की कुर्की तथा नीलामी के आदेश 18-9-84 को करने के आदेश जारी हो गये हैं। जब ऐसे लोगों के साथ शासन का यह रवैया है तो जन साधारण के साथ क्या न होता होगा? इससे समस्त क्षेत्र में एवं जनता में शासन के प्रति घोर असन्तोष एवं उत्तेजना व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय समस्या पर विचार करने के लिये मैं शासन एवं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हुआ मांग करता हूं कि इस समय सभी सरकारी देयों की वसूली तत्काल रोकने की कृपा करें।

राजकीय कताई मिल, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के भूतपूर्व अधिशासी श्री डब्लू० सी० कक्कड़ तथा सहायक श्रम अधिकारी श्री दीनानाथ दुबे के भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, राजकीय कताई मिल मऊनाथभंजन (आजमगढ़) के ढ़ाई हजार मजदूर आन्दोलित हैं। भूतपूर्व मुख्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिशासी श्री डब्लू सी० कक्कड़ सहायक श्रम अधिकारी, दीनानाथ दुबे ने पिछले दिनों लाखों रुपये घूस लेकर लगभग चार सौ मजदूर भर्ती कर लिए। पिछले दिनों 20 मजदूर निरपराध निष्कासित किये गये। चीज बाइंडिंग खाते के मजदूर सेवा शर्तों में परिवर्तन के विरुद्ध दो महीने से वेतन नहीं ले रहे हैं। मिल के अन्दर मजदूरों पर गुण्डों द्वारा हमले जारी हैं, फलस्वरूप मिल के मजदूरों ग्रामीण अंचल के किसानों में असन्तोष और रोष व्याप्त है। वातावरण तेजी से बिगड़ता जा रहा है जो किसी समय भयानक विस्फोटक हो सकता है।

अवलम्बनीय लोक महत्व की समस्या सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि कक्कड़ एवं दुबे को निलम्बित कर सम्पूर्ण घटना की सी० बी० आई० से जांच करायी जाय। निष्कासित मजदूर बहाल किये जायं एवं चीजबाइंडिंग खाते के मजदूरों की सेवा शर्त बदला जायं।

भाट पार रानी, देवरिया में हुई हत्याओं व श्री हरिबंश सहाय की जानमाल को खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिबंश सहाय--

मान्यवर, देवरिया जिले के भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र में विगत दो महीनों में चार लोगों की हत्यायें कर दी गयी, जिसमें श्री राम नगीना यादव की हत्या कर उनका लाइसेंसी रिवाल्वर छीन लिया गया। अब तक इस इलाके में पिछड़ी जाति के एवं लोकदल के प्रमुख सर्वश्री रमा शंकर यादव, राष्ट्रीय पहलवान, कैलाश सिंह कुशवाहा, भूतपूर्व एम० एल० ए०, मुखलाल यादव, जिला स्तरीय पहलवान, राम लखन यादव, ग्राम प्रधान, पति यादव, चौकीदार, शिव यादव, सीताराम यादव, राम प्रवेश यादव, शिवजी यादव, सामरथ चौधरी, सच्चालाल कुशवाहा, नन्दजी गौड़, हरहंगी गौड़, श्री चन्द्रदेव यादव, ग्राम प्रधान आदि नामधारी लोगों की हत्यायें की जा चुकी थीं, इन लोगों के हत्याओं से पिछड़े वर्ग के लोग आतंकित हैं। हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्योंकि अब तक जितनी हत्यायें हुई हैं वे लोग पिछड़े वर्ग के स्तम्भ थे। हत्यारों के विरुद्ध अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। उन घटनाओं के चलते आज भाटपार रानी निर्वाचन क्षेत्र में सज्जन और शरीफ किस्म के लोग भी आतंकित हैं। आततायी वैध-अवैध हथियार लेकर धड़ल्ले से घूम रहे हैं। इन हत्यारों को तथा कथित राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त है। कुछ लोगों के नामजद मुलिजम होने एवं चार्जशीट होने के बावजूद उन्हें शस्त्रों का लाइसेंस भी दिया गया है। कुछ लोगों ने तो अपना फर्जी निवास बिहार में दिखाकर वहां से भी शस्त्रों का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। चूंकि सार्वजनिक रूप से इन अपराधी किस्म के मामले को मैं बार बार उठाता रहा हूं, इसलिए यह अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग अब मेरे ही पीछे पड़ गये हैं और मुझे जान से मारना चाहते हैं। मैं इसकी सूचना जिला से लेकर प्रान्त तक समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को दे चुका हूं। फिर शासन के कान पर जूं नहीं रेंगता है।

आम आदमी इतने डरे हुए हैं कि शाम 7 बजते-बजते अपने घरों में दुबक जाते हैं और भीतर से किवाड़ बन्द कर रात भर अपनी जान की खैरियत मनाते हैं। हत्यारों के विरुद्ध चर्चा करने से भी घबराते हैं। पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय एवं मौन है और वे भी अपराधी तत्वों को बढ़ावा दे रही हैं।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री जी से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मांग करता हूं कि समस्त प्रकरण की जांच सी0 बी0 आई0 से करायी जाय तथा मेरे जान माल की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय ।

पटेल स्मारक इन्टर कालेज पटेल नगर भटहट, गोरखपुर के अबन्धतंत्र को भंग करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री केदार नाथ सिंह--

पटेल स्मारक इन्टर कालेज, पटेल नगर भटहट के दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उत्पीड़न तथा विद्यालय में व्याप्त अनियमितता की जांच शासन द्वारा कराई गई, जिसके आधार पर शिक्षा निदेशक द्वारा प्रबन्ध तंत्र को भंग करने, बकाया वेतन भुगतान करने तथा श्री रामकरण चपरासी को लिपिक पद पर पदोन्नति करने सम्बन्धी स्पष्ट आदेश दिनांक 19-1-84 व 20-6-84 के पत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर तथा उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को दिया गया । शिक्षा निदेशक तथा शासन ने जांच में यह भी पाया कि श्री रामकरन निषाद (केवट) चपरासी द्वारा लिपिक पद पर पदोन्नति की मांग करने पर प्रधानाचार्य द्वारा उससे मूत्रालय व शौचालय आदि की सफाई का कार्य लिया जा रहा है । शासन तथा विभाग ने ऐसा कार्य कराये जाने को अनैतिक कार्य कहा है ।

स्पष्ट आदेश के बावजूद उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर की संस्तुति पर भी वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्ध तंत्र को भंग नहीं किया जा सका। जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा भी इन आदेशों का परिपालन नहीं किया जा रहा है । जिससे पूरे क्षेत्र में क्षोभ व आक्रोश व्याप्त हो गया है ।

अतः आपके माध्यम से इस लोक-महत्व के विषय सम्बन्धी आदेशों का आपके माध्यम से तत्काल पालन कराने की मांग करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पंजाब शुगर मिल घुघली, गोरखपुर के मजदूरों के अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, शासकीय आदाता श्री बी0 बी0 चतुर्वेदी की तानाशाही और जाति-वादी प्रवृत्ति भ्रष्टाचार से लिप्त श्रम कानून और शासकीय आदेशों एवं निदेशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में मजदूरों ने गत 12 सितम्बर से सामूहिक अनशन पर बैठे हैं । इनकी मांग है कि करीब 4 साल से कार्यरत शासकीय आदाता श्री बी0 बी0 चतुर्वेदी को हटाकर प्रभावी जांच करायी जाय । मृतक या सेवा निवृत्त मजदूरों के वारिसान की भर्ती की जाय । मनमानी सेवा निवृत्त करने पर रोक लगायी जाय। पदोन्नति स्थायीकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति अपनायी जाय । ठेकेदारी की प्रथा समाप्त की जाय तथा श्रम नियमों शासनादेशों और पूर्व दिये गये समझौतों एवं एवार्डों का परिपालन सुनिश्चित कराया जाय । खेद है कि कोई सक्षम अधिकारी अभी तक मजदूरों के हित में नहीं गया । अनशनकारी दो मजदूरों की हालत दयनीय है जिसका न कि मजदूरों में बल्कि क्षेत्र के किसानों में भी व्यापक आक्रोश है ।

अतः विशेष लोक महत्व को इस विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भ्रष्ट रिसीवर, बी0 बी0 चतुर्वेदी को हटाकर मजदूरों के न्यायोचित मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग करता हूं ।

नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से दिये जाने की मांग

*श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, जहां तक सूचनाओं का सम्बन्ध है अपने 66 सूचनाओं को स्वीकार किया है । लेकिन मान्यवर, इसमें कठिनाई यह है कि राज्य सरकार से 301 की सूचनाओं का उत्तर हमको प्राप्त नहीं होता है जिससे हमें यह मालूम नहीं हो पाता है कि सम्बन्धित विषय में क्या कार्यवाही हो रही है । जो सूचनायें आपने स्वीकार की हैं इन सबका उत्तर हमें मिल जाए कि शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है इसका ज्ञान हो जाए तो बेहतर होगा ।

श्री अध्यक्ष--

भविष्य में नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त होती हैं, शासन उन पर खास तौर पर ध्यान देकर नियमों के अनुसार जो कार्यवाही होती हो, करावे ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, माननीय सदस्य मुख्तार अनीस जी ने जो बात कही उसमें बल है और आज ही यह मेरे संज्ञान में आया कि जो सूचनायें 301 के बारे में दी जानी चाहिये थीं, नहीं दी गयीं । मुझे इसका खेद है और मैं आश्वासन करता हूं कि आपके निर्देशों का पूरा पालन किया जायगा और आगे से आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा । मैंने इसको स्वयं देखा है और अधिकारियों को आदेशित कर दिया है । मेरा स्वयं का यह मत है कि यदि इनको पूरा नहीं किया जायगा तो आप लोग शोर करेंगे और सदन चल नहीं सकेगा । इन सूचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जायगा । मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने भी इस सम्बन्ध में आदेश दे दिया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

औचित्य के बारे में मुझे 6 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं । इनमें से जहां तक श्री प्रियदर्शी जेतली की सूचना का सम्बन्ध है जो फैजाबाद गजेटियर के सम्बन्ध में है यह मामला नियम 300 की परिधि में नहीं आता है, फिर भी मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं ।

जहां तक श्री सरदार सिंह की सूचना का सम्बन्ध है जो नियम 301 की सूचनाओं पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में है, इस सूचना में बल प्रतीत होता है, मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करें ।

जहां तक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की ग्राम प्रधानों के रिक्त स्थानों की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में सूचना का सम्बन्ध है, यह मामला प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 की परिधि में नहीं आता । अतः मैंने इसको अपने कक्ष में ही अस्वीकार कर दिया था ।

जहां तक श्री गुप्त की दूसरी सूचना जो सीपेज की भूमि का मुआवजा न देने के सम्बन्ध में है, यह मामला भी नियम 300 की परिधि में नहीं आता है, फिर भी मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज रहा हूं, शासन इस मामले को पुनः देखें और इसका निदान करने का प्रयत्न करे ।

जहां तक श्री रामस्वरूप निम की गन्ने की बकाया कीमत के सम्बन्ध में सूचना का प्रश्न है, इस विषय

पर आज मद संख्या 54 के अन्तर्गत निर्धारित है और नियम 300 आकृष्ट नहीं होता, इसलिये इसे अस्वीकार करता हूं । मैंने श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ और श्री राम आसरे वर्मा की सूचनाओं पर सुनने के लिए स्वीकार किया है ।

तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री जयपति नाथ की बस्ती में पुनः तैनाती तथा सचिवालय काण्ड का निर्णय न होने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, आपको जानकारी है कि 22 मार्च, 1982 को श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना दी गयी थी जो श्री जयपति नाथ, थानाध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार के सम्बन्ध में थी । यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था और इस पर सी0 आई0 डी0 ने भी जांच की थी जिसमें आरोप सत्य पाया गया और 218 का मुकदमा लगाया गया और चार्जशीट दी गयी । इसके बाद 161 का भी मुकदमा लगा और चार्जशीट दी गयी और आगे जांच हो रही थी । विशेषाधिकार में भी मामला चल रहा है । मुझे दुख है कि उसी श्री जयपति नाथ को फिर बस्ती में नियुक्त कर दिया गया है, जबकि आपके निर्देश थे कि उसको वहां पर न रखा जाय । यह भी पता चला कि उसको डुमरियागंज पोस्ट किया जा रहा था लेकिन बस्ती कर दिया गया । मान्यवर, वह दरोगा वहां आकर गवाह तोड़ेगा और परेशानी उत्पन्न करेगा और इस बात पर पुनः झगड़ा हो सकता है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस पर सरकार को निर्देश दें कि उसको उस तरफ यदि नियुक्त ही करना है तो फैजाबाद या गोण्डा में नियुक्त कर दें । उसको बस्ती में क्यों पोस्ट कर दिया, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्रीमती कमला साहनी --

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष---

आपकी सूचना प्राप्त हो गयी है, किन्तु वह स्पष्ट नहीं है । उसको पढ़ रहे हैं, फिर कार्यवाही करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम सिंह)---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आपके जो आदेश होंगे, उसी के अनुरूप कार्य किया जायेगा । यदि इस प्रकार की त्रुटि हुई है, तो उसे दिखवा लिया जायेगा ।

*श्री राम आसरे वर्मा --

मान्यवर, 26 व 27 नवम्बर को सचिवालय में एक काण्ड हुआ था । उस काण्ड में सचिवालय के कई कर्मचारियों व गार्डों के खिलाफ कार्यवाही की गयी थी । हर सत्र में और हर बैठक में यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि उस मामले का निस्तारण कर दिया जाय । जब-जब भी यह मामला इस आदरणीय सदन में आया है, तो तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा । सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का नतीजा यह हुआ कि 7-8 गार्डों को सेवाओं से च्युत कर दिया गया । 4 कर्मचारी और कुछ गार्ड आज भी सड़कों पर दर-दर भटक रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में आपने संसदीय कार्यमंत्री जी को निर्देश दिया था, कि वह माननीय सदस्य श्री राम आसरे वर्मा को अपने कमरे में बुला लें और इस मामले का निपटारा कर लें और यदि निपटारा न हो पाये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो आप दोनों लोग मेरे कमरे में आयें और समस्या का समाधान करें, परन्तु इस तरफ आपके आदेशों के अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी । माननीय मंत्री जी ने मुझे कमरे पर बुलाकर बात करना उचित नहीं समझा, इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया । जिससे यह मामला उलझा हुआ है । उस काण्ड को कराने में कौन अधिकारी दोषी हैं, जब यह प्रश्न यहां पर पूछा गया था, तो उस समय यह कह दिया गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा जांच चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही की जायेगी, दोषी अधिकारी के खिलाफ । परन्तु जब कर्मचारियों का मसला आता है तो सरकार बिना किसी रिपोर्ट के उन्हें निलम्बित कर देती है । 30 नवम्बर को कर्मचारियों/गार्डों का निलम्बन हुआ, किन्तु 18 दिसम्बर, 1982 को रिपोर्ट लिखायी गयी । उस समय जो रिपोर्ट लिखायी गयी थी, वह 36 आदमियों के खिलाफ थी । उस रिपोर्ट में से मात्र 4 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी । वे 4 व्यक्ति कौन थे, जो मुख्य सचिव के कमरे में उनसे इस समस्या के समाधान पर बातचीत कर रहे थे । परन्तु उन्हें दूसरी तरफ गैर हाजिर दिखाकर और गैर हाजिरी की चार्ज-शीट देकर निलम्बित कर दिया गया । इसके बावजूद भी नाक के नीचे शासन की आज जो समस्या बनी हुई है, उसका समाधान निकालने में यह सरकार अक्षम रही है इसलिए यह एक औचित्य का प्रश्न बनता है, चूंकि इस प्रश्न पर आपने इस आदरणीय सदन में निर्देश भी दिये थे । इस पर आप निर्णय देने की कृपा करें ताकि जो कर्मचारी आज सड़कों पर भटक रहे हैं, उन्हें रोजी मिल सके ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ का प्रश्न है, यह पहले भी सदन में आया है, इसलिए इसमें कुछ निर्णय लेने के बाद आप उससे माननीय सदस्य को सूचित करेंगे और मुझे भी उससे अवगत करायेंगे ।

जहां तक श्री राम आसरे वर्मा जी का प्रश्न है, यह प्रश्न भी इस आदरणीय सदन में कई बार आ चुका है । वैसे तो यह नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है, फिर भी विशेष रूप से चाहूंगा कि इस मामले में एक दिन संसदीय कार्यमंत्री माननीय राज्य गृह मंत्री व सम्बन्धित अधिकारीगण और हम एक दिन बैठक बुला लें और इस समस्या का समाधान निकाल लें । इन दोनों सूचनाओं को मैं नियमानुसार अस्वीकृत करता हूं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी आदेशों के अनुसार ही कार्यवाही करेंगे ।

श्री रामस्वरूप निम—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । वैसे जो निर्णय आपने किया है, वह शिरोधार्य है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि गन्ना के बकाया मूल्य के रूप में सरकार की जो नीति है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं कृपया आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप निम—

मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने पर) आप लोग बैठिए मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं । जब कोई बात सदन के संज्ञान में हो उस पर माननीय सदस्य यहां पर बोलें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, अभी मेरे मामले पर जो आपने निर्णय दिया है माननीय मंत्री जी से अपने कक्ष में मीटिंग करने सम्बन्धी, तो मैं निवेदन करूंगा कि इसकी तिथि भी

तय कर दें ताकि यह बात आसानी से हो सके। वरना...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, मैं बाहर जाने से पूर्व किसी दिन बैठक बुला लूंगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

आज मान्यवर, आप बहुत उदार हो गये हैं। आज मेरे एक औचित्य का प्रश्न था नियम 300 के अन्तर्गत जो गलती से 3001 छप गया है, उसको यदि 300 में समझते हुए मुझे भी उस औचित्य के प्रश्न पर कुछ कहने दिया जाए तो आपकी उदारता और बढ़ जायेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 1983†

*शिक्षा राज्य मंत्री (डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या 1793/15-10-83-35 (41) 81-यू0 पी0 ए0-10-1973, रूल-1975-ए0 एम0(4)-1982, दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 17 की उपधारा(4) के के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापी नहीं गयी।

आगरा मण्डल विकास निगम लि0 का षष्टम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1981-82†

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज--राज्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आगरा मण्डल विकास निगम लि0 की षष्ठम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1981-82 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा(3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लि0 की प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1976-77 एवं 1977-78†

ग्राम विकास एवं पंचायती राज-राज्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लि0 का प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1976-77 एवं 1977-78 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा(3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन और दुग्ध संघ केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1984††

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री रामसिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दुग्ध विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1818/बारह-दु0 वि0-3(31)-84, दिनांक 29 अगस्त, 1984 के साथ

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

प्रकाशित उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन और दुग्ध संघ केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1984 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क को उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

विधान सभा के वर्ष 1984 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण (षष्ठ संस्करण) के करण 14(3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1984 के प्रथम सत्र (दिनांक 13 फरवरी, 1984 से 18 अप्रैल, 1984 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (शुद्धि-पत्र सहित) सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पिछले सत्र में दिनांक 12-4-1984 को किया गया ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(1 बज कर 20 मिनट)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी जो मद संख्या-9 के तहत माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि आप कृपया इनको इसे प्रस्तुत करने की अनुमति न दें ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी के विषय में मेरी धारणा है कि वे संसदीय विषयों के विशेष रूप से ज्ञाता हैं । मान्यवर, यह एक संयोग है कि इसके पहले जब वे नेता सदन के रूप में थे या नेता विरोधी दल के रूप में थे, तब 301 नियम का प्राविधान नहीं था । इसलिए उस बारे में माननीय नेता सदन को ध्यान देने की जरूरत है । यह व्यवस्था की गई है 301 की बाबत कि जो माननीय सदस्य सूचना देंगे, उस सूचना का अंतरिम उत्तर 7 दिन में मिल जायेगा और अंतिम उत्तर एक माह के अन्दर मिल जायेगा । मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता । इसमें 262 सूचनाओं का जिक्र है, जिसमें 60 सूचनाएं ऐसी हैं, जिनका उत्तर ही नहीं आया है । यह अद्वितीय है । जहां तक मुझे स्मरण है विधान सभा में हर बार जब यह ज्ञापन प्रस्तुत हुआ है, आपत्ति जरूर की है । लेकिन आपत्ति का प्रभाव यह हुआ, मैं इसे दुर्भाग्यशाली समझता हूं कि ज्यों-ज्यों इसके बारे में चर्चा की जाती रही, मामला बिगड़ता चला गया । ऐसे किसी ज्ञापन में नहीं था कि उत्तर बिल्कुल न आया हो, यह जरूर है कि विलम्ब से उत्तर आया । लेकिन, इसमें 262 में से 60 का उत्तर ही नहीं आया यह चिंता की बात है । इसमें 20 तो ऐसे हैं जिनमें अंतरिम उत्तर ही नहीं दिया है ।

मैं इस सम्बन्ध में आपका नियमों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । 301 के नियम के सम्बन्ध में जो करण हैं, उसका आप कृपया 14(3) देखने का कष्ट करें यह लिखा है प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक सूची सदन

छापा नहीं गयी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के पटल रखी जायेगी जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण हो। तो मान्यवर, इस आधार पर अगर कोई विवरण नहीं है, तो प्रस्तुत क्या किया जायेगा। इसमें स्पष्टतया विवरण की बाबत कहा गया है। इसमें 60 ऐसी हैं, जिसमें कार्यवाही नहीं की गई।

मान्यवर, इस आधार पर आप शासन को निर्देशित करें कि शासन इसको वापस ले। आप इनको 5-6 दिन का समय दे दें कि यह आपकी संज्ञान में 5-6 में पूरा विवरण पेश करें। जो 60 सूचनाओं का उत्तर नहीं है, उसका कारण प्रस्तुत करें कि सूचना क्यों नहीं मिली। आप उसके लिये इन्हें शान्ति करे। मान्यवर, इसको गंभीरता से लिया जाय। मान्यवर, इसको देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन्हीं सूचनाओं पर जवाब नहीं है, जिसमें विभागीय अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में फंस गया या जहां पर कोई ऐसा आंदोलनात्मक मामला है जिसमें शासन की हृदय हीनता का परिचय है, आप देखें इसमें एक श्री बदन सिंह की सूचना थी, जो चार गांव जलमग्न हो गये हैं, कष्ट रहे हैं, उनसे संबंधित थी, उसकी जानकारी नहीं दी गयी। एक सूचना आगरा जनपद में प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों के अनिश्चितकालीन अनशन से उत्पन्न स्थिति के बारे में थी। मान्यवर, अब आप देखें आदमी अनशन से मर रहा है, लेकिन शासन की तरफ से उसका कोई पुरसाहाल नहीं। यह तो मामले हैं, जिनमें 8 महीने के बाद भी उत्तर नहीं है। यह मैंने छांट कर रखे हैं। मान्यवर, आंदोलन की बात कही जाती है, मान्यवर, आंदोलन की डगर पर आदमी क्यों आता है जब शासन हृदय हीन गूंगा और बहरा हो जाता है, जब ऐसे भ्रष्टाचार के उन्मूलन के मामले में हृदयहीन हो जाता है, निस्तेज होता है। इसलिये आज सम्पूर्ण प्रदेश में आन्दोलन की स्थिति दिखाई दे रही है। इसके लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि 14 (3) के अन्तर्गत इसको प्रस्तुत किया है। इसके तहत मेरी आपत्तियां स्वीकार करें। एक नहीं, अनेक बार आपने शासन को निर्देशित किया है। मैंने बड़ी पीड़ा के साथ कहा है और फिर कहूंगा कि 301 को समाप्त कर दें। इस तरह अरण्यरोदन से कोई फायदा नहीं है। इसको रख ही नहीं सकते हैं। आज सरकार को आदेशित करें कि 7 दिन के अन्दर पूरा चार्ट बनाकर फिर से प्रस्तुत करें।

*श्री रियासत हुसैन--

नियम 301 की सूचनाओं के बारे में विवरण तो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने रख दिया, उसके विस्तार में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा एक सुझाव है कि अगर मा0 मुख्य मंत्री जी अपने को इसमें असमर्थ पाते हैं कि जो गम्भीर प्रश्न नियम 301 के अन्तर्गत उनके पास भेजे जाते हैं, उसमें अगर वह प्रशासन से कार्यवाही नहीं करा सकते हैं, अपने को असमर्थ पाते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि मा0 मुख्यमंत्री जी इस सदन में क्षमा याचना कर लें और आपसे प्रार्थना करें कि नियम 301 में सूचना ली जानी बन्द कर दी जायें बमुकाबले इसके कि हम 301 की सूचनायें देते हैं और आप प्रशासन के भेजते हैं, शासन से उत्तर नहीं आता है। अगर आप प्रशासन से इतने मजबूर हो गये कि नियम 301 अन्तर्गत जो सूचनायें जाती हैं, जिनका उत्तर प्रशासन से आना चाहिये, नहीं दिलवा पा रहे हैं तो इस सदन से क्षमा याचना कर लें और माननीय अध्यक्ष जी से कहें कि नियम 301 की सूचनायें लेना वे बन्द कर दें।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

आज जो तालिका इस सम्बन्ध में दी गयी है, मैंने इसका अध्ययन किया। मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनरवीक्षण नहीं किया।

अत्यन्त खेद है कि कई विभागों में जिसमें विशेषतया शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और परिवहन विभाग हैं, ये 3-4 विभाग हैं कि जिन्होंने उत्तर देने में इतना विलम्ब किया। इसका मुझे अत्यन्त खेद है और अगर सम्मानित वरिष्ठ सदस्य और नेता, जनता पार्टी चाहते हैं कि मैं क्षमा याचना करूं तो पार्लियामेण्टरी ढंग से क्षमा मांगने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर उन्हें इससे सन्तोष होता हो तो मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इतने से ही सन्तोष नहीं है। मैंने अपने समस्त सहयोगी मन्त्रियों को भी 23 अगस्त को लिखा है कि वे स्वयं इसको देखें और मुझे विश्वास है कि भविष्य में ऐसी त्रुटि नहीं होगी।

श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय गुप्त जी ने मांग की है कि माननीय अध्यक्ष इसे स्वयं अपने संज्ञान में मंगा लें और देख लें तो हम उसके लिये तैयार हैं। हमने पहले ही खेद व्यक्त किया है।

श्री अध्यक्ष--

जिन-जिन सूचनाओं पर कार्यवाही नहीं की गयी है, उन पर कार्यवाही करके अगले सत्र में जो सूचना इस सदन में दी जाय उसके साथ इस सदन में रखा जाय।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेशविधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 10 और 11 में जो मा0 सदस्य इन विधेयकों के बारे में कुछ संशोधन देना चाहेंगे, उसको स्वीकार कर लूंगा और कार्यवाही उसी तरह से की जायेगी जैसे पहले से लिखकर देते हैं। जो देना चाहें दे सकते हैं।

कतिपय सदस्यों को गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मदसंख्या 12 के अन्तर्गत मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 12 सितम्बर, 1984 जो इस सचिवालय में 13 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री राधेश्याम पटेल, सदस्य, विधान सभा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत दिनांक 12 सितम्बर, 1984 को तहसील हेड क्वार्टर सोरांव, इलाहाबाद में गिरफ्तार किया गया और उसी स्थान से उसी समय उन्हें रिहा कर दिया गया।

सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद ने अपने पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1984 जो इस सचिवालय में दिनांक 13 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री अनवार मोहम्मद खां, सदस्य विधान सभा को दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के उल्लंघन करने में दिनांक

12 सितम्बर, 1984 को अपराह्न 2.50 बजे कायमगंज में गिरफ्तार किया गया और उन्हें इस समय केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में रखा गया है।

जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक सीतापुर ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 12 सितम्बर, 1984 जो इस सचिवालय में 13 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116/151 के अन्तर्गत दिनांक 12 सितम्बर, 1984 को गिरफ्तार किया गया और सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा उसी दिन रिहा कर दिया गया।

जिलाधिकारी/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ने अपने रेडियोग्राम दिनांक 12 सितम्बर, 1984 जो इस सचिवालय में 13 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री नरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत 12 सितम्बर, 1984 को मेरठ सिटी में गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 13 सितम्बर, 1984 जो इस सचिवालय में दिनांक 14 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री नरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत दिनांक 12 सितम्बर, 1984 को गिरफ्तार किये गये थे को दिनांक 13 सितम्बर, 1984 को रिहा कर दिया गया है।

अपर नगर मैजिस्ट्रेट, मेरठ ने अपने पत्र दिनांक 13-9-84, जो इस सचिवालय में दिनांक 14-9-84 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया गया है कि श्री धर्मवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 13 सितम्बर, 1984 को अपराह्न 4 बजे गिरफ्तार किया गया और उन्हें इस समय जिला कारागार मेरठ में रखा गया है?

अपर नगर मैजिस्ट्रेट प्रथम मेरठ के पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 1984 जो इस सचिवालय में 15 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री धर्मवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा, जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 13 सितम्बर, 1984 को गिरफ्तार किया गया था, जो शान्ति भंग का अन्देशा समाप्त होने के कारण दिनांक 14 सितम्बर, 1984 को रिहा कर दिया गया।

जिला मैजिस्ट्रेट/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक जिला जेल, इटावा ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 12 सितम्बर, 1984 जो इस सचिवालय में 14 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री धनीराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116/151 के अन्तर्गत औरैया तहसील हेड क्वार्टर पर दिनांक 12 सितम्बर, 1984 को गिरफ्तार करके कैम्प जेल, इटावा में दाखिल किया गया।

जिला मैजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ने अपने वायरले सन्देश क्रमशः दिनांक 14 सितम्बर एवं 13 सितम्बर, 1984 जो इस सचिवालय में दिनांक 15 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुए हैं, में सूचित किया है कि श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, सदस्य, विधान सभा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116/151 के अन्तर्गत दिनांक 13 सितम्बर, 1984 को महाराजगंज तहसील मुख्यालय पर गिरफ्तार किया गया और उसी दिन सायंकाल न्यायालय के उठने पर रिहा कर दिया गया।

जिला मैजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 14 सितम्बर, 1984 जो इस सचिवालय में 15 सितम्बर, 1984 एवं 16 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुए, में सूचित किया है कि श्री हरगोविन्द वर्मा, सदस्य, विधान सभा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116/151 के अंतर्गत दिनांक 1

सितम्बर, 1984 को 7 बजे सायंकाल गिरफ्तार किया गया और एस0 डी0 एम0 के न्यायालय द्वारा उसी दिन 7·10 बजे सायंकाल रिहा कर दिया गया ।

जिला मैजिस्ट्रेट/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 14 सितम्बर, 1984, जो इस सचिवालय में 15 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुए, में सूचित किया है कि श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/115/151 के अन्तर्गत दिनांक 14 सितम्बर, 1984 को 16·30 बजे कलेक्ट्रेट में गिरफ्तार किया गया और उसी दिन 17·45 बजे रिहा कर दिया गया ।

जिला मैजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 14 सितम्बर, 1984, जो इस सचिवालय में 15 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री श्याम सिंह, सदस्य, विधान सभा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत धामपुर में दिनांक 14 सितम्बर, 1984 को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन रिहा कर दिया गया ।

जिला मैजिस्ट्रेट, झांसी ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 14 सितम्बर, 1984, जो इस सचिवालय में 15 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, सदस्य, विधान सभा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत मऊरानीपुर में दिनांक 14 सितम्बर, 1984 को 13·50 बजे गिरफ्तार किया गया और उसी दिन 17 बजे रिहा कर दिया गया ।

जिला मैजिस्ट्रेट, बस्ती ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 13 सितम्बर, 1984 जो इस सचिवालय में दिनांक 14 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पांडेय, सदस्य, विधान सभा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 13 सितम्बर, 1984 को थाना डुमरियागंज में 8 बजे अपराह्न में गिरफ्तार किया गया और उसी दिन 5 बजे उनके द्वारा शान्ति भंग की आशंका न होने के कारण एस0 डी0 एम0, डुमरिया गंज द्वारा रिहा कर दिया गया ।

एस0 डी0 एम0/अधीक्षक जिला जेल, बाराबंकी ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 14 सितम्बर, 1984, जो इस सचिवालय में दिनांक 16 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुए, में सूचित किया है कि श्रीमती पार्वती देवी, सदस्य, विधान सभा, जिन्हें दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत 13 सितम्बर, 1984 को गिरफ्तार किया गया था, को 14 सितम्बर, 1984 को रिहा कर दिया गया ।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालौन ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 14 सितम्बर, 198 , जो इस सचिवालय में 16 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा को दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107 के अन्तर्गत कालपी में दिनांक 14 गिरफ्तार किया गया और एस0 डी0 एम0 कालपी के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें जाती मुचलके पर उसी दिन सायंकाल 5 बजे रिहा कर दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (1984-85) का अठारहवां प्रतिवेदन†

श्री जगदीश प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1984-85) का अठारहवां प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश शासन के सिंचाई विभाग के अधीन सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित समिति के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1984-85) का उन्नीसवां प्रतिवेदन†

श्री जगदीश प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1984-85) का उन्नीसवां प्रतिवेदन, जो वर्ष 1982-83 में गन्ना समितियों में की गयी नियुक्तियों में गन्ना ग्राम सेवकों के पदों पर अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रतिशत पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1984-85) का बीसवां प्रतिवेदन†

श्री जगदीश प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1984-85) का बीसवां प्रतिवेदन, जो सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को जिलेवार दिए गए ऋण के विवरण पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1984-85) का इक्कीसवां प्रतिवेदन†

श्री जगदीश प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1984-85) का इक्कीसवां प्रतिवेदन, जो दिनांक 26 अप्रैल से 28 अप्रैल, 1983 तक मुरादाबाद मंडल, 8 नवम्बर से 15 नवम्बर, 1983 तक

†छापा नहीं गया ।

कुमायूं मंडल तथा 7 जून से 17 जून, 1984 तक गढ़वाल मंडल में शासकीय कार्यालयों एवं निगमों आदि की सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण की स्थिति की जानकारी करने हेतु अध्ययन भ्रमण पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम् प्रतिवेदन†

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम तथा निगम समिति (1983-84) का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का तृतीय प्रतिवेदन, जो भारत के महालेखाकार परीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) 1975-76, 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रास वेयर कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का चतुर्थ प्रतिवेदन †

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) 1975-76, 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश दि इन्डियन टरपेंटाइन एन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का पंचम प्रतिवेदन†

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का पंचम प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) 1979-80 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का षष्ठ प्रतिवेदन†

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का षष्ठ प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) 1973-74 तथा 1974-75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित और निगम के लेखा आदि से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1979-80) के द्वितीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित हैं, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि के मुआवजे के संबंध में श्री विजय कुमार सिंह निवासी ग्राम इस्माइल-गंज लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री कुबेर भंडारी—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत की गयी किसानों की भूमि के मुआवजा देने में की जा रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार सिंह, निवासी ग्राम इस्माइलगंज, पोस्ट बिनहट, परगना तहसील व जिला लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

ग्राम चकौरा के घाट पर पक्का पुल बनाने की मांग के सम्बन्ध में श्री हरिशंकर ग्राम प्रधान, नगला जसोला आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं आगरा की खारी नदी के ऊपर तहसील किरावली के ग्राम चकौरा के घाट पर पक्का पुल बनाने के सम्बन्ध में श्री हरिशंकर, प्रधान, ग्राम नगला जसोला, पोस्ट कागारौल, जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष —

माननीय अध्यक्ष ने विशेषाधिकार के दो निर्णय दिये हैं । उन्हें मैं पढ़कर सदन को सुनाता हूं ।

श्री राम स्वरूप निम, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 3 अप्रैल, 1984 को तत्कालीन माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में कहा है कि उन्होंने दिनांक 15-2-84 को नियम 301 के अन्तर्गत स्वर्गीय श्री खूब सिंह, आई० ए० एस० के परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित किये जाने तथा उजाड़े जाने के सम्बन्ध

†छापा नहीं गया ।
††छापी नहीं गयी ।

†छापी नहीं गयी ।

में ध्यान आकर्षित करते हुये सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की मांग की थी, जिसके उत्तर में तत्कालीन माननीय संसदीय कार्य मन्त्री न इस मामले को सी0 आई0 डी0 जांच के योग्य न पाया जाना बताया है । माननीय सदस्य का आगे कहना है कि अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत नियम 301 की सूचना एवं सी0 आई0 डी0 जांच का पालन नहीं किया गया और गलत सूचना देकर सदन को गुमराह किया गया है ।

मैंने माननीय सदस्य द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना, उसके सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर एवं सदन की दिनांक 15-2-84 की कार्यवाही का अवलोकन किया है । नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचना दी जाती है, अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किये जाने की दशा में सम्बन्धित माननीय सदस्य द्वारा उसका विषय सदन में लाया जाता है । तदुपरान्त सम्बद्ध मंत्री जांच के उपरान्त उसका अन्तरिम/अंतिम उत्तर सम्बद्ध सदस्य के पास भेज देते हैं । ऐसे मामले में मंत्री सदन में उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं हैं । प्रश्नगत मामले में भी तत्कालीन माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उत्तर सदन से बाहर दिया गया है । अतः उक्त उत्तर से सदन को गुमराह किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । इसके अलावा दिनांक 15-2-84 को सदन की कार्यवाही देखने से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में अध्यक्ष पीठ से सी0 आई0 डी0 से जांच कराये जाने के कोई निदेश नहीं दिये गये थे, अतः तत्कालीन माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उसके विपरीत उत्तर देने का भी प्रश्न नहीं उठता है ।

माननीय सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना उस पत्र पर आधारित है जो तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उन्हें 14-3-84 को भेजा गया था । उस पत्र की प्रतिलिपि माननीय सदस्य न अपनी सूचना के साथ संलग्न भी नहीं किया था । इस प्रकार प्रक्रिया नियमावली के नियम 64 का भी अनुपालन नहीं हुआ है ।

अतः इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्गस्त नहीं है और मैं इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

भूमि विकास बैंक, फतेहपुर बाराबंकी में कार्यरत श्री रज्जन अमीन एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष —

दूसरा श्री जमुना प्रसाद, सदस्य, विधान सभा ने भूमि विकास बैंक तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी में कार्यरत श्री रज्जन अमीन एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनांक 21 फरवरी, 1984 को दी थी । इस सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि जब वे कृषकों की समस्या लेकर उक्त बैंक गये और उन्होंने कृषकों के ऋण के लेनदेन में शोषण को रोकने का प्रयास किया तो कर्मचारियों को बुरा लगा और श्री रज्जन अमीन एवं बैंक के अन्य कर्मचारियों ने उनके एवं अन्य सदस्यों के प्रति अशिष्ट एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया । माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में फतेहपुर थाने में लिखायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी संलग्न की है ।

इस सम्बन्ध में मैंने तत्कालीन माननीय सहकारिता राज्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी । यह जानकारी वर्तमान राज्य मंत्री सहकारिता के हस्ताक्षर से प्राप्त हो गयी है जिसमें यह सूचित किया गया है कि मामले की

जांच वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, लखनऊ द्वारा करायी गयी और उक्त अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में बताया है कि 'नो ड्यूज सार्टिफिकेट' देने में शाखा अंकित श्री बृज किशोर अवस्थी ने टाल-मटोल अवश्य की, जिसके लिए उन्हें दिनांक 1--3-84 को चेतावनी दी जा चुकी है एवं श्री रज्जन अमीन को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश भी 19 मार्च, 1984 को निर्गत किये जा चुके हैं। माननीय राज्य मंत्री ने यह भी सूचित किया है कि जांच अधिकारी की आख्या के अनुसार माननीय सदस्य के प्रति बैंक की उक्त शाखा के कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।

माननीय सदस्य की सूचना एवं माननीय राज्य मन्त्री, सहकारिता द्वारा दी गयी जानकारी पर विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्य, सदन या उसकी किसी समिति के कार्य के सम्बन्ध में उक्त बैंक नहीं गये थे। अध्यक्ष पीठ से समय-समय पर यह व्यवस्था दी गयी है कि ऐसे मामलों में, जिनमें माननीय सदस्य, सदन या उसकी समिति से भिन्न कार्यों के सम्बन्ध में स्वेच्छा से कहीं जायं तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं होता है।

जहां तक माननीय सदस्य के एवं अन्य सदस्यों के प्रति प्रयोग किये गये अशिष्ट तथा अपमानजनक शब्दों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त कर्मचारियों ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। माननीय सदस्य ने प्रथम सूचना रिपोर्ट की जो प्रति अपनी शिकायत के साथ संलग्न की है उसमें भी इस आशय का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार इस मामले में सदन की अवमानना का प्रश्न भी अंतर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता।

उपर्युक्त परिस्थिति में मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में सदन में उठाये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 सितम्बर, 1984 की बैठक में दिनांक 17 सितम्बर, 1984 के सदन के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किये जाने की संस्तुति की है—

1. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार एवं उसका पारण 15 मिनट।

2. असरकारी कार्य—अपराह्न 3 बजे तक।

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसका पारण—

(क) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, आधा घंटा।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, आधा घंटा।

(ग) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, आधा घंटा।

स(घ) उ0 प्र0 सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, आधा घंटा

4—दिनांक 14 सितम्बर, 1984 की कार्य सूची में सम्मिलित सभी वक्तव्य ।

5—निम्नलिखित सूचनाओं पर चर्चा—

(क) वन भूमि हस्तान्तरण में प्रदेश सरकार की घोर उदासीनता एवं लापरवाही से पर्वतीय क्षेत्र में विकास अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में सर्वश्री शिवानन्द नौटियाल एवं कुंवर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अधिसूचित सूचना पर आधे घंटे की चर्चा ।

(ख) गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर 60 करोड़ रुपये बकाए की सरकारी घोषणाओं के बाद भी अदायगी न होने से उत्पन्न गन्ना किसानों की स्थिति के सम्बन्ध में श्री रियासत हुसैन, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अधिसूचित सूचना पर आधा घंटे की चर्चा ।

समिति ने यह भी संस्तुति की है कि सदन के दिनांक 17 सितम्बर, 1984 के उपवेशन में नियम 51 तथा 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि आज सदन का अन्तिम दिन है और नेशनल हेराल्ड म हड़ताल चल रही है, 27 लाख रुपया के रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुए थे, जो मुख्य मन्त्री के आदेश से । तो 2-3 मामले ऐसे हैं, जिनको लिया जाना आवश्यक है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का मामला, नेशनल हेराल्ड में हड़ताल चल रही है और कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया है, इसलिये नियम 56 को ले ल ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा अनुरोध है कि यह कार्य मन्त्रणा की सिफारिश है, इसमें मुझको या सदन को संशोधन करने का अधिकार नहीं है । केवल यही संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है कि या तो बिना किसी परिसीमा के या किसी विशेष विषय के सम्बन्ध में समिति को पुनर्निर्दिष्ट कर दिया जाय । यदि इस प्रकार का प्रस्ताव रखें और उसको सदन पास कर दें तो मैं कर सकता हूं ।

श्री मोहन सिंह—

मेरा संशोधन का प्रस्ताव मान लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक 14 को हुई थी, उसके बाद कई घटनायें हुईं, इसलिये नियम 56 में दो मिनट ही सही चूंकि देवरिया में महत्वपूर्ण सूचना है कि पूरा गांव भागा है, वहां मुसलमानों की दाढ़ी नोच ली गई है, थाने में बन्द किया गया है और उनको पेशाब पिलाया गया है, इसलिए नियम 56 में मुझको इजाजत दें ।

श्री भीखा लाल—

उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्य मंत्रणा समिति के सुझाव का आखिरी बिन्दु जो है, उसमें अनुरोध करना है । मैं कार्य मंत्रणा समिति में भी था और सहमति थी कि नियम 51 और 56 की सूचनाएं आज न ली जायं, उसका कारण था कि शासन की तरफ से कहा गया था कि चूंकि एक सप्ताह का सदन चलेगा, आगे बैठना नहीं चाहते हैं, काम बहुत ज्यादा हैं, जरूरी काम हैं, जिनको पूरा करना चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, इसलिये इनको सहयोग दिया और नियम 51 और 56 न लिये जायं और सरकारी कार्य कर लिया जाय । मुझे आशा है कि हमें सरकार भी सहयोग

करेगी कि प्रदेश में अगले दो दिनों में ऐसी घटनायें न हों, जिन्हें हमें नियम 51 व 56 के माध्यम से सदन में उठाना पड़े। चूंकि इस बीच कुछ घटनायें घट गई हैं और सरकार की तरफ से हमको सहयोग नहीं मिला। नियम 56 में हमने भी दिया है कि राष्ट्रीय छात्र संगठन के नाम पर शासक पार्टी ने तथा कथित अराजकतत्वों को नागपुर में इकट्ठा किया, उन्होंने वहां क्या किया इसकी पूरे देश में चर्चा है, नागपुर में बलात्कार किया, दुकानें लूटीं, लोगों को अपमानित किया, लेकिन उससे हमें सरोकार नहीं है। इसी तरह पूना व भोपाल स्टेशनों में दुकानें लूटी गयीं, उससे भी हमें सरोकार नहीं किन्तु अपने प्रदेश में आगरा में स्टेशन पर जिस तरीके से दुकानें और स्टाल लूटे गये और बुक स्टालों को तोड़ा गया, स्टेशन के बाहर दुकानों को लूटा गया, यह ऐसी घटना है जिस पर इस सदन में चर्चा जरूरी है। सदन में कार्य मंत्रणा समिति का पूरा प्रस्ताव न रखें और आप अपने विशेषाधिकार द्वारा कार्य मंत्रणा के आखिरी बिन्दु को निरस्त कर दें ताकि संसदीय कार्य मंत्री बाकी के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखें और नियम 56 पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्री रियासत हुसैन और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी अभी तक कार्यमंत्रणा के प्रस्ताव के बिन्दु चर्चा का विषय नहीं बनते थे लेकिन आपने तो बहस शुरू कर दिया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जो संसदीय परम्परायें हैं उनके प्रति मैं अश्रद्धा व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। मैं इस परम्परा को अच्छी तरह से जानता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव आता है वह अस्वीकार नहीं किया जाता है लेकिन वापस किया जा सकता है। सदन की परम्परा रही है कि विषय की अविलम्बनीयता को देखते हुए अनेक बार अध्यक्ष पीठ ने इस प्रकार के फैसले दिए हैं—कार्यस्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, पर उसके बाद सुन लिया। तो आज भी यहां पर कुछ उसी प्रकार की विशेष स्थिति है मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं। साथ ही मैं किसी संसदीय परम्परा की किंचित मात्र अवहेलना भी नहीं करना चाहता हूं। इसलिए मैं बीच का रास्ता निकालना चाहता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति के कार्यक्रम को जो यहां रखा जायेगा, हम उसको पास कर देंगे, लेकिन कार्यमंत्रणा समिति की जो मीटिंग हुई थी, वह दो दिन पहले हुई थी। इन दो दिनों के अन्तराल में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं, उनको सुनकर शायद आपका भी विवेक जागृत हो जाये।

*श्री रियासत हुसैन—

जब कार्यमंत्रणा समिति की मीटिंग हुई थी तो उसमें सारे प्रोग्राम जो निश्चित हुए, जिनका प्रस्ताव माननीय मंत्री जी की तरफ से यहां आएगा, जैसा कि अध्यक्ष जी ने पढ़कर सुनाया है, उसमें आखिरी बिन्दु भी शामिल हो जाएगा। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके बारे में कमेटी में यह कहा गया था कि अगर कोई एक्सट्राऑर्डिनरी मामला प्रदेश में नहीं होता है, तो साधारणतया 51 और 56 लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अभी जैसा भीखा लाल जी ने बताया यह बहुत बड़ा मामला है, या जो ओझा जी ने बताया यह इतना बड़ा मामला सामने आ गया है कि उस पर विचार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि संसदीय कार्य मन्त्री जो प्रस्ताव रखें, उसमें आखिरी बिन्दु को छोड़कर शेष कार्यक्रम का प्रस्ताव रखें और उसे सदन पारित कर देगा। जो हम लोगों ने मामले अति महत्वपूर्ण के उठाए हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके ऊपर आप थोड़ा-थोड़ा मौका दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर सदस्यों की ओर से कुछ बातें कही गयीं, उसमें कई महत्वपूर्ण मामले हो गए हैं। एक होता तो सम्भवतः उस पर विचार कर लिया जाता तो अब मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मन्त्री जी यदि कोई सुझाव देना चाहें दे दें।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

देखिये, जो बात तय हो गई, उसका आदर होना चाहिये, चाहे नुकसान हो, चाहे नफा हो और आपने अपनी बात कह ली है, जो चाहते थे वह आ गया है। आप इसे पास करें और आगे चलें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

संसदीय कार्य मन्त्री खड़े हुए, मैं बड़ी गम्भीरता से उनसे उम्मीद करता था कि प्रदेश में जो विस्फोटक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए वह स्वयं करेंगे कि नहीं, उसकी सिफारिश होते हुए भी विशेष परिस्थिति में ये कार्यस्थगन प्रस्ताव हम सुनेंगे। क्योंकि नेशनल हेराल्ड प्रेस से सत्तारूढ़ दल के लोगों के दबाव से रिकवरी आर्डर के होते हुए भी जिलाधिकारी वसूली नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की भी बात है। वह हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सदन में बैठकर क्या करेंगे? अतः मैं संसदीय कार्य मन्त्री की इस अनुदारता पर अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए)

श्री राम सिंह खन्ना--

माध्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 14 सितम्बर, 84 में दिनांक 17 सितम्बर, 84 के सदन के कार्यक्रम के बारे में जो संस्तुति की है, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष ने आज सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव अभी इस सदन के समक्ष रखा गया है और जिसकी सूचना अभी उपाध्यक्ष ने सदन को दी है, यह सदन उससे सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

यह हमेशा इस सदन की परम्परा रही है कि कार्य मन्त्रणा समिति के प्रस्ताव (सिफारिश) पर कभी कोई वादविवाद नहीं हुआ है, लेकिन आज यह शुरू किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम आगे चलें।

दिनांक 6 अप्रैल, 1984 को श्री विजयपाल सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--

अब दिनांक 6 अप्रैल, 1984 को विजय पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 15 के सम्बन्ध में उनके ही अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन हेतु राजस्व मन्त्री

का शोधन वक्तव्य होगा। क्या इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सर्व सम्मति से पढ़ा हुआ माना गया।)

राजस्व मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

[अध्यक्ष महोदय, दिनांक 6 अप्रैल, 1984 को श्री विजय पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 15 के सम्बन्ध में श्री विजय पाल सिंह ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में अधिकतम जोत सीमा के अन्तर के बारे में कहा है कि इसके दो आधार बनते हैं। पहला, भूमि की उत्पादन क्षमता और दूसरा विशेष परिस्थितियां, माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि विशेष परिस्थितियां क्या हैं। दूसरा भूमि की उत्पादन क्षमता को जानने के लिए मिट्टी का परीक्षण सरकार ने किस एजेंसी से कराया है और उसकी रिपोर्ट क्या है, इसे माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?"

2--उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मान्यवर, मिट्टी का परीक्षण कराया गया या नहीं कराया गया, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन भारत सरकार के जो निर्देशक सिद्धान्त हैं उनके मुताबिक सीलिंग के नियम बनाये गये हैं। उसमें यह निर्धारण किया गया है कि इतनी उसमें सीलिंग की भूमि होगी और जो असिंचित भूमि होगी वह डेढ़ एकड़ बराबर एक एकड़ होगी और ढाई एकड़ बराबर एक एकड़ के होगी।"

3--उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है।

"प्रदेश में बुन्देलखंड, मिर्जापुर, जनपद की पहाड़ी पट्टियों तथा जिला इलाहाबाद, इटावा, आगरा और मथुरा के यमुनापारी क्षेत्र की कृषि सम्बन्धी स्थिति विशेष रूप से खराब है। इसी का ध्यान रखते हुये जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 337 में यह प्राविधान किया गया है कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ इन क्षेत्रों की डेढ़ एकड़ भूमि एक एकड़ सामान्य भूमि के बराबर समझी जायगी। इसी आधार पर इन क्षेत्रों के लिए सीलिंग कानून में भी क्षेत्रफल गणना में विशेष प्राविधान किया गया है। उक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त यमुना की गहरी धारा से सोलह किलोमीटर तक इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मथुरा तथा आगरा के जिले के यमुना के इस पार के भाग का इलाका बुन्देलखंड तथा यमुनापारी इलाके के समान है और उसकी स्थिति विशेष रूप से खराब है, क्योंकि पिछले बन्दोबस्त के दौरान इस क्षेत्र और बुन्देलखंड तथा यमुनापारी क्षेत्रों के लिए निर्धारित भूमि की मौरूसी दरों में विशेष भिन्नता नहीं है। इसी कारण इन क्षेत्रों को भी सीलिंग कानून की धारा 4(2) में बुन्देलखंड तथा यमुनापारी क्षेत्रों के समान सुविधा दी गयी है।

मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिये नत्थी 'ज' पीछे पृष्ठ 243 पर।)

विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय मामलों को निपटाने हेतु समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :--

चूंकि श्रीमती प्रेमवती यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री खजान

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सिंह केन, तत्कालीन तहसीलदार, बदायूं के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 27 अगस्त, 1982 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था,

और चूंकि श्री माता प्रसाद पांडेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री जयराम नाथ, तत्कालीन थानाध्यक्ष, बस्ती तथा उनके सहयोगी श्री पुद्दन मिश्र, बस्ती के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 21 फरवरी, 1983 को समिति को निर्दिष्ट हुआ था,

और चूंकि श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री उमा शंकर बाजपेयी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जालौन तथा श्री रामायण सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष, कदौरा जिला जालौन के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 9 सितम्बर, 1983 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था,

और चूंकि श्री राम आसरे पासवान, सदस्य, विधान सभा द्वारा थाना मुंडेरवा, जनपद बस्ती के श्री राम नारायण यादव, पुलिस उप निरीक्षक तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 21 फरवरी, 1984 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था,

और चूंकि श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री योगेन्द्र सिंह (श्री योगेन्द्र नाथ सिंह), तत्कालीन थानाध्यक्ष, बरगदवा (गोरखपुर) के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 1 मार्च, 1984 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था,

और चूंकि श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री प्रियदर्शी जेतली एवं श्री श्याम लाल वाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा जिलाधिकारी, मेरठ तथा वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, मेरठ के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न सम्बन्धित अधिकारियों के माफीनामें सहित दिनांक 9 मई, 1984 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था,

और चूंकि उक्त छः प्रश्नों पर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 268 के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाये जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का बढ़ाया गया समय अब वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक है,

और चूंकि उक्त सभी प्रश्नों पर निर्धारित अवधि के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है :

अतः सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उपर्युक्त सभी मामलों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विशेषाधिकार समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है क्या उनके अनुसार समय बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आगरा विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम का प्रस्ताव

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्रीमती सुनीता चौहान)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (XV) के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (XV) के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का सम्वर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1984

कृषि राज्य मन्त्री (श्रीमती बेनी बाई)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से,

*दिनांक 19 सितम्बर, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, इस पर मैं आपत्ति कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रस्ताव आ जाय फिर मैं आपको सुन लूंगा।

श्रीमती बेनी बाई--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का सम्वर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

आपत्ति यह है कि इस वक्त अनुज्ञा जिसकी मांगी जा रही है, उसमें वित्तीय ज्ञापन नहीं है और वित्तीय ज्ञापन नियमों के अनुसार अनिवार्य है। आप इसको देख लें। इसमें वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या इसमें कोई फाइनेंशियल लाइबेलिटी इनकी हो रही है?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, इसमें वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये, लेकिन इसमें वित्तीय ज्ञापन नहीं है, इसलिये यह पेश नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर इस विधेयक के माध्यम से कोई फाइनेंशियल इनवाल्वमेंट होता, तो वित्तीय ज्ञापन अवश्य लगता। इसमें कोई फाइनेंशियल इनवाल्वमेंट नहीं है। मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 118 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

"118—विधेयकों का वित्तीय ज्ञापन और विधेयकों में धन-खंड (1) जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा, जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।" अगर विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं होगा तो उसमें वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं सोचता हूं कि इसमें कोई अनियमितता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का सम्वर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का सम्वर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करती हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों को न लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 32 के सम्बन्ध में या जो हो चुका है 31 के बारे में व्यवस्था उठाना चाहते हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, 31 के बारे में व्यवस्था है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जिसके बारे में सदन ने निर्णय ले लिया है, क्या उसके बारे में चुनौती देना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

माननीय ओझा जी, आप चाहे जो प्रश्न उठायें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम प्रागदर्शन में उस प्रश्न का औचित्य तो हो।

(व्यवधान)

मद संख्या 31 के बारे में सदन निर्णय दे चुका है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मद संख्या 31 में नियम 56 की बात एजेंडे में मौजूद है। मैंने पहले भी बताया था, जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही थी, तब भी मैंने इसी बात को कहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात सही है कि आपने बताया था, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति ने आपकी बात नहीं मानी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

एक मिनट सुन लें मान्यवर, कम से कम।

गोरखपुर और देवरिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेंसर लगा हुआ है, कोई समाचार नहीं छप रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, अल्लियत के लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं, उनको थाने में

मारा-पीटा गया और उनकी दाढ़ी नोचीं गई ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था की आड़ में अगर आप कार्य-स्थगन प्रस्तुत करेंगे, तो वह अव्यवस्था होगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

वहां पर सेन्सर लगा है । कोई बात समाचारपत्र में नहीं छप रही है । यहां पर नियम 56 नहीं आ सकता है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि उन लोगों की भावना और अपनी भावना को कहां रखूं । जो इस प्रशासन में अल्संख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने बड़ी काबिलियत के साथ अपनी बात कह दी । इससे और अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता है आपने अपनी बात सरकार के संज्ञान में, सदन के संज्ञान में और मेरे संज्ञान में ला दी । अब आप बैठें इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री भीखालाल—

माननीय उपाध्यक्ष जी प्रदेश की शान्ति व्यवस्था बहुत ही दूषित हो गई है । यह शासन पंगु हो गया है । मैंने एक प्रस्ताव नियम-56 के तहत आगरा स्टेशन पर राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस आई के छात्र द्वारा जो लूटपाट की गई है उसके बारे में दिया था । उसको उठाने की इजाजत नहीं मिली । यह बहुत जरूरी थी, जिसे मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । लेकिन मैं जानता हूं कि इसे उठाने की अनुमति नहीं मिलेगी । अतः मैं इसके विरोध में सदन का त्याग 5 मिनट के लिए करता हूं ।

(श्री भीखालाल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कहेंगे तो सुनना तो पड़ेगा । आप किस बारे में कहना चाहते हैं ?

श्री किरन पाल सिंह—

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग काफी दिनों से चली आ रही है । 1981 में वहां पर कमीशन बैठाया गया और उसका समय बढ़ा दिया जाता है । वहां के वकीलों ने हड़ताल किया था और अब भी हर शनिवार को कोर्ट का बहिष्कार करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

हो गया, आप बैठें ।

श्री किरन पाल सिंह—

मैं शासन को आगाह करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की स्थापना नहीं की गई तो वहां पर अशान्ति पैदा हो जायेगी मैं चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)—

जैसा ओझा जी ने कहा है अगर इनकी भावना का कदर किया जाय और नियम 56 और 57 की सूचना सदन की बैठक के आखिरी दिन लिया जाय तो यह सदन हमेशा चलता रहेगा और हम कभी उठ नहीं सकते हैं । जो कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव है उसके विपरीत कार्य करने की आप इजाजत न दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह स्वीकृत हो गया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले व्यवस्था तो देने दें । आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले मुझे व्यवस्था देने दीजिए । जो व्यवस्था के प्रश्न में कहा है वह सब बिना मेरी आज्ञा के कहा गया है और यह सब अनावश्यक कहा गया है । अब हम आगे बढ़ते हैं ।

श्री ख्वाजा हलीम—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

विधेयक को आने तो दें, फिर व्यवस्था का प्रश्न उठाइयेगा ।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, जो बात ओझा जी ने कही है वह बिना आपकी अनुमति से कही है । वह प्रोसीडिंग का अंग नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो उसका जवाब भी देना जरूरी है । इसके लिए मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है । मेरा यह कहना पर्याप्त है कि यह मेरी आज्ञा के बगैर कहा गया है ।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, ऐसे आक्षेप शासन पर लगाये गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर मुझे कार्यवाही से इसको निकालना पड़ा तो मैं निकाल दूंगा ।

श्री राम सिंह खन्ना—

जब से कांग्रेस शासन रहा उसने अपने समय में बहुत कुर्बानियां दी हैं और दे रहा है....

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984†

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मद संख्या-32 के लिए बुलाया है ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह बात निर्विवाद है । इसको निर्विरोध पारित किया जाए ।

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†दिनांक 17 सितम्बर, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ठ में छपा है ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 को जनमत संग्रह के लिए एक मास तक परिचालित किया जाए।

मान्यवर, जब हम प्रस्ताव कर रहे हैं तो हमें इतना कहने की इजाजत दी जाए कि इस विधान सभा के, इस सदन के किसी कार्यकाल में इतना अन्यायपूर्ण विधेयक नहीं आया और मान्यवर, तर्क बहुत स्पष्ट है...

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

विधायक के कलेजे से पूछो।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

तेज बोलने से बात नहीं दबती है। यहां के जो भवन हैं जब से यह विधान सभा बनी है तब से बराबर दो मानक रहे हैं। एक तो मानक किराए वाला था जो दूसरा मानक है आधा किराया कर दिया जाता है। अब इसमें यह मालूम नहीं पड़ रहा है कि यह विधेयक कौन सा आया है। इसमें कह दिया कि 300 रुपया किराया हो गया। 300 रुपया किराया हो गया जो स्टैंडर्ड भवन हैं उनका किराया 300 रुपया हो जाएगा। अन्य व्यवस्था है वह अनैतिक हुई है। जो सदस्य इसमें रह रहे हैं वह आधे किराये का माना जाएगा। इसमें असली चीज यह है। (समय 2 बजकर बीस मिट) आज इतना अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है कि मान्यवर, अगर कहीं यह पास कर दिया गया तो किसी सदस्य को बाहर जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रदेश की जनता इनसे पूछेगी कि 37 वर्ष से आप इन विधायक सूटों में रह रहे हो और स्टैंडर्ड के नाम पर साज सज्जा वाला बंगला प्रयोग कर रहे हो, तो आज क्या हो गया कि इनका किराया 300 रुपये करके पिछले दिनों से बकाया दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सूबे में मेरी जानकारी में है कि ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो 5 कमरे के हकदार हैं लेकिन 3 कमरों में रह रहे हैं या 3 कमरे के हकदार हैं लेकिन एक या दो कमरे में रह रहे हैं। यदि इन विधायकगण की हैसियत है कि चाहे जो कुछ भी पास कर लें तो क्या अधिकारियों के दिमाग में यह बात नहीं आयेगी कि हम जिसमें रहने के हकदार हैं, वैसा मकान नहीं मिला तो हमारी प्रतिपूर्ति की जाय। तब तो यह खर्च करोड़ों में हो जायगा क्योंकि मेरे ज्ञान में बहुत से 3 कमरे वाले एक या दो कमरे में और 5 कमरे के हकदार 3 कमरे में रह रहे हैं। तो उनकी प्रतिपूर्ति क्यों न की जाय। कानून सबके लिये एक जैसा है। आप विधायक हैं, स्वयं कानून बना सकते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने लिये दूसरा और कर्मचारियों के लिये दूसरा बनावें। कानून एक जैसा होना चाहिए। यदि हमारी प्रतिपूर्ति की जाती है तो उनकी भी की जानी चाहिये। एक और विचित्र मसला सुनने में आया है, वह यह है कि पार्क रोड पर कुछ मकान बने हैं, चार या पांच कमरे के हैं। उनका मानक किराया 300 रुपये है। उनमें ऐसे लोग रह रहे हैं जो सत्तारूढ़ दल के हैं और उनसे किराया वसूली बहुत कठिन है। अब आप उनका मानक बढ़ाते हैं तो क्या उनको बढ़ा हुआ किराया नहीं देना पड़ेगा। अगर दस विधायक किसी एक हजार रुपये किराये के सरकारी बंगले में रह रहे हों, तो क्या उनसे एक हजार रुपया नहीं वसूल किया जाना चाहिये।

मान्यवर, मेरे ऊपर एक भी पैसा कहीं का बकाया नहीं है। मैं भी मन्त्री रह चुका हूं। लेकिन आपके यहां किराया देने का रिवाज ही नहीं है। मंहगे-मंहगे आवासों में सरकारी सत्तारूढ़ दल के लोग रह रहे हैं, जिनसे वसूली नहीं हो सकती। ये वास्तव में इनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमजोरी है जिसको दबाने के लिये ये कानून लाए हैं कि प्रतिपूर्ति कर दी जाय। इसकी कोई वजह भी तो हो। पांच कमरे वाले हैं, तीन कमरे में रह रहे हैं तो प्रतिपूर्ति कर दी जायगी, लेकिन अगर हजार रुपये के मकान में कुछ विधायक रह रहे हैं तो उसकी प्रतिपूर्ति किस प्रकार की जायेगी। आप सक्षम हैं जो चाहें कर लें। मैं एक तीसरा दृष्टिकोण भी प्रस्तुत कर दूं। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। सारे प्रदेश की जनता की ओर से बोल रहा हूं। यह जो किराये वाले मकान हैं, उनमें एक दृष्टिकोण और है कि ये लोग डेढ़ सौ रुपया प्राप्त करेंगे। यह क्यों प्राप्त करेंगे पैसा इन्होंने तो दिया नहीं। इनको जो स्टैंडर्ड आवास मिला, उसमें रहे। तो जो जिस मकान में रहा उसको ही स्टैंडर्ड मान लिया जाय। तीन सौ रुपया कर दिया जाय ठीक है। लेकिन मान लीजिये पार्क रोड के मकान का तीन सौ रुपया कर दिया जाय उनसे वसूलियाबी है। हम सरकार का दृष्टिकोण समझ नहीं पा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो सदस्य पार्क रोड पर रह रहे हैं, वह लिखकर दें कि हम गरीब हैं, हम इसे नहीं दे पायेंगे, तो सदन उसे माफ कर दे। एक लाख 50 हजार रुपये तो आप जनता का माफ नहीं कर सकते हैं, परन्तु अपना लगभग 40 लाख व 8 लाख स्थायी टैक्स को उससे लेना चाहते हैं। यह पूर्णरूप से अनैतिक है। मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं। यदि इसे पास किया गया तो माननीय सदस्यों की यह एक बहुत बड़ी जलालत होगी। जब आप जनता के बीच में जाओगे, तो उसे आप जवाब नहीं दे पायेंगे। यदि सरकार में हिम्मत है और इसे वह अनैतिक समझती है, तो उसे जनमत संग्रह के लिए इस विधेयक को जनता के बीच में घुमा देना चाहिए। यदि वह इसे अपनी इजाजत दे देती है, तो ठीक है और सरकार उसे मान ले।

*श्री भगवती सिंह विशारद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप इस तथ्य से पूर्णरूप से अवगत हैं कि विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों की बिरादरी ऐसी है कि जो अपनी उपलब्धियों के सम्बन्ध में स्वयं विचार करती है। मान्यवर, हमारी जो उपलब्धियां हैं, उनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक को स्वीकार किया गया। लेकिन प्रारम्भ में हमारे लिए जो अधिनियम बना था, उसमें इस बात की सुविधा दी गयी थी कि जो माननीय सदस्य विधान सभा की बैठक में भाग लेने के लिए आयेंगे, उनको दो दिन पूर्व का दैनिक-भत्ता दिया जायेगा और इसी प्रकार जब विधान सभा की बैठक समाप्त हो जायेगी तो माननीय सदस्यों को दो दिन बाद तक का दैनिक-भत्ता दिया जायेगा। यही बात विधान सभा से सम्बन्धित समितियों की बैठकों के लिए था कि जो माननीय सदस्य समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए आयेंगे, उनको एक दिन पूर्व का और समिति की बैठक की समाप्ति के बाद एक दिन बाद तक दैनिक-भत्ता दिया जायेगा।

मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं कि नौकरशाही का बोलबाला दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि वही चीज आपके कार्यालय में भी हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही है, जिसका नतीजा यह है कि हमारी उपलब्धियों में कटौती कर दी गयी है। हमें विधान सभा सत्र में आने पर एक दिन पूर्व का और सत्र की समाप्ति के बाद एक दिन बाद तक का दैनिक-भत्ता दिया जा रहा है। इसी तरह से समितियों की बैठकों में भी कटौती कर दी गयी है। मात्र जिस दिन बैठक होती है, उसी दिन का दैनिक-भत्ता दिया जाता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विधेयक पर विचार करने के लिए एक समिति बना दिया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो।

मान्यवर, इसी के साथ ही मैं माननीय सदस्यों को जो चिकित्सा सुविधायें दी जाती हैं, यदि आप इजाजत दें तो इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को जो चिकित्सा सुविधा दी जाती है, अगर उसके स्थान पर एक निश्चित धनराशि माननीय सदस्यों को दे दी जाय तो इससे माननीय सदस्यों का एक झंझट दूर हो जायेगा। टेलीफोन की जो सुविधा माननीय सदस्यों को प्रदान की गयी है। और जितने सदस्यों के निवास स्थान देहात में हैं उनको जो टेलीफोन बाहर को करने पड़ते हैं काल बुक कराने पर तो उसके पैसे उसे अपने पास से देने पड़ते हैं। इन तमाम सुविधाओं पर विचार करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया है, उसकी परिधि बढ़ाने के साथ-साथ क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करते हुए विचार करने का कष्ट करेंगे।

*श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय वर्मा जी ने इन प्रस्ताव का विरोध किया है इसी सिलसिले में मैं भी यह कहना चाहूंगा कि जो सुविधायें विधायकों को दी जा रही हैं और उनमें समानता लाने के उद्देश्य से यह किया जा रहा है और इसी आशय हेतु यह विधेयक लाया गया है। मान्यवर, समानता तो इस तरह भी हो सकती थी कि बजाय 300 रु0 देने के हरएक को डेढ़ सौ रु0 कर दिया जाता तो इस तरह भी समानता हो सकती थी। दारुलसफा के अलावा जिन विधायक निवासों में जो लोग रह रहे हैं, वह बहुत ही प्रभावी किस्म के लोग रह रहे हैं जिनसे एरियर्स किसी भी हालत में वसूल नहीं किया जा सकता था, इस वजह से 300 रु0 कर दिया गया और मान्यवर, समानता की जो बात की जाती है और आप दारुलसफा के ए0 ब्लाक को देखें, तो आपको मालूम होगा कि वह दिन पर दिन नर्क बनता चला जा रहा है, न वहां पर सफाई है, डब्ल्यू0 सी0 बेकार पड़े हुए हैं, लैटरीन्स सारी जाम हैं, कुर्सियां और दरियां टूटी और फटी हुई हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं है। इन चीजों को सही करने के लिए फिर विभाग एक विधेयक और लायेगा, जिसका जनता पर अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

मैं वर्मा जी की बात का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो भावना अभी व्यक्त की है, इससे तो यही मालूम होता है कि विधायक निवास जितने भी हैं, सभी को बुल्डोजर से तुड़वाकर उनके स्थान पर झोपड़ी बनवा दी जानी चाहिए, इनका कहने का आशय कुछ इसी प्रकार का है। दूसरे यदि आप देखें कि जब यह दारुल-सफा की बिल्डिंग शासन-तन्त्र ने बनवाई थी तो उन्होंने सोचा होगा कि जितने भी राजनीतिक आयेंगे एक तो उनकी शादी होगी ही नहीं, यदि होगी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी तो बीबी उनको भाग जायेगी और यदि किसी तरह रह भी गयी तो उसके बच्चे नहीं होंगे और यदि होंगे भी तो वह सारे मर जायेंगे, अगर जिन्दा भी रहे तो उन्हें स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस हिसाब से बनाया गया है। तीसरी बात जो सुविधायें हमें मिली हैं, उससे कहीं ज्यादा सुविधाओं का अन्यत्र लोग उपभोग कर रहे हैं, जो साढ़े तीन लाख की बिल्डिंग में ढाई हजार रु0 तनख्वाह पाने वाले आफिसर्स 10 परसेन्ट के हिसाब से इस साढ़े तीन लाख की बिल्डिंग में आराम से 250 रु0 में रह रहे हैं और हम उसमें जाने के इन्टाइटिल नहीं। क्योंकि हमें रुपया केवल डेढ़ सौ ही मिलते हैं और इस तरह इस बिल द्वारा हम एकरूपता लाने की बात कर रहे हैं। इस तरह की यदि आप चीफ पापुलरिटी द्वारा आप जनता को भड़काना चाहते हैं, जनता इसमें आने वाली नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री गौरी शंकर भैया—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वर्मा ने जो प्रस्ताव पेश किया है उपलब्धियों और पेन्शन के सम्बन्ध में, उसके सन्दर्भ में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, यह जरूरी समझा गया था कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, उनकी जितनी सुविधायें हैं, उनको अर्थ उपार्जन से अलग रखा जाय ताकि वे सामाजिक भावना के लक्ष्य की दिशा में काम कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री गौरी शंकर भैया—

मान्यवर, जब भी विधान सभा बुलायी जाती है, तो एक विधेयक जरूर आ जाता है उपलब्धियों और पेन्शन के सम्बन्ध में। दो बार से यह विधेयक आ रहा है, यह तीसरा आ गया। दो बार यह प्रस्ताव आ गया है कि सत्ता सत्ता पक्ष के विधायक, जिनको विधायक निवास में रहना चाहिए, मंत्री आवास में रह रहे हैं, उनसे रुपया वसूल किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे मंत्री हैं, जो मंत्री के बंगले में भी रहते हैं और दूसरी जगह भी कमरा लिए हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो इस विधेयक की परिधि है, कृपया उसी तक सीमित रहें। यह तो बहुत छोटा-सा विधेयक है।

श्री गौरी शंकर भैया—

मान्यवर, मैं अपनी बात पर ही आ रहा हूं। इसी प्रकार का एक विधेयक पिछले सत्र में आया था आपको याद होगा कि कि गोमती नगर क्षेत्र में विधायकों के लिए आवास बनाए जायेंगे इसके लिए 10,000 रु0 जमा किए जायं। मुझे जहां तक जानकारी है इसकी बाबत ढाई-तीन सौ विधायकों ने पैसे जमा कर दिए हैं, साल भर से उसको ऊपर हो गया है। मैंने भी 10,000 रु0 इसमें जमा किए हुये हैं। मान्यवर, एक दिन उसकी बाबत अखबार में पढ़ा कि विधायक लोग अभी यह नहीं तय कर पाए हैं कि उनको कहां मकान मिलना चाहिए इसलिए देरी हो रही है। चूंकि इसमें मैं भी फंसा हुआ हूं इसलिए मुझे भी लिखकर आया कि साहब आप कहां मकान लेना चाहते हैं, गोमती नगर में मिल नहीं सकता, लखनऊ में और कहीं चाहते हों, तो लिखकर भेज दीजिए।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि अगर उनकी इस मामले में नीयत साफ है कि विधायकों को कहीं मकान देना है, तो जल्दी से कहीं मकान बनवाकर दे दीजिए, हम लोगों को। यदि अभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसा विचार नहीं है, तो हम लोगों को पैसा वापस कर दीजिए।

मान्यवर, इन्ही शब्दों के साथ में वर्मा जी के प्रस्ताव पर जोर देता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, एक जानकारी चाहता हूं। जहां तक मुझे स्मरण है, जहां तक उपलब्धियों का मामला है, यह भी तय हुआ था या विचारणीय थी कि विधायकों को ऋण दिया जाय और उन्हें वरीयता के आधार पर जोप दिलायी जाय। इसमें कुछ बतला दीजिए।

*श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं माननीय वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को अच्छी तरह से देख लें कि वह मंत्री रहे हैं और भूतपूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, शायद उनकी कंजूसी की वजह से ही जनता ने उनको एक तरफ किया है। मान्यवर, हम लोगों की बुरी नीयत नहीं थी, हमारे बीच में दो तरह की व्यवस्था थी कि कुछ 300 रु0 के क्वार्टर में रह रहे थे और कुछ 150 रु0 के क्वार्टर में रह रहे थे, इस वजह से लोगों में क्वार्टर लेने की होड़ लगी हुई थी, उस होड़ को कम करने की वजह से यह किया गया है। इसलिए मैं वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसे वापस ले लें और इस [× ×] से बाज आयें।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अभी अपने भाषण में [× × ×] शब्द का इस्तेमाल किया है, यह अनुचित है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह निकाल दिया जायेगा।

*श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए कुछ विचार अपने रखना चाहता हूं। सदन में यह जो संशोधन विधेयक रखा गया है, उसकी मंशा यह थी कि जो पार्क रोड में लोग रह रहे हैं, उनसे रुपया न लिया जाय और जितना किराया पार्क रोड का था, वह सबको दिया जाय। ताकि भविष्य में पार्क रोड में रहने वालों को कुछ न देना पड़े, उनसे तकादा न हो।

मान्यवर, एकता लाने के लिए या समानता लाने के लिए यह तो होना ही चाहिए था कि उनसे अब तक का किराया वसूल कर लिया जाता। जिस वक्त वह गए थे उनको जानकारी थी कि किराया ज्यादा है। उनसे मांग भी हुई लेकिन वह वसूल नहीं हुआ। जिस दिन से यह पास कर रहे हैं उस दिन से आगे जो पार्क रोड में था 300 रु0 प्रतिमाह वाले में रहेगा, उससे उतना ही लगेगा और दारूलसफा वालों को अधिकार होगा कि दो फ्लैट ले सकते हैं। एक फ्लैट देकर 150 रु0 कैश दिया जायगा, यह अनुचित है। दारुल-सफा का एक फ्लैट किसी भी तरह से हमारे लिए और आने वाली जनता के लिए पर्याप्त नहीं है। दारूलसफा "ए" और "बी" ब्लाक में एक ही लैट्रीन और बाथरूम है। कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे हम संतुष्ट हो सकें। इसके साथ ही मैं इसका विरोध करता हूं कि बकाया धनराशि न ली जाय।

श्री राम सिंह खन्ना—

हमने तो सदन की भावना का आदर करते हुए और आश्वासनों का आदर करते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपकी भावनाओं के अनुकूल यह विधेयक आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा थी कि आप इसका स्वागत करेंगे कि इस विडम्बना को दूर किया जाय। हमें अफसोस यह हुआ कि हमारे लायक दोस्त वर्मा जी ने यह कहा कि विधायक निवास में रहने वाले पार्क, रोड में रहने वाले यह दरखास्त करें कि हम गरीब हैं और माफ कर दिया। इस सदन के सारे लोग बैठे हुए इसको सुनते रहे। आप कितना स्तर गिरा देना चाहते हैं? इसके बाद आप नैतिकता की बात करते हैं। जनता के चुने हुए नुमाइन्दों का इस तरह चरित्र हनन किया जाय, इससे बड़ा निरादर कोई कर नहीं सकता। आप स्वयं यहां बैठे हुए अपने को असम्मानित करते हुए जनता को निदेश देते हैं कि हमको गालियां दो। आप इस तरह का आचरण करें कि लोग निरादर करने लगें, हम इसको नहीं मानते। इस सदन की गरिमा को मानते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, हमने उसको पूरा किया। हम चाहेंगे कि आप इस दृष्टिकोण से इसको देखें। सदन की मर्यादा रखते हुए सबने बातचीत की और कहा कि यह उचित है और लोगों ने मांग की है और आपने आश्वस्त किया, तब हमने इसको माना। इन शब्दों के साथ प्रार्थना करूंगा कि इसको वापस ले लें। जहां तक विचार करने की बात है, कोई भी मुद्दा हो, उस पर विचार किया जाता है, सोचा जाता है। आज भी अगर जरूरत होगी तो विचार किया जायगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको वापस लेकर निर्विरोध सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री राम स्वरूप वर्मा को सम्बोधित करते हुए।)

माननीय वर्मा जी, क्या आप इसको वापस ले रहे हैं?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री तो इतने गुस्से में आ गये कि उपचार के नाम पर छल व नाटक की बात करने लगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह बताइये कि आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं पहले उनकी बात का उत्तर दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप केवल यह बतायें कि क्या आप प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं तो उन्हीं की बात का उत्तर दे रहा हूं आपने इसे अन्यथा कैसे समझ लिया? माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि हमने विधायकों को बुरा कह दिया इससे उनका स्तर गिर गया या हमने यह कह कर गिरा दिया माननीय मन्त्री जी आप बतायें कि हमने कहा कि 15 या 20 विधायक, जो पार्क रोड पर रह रहे हैं वे या तो किराये का पैसा दे दें और यदि वे पैसा नहीं दे सकते हैं तो कह दें कि हम गरीब हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं। आप इस पर कह रहे हैं कि हम विधायकों का स्तर गिरा रहे हैं। मैं इस सदन के हर सम्मानित सदस्य की इज्जत करता हूं लेकिन यह बात मैं तर्क में देता हूं कि पार्क रोड के विधायकों के निवास का स्टैन्डर्ड किराया ज्यादा है करीब 1 लाख 50 हजार रु0 के वसूल होना है, अगर सब मिलकर 50 हजार रु0 दे दें तो यह कोई ज्यादा नहीं होगा फिर राज्य कोष पर केवल 1 लाख रु0 का ही भार पड़ेगा। आप 8 लाख 64 हजार की हानि का भार बढ़ा रहे हैं यदि आप यह 1 लाख रु0 माफ नहीं करते हैं। जो सदस्य अच्छी सुविधा भोगी हैं तो उन्हें किराया दे देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने संशोधन के विषय में बोलिये कि उसे वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं तर्कसंगत बात कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना है कि जब तक मैं बोलूं तब तक आप बीच-बीच में मुझे न टोकें ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन के प्रस्ताव के अनुसार इसके लिए केवल 15 मिनट स्वीकृत किये गये थे और अब 40 मिनट हो गये हैं, उसके बाद भी आप बोलना चाहते हैं, समय कम है इसलिये मैं कह रहा था कि आप अपने संशोधन के बारे में ही बोलें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, विधेयक पर यह नियम है कि पूरी चर्चा होनी चाहिये । जब विधेयक नियमों में बंध जाता है, उसके तर्क को जब प्रस्तुत न किया जाय, उसके लिये मर्यादा तो है पर आप बोलने पर रोक नहीं लगा सकते हैं । अब समय बंध गया है तो इसके लिये मैं जिम्मेदार नहीं हूं । आपसे निवेदन है कि मैं जब तक अपनी पूरी बात को न कह लूं तब तक आप मुझे बीच में न टोकें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

अब हो गया, आप प्रस्ताव को वापस भी लीजिये ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

कोई तर्क तो आपके पास है नहीं, संख्या के बल पर और वाणी के जोर पर आप दबाना चाहते हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, समय कम है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

विधेयक के लिये कोई समय की लिमिट नहीं होती है । मैं विषयान्तर करके बोलूं या पुनरावृत्ति करके बोलूं तो आप मुझे रोक सकते हैं । हम यहां पर अपनी बात को कहने के लिये आये हैं, आप अपनी संख्या के बल पर मुझको न बोलने के लिये मजबूर नहीं कर सकते हैं । मैं आंकड़ों के आधार पर बतलाऊंगा कि हम अपनी समझ में कितनी हानि देंगे । मेरी बात पर एक तर्क भी सरकार की ओर से नहीं आया कि 9 जून, 1982 से जो डेढ़ सौ रुपया दिया जा रहा है यह किस आधार पर दिया जा रहा है ? संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह नहीं बतलाया कि इनको पार्क रोड पर रिहायशी मकान रहने के लिये दिया गया है इनकी क्षमता 450 रु० किराया देने की नहीं है ? आप किराया बढ़ा दीजिये, यह कौन-सी बात हुई ? आप मानक के आधार पर किराये को बढ़ाते तो हम इस बात को मानते पर सैकड़ों आदमी अपना स्टैन्डर्ड किराया न दें और उसके बाद सरकार के खजाने से असंगत रूप से पैसा निकाल लें यह तो वैसा ही हुआ कि जैसे रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था । 69·6 सैकड़ा लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और हम अपने वेतन और भत्ता बढ़ाते चले जा रहे हैं । आज इनका स्टैन्डर्ड बदल गया है । आपको सुसज्जित मकान दिया जाता है रहने के लिये, इस्तेमाल करने के लिये और उसका आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह के सुसज्जित मकान रहने के लिये उपलब्ध हो पाते हैं ? आप किसके वोट पर चुनाव जीत कर यहां आये हैं भाई ? जिनसे चुनकर आये हैं, उनके पास रहने को कमरा नहीं है । आप बोल रहे थे कि 72 हजार कमरे 12×8 के कमरे बने हैं और आपके हिसाब से वह बढ़ते जा रहे हैं ।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

आप बोलने के काबिल नहीं हैं, इस विधेयक को लेकर अगर आप निकलना चाहेंगे तो निकल नहीं पायेंगे । आज आप इसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जब कोई माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव पेश करते हैं तो उस समय उसको अपना पक्ष रखने के लिए ज्यादा समय मिलता है और जब माननीय मंत्री जी बोल लेते हैं तो उसके बाद प्रस्तावक को कम से कम समय में अपनी बात को कहकर वापस लेते हैं या कहता है कि प्रेस करते हैं । लेकिन अगर यह विवाद बढ़ेगा, नियमानुसार और समयबद्ध प्रोग्राम को असमय कर देंगे तो कैसे काम चलेगा ? अगर यही सिलसिला है तो मुझे भी बोलने का मौका दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप जो नये बिन्दु उठायेंगे, उनका उत्तर देने का मौका माननीय मंत्री जी को नहीं मिलेगा । आपने सारे बिन्दु रखे और उन पर चर्चा हो गयी । आपने चर्चा दुबारा शुरू कर दी । प्रस्तावक जब दुबारा उत्तर देने के लिए खड़ा होता है तो या तो वह कहता है कि हम प्रस्ताव को वापस लेते हैं या जो तर्क रखे गए हैं उनका उत्तर देता है । तो इस तरह से तो इसका अन्त होने वाला नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि एक मिनट में आप अपनी बात को समाप्त कर दें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जो मुद्दे मेरे खिलाफ उठाये गए, कहा गया कि हम [×××] करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको निकाल दिया है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

कहा तो । जो ऐसा बोले हैं उसके विरोध में हमें बोलने का हक है । मान्यवर, मैं तो आपकी इज्जत करने के लिए तैयार हूं । इसलिए मुझे कहने दें । यह जब बोलते हैं तो हम कुछ नहीं कहते हैं । मैं दुहरा नहीं रहा हूं । एक भी तर्क इसके पक्ष में नहीं आया । माननीय मन्त्री जी ने यह नहीं कहा कि यह विधेयक पास होना चाहिए । हम सुसज्जित भवन में रह रहे हैं । उनके स्टैन्डर्ड को सब-स्टैन्डर्ड डिक्लेयर करने का कोई हक नहीं है और दूसरी बात यह है कि 5 साल का पैसा ले रहे हैं, यह अनैतिक कार्य है । अगर आपने इसको पास कर दिया तो यह एक नया प्रश्न उपस्थित हो जायेगा । इसलिए या तो आप इसको जनमत के लिए भेज दें या इसको वापस ले लें ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

मान्यवर, 4 बार ऐसा मौका आया है । हर बार माननीय सदस्य इसकी खिलाफत करते हैं और जब उपलब्धियां स्वीकृत हो जाती हैं तो सभी लोग ले लेते हैं । खिलाफत तो वह है कि वह न लें । वर्मा जी यही कहते हैं कि मैं भी वित्त मन्त्री रहा हूं । तो अगर वर्मा जी को अनुचित लगता है तो यह उनको अधिकार है कि वह न लें । मैं क्लोजर मूव करता हूं ।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

हमको अधिकार है कि हम कत्ल न करें लेकिन हमें यह भी अधिकार है कि हम कत्ल न करने दें ।

(व्यवधान)

अगर माननीय सदस्यों का आग्रह है तो मैं यह घोषित करता हूं कि मैं यह भत्ता नहीं लूंगा और इसका विरोध करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 को जनमत संग्रह के लिये एक मास तक परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और जो समस्यायें मैंने रखी थीं और जो प्रस्ताव दिया था उसके सम्बन्ध में उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में जब कभी इन बिन्दुओं पर विचार होगा कि वे इस विषय पर भी विचार करेंगे । इसी आश्वासन के साथ में अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री भगवती सिंह विशारद ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापस लेने की उन्हें सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1984 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 से खंड 4 तक, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 16 में :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 16 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में—

(एक) शब्द "उपधारा (1) में निर्दिष्ट" निकाल दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "विहित दर से" के स्थान पर शब्द "तीन सौ रुपये प्रति मास की दर से" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी; अर्थात्—

"(3) जहां किसी सदस्य को ऐसे आवास की व्यवस्था की जाय जिसका मानक किराया तीन सौ रुपये प्रतिमास से कम हो, वहां किराये के अन्तर का भुगतान ऐसे सदस्य को प्रतिकर आवास भत्ता के रूप में किया जायगा और जहां इस प्रकार व्यवस्थित आवास का मानक किराया उक्त धनराशि से अधिक हो, वहां किराये के अंतर को सदस्य से वसूल किया जा सकेगा।"

3—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) में,— धारा 17 का संशोधन

(क) खंड (ग) में, शब्द "प्रत्येक ऐसे" के स्थान पर शब्द "किसी" रख दिया जायगा;

(ख) खंड (घ) निकाल दिया जायगा।

4—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 16 के उपबन्ध 9 जून, 1980 से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने तक की अवधि के सम्बन्ध में भी लागू होंगे मानो ऐसे उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। संक्रमण-कालीन उपबन्ध

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 4 तक, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, अभी माननीय लोकपति त्रिपाठी जी ने कहा कि हम सब इसे लेते हैं । इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने इस सदन के सामने कह दिया है कि मैं इसको नहीं लूंगा और इसे अपने ऊपर लागू नहीं समझूंगा ।

(व्यवधान)

अगर हिम्मत हो तो इसी तरह से दूसरों से भी कह दें ।

श्री लोकपति—

मैं तो लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ख्वाजा हलीम—

विधेयकों के बारे में एक व्यवस्था का सवाल है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम आगे बढ़ गये हैं ।

श्री ख्वाजा हलीम—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

हलीम साहब, अब सम्भव नहीं है । आगे जो मदें हैं उनके लिए 3 बजे तक का समय निर्धारित है । वह ली जायेगी नहीं तो वे लैप्स हो जायेंगी ।

(व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था के प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं है कि आप किसी विषय पर बहस समाप्त होने के बाद उसको उठायें । हम आगे बढ़ गये हैं । उसके पहले आप उठा सकते थे । उसकी समाप्ति के बाद नहीं उठाया जा सकता ।

श्री ख्वाजा हलीम—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, आप सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं ? सुनने का कोई औचित्य नहीं । जब कोई विषय समाप्त हो गया, तो उसको ओपेन नहीं किया जायेगा ।

प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा 8 तक उर्दू की शिक्षा अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं आज अपने संकल्प को कि "इस सदन का निश्चित मत है कि

†दिनांक 6 अप्रैल, 1984 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा 8 तक उर्दू की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय" के सम्बन्ध में अपने तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने यह संकल्प अपने आदरणीय पुराने समाजवादी नेता श्री वासुदेव सिंह जो इस वक्त शासन के एक मन्त्री हैं, की प्रेरणा लेकर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी जो कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश स्वीकृत हुई थी उस कार्यक्रम के अनुसार इस पर चर्चा का समय 3 बजे तक का था और वह समय बीत चुका है। तो इस पर आप समय बढ़ाना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

15 मिनट का समय इसके लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री रियासत हुसैन—

चूंकि तीन बजे तक का समय पूरा हो गया है, 15 मिनट में मैं इस सम्बन्ध में अपने तर्क रख देता हूं बाकी यह आगे कांटीन्यू हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

15 मिनट का समय बढ़ा दिया जाता है।

(दर्शक दीर्घा से नारे लगाये गये और पर्चे फेंके गये।)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जब यहां आर्डिनेंस उर्दू के सम्बन्ध में आया जिसके बारे में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जो अब यू० पी० सो० सो० के अध्यक्ष हैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सदन के अन्दर और बाहर समय-समय पर इस बात की घोषणा की कि उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राज-भाषा बनायी जायेगी। इस सम्बन्ध में यहां कार्यसूची में भी लाया गया। इसी बीच एक-दो दफा उन्होंने यह भी कहा कि यह मर्द की जुबान है और उर्दू को दूसरी राजभाषा विधेयक पास कर दिया जायेगा। लेकिन वह अभी तक नहीं हो सका है। सत्ता पक्ष में इस इश्यू को लेकर तनाव बढ़ा और उस विधेयक को एक मन्त्री यहां बार-बार आर्डिनेंस के रूप में पेश करते रहे। आज अंतिम रूप से जब हम देखते हैं कि जिसके इशारे पर यहां सरकार बनती है या बिगड़ती है वह उर्दू का समर्थन करती है या नहीं वह इस बात से स्पष्ट होता है कि एक मन्त्री जो आर्डि-नेंस के रूप में बार-बार पुट करता है वह तो मंत्रिपरिषद् से बाहर कर दिया गया और जो इसका विरोध करता था मंत्रिपरिषद् में बना हुआ है तो इससे स्पष्ट है कि हाई कमान की नीयत क्या है ?

श्री खान गुफरान जाहिदी—

यह बात गलत है, बाकी आप अपनी बात कहें।

श्री रियासत हुसैन—

मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं आप अपनी बात से उसे साबित करेंगे कि क्या नीयत है ? श्रीमन्, मैं थोड़ा सा समय इस बात पर लूंगा कि उर्दू जुबान कैसे बनी और उसका सिलसिला कैसे चला ? उर्दू एक सबूत है हिन्दुस्तान के अन्दर नेशनल इंटीग्रेशन की क्योंकि उर्दू जुबान में लफ्ज उर्दू के माने हैं फौज जिसे 'लस्कर' कहते हैं इस हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ भाषा बोलने वाले थे और जो बाहर से आये वह भी मुख्तलिफ जुबान के लोग आये जो सेना में भर्ती हुए। तो उन सब के किए उन भाषाओं के शब्दों को लेकर एक जुबान बनायी गयी एक जुबान जो बनायी गयी उसका नाम उर्दू हुआ।

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

उर्दू मगजन क्या है ?

श्री रियासत हुसैन—

उर्दू अदब पर बहस नहीं चल रही है। यह उर्दू जुबान पर कह रहा हूं।

मान्यवर, अब नेशनल इंटीग्रेशन, जिसका सबूत मैं देना चाहता हूं कि उर्दू की खिदमत इस प्रदेश में मुंशी नवल किशोर ने सबसे ज्यादा किया। उर्दू जुबान की खिदमत जिन्होंने किया उनके नाम हैं—मुंशी नवल किशोर, मिर्जा हर गोपाल तुफ्ता, मुंशी बृज नारायण चकबस्त, मुंशी प्रेम चन्द, राजा दुर्गा प्रसाद, पटना, जौहर सिंह जौहर, गिरधारी लाल असद, रतन नाथ सरसार, फिराक गोरखपुरी, पं0 आनन्द नारायण मुल्ला। उर्दू का प्रताप, मिलाप, तेज बड़े अखबार हैं और यह फक्र उर्दू को ही है कि मिलाप अखबार का उर्दू एडीशन लंदन से भी छपता है। इस वक्त भी डा0 ज्ञान चन्द जैन, हेड आफ डिपार्टमेन्ट, हैदराबाद विश्वविद्यालय, डा0 हुकुम चन्द नैय्यर, हेड आफ डिपार्टमेंट, बनारस यूनिवर्सिटी, डा0 गोपी चन्द नारंग, हेड आफ डिपार्टमेंट जामे-मिलिया यूनिवर्सिटी, श्री जगन्नाथ आजाद, जम्मू यूनिवर्सिटी और डा0 मालिक राम ने गालिब पर रिसर्च किया है। डाक्टर इकबाल के जवाब सिकवा की मशहूर नज्म का तरजुमा खुशवंत सिंह ने किया और उर्दू ने ही "इंकलाब जिंदाबाद" का नारा दिया। उर्दू ने ही—"सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा", की नज्म दी, और उर्दू ने ही इंकलाबी शेर—

"सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे
दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए
कातिल में है।"

उर्दू जुबान में ही शायर मलिहाबादी ने इंकलाबी नज्म लिखी। ईस्ट इंडिया कम्पनी में फरजन्दों के नाम जो बाद में बंन कर दी गई उसी में—

"तीसरे फाके में गिरते हुए को थाम
ले, किसके तुम लाये थे सर शाहे जफर
के सामने।"

उन्होंने अंग्रेजों को एड्रेस करके कहा—"एक कहानी बक्त लिखेगा मजलूम की, जिसकी सुर्खी की जरूरत है तुम्हारे खून की।"

उन्होंने ही बगावत पर नज्म लिखी जिसमें कहा—

ऐ जवां मर्दो खुदारा बांध लो
सर से कफन,
बरहना सर फिर रही है इज्जते
कौमो वतन।

श्री लाल प्रताप सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक उर्दू की गरिमा का सम्बन्ध है उसका विरोध नहीं है और संविधान में 14 जुबानें रखी गयी हैं, इसलिए उर्दू की गरिमा को बताने की आवश्यकता नहीं है। आठवीं कक्षा तक वह अनिवार्य की जाये उसके सम्बन्ध में बतायें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जोश मलिहाबादी ने एक नज्म लिखी है, जिसका नाम है 'हुब्बे वतन और मुसलमान', उसमें उन्होंने लिखा है :—

"फर्ज भी कर लूं कि हिन्दू हिन्द
की रुसवाई है,
लेकिन इसका क्या करूं फिर भी
वह मेरा भाई है,
मर्द अगर हूं भाई का खून पी
सकता नहीं,
भाइयों का खून गर पी लूं तो
जी सकता नहीं।"

यह इतनी बड़ी चीज उन्होंने नेशनल इन्टीग्रेशन और उर्दू जबान के बारे में लिखी है। यहां पर जो सबसे बड़े उर्दू के हिमायती और हमदर्द मुंशी नवल किशोर जी थे, आप देखें की उनकी तारीफ में उर्दू में क्या लिखा गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके बारे में उर्दू में क्या लिखा है, यह आप इन लाइनों में देखें--

"मुंशी नवल किशोर उर्दू के मौसमे आजम हैं। अगर उन्हें पैगम्बरे उर्दू कहा जाए तो उसमें कोई मुगालता नहीं होगा।"

अब मैं अपनी बात को थोड़ा शार्ट कर रहा हूं। मुंशी नवल किशोर ने उर्दू की जो खिदमत की, उसकी बहबूदी के लिए जो काम किया है, उसके लिए उनके देहान्त पर उर्दू की दुनिया में कितना दुःख हुआ, उसके बारे में जो उर्दू में लिखा गया है, उसको भी आप देखें। किस तरह से उर्दू के लोग उनसे प्यार करते थे, इसमें आप यह देखें :

"मुमकिन नहीं उन्हें भुला सके उर्दू जुबां,
उर्दू का तो शबाब थे मुंशी नवल किशोर,
अगर मुतबे नवल किशोर न होता तो,
उर्दू जबान गदर 57 के बाद इस
कदर न फलती फूलती।"

अब आप उर्दू की वर्कत को देखिए, कितने ही उर्दू में तर्जुमा किन-किन किताबों के हुए हैं। सन् 1883 में मनु-स्मृति का तर्जुमा उर्दू में हुआ, मार्कण्डेय पुराण का 1895 में हुआ, 1881 में भागवत गीता का हुआ, हरतारक का 1881 में हुआ, देवी भागवत कामिल और मगत-माल का 1874 में हुआ। इसी तरह से आप आगे देखें, महाभारत (नसर) का तर्जुमा 1880 में हुआ। सूरसागर का 1881 और महिम्नस्त्रोत का 1879 में हुआ। इस तरह से आप देखें इतने महत्वपूर्ण धार्मिक और दूसरे ग्रंथों का तर्जुमा हिन्दी और संस्कृत जुबान से उर्दू में हुआ है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह देखें कि कितने नेशनल इन्टीग्रेशन को यह उर्दू जुबान है। इसको उत्तर प्रदेश में कायम रखने के लिए वहां समय-समय पर सरकारी आदेश जारी हुए हैं, जिनके जमाव से एक मोटी किताब तैयार हो गयी है। यह इसलिए जारी किए गए ताकि उर्दू जुबां का यहां पर प्रचार हो और जो लोग इसको बोलने वाले हैं, इसको पसन्द करने वाले हैं, उनको किसी प्रकार की शिकायत न हो। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि आगे उसका कोई पालन नहीं किया गया है। 15-7-48 को डायरेक्टर तालिमस्त की ओर से एक हुक्म जारी किया गया था कि--'लोकल बाडीज में प्राइमरी तालीम के जिम्मेदार दूसरे इदारों को यह इजाजत दे सकते हैं कि वह उन इलाकों में जहां मांग हो उर्दू के जरिए भी तालीम का इंतजाम करें।' लेकिन फिर भी इस पर कोई अमल-दरामद नहीं हुआ। फिर 20-8-49 को शिक्षा मंत्रियों की जो एक कान्फ्रेंस हुई, उसमें भी इस पर तवज्जो देने और जोर देने के लिए कहा गया है। उसमें उस मसले के मुतालिक पूरी पालिसी दी हुई है कि मुतालिक हुकूमत को सख्ती से अमलदरामद करने के एहकामात जारी किए जायं। उसमें जूनियर बेसिक पर हर जगह मादरी जबान में तालीम दिये जाने के इंतजाम किए जाने चाहिए और उसके लिए कम से कम एक टीचर की तकरीर का इंतजाम किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से इस संकल्प पर आपकी यह लम्बी चर्चा हो रही है, तो आज के बाद दुबारा आप ही इस पर शुरू कीजिएगा इसमें दोबारा आप थोड़ा सा लाभान्वित करें। आगे इस पर चर्चा होगी।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा और फिर बाद में समय मिलने पर आगे कहूंगा।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की लैंग्युज पालिसी के मुताबिक, (1) जिन बच्चे-बच्चियों की मादरी जबान उर्दू है

उनको इब्तिदायी तालीम की सहूलियतें दी जायं, (2) उर्दू मास्टर्स की ट्रेनिंग का और मुनासिब निसाबी किताबों की फराहमी का बन्दोबस्त किया जाय। सानवी (सेकेन्डरी) सतह पर उर्दू में तालीम की सहूलियतें मुहैया की जानी चाहिये। इसी के आधार पर आदेश हुआ कि हर स्कूल में एडवांस रजिस्टर रखा जाय जिसमें उर्दू पढ़ने वालों का रजिस्ट्रेशन हो और इसके लिये 1961 के सेंसस के अनुसार 15 परसेन्ट से ज्यादा उर्दू बोलने वाले जिलों की लिस्ट जिसमें 22 तहसीलें आती हैं के सम्बन्ध में घोषणा हुई। 4 हजार उर्दू टीचर्स को रखा गया। चूंकि इन सब आदेशों का जो समय-समय पर सरकार ने दिये उनका पालन नहीं हुआ इसलिए उर्दू जानने वालों को चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान हों, उनमें असन्तोष और बेचैनी पैदा हुई। मैं आगे अपनी तकरीर जारी रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 34 पर चर्चा जारी है और समय शेष नहीं बचा है इसलिए आइटम 35 स्वतः समाप्त होता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984

जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा [राज्य मंत्री (श्री हरिसिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, होम्योपैथिक शिक्षा को सरकार ने अपने हाथ में पूरे तौर पर ले लिया है। मान्यवर, यह विधेयक जैसा कि विधान परिषद से पारित होकर यहां पहुंचा है उसमें कोई गूढ़ या ऐसी बात नहीं है जिस पर बहुत तफसील से चर्चा करने की आवश्यकता हो। इसमें सिर्फ एक बोर्ड को गठित करने और आगे बढ़ाने का जो सिलसिला था उस सम्बन्ध में यह है। यह बोर्ड पहले अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था, इसके लिए सारी औपचारिकताओं की पूर्ति की जा चुकी है ताकि यह अच्छी तरह से काम कर सके। इस विधेयक पर ज्यादा न कहकर मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इसको पास किया जाय।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन में अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बोर्ड को हटाकर एक होम्योपैथिक मेडिसन कालेज पर एक नियंत्रक नियुक्त कर दिया है। मान्यवर, इसकी एक आदत बन गयी है कि कहीं प्रशासक और कहीं नियंत्रक नियुक्त कर देते हैं। जो बोर्ड बना हुआ था, वह सही फैसले करता था। आज पिछले तीन वर्षों से होम्योपैथिक कालेज में 3/3 सीटें खाली जा रही हैं। उधर पूरे उत्तर प्रदेश में डाक्टर्स की कमी है।

(3 बजकर 20 मिनट)

और उधर कालेज में स्टूडेन्ट की भर्ती नहीं हो रही है। यह तो नियंत्रक का हाल है। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से इस मूर्ख मंडल से निवेदन करूंगा कि यह नियंत्रक न बैठाये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बलवीर सिंह, यह विधान सभा है। आप क्या कह रहे हैं?

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं इनको मूर्ख मंडल की संज्ञा देता हूं। मैं सुझाव देता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां पर नियंत्रक न बैठाल कर बोर्ड की स्थापना करें । पिछले 3 वर्षों से यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में सी0 पी0 एम0 टी0 का कम्पटीशन करने की वजह से 2/3 सीटें आयुर्वेदिक में, यूनानी में तथा होम्योपैथिक में खाली रहती हैं, कारण यह रहा कि जो लोग एम0 बी0 बी0 एस0 में सेलेक्ट होते हैं और किसी वजह से वह दाखिला नहीं ले पाते, तो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी वाले एम0 बी0 बी0 एस0 में चले जाते हैं, जिसके कारण से 2/3 सीटें पिछले तीन वर्षों से खाली हैं । यह है कमाल नियंत्रक का । सी0 पी0 एम0 टी0 के बजाय आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी में दाखिला मेरिट लिस्ट पर होना चाहिये, ताकि सीटें खाली न रहें । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह जो विधेयक रखा है, इसे वापस करके बोर्ड की स्थापना करें और इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट 15 दिन में दे । मैं इस पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

आप संशोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

जी हां, मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं इस बात का एहसास करते होंगे कि होम्योपैथिक जगत में जो कठिनाई इस वक्त व्याप्त है, सी0 पी0 एम0 टी0 की कठिनाई, डाक्टरों की तमाम कठिनाई, होम्योपैथिक फार्मासिस्टों की कठिनाई रही है कि जो होम्योपैथिक को प्रोत्साहन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के समय में मिला हुआ है, मैं इसकी सराहना करता हूं । जो कठिनाई विकास में आ रही है, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए बोर्ड का गठन आवश्यक है । इसलिए मैं माननीय बलवीर सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आग्रह करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

हमारे माननीय सदस्य इसकी मंशा समझ नहीं सके । होम्योपैथिक बोर्ड का विघटन 1978-79 में हुआ था होम्योपैथिक छात्रों के आन्दोलन के समय में तत्कालीन शासन ने किया था, इसका चुनाव होना है और चुनाव की प्रक्रिया चलाया जा रही है और चूंकि समय इसका समाप्त हो रहा है, इसलिए अनुरोध है कि जो व्यवस्था 1978-79 से चली आ रही है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाय, ताकि हम चुनाव कराकर बोर्ड का गठन कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री बलवीर सिंह से)

आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

नहीं, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 15 दिन में अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3 खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा ।

(2) यह 7 अगस्त, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1952 की धारा 53 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 53 में, उपधारा (1) में शब्द "छः वर्ष" के स्थान पर शब्द "सात वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15, सन् 1984

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम, द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधि मान्यता) विधेयक, 1984

*शिक्षा राज्य मंत्री (डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधि-मान्यता) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्रीमन् जुलाई, 78 से 16 अगस्त, 1984 तक कुछ विश्वविद्यालयों...

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह मानते हुए कि संयुक्त उत्तरदायित्व है तकनीकी दृष्टि से यह बात सही है लेकिन व्यावहारिक और संसदीय परम्पराओं को देखते हुए जिस मंत्री का जो काम है उसके सदन में उपस्थित रहते हुए कोई भिन्न मंत्री भारसाधक सदस्य बन जाय क्या यह उचित है ? मैं वीरसेन जी को वर्षों से जानता हूं । शिक्षा में कार्य का विभाजन हो चुका है । कौशल जी प्राथमिक शिक्षा, श्रीमती सुनीता चौहान, सेकेन्डरी शिक्षा और वीरसेन जी उच्च शिक्षा के हैं । माननीय वीरसेन जी बैठे हैं उनके रहते राज्य मंत्री भारसाधक सदस्य के रूप में उनका काम करें क्या यह उचित है ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री के रहते हुए, राज्य मंत्री शिक्षा ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है । आपने स्वयं कहा कि संयुक्त उत्तरदायित्व है मंत्रि परिषद का, जब मंत्रि मन्डल का संयुक्त उत्तरदायित्व है तो मेरे विचार से इस प्रश्न का औचित्य नहीं है । राज्य मंत्री को विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

कुमायूं विश्वविद्यालय में और अन्य विश्वविद्यालयों में जितनी रिक्तियां थीं, जो स्वीकृत पद थे उनका विज्ञापन किया गया । परन्तु जैसा विज्ञापन में होता है रिक्तियां घट बढ़ सकती हैं । जब चयन समिति बैठी तो उस समय उन रिक्तियों के लिये जो विज्ञापन में दी गई थी उससे ज्यादा रिक्तियां मौजूद थीं, उसके अनुसार चयन किया गया, जो आवश्यक अर्हतायें थीं उसको वह रखते थे । चयन समिति द्वारा उनका चयन किया गया । इस प्रकार की संख्या कुल 50, 55 है उत्तर प्रदेश में । चयन हो गया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया तो कुछ लोगों ने चयन के विरुद्ध कुलाधिपति के पास गये, कुछ लोग हाईकोर्ट में गये और वहां पर यह निर्णय लिया गया कि चूंकि विज्ञापन उतने ही पद के लिये था इसलिये उतने ही पद के लिये चयन होना चाहिये ज्यादा नहीं । उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधि-नियम, 1973 की धारा 31 के खंड 10 के अनुसार—"इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिये चयन तब तक नहीं किया जायगा, जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाए जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचलन हो । लेकिन हाईकोर्ट ने यह विचार किया कि वह रिक्ति इस तरह ज्यादा जोड़ दीं । हालांकि पद सृजित थे । आवश्यक योग्यता अभ्यर्थी रखते थे विधिवत् समिति द्वारा चयन किया गया । चयन होने के बाद कार्य शुरू किया था । तब

से लगातार काम भी कर रहे थे लेकिन वह पहले जहां कार्य करते थे वहां उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार और कुलाधिपति के निर्णय के अनुसार यह समझा गया कि इस प्रकार प्रदेश में जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनको विधिमान्य किया जाए। इसलिए यह बहुत सीधा-साधा विधेयक है। इसमें कोई अनियमितता नहीं है। मैं समझता हूं कि सर्वसम्मति से हमारे इधर के और हमारे उधर के जो माननीय सदस्य बैठे हैं, जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनके भविष्य की बात है मैं अनुरोध करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों का विधिमान्यता) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन का एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन में अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैंने देखने में बहुत छोटा लगने वाले विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव जानबूझ कर दिया है, इसलिए कि जब पिछली बार शिक्षा पर बहस हो रही थी उस समय मैंने यह बात कही थी कि शिक्षा विभाग में इस तरह की बहुत बातें चल रही हैं बहुत सी विसंगतियां हैं, उनको ठीक किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैंने यह भी मांग की थी कि हर चीज पर विचार किया जाना चाहिए। विचार के बाद कोई रास्ता निकलेगा और सही निकलेगा, तो भ्रष्टाचार दूर होगा। जहां तक सिद्धान्त का सवाल है कहीं कहीं ऐसे विद्यालय हैं जहां चयन समिति द्वारा अध्यापकों को नहीं लिया गया है, जो 15-20 साल से काम कर रहे हैं उनको आप स्थायी नहीं कर पाए हैं। आपने उन सबके बारे में कोई चिन्ता नहीं की। विचार करने के लिए हमारे सामने एक टुकड़ा आ गया और पूरी शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त जो विसंगतियां हैं, जिसके कारण आन्दोलन चल रहा है, इन्टर कालेजों के अध्यापकों का आन्दोलन हाई स्कूल के अध्यापकों का आन्दोलन, चारों तरफ जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है उसका कारण यह है कि शिक्षा व्यवस्था पर टुकड़ों में विचार किया जाता है। पहली आवश्यकता यह थी कि यह 57 पद कौन से हैं, उनकी मेरिट की जानकारी सदन को दी जाती कि क्यों गलती रह गयी थी क्यों इनका चयन नहीं हुआ ? उनकी लिस्ट आदि पर सदन अपनी राय व्यक्त करता। आपने सदन के समक्ष लिस्ट प्रस्तुत नहीं की, इस बात को देखते हुए अगर आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाए कि सिद्धान्त सही होने पर भी भेदभाव का आरोप लगा दिया जाए। जिनका दबाव पड़ा उनका विधेयक आप ले आए जिनका दबाव नहीं पड़ा उस पर विधेयक नहीं लाए।

इन्टर कालेज के प्रिंसिपल मेरे पास आए उनका मामला इस तरह का था कि जो तारीख आपने निश्चित की उस तारीख से दो-तीन दिन पहले विज्ञापन हो गया। वह चार-पांच वर्षों से कार्य कर रहे थे। उन्हें स्थायी नहीं किया गया। मेरा सुझाव यह है कि शिक्षा को सर्वांगीण स्वरूप में देखें। उसको देखकर और उसकी विसंगतियां दूर करके कर्मचारियों के असंतोष को दूर कर पाएंगे। यह विश्वविद्यालयीन शिक्षा का मामला है। इसके लिये मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपके तदर्थ अध्यापकों का आन्दोलन चल रहा है, क्यों चल रहा है ? वह एक निश्चित अवधि तक कार्य कर चुके हैं। राजकीय कर्मचारियों के लिये तो आपने कह दिया कि जिनकी एडहाक नियुक्ति की गयी थी उनको आप नियमित कर देंगे। तो ये जो तदर्थ अध्यापक हैं, ये एक चयन प्रक्रिया

से निकल कर आए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं थी । वे पद शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा भरे गये थे । आपने बहुत से वादे किये हैं । आपने सी0 टी0 के बारे में वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया । मेरी यही मांग है कि आप विश्वविद्यालय से लेकर नीचे तक की शिक्षकों की एक साथ व्यवस्था कर दीजिये, उनका असंतोष दूर हो जायगा ।

विश्वविद्यालयों के बहुत से मामले मैंने यहां पर उठाए थे कि 5 साल, 10 साल और 15 साल बाद चयन प्रक्रिया हेतु फिर से विज्ञापन निकलते हैं, लेकिन उस समय विज्ञप्तियों के मानक बदल जाते हैं और बारह साल पहले जो जिस मानक पर सेलेक्ट हुआ था, आज इतने दिनों के बाद नया विज्ञापन आ जाता है । नये लोग सामने आ जाते हैं और वह पीछे रह जाता है । क्या आपने इस विसंगति को दूर करने का प्रयास किया ? आपने प्रयास नहीं किया । इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय जो सारी बातों पर विचार करके एक निश्चित रिपोर्ट पेश करे । विश्वविद्यालयों की शिक्षा को ठीक करना आवश्यक है । अतः मैं अपनी पुरानी मांग पर पुनः बल देता हूं कि आप निजी प्रबन्ध तंत्र को खतम करके, इस सम्बन्ध में एक एक्ट बनाएं । इसके लिये एक कमेटी बने ताकि उसकी रिपोर्ट आने पर शिक्षा के क्षेत्र में ये विसंगतियां दूर हो सकें और गड़बड़ी दूर हो और भ्रष्टाचार दूर हो सके । इसलिये कृपया इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग को आप मान लें ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन् जैसाकि मैंने पहले निवेदन किया था, इसमें कहीं किसी स्तर पर अनियमितता नहीं है । केवल यह एक समस्या थी कि जो रिक्तियां विज्ञापित की गयी थीं, उसके अतिरिक्त जो पद सृजित थे उस समय, उनके लिये विज्ञापन नहीं था । श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की है विश्वविद्यालय के अध्यापकों के बारे में, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कि इसके लिये शासन सजग है और विचार कर रहा है । मैं तो माननीय सदस्य से उम्मीद करता था कि वे इस सम्बन्ध में शासन को बधाई देंगे कि इतना सराहनीय विधेयक लाए जिससे कुछ अध्यापकों को कुछ राहत मिली । श्रीमन्, इसको प्रवर समिति को सौंपने का कोई औचित्य नहीं है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रस्ताव वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मैं बड़ी नम्रता के साथ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो आपने व्यवस्था दी, वह तो शिरोधार्य है, उसमें कोई बहस नहीं है और तकनीकी दृष्टि से इसमें कोई बात नहीं है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री बैठे रहें और राज्य मंत्री उत्तर दें । लेकिन, क्या पार्लियामेंट्री प्रोप्राइटी का जो सवाल है, मैं आरोप लगाता हूं कि यहां पर मंत्रिमण्डल के सदस्यों का चयन जिस आधार पर हुआ है, मंत्रिमण्डल के सदस्य को सरकारी नीति की जानकारी होनी चाहिये । राज्य मंत्री और उप मंत्री कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते । सरकार की नीति सम्बन्धी बातों के लिये प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बैठे रहते हुए राज्य मंत्री को चूंकि वे कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते, जवाब देना ठीक नहीं है । मैं इनके इस तरीके की भर्त्सना करता हूं । मेरा आरोप है कि सरकार जानबूझकर संसदीय परम्पराओं को ध्वस्त करना चाहती है । इन शब्दों के साथ मैं फिर अपने प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधि

मान्यता) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 15 दिन में अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधि मान्यता) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2, 3 खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधि मान्यता) विधेयक, 1984

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

राज्य विश्वविद्यालयों में की गयी कुछ नियुक्तियों को विधिमान्य करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) अधिनियम, 1984 कहा जायगा ।

(2) यह 16 अगस्त, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

नियुक्तियों की विधिमान्यता

2--किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या उसके अधीन बनायी गयी परिनियमावलियों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा नियंत्रित किसी विश्वविद्यालय में या उसके किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में 1 जुलाई, 1978 और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के बीच की गयी प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति, जो विज्ञापित पदों की संख्या, से अधिक पदों पर की गयी हो, विधिमान्य होगी और सदैव से विधिमान्य समझी जायगी और ऐसी नियुक्तियों की विधिमान्यता पर किसी न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि पद अलग से विज्ञापित नहीं किया गया था या विहित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था ।

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में उत्तर प्रदे निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, अध्यादे इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी संख्या जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर सन् प्रवृत्त था । 1984

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधि मान्यता) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधि मान्यता) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, यह कृषि मण्डी समिति का अधिनियम 1964 में बनाया गया था, जो अल्पकालिक व्यवस्था के लिए था । 1972 में इन्होंने फिर इस अधिनियम को बना दिया । हर साल इसमें ये एक साल की वृद्धि करते जाते हैं । सन् 1964 में यह बना था और आज 1984 है । 20 साल का समय बीत चुका है, जिसमें साढ़े 17 साल तक इनका राज्य यहां पर रहा है । परन्तु यह सरकार राजनैतिक आधार पर उनमें जनप्रतिनिधियों को नहीं रखना चाहती है । इससे साबित होता है कि इस सरकार को जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं रह गया है । इस सरकार की इतनी भी समझ-बूझ नहीं रह गयी है कि वह इस अधिनियम को कानून के रूप में ला सके अर्थात् इसका कानून बना सके । आज तक उनकी सेवा नियमावलियां नहीं बनायी गयी हैं, वहां पर कोई भी कर्मचारी स्थायी नहीं है । कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर वहां कार्य कर रहे हैं । कलेक्टर उसका सर्वेसर्वा है । जब जनता पार्टी की सरकार यहां पर आयी थी तो उसने कृषि मण्डी समितियों के बोर्डों का नौमीनेशन किया था । आज यह सरकार कुछ भी नहीं करना चाहती है तो उन समितियों का नौमीनेशन तो कर दे । परन्तु यह सरकार अल्पकालिक व्यवस्था करने जा रही है, जिसे यह पिछले 20 सालों से करती आ रही है ।

इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सरकार और प्रशासन की समझ सब समाप्त हो चुकी है । मंडी समितियां आज एक एजेन्ट की तरह काम कर रहे हैं, जो कमीशन ले रहे हैं । एक रुपए प्रति सकड़े के हिसाब से कमीशन लिया जा रहा है । कोई काम नहीं हो रहा है । कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है । हमारे बिला पुर मंडी समिति में लगभग 50 लाख रुपए पड़ा हुआ है । पिछले एक वर्ष से सड़क बन रही है, परन्तु आज भी रोड़े और पत्थर अपनी जगह पर पड़े हुए हैं । अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । बैलों के पानी पीने क

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिए वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। बिलासपुर, सायदपुर और रामपुर में आज तक कोई बोली नहीं हुई है। लेकिन मंडी समिति शुल्क लिया जा रहा है, वह भी एक रु0 पर 10 पैसे, बाकी 90 पैसा मंडी समिति द्वारा खाया जा रहा है, जो मंत्रियों के पास भी हिस्से के रूप में आता है। मान्यवर, बीस वर्ष जो गुजार दिये, वह केवल मंडी समिति का रुपये हेर-फेर करने के लिए, नहीं तो क्यों नहीं करते, इसके क्या कारण हैं, मंडी समिति ऐक्ट क्यों नहीं बनता है। मान्यवर, आज तक मंडी समिति स्थल रामपुर जनपद में एक भी नहीं बनाया गया और न ही किसी और जिले में आज तक बनाया गया है, हालांकि मंडी शुल्क हर जगह लिया जा रहा है, मेरठ, बहराइच, गोंडा और देवरिया आदि सभी में और इसका प्रचिशा भ्रष्टाचार के नाते एस0डी0एम0 और परगनाधिकारी द्वारा माननीय मंत्रियों की जेबों में भी जा रहा है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में आपकी क्या नीति है, उसको स्पष्ट करें। इसलिए मैं इस अध्यादेश का अननुमोदन करता हूं और इसका विरोध करता हूं कि इसको पारित न किया जाय।

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए।

मान्यवर, इस विधेयक में ऐसी कोई हेरा-फेरी नहीं है, सिर्फ दो चीजें इसमें हैं। एक तो इसमें यह है कि सन् 85 तक टाइम मांगा है, क्योंकि इसमें निष्क्रियता और अनुशासनहीनता को देखते हुए, इस बीच मंडी समिति कैडर का समायोजन करना चाहती हूं। जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें कुछ नई चीज हम करने जा रहे हैं। धारा 23(क) में यह कहा गया है कि मंडी सचिव का अलग कैडर बनाया जाय इसको चार कैडर में रखा गया है ए0, बी0, सी0 और डी0 कैडर्स में :—

मंडी सचिव ए0 कैडर गजेटेड क्लास II वाले)

बी कैडर नान गजेटेड (ग्रुप 1)

सी0 कैडर नान गजेटेड (ग्रुप II)

डी0 कैडर नान गजेटेड (ग्रुप III)

मान्यवर, इसमें यह संशोधन इसलिए करना पड़ा कि इसमें निष्क्रियता और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही थी, यह सब उन लोगों की वजह से होता था जो लोग डेपुटेशन पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आते थे। अब हम परिषद् में ही इनका सेलेक्शन करेंगे, जो लोग उपयुक्त होंगे उन्हीं को रखा जायेगा और जो लोग डेपुटेशन पर हैं यदि वह रहना चाहते हैं तो उन्हें रक्खा जायेगा और जो लोग नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें नहीं रक्खा जायेगा। जो लोग अस्थायी हैं, उन्हें एक माह का नोटिस पूर्व में दिया जायेगा और एक माह का वेतन तथा जो लोग स्थायी हैं उन्हें 3 माह पूर्व नोटिस और 3 माह की तनख्वाह दी जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि जैसा कि विधान परिषद् में पारित किया गया है इसी तरह से इस आदरणीय सदन में भी पारित करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है माननीया मंत्री जी ने उसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से पेबन्द लगाने से कैसे काम चलेगा, इतना पुराना संशोधन है, जब कि शासन का यह सिद्धान्त है कि इस प्रकार के संशोधनों पर जनप्रतिनिधियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए। जहां शासन ने कुछ सदस्यों को मनोनीत किया है, हम यह नहीं कहते कि हमें ही कर दिया जाए, आप अपने ही दल के लोगों का कीजिए। हमारा सुझाव है कि जैसे यह चार श्रेणी के मंडी सचिव होंगे। उसमें कोई रुचि नहीं है कि आप चार श्रेणी करें या छः श्रेणी करें। हमारी रुचि यह है कि जन प्रतिनिधियों का क्या उसमें योगदान है माननीय मंत्री जी मेरा सुझाव है कि कम से कम जिस विधायक के क्षेत्र में मंडी समिति पड़ती है, उसमें उस विधायक को अध्यक्ष बना दीजिये। चुनाव तो अभी आप करा नहीं सकतीं। एस० डी० एम० अध्यक्ष हैं। एस० डी० एम० कितने तो इन्स्टीट्यूशन्स के अध्यक्ष बने बैठे हैं, वह क्या-क्या देखेंगे। अगर आप प्रजातांत्रिक स्वरूप देना चाहती हैं, चुनाव तो आप निश्चित तौर से जल्दी नहीं करा पायेंगी, इसलिए कम से कम कुछ जन प्रतिनिधियों का उसमें मनोनयन कर दीजिये। जिस माननीय विधायक के क्षेत्र में मंडी समिति है, उसे वहां अध्यक्ष बना दीजिये।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मंडी समितियों में अपरम्पार पैसा पड़ा हुआ है। शायद सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, इसलिए पुराना रखा हुआ पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, वह विकास कार्य में नहीं लग पा रहा है। इसके अलावा आपका अतिरिक्त विकास शुल्क लगा हुआ है, उस पर किसी कोर्ट का स्टे नहीं है, उसको तो खर्च कर ही सकते हैं। मंडी समिति में जो अतिरिक्त विकास शुल्क लगाया है, वहां उसकी उपादेयता को देखते हुए, सड़कों के निर्माण पर उसको खर्च कीजिये। इसके अतिरिक्त जो पहले का पैसा है आपके यहां पड़ा हुआ है, लेकिन विधिक कारण से उसमें बाधा है, उस बाधा के निराकरण की भी बात करें।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है कृषि उत्पादन मंडी समिति संशोधन विधेयक के लिये और इसको पारित करने के लिये जो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, इसका मैं समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, मैं दो निवेदन करना चाहता हूं। एक बात अभी माननीय ओझा जी ने कहकर जो ध्यान आकृष्ट किया है कि इसमें प्रतिनिधित्व जन प्रतिनिधियों को दे दिया जाय। मान्यवर, चुनाव की बाबत इसमें पहले बात कही गयी थी, चुनाव तो अभी हुआ नहीं, इसलिए अच्छा हो कि जन प्रतिनिधियों को इसमें कर लिया जाय, इससे काफी लाभ मिलेगा।

दूसरे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मंडी समिति में वसूली होती है, मान्यवर, इसकी स्थापना किसानों के हितों और उसके संरक्षण को ध्यान में रखकर की गयी थी, वह कहीं-कहीं ठीक प्रकार नहीं हो रहा है, कहीं-कहीं उसमें किसानों के हितों में बाधा पहुंच रही है। जो आमदनी आ रही है, उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। मान्यवर, मैं आदरणीय सदन के माध्यम से यह बात कहना चाहूंगा माननीया मंत्री जी से कि या तो इसमें शीघ्र ही चुनाव की प्रक्रिया को अपनायें या नामांकन की प्रक्रिया को अपनायें और इसके अतिरिक्त यह जो रुपया है इसको किसानों के हितों में खर्च किया जाय और इसके अलावा जो नये परिव्यय हैं, उनको भी कोई रूप दें।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मंडी समितियों का नियमानुसार चुनाव तो काफी दिनों से जब से इसका गठन हुआ तब से नहीं हुआ। मान्यवर, जो सरकारी अधिकारी प्रशासक या अध्यक्ष बन गये हैं, उनकी भूमिका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस वक्त बहुत गलत देखी जा रही है। मान्यवर, जो वसूली हो रही है, वह सीधे इनकी जेबों में जा रही है। और, मान्यवर, मेरा तो आरोप है कि अधिकांश मात्रा में इससे प्राप्त धनराशि सत्ता दल के लोगों के पास भी जा रही है। जो मंडी समिति के अन्दर वसूली होनी चाहिये वह नहीं हो पा रही है। वह वसूली भी जो हो रही है उसमें दो तिहाई हड़प कर ली जा रही है। इतना ही नहीं मान्यवर, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रसीदें नहीं काटी जाती। जैसे बाजार के ठेकेदार वसूली कर लेते हैं उसी प्रकार से इनके कर्मचारी भी जाकर बाजार में पैसा वसूल रहे हैं और रसीद नहीं देते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले में ही जनता शासन में उसी पैसे से काफी सड़कों का निर्माण हुआ। भटहर ब्लाक में 5 कि0 मी0 खड़ंजे का काम हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके बाद एक ईंट भी सड़कों पर मंडी समितियों के पैसे से नहीं रखा गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप चुनाव नहीं करा सकते, असमर्थ हैं तो कम से कम जो ब्लाक प्रमुख हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको स्पष्ट अधिकार दें कि वे मंडी समितियों का निरीक्षण करें, उनके आय-व्ययक को देखें और यह भी देखें कि कितना पैसा जनहित में लगाया जा रहा है और उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं ? आज उनके हिसाब-किताब को जन प्रतिनिधि नहीं देख सकते हैं, तो जन प्रतिनिधियों को उसके निरीक्षण का अधिकार सौंपा जाना चाहिये।

*श्री ऊदल—

मान्यवर, आज के 5 वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्था थी कि मंडी समितियों में जो शुल्क इकट्ठा होता था, वह पूरे क्षेत्र में बंटता था, जैसा कि माननीय केनार नाथ जी ने कहा, उससे पुलियों और सड़कों का निर्माण होता था ताकि किसान आसानी से अपने सामान को मंडी समितियों तक ले जा सकें। वह व्यवस्था सरकार ने भंग कर दी और आज करोड़ों रुपया मंडी समितियों का ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद मंडी समितियों का जब शुरू-शुरू में गठन हुआ था, तब उसकी जो मंशा थी उस मंशा के खिलाफ आज ऐसी व्यवस्था कर दी गयी कि सब जगह प्रशासक की नियुक्तियां हो गयीं। अधिकारी मंडी समिति के मालिक हो गये। जन प्रतिनिधियों का, किसानों का और व्यापारियों का जो प्रतिनिधित्व हुआ करता था, उनको उनसे वंचित कर दिया गया। सरकार से मांग करता हूं कि नामांकन की पद्धति गलत है, नामांकन नहीं होना चाहिये। चुनाव की पद्धति, जो जनतांत्रिक पद्धति है, उनको मानकर चुनाव करा दें ताकि देखरेख हो सके और जो पैसा किसानों का कटता है, उसका सदुपयोग हो सके। इस विधेयक में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि सरकार इस पर विचार करे।

*श्री प्रभू नारायण सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है, मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कठिनाई के निवारण की बात है, लेकिन इसके माध्यम से जो व्यवहारिक जीवन में मंडी समितियां कार्य प्रणाली देख रही हैं, उसके बारे में थोड़े सुझाव देना चाहता हूं। जौनपुर में गौरा बादशाहपुर में ब्लाक मुफ्तीगंज की सड़क बन रही थी, आधी दूर तक खड़ंजा बिछ चुका था, बाद में काम छोड़ दिया गया। मेरी मांग है कि मंडी समितियों को सक्रिय बनाया जाय और उसके निर्माण कार्य पूरे कराये जायं। मंडी समितियों में अधिक से अधिक जन-प्रतिनिधियों की साझेदारी करायी जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तभी कार्य प्रणालों में तेजी आयेगी और वांछित सुधार हो सकता है ।

*श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जो संशोधन विधेयक लाये हैं, इसके सम्बन्ध में दो निवेदन करना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी से मान्यवर, प्रदेश में अब यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने में आ रही है कि मण्डी समितियों के स्थल के लिए किसानों की उर्वर, भूमि ली जा रही है और उसका किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है : किसानों को उनकी भूमि का दस-दस वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी उसका मुआवजा नहीं वितरित किया जा रहा है । एसी स्थिति में मण्डी स्थलों का न बनाया जाना और शुल्क वसूल किया जाना जनतांत्रिक प्रणाली में गलत काम है ।

हमारे यहां जंगीपुर कृषि मण्डी और मुहम्मदाबाद ईशूपुर में छोटे छोटे किसानों की भूमि ले ली गयी और फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया । तीन फसली जमीनों का मुआवजा विभाग ने नहीं दिया है । गोरखपुर में एक मण्डी पड़ती है उसमें भी किसानों को बाजार लगाने के लिए कोई जगह का निर्माण नहीं किया गया है और न छायादार पेड़ ही लगाये गए हैं और न पीने के पानी की ही व्यवस्था की गयी है ।

हम लोगों में से जो भी जनता की भावनाओं को उजागर करने की कोशिश किये हैं, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है । समितियों का स्थल का निर्माण न होने के कारण लोगों में असन्तोष है । इस लिए मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी, जब अभी हाल ही में आप हमारे क्षेत्र में गयी थीं तो आपने अपने आने की कोई सूचना नहीं दी थी, नहीं वहां के लोग आकर आपसे मिलते और अपनी कठिनाइयों को आपसे कहते । आप बिना सूचना के मेरे क्षेत्र में हो आयीं ।

मैं मांग करता हूं कि हमारे यहां के किसानों की उर्वरा भूमि, तीन फसली भूमि न ली जाय । बिना मुआवजा दिये किसानों की कोई भूमि न अधिगृहीत की जाय और उस पर कब्जा न लिया जाय । जैसा कि अभी अन्य सदस्यों ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को आप उसमें शामिल करने की अगर बात करेंगीं तो यह आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

*श्रीमती किशोरी शुक्ला—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मण्डी समितियों जैसे विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मेरे गोरखपुर जनपद में सिसवां चौरीचौरा और सहजनवां क्षेत्र में मण्डी समितियां हैं । आज तक वहां अधिकारीगण ही प्रशासक हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जो सरकारी अधिकारी प्रशासक हैं उनके कारण काम अवरूद्ध है, कोई प्रगति नहीं हो पा रही है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जन प्रतिनिधियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाय या फिर चुनाव कर लिए जाएं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि सहजनवां, विधान सभा क्षेत्र में एक मण्डी समिति है, 1977 में वहां एक जमीन एक्वायर की गयी थी एक लाख लोगों का सब्जी मार्केट वहां जुटता है, वहां के लिए समिति के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन था और उसके लिए रुपया भी मंजुर हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ये भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किय ।

गया था परन्तु पता नहीं क्यों उसका निर्माण नहीं हो पाया। मैंने इस सम्बन्ध में शासन से पता किया तो मालूम हुआ कि राजस्व विभाग ने उस जमीन पर स्टे लिया है और इसलिए मण्डी का निर्माण अवरुद्ध है। मैं मांग करती हूं कि उस जमीन से राजस्व विभाग का स्टे हटाया जाय और तत्काल उस पर मन्डी समिति का स्थल निर्मित किया जाय।

होता यह है कि मण्डी समितियों का अध्यक्ष एस0 डी0 एम0 होता है और उसी के माध्यम से सड़कों का निर्माण-कार्य होता है। हमारे क्षेत्र में दो किलो मीटर के लिए मन्डी की सड़क मंजूर की गयी थी, पता नहीं उसका पैसा कहां चला गया और वह सड़क अभी तक नहीं बनाई गई है। मैं आपके माध्यम से शासन को बताना चाहती हूं कि इस तरह से मन्डी समितियों की कोई प्रगति नहीं होती है इसलिए मैं चाहती हूं कि मन्डी समितियों को चलाने के लिए चुनाव कराए जाएं या फिर जन प्रतिनिधियों को उसमें प्रशासक नियुक्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठिये, आपका समय समाप्त।

*श्री धनी राम वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो मन्डी समिति का प्रस्ताव पेश किया है, मैं 2-3 बातों को लेकर उसका विरोध करता हूं। पहली बात तो यह है कि मन्डी समिति में जो भूमि दी गयी है, उससे बहुत से काश्तकार बिना काश्त के हो गए हैं और उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है, तो मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी, जिन काश्तकारों की जमीन ली गयी है उनमें से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने की कृपा करें। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मन्डी शुल्क जो आता है उसका दुरुपयोग होता है। पहले जब जनता सरकार थी तो जो मन्डी शुल्क आता था, उससे सड़कों का निर्माण किया जाता था जिससे फसलों को लाने और ले जाने में सुविधा होती थी। तो मान्यवर, अब यह प्राविधान समाप्त कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि जो सेवित क्षेत्र है उसमें सड़कें जरूर बनायी जाय। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्डी शुल्क दुहरा लिया जाता है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 2 मण्डियां हैं एक दिवियापुर और दूसरी औरैया। दिवियापुर से जो सब्जी वगैरह औरैया जाती है तो बीच में चिचौनी पुल पड़ता है, वहां पर बैरियर है। जब औरैया जाता है तो वहां पर मन्डी शुल्क लिया जाता है और जब औरैया से सामान डिवियापुर आता है तो वहां पर मण्डी शुल्क लिया जाता है। इस प्रकार से किसानों को दुहरा मन्डी शुल्क अदा करना होता है। इस प्रकार से उनकी खुली लूट होती है। इन बातों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इन पर विचार कर लें और अन्त में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि मन्डी समितियों का चुनाव शीघ्र करा दिया जाय जिससे जनप्रतिनिधियों को उसके संचालन करने का अवसर मिले।

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मैंने जो तथ्य माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं उनका एक का भी उत्तर माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर भाषण हो चुका है, आप केवल अपना उत्तर दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मैं सिर्फ एक बात कह कर समाप्त कर रहा हूं। किसानों को गेट पास काट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसान जो गल्ला ले जाते हैं उनको आर0एफ0 सी0 वाले पकड़ लेते हैं। इसलिए किसानों को गेट पास जारी करने की व्यवस्था करें। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मंडी टैक्स दुहरा अब भी लिया जा रहा है। शासन के आदेशों के बाद भी दुहरा मंडी शुल्क लिया जा रहा है। इसी तरह से सचिवों की जो प्रतिनियुक्ति की जा रही है उनसे 50-50 हजार रुपया लिया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करें और सेवा नियमावली बनाये जिससे यह भ्रष्टाचार का अड्डा समाप्त हो सके।

श्रीमती बेनी बाई--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राम स्वरूप वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, हर जगह पर सरकार सरकारी आदमियों को रखने की व्यवस्था कर रही है, जिससे सरकार के हाथ में ताकत बढ़ती जा रही है। थोड़े दिन पहले एक विधेयक पेश हुआ था कि मंडी टैक्स एक प्रतिशत बढ़ा दिया जाय और उसका कारण यह बताया गया था कि हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि मंडी के अन्दर जो विकास कार्य हैं जो पैसा उनको मिलता है वह उनके विकास कार्यों के लिए लगाया जायेगा। लिहाजा जो सड़कें उन पैसों से वहां बननी थीं, वह नहीं बनी और वे बन्द हो गई। इसलिए एक प्रतिशत मंडी टैक्स बढ़ गया। किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ता चला जा रहा है और उनका प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है। पहले ही वे गिने-चुने होते हैं, उनका चुनाव किया जाता है, उसमें भी अब आप नामजद करते हैं। जब कभी वे बहुमत में हों तो उसकी आप परवाह भी नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन से चाहूंगा कि इस विधेयक को पास नहीं करना चाहिए। सरकार को चुनाव कराना चाहिए। हालांकि यह हमें पता है कि यह चुनाव नहीं करायेंगे। 12/14 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। आंतरिक चुनाव ही नहीं हुए हैं बाहर के चुनाव कैसे करायेंगे। इनके पास तो सिकुड़ते-सिकुड़ते एक ही नाम रह गया है, जिसको चाहे वे उसको नामजद कर देंगे। इसलिए मैं मान्यवर, इसका विरोध करता हूं। इसका समय न बढ़ाया जाय और चुनाव कराया जाय।

श्रीमती बेनी बाई--

मान्यवर, इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। पहली बात तो मैं यह कहना चाहती हूं कि चुनाव कराये जायेंगे। दूसरे माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि शुल्क लगा दिया जाता है। यह शुल्क हमारा जमा है जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वह माननीय सदस्यों ने बता ही दिया है कि उसमें स्टे लगा हुआ है और व्यापारी लोग इसे लाये हैं। इसलिए वह पैसा हम खर्च नहीं कर पाये। लेकिन जो वह हमारा मंडी शुल्क है उसको हम निश्चित ही पुलों, पुलियों और सड़कों तथा खड़ंजों में खर्च करेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि मंडियों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था वहां पर है। अगर वहां वाटर सप्लाई नहीं है तो वहां हैंड पाइप लगा दिये गये हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहां पर कोई व्यवस्था न हो। किसानों को सुविधायें दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहती हूं कि जैसा अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि गेट पास नहीं दिया जाता है। गेट पास दिया जाता है।

ऐसी बात नहीं है कि गेट पास की व्यवस्था वहां पर न हो। यह व्यवस्था पहले से लागू है। जहां यह व्यवस्था लागू नहीं होगी, वहां लागू करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन पर हम विचार करेंगे। मैं सम्मानित सदन से यह प्रार्थना करती हूं कि वे इस विधेयक को पास करें।

श्री राम स्वरूप निम--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मंडी समितियों के चुनाव और कार्यकर्ताओं की आप बात कर रहे हैं उनके बारे में मन्त्री जी बता दें कि उनमें आरक्षण के सम्बन्ध में आपकी क्या नीति होगी? जो कार्यकर्ता मंडी समितियों में रखे जायेंगे उनमें आरक्षण की व्यवस्था होगी या नहीं?

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया बैठें। जो विधेयक आज विचार के लिये प्रस्तुत किया गया है अगर उसको आपने देख लिया होता तो आपको स्पष्टीकरण की आवश्यकता न होती। मंडी समिति का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिये विधेयक से परे जाकर इसमें चर्चा की अनुमति दी गयी और चर्चा हुई। खेद इस बात का है कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है, उस पर डिबेट नहीं हुई है। आपने विधेयक पढ़ा ही नहीं है।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 5 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

(2) धारा 2 इक्कीस मई, 1984 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 3 चार अक्तूबर, 1983 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 4 ग्यारह जून, 1984 को प्रवृत्त समझी जायगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी।

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का संशोधन।

2--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का संशोधन

3--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी अधिनियम, 1964 की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 23-क में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

"(2) उपधारा (2-ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,

(क) किसी समिति में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत सरकारी सेवक से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट संवर्ग में समाविष्ट कोई पद धारण करता हो, और

(ख) उक्त संवर्ग में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर किसी समिति में सेवारत प्रत्येक सरकारी सेवक, जो अनुपयुक्त न पाया जाय, उसकी उपयुक्तता ऐसी रीति से अवधारित की जायगी जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय,

उक्त संवर्ग के गठन के दिनांक को और उसी दिनांक से (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) उपधारा (2-क) में उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर संवर्ग का सदस्य हो जायगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 23-क का संशोधन

(2-क) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन संवर्ग का सदस्य हो जाता है उतनी ही पदावधि के लिये, उसी पारिश्रमिक पर, उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद धारण करेगा जिन पर वह उक्त दिनांक को हकदार होता यदि संवर्ग का गठन न हुआ होता, और इस प्रकार हकदार बना रहेगा जब तक कि संवर्ग के सदस्य के रूप में उसका सेवायोजन समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में या किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार जिससे तत्समय उसकी सेवा नियन्त्रित होती हो, परिषद् द्वारा उसके पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण या परिवर्तन न कर दिया जाय।

(2-ख) उपधारा (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार को, ऐसे समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, दी गई लिखित सूचना द्वारा उक्त संवर्ग का सदस्य न होने के अपने आशय की सूचना दे।

(2-ग) किसी समिति के अधीन किसी कर्मचारी की सेवायें, जो आमेलन के विरुद्ध विकल्प करता है, पद समाप्त किये जाने के आधार पर समाप्त हो जायेंगी और इस प्रकार सेवा समाप्ति पर, वह सम्बद्ध समिति से निम्नलिखित के बराबर प्रतिकर पाने का हकदार होगा—

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की स्थिति में, तीन मास की परिलब्धियां,

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की स्थिति में, एक मास की परिलब्धियां।

(2-घ) किसी सरकारी सेवक को जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट संवर्ग में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर किसी समिति में सेवारत हो, आमेलन के विरुद्ध विकल्प करता है या जिसे उपयुक्त न पाया जाय, उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा और, यदि उसकी ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए, मूल विभाग में उसके लिये कोई पद उपलब्ध नहीं है तो उसकी सेवायें पद के समाप्त किये जाने के आधार पर प्रत्यावर्तन के आदेश के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और इस प्रकार सेवा की समाप्ति पर, वह राज्य सरकार से उपधारा (2-ग) में उल्लिखित धनराशि के बराबर प्रतिकर पाने का हकदार होगा।"

धारा 40 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।"

अध्याय चार

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1984 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1984

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और तीन में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड 2, 3, 4, 5, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती बेनी बाई—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अनवार मुहम्मद खां—

मान्यवर, हमारे यहां मंडी समिति के लिए तकरीबन 6 साल से रुपया लिया गया है और करीब 40-50 लाख रुपया उसके लिए मौजूद है लेकिन वह अभी तक नहीं बनी है । डी0 एम0 से पूछा तो वह कहते हैं कि फाइल लखनऊ चली गयी है । उसके लिए जमीन भी एक्वायर हो गयी है मुआवजा भी तय हो गया है लेकिन यहां से फाइल नहीं गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, पिछली दफा भी इसी सदन में तत्कालीन सहकारिता मन्त्री ने यह कह कर 6 महीने का समय लिया था कि इस 6 महीने के समय में चुनाव करा देंगे परन्तु खेद है कि वह 6 महीने बीते परन्तु 3 महीने और बीत गये । खुद सहकारिता मन्त्री भी बीत गये और नये सहकारिता मन्त्री जी आये और बड़े चाव से उन्होंने एलान किया कि मैं समाजवादी हूं और चुनाव कराऊंगा और जल्दी ही यह प्रथा चलायेंगे । मान्यवर, यह समाजवादी मन्त्री गद्दी पर बैठते ही साम्यवादी बन गये और सहकारिता का सरकारीकरण कर दिया गया । पिछले दो सालों से जन-प्रतिनिधियों के बजाय उनमें अफसरों को लगा दिया आज ऐसी संस्थायें भ्रष्टाचार का अड्डा बन गयी हैं ।

(4 बजकर 20 मिनट)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने बोलते हुए कहा कि समाजवादी से साम्यवादी मन्त्री जी हो गये हैं, तो माननीय ऊदल जी को इसमें क्या कोई एतराज हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुझसे तो पूछ नहीं रहे हैं और ऊदल जी से पूछ रहे हैं तो ऊदल जी व्यवस्था बाद में दे देंगे ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब था कि मन्त्री जी समाजवादी से साम्राज्यवादी बन गये हैं ।

मान्यवर, आज से 2 वर्ष पूर्व प्रशासकों की नियुक्तियां यह आश्वासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देकर की गयी थी जैसा कि नियमों और अधिनियमों में व्यवस्था है कि 6 महीने में चुनाव करा देंगे, वास्तव में यह चुनाव की तिथियां तय करना रजिस्ट्रार का काम है, सरकार का काम है चूंकि रजिस्ट्रार सरकारी अधिकारी होता है, तो यह जब चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाया तो 6 महीने के लिये प्रशासक नियुक्त किये, तो पहले 6 महीनों में यह चुनाव का काम नहीं करा पाये और यह कहकर आपने विधेयक पास किया कि हम 6 महीनों में चुनाव करायेंगे, संचालक मंडलों और सहकारी समितियों का चुनाव करायेंगे, तो 6 महीने की आज्ञा दे दी गयी, फिर 6 महीनों में यही हुआ, फिर 6 महीनों में यही हुआ और फिर अब 6 महीने का समय मांग रहे हैं। तो यह प्रथा खराब है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार का अड्डा सहकारिता को बना लिया है। बैंकों और प्रशासकों के माध्यम से रुपया यह चुनाव के लिये इकट्ठा कर रहे हैं।

मैं आपकी आज्ञा से यह बात सदन में कहना चाहता हूं कि इनकी नीयत साफ नहीं है और मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सहकारिता देखना है तो महाराष्ट्र और मद्रास जाय, वहां सहकारी संस्थायें कैसे चलती हैं इसको देखें। मैं यह भी चाहूंगा कि महाराष्ट्र पैटर्न का अधिनियम और नियम यहां लागू किये जायं ताकि सहकारी संस्थायें पनपें न कि सामंतवादी प्रथा। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं कि तुरन्त चुनाव इनके कराये जायं और जन-प्रतिनिधियों को सामने लायें।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(इस समय 4 बजकर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, यह एक लाईन का संशोधन है कि 30 जून, 1984 की जगह पर 31 दिसम्बर, 1984 कर दिया जाये चूंकि जो संशोधन पहले पास हुआ था उसमें व्यवस्था थी कि जो प्रशासक और प्रशासकगण नियुक्ति किये जाये, प्रशासकगण तो नियुक्त नहीं हुये, लेकिन प्रशासक नियुक्त हुये, तो उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो जायेगा और उस तिथि के अन्दर प्रविधान था कि कमेटियों का पुनर्गठन हो जाना चाहिये था लेकिन यह काम विशेष परिस्थितियों से न हो सका और चुनाव नहीं हो पाये, इसलिए अध्यादेश के जरिये जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें कोई कानूनी गतिरोध पैदा न हो जाये उसको सुव्यवस्थित करने के लिए यह एक लाइन का संशोधन है और 31 दिसम्बर, 1984 तक हम दुरुस्त कर देंगे।

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने हमारे ऊपर आक्षेप किया कि समाजवादी से सामंतवादी हो गये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान में कोई नया सामंतवादी नहीं बन सकता है। सामन्तवादी लोग, इतिहास में सदियों से सामन्तवादी परिवार बने हुए हैं, जो उसे जकड़े हुए हैं। कोई नया चाहे उसमें प्रवेश कर जाए, तो यह उसके लिए सम्भव नहीं है। कोई नया उसकी नकल तो कर सकता है, लेकिन प्रवेश नहीं कर सकता है। और हमारे ऐसा किसान का लड़का वर्षों कोशिश करे तो भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए आपका इस बारे में कोई भ्रम न हो। अभी तो थोड़े दिनों से ही यह मुहकमा हमें मिला है। उसमें जैसा हमारा काम हो रहा है उससे आप आगे सन्तुष्ट हो जायेंगे। पहले प्रबन्धक के बारे में यह था कि रजिस्ट्रार कैन एप्वाइंट ऐडमिनिस्ट्रेटर आर कमेटी आफ ऐडमिनिस्ट्रेटर, हम प्रशासक मंडल की स्थापना कर रहे हैं। जो मकसद आज

चुनाव के द्वारा प्राप्त करना चाहते थे, उसको हम स्वयं कर रहे हैं। एक आदमी की जगह में 7-7 आदमी रहेंगे। 7 हमारे सहकारिता के गैर सरकारी सदस्य रहेंगे, दो सरकारी रहेंगे। इतनी तो इस बीच को तारीफ आपको करनी चाहिए कि हमारे हाथ में व्यवस्था आने से उसका समाजवादी रूप परिलक्षित होने लगा है और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक रूप में भी। अब किसी को कोई इस बात का मौका नहीं मिलेगा कि वह शिकायत करे। जहां तक भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं, यह तो आज सब जगह, सब विभागों में व्याप्त है लेकिन मैंने इन 15-16 दिनों के अन्दर, जैसा उस दिन मैंने प्रश्नों के जवाब में कहा था कि, 59-60 आदमियों को जेल के हवाले किया गया है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो इस विभाग में 6-7 माह में आप देखेंगे कि किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाएगी और आप लोगों की हर प्रकार से सेवा करने में यह विभाग आगे रहेगा।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी अभी यह प्रस्ताव रख रहे थे तब उन्होंने बताया कि पहले इसकी जो अवधि 30 जून तक थी, उसको बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 1984 तक करने का वह प्राविधान करने जा रहे हैं बीच में जब यह चल रहा था, बहुत दिनों से प्रशासकों की नियुक्ति हुई है। जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो वर्तमान मंत्री जी ने यह बहुत बड़ा आरोप तत्कालीन सहकारिता मंत्री पर लगाया था और सदन के बाहर यह भी कहा था कि पैसा लेकर प्रशासकों की नियुक्तियां की गयी हैं। जो एक साल के लिए नियुक्त हुआ, कर्जदार या बकायेदार हो गया तो उसके बारे में देखने की बात है। सहकारिता में नियम है कि इसमें कोई बकायेदार नहीं रह सकता है। तो क्या मंत्री जी ने कोई ऐसी लिस्ट या फेहरिस्त बनवाई है कि कितने प्रशासक आपके आज तक बकायेदार हो गये हैं। सहकारिता का मूल उद्देश्य है सहकारी सदस्यों के माध्यम से किसी चीज का समाधान हो। यहां सहकारिता को मंत्री जी पूर्ण रूप से सरकारिता में बदलने जा रहे हैं। उन्हीं को प्रशासक बनाया जाएगा जो आपके विचारों का होगा या जो आपकी रूलिंग पार्टी का होगा या जो चुनाव में आपको लाभ पहुंचाना स्वीकार करेगा। उद्देश्य तो यह था कि सभी सदस्यों के बीच से निकल कर एक आदमी आयेगा वह सहकारी समितियों के कार्य को आगे बढ़ायेगा। उसका यह उद्देश्य इस विधेयक के बन जाने से समाप्त हो जाता है।

जहां आप इस विधेयक के जरिये प्रशासक मंडल बनाने की बात करते हैं क्या यह भी निश्चित है कि जो भी बकायेदार हैं, उनको आप तत्काल हटायेंगे। आपने कहा 59-60 आदमियों को जेल के हवाले किया है, तो आपने क्या किसी प्रशासक को जेल भेजा है? आपने केवल सचिव ऐसे छोटे कर्मचारियों को ही भेजा है। वह जो 1962 के काशीनाथ मिश्र थे वह 1982 में बदल गये हैं और उनमें वह ताकत नहीं रही। मैं चाहता हूं कि माननीय बच्चा पाठक द्वारा बनाये गये प्रशासकों को जेल भेज सकें इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज ही सदन में घोषणा करें कि एक निश्चित समय पर आप चुनाव करायेंगे और बकायेदार प्रशासकों को तत्ककाल हटायेंगे।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो माननीय सहकारिता राज्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं मान्यवर, केवल इसलिए इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि मैं जानता हूं कि हमारे विरोध पक्ष के साथी भी इसका इसलिए समर्थन करेंगे कि जो व्यावहारिक कठिनाइयां आने वाली हैं उनको दूर करने के लिए थोड़ी सी बात इसमें जोड़ी गयी है, तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिये। क्योंकि सहकारिता में जो सचमुच क्रांतिकारी परिवर्तन माननीय मंत्री जी कर रहे हैं उसके लिए उनको माननीय मन्त्री जी की प्रशंसा करनी चाहिये। आदमी की मंशा देखी जाती है। कार्य करने की जो मंशा होती है उससे मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है। पूरा प्रदेश आशान्वित है हमारे वर्तमान सहकारिता राज्य मंत्री से। जो थोड़ा सा समय लिया गया है वह केवल व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए और जनता के अन्दर जो थोड़ा बहुत आशंका है उसको दूर करने के लिए लिया जा रहा है। हमारी सरकार इस ओर सचेष्ट है। इन शब्दों के साथ में इसका सहर्ष और बहुत ही जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मंत्री जी की मंशा,

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए आधे घंटे का समय निर्धारित है। माननीय सदस्य केवल दो-दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मंत्री जी की मंशा किसकी मंशा मानी जाय। श्रीमन्, अगर कांग्रेस पार्टी, शासक दल जो है अगर उसकी मंशा मानी जाय तो 4 साल से देख रहे हैं कि दो-दो बार लोगों से फीस ली गयी और चुनाव नहीं कराये गये। लाखों रुपये जमा हैं। मैंने प्रश्न किया था इसी सदन के अन्दर तो श्रीमन्, ने उनको वापस करवा दिया। माननीय मिश्रा जी कहते हैं कि मैं परिस्थितियों से घिरा हूं। यह बात तो भास्कर राव कहा करते थे। लेकिन रामाराव ने आते ही कहा कि मैं चुनाव करा दूंगा। अगर उनकी इच्छा है तो चुनाव करायें। 9 हजार के लगभग सोसायटीज पूरे प्रदेश में हैं। यह कहते हैं कि 7-7 व्यक्ति लेंगे। तो 63 हजार चमचे पैदा कर रहे हैं पूरी कोआपरेटिव सोसायटीज के अन्दर, चुनाव के लिए। अगर सरकार की मंशा है तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप चुनाव करा सकते हैं 15 दिन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि सहकारिता का पैसा पूरे प्रदेश के अन्दर कांग्रेसी चमचे खा रहे हैं और माननीय सहकारिता मंत्री जी अपनी विवशता को यहां पर प्रकट करते हैं। लिहाजा मान्यवर, चुनाव के न कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

*श्री राम स्वरूप निम—

मान्यवर, यह जो विधेयक माननीय मन्त्री जी लाये हैं उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जो 31 दिसम्बर तक का समय मांग रहे हैं तो माननीय मन्त्री जी यह बतायें कि जितने भी बकायेदार प्रशासक आज मंत्री जी के विभाग में मौजूद हैं क्या उन्हें हटायेंगे और जो नये प्रशासक बनाये जायेंगे उनका दामन साफ होगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जितने भी प्रशासक बने हैं और बनाये गये हैं वह सत्तापक्ष के लोग हैं और वह भ्रष्ट लोग जो बकायेदार हैं वह दुनिया भर का लूट खसोट का काम करते हैं। जिस तरह के लोगों को उन्होंने प्रशासक बनाया है वह भ्रष्ट हैं। मेरे यहां बड़गाम सोसायटी में साढ़े 8 लाख का गबन है। जब डी0 एम0 और भ्रष्ट ए0 आर0 से फाइल मंगवाकर बात की गयी तो 137 आदमी ऐसे निकले जिन्होंने सन 1980 में ऋण लिया था और सन 1976 में वह मर चुके थे, तो डी0 एम0 साहब और ए0 आर0 साहब कहने लगे कि गवर्नमेंट को लिख दो कि इसको राइट आफ कर दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय। श्रीमन् अगर इनके विभाग का कोई अधिकारी गबन करता है, तो उसका राइट आफ करने के लिए लिखते हैं, जिन्होंने कर्जा नहीं लिया है, जो किसान हैं या मजदूर हैं, जिन्होंने 10 रुपये भी नहीं लिया है, जो बेगुनाह हैं, उनको जेल भेज देते हैं। तो ऐसे प्रशासक बनाने से, इस प्रकार का सोसायटियां बनाने से इस समाज को लूट हो रही है। माननीय मंत्री जी समाजवादी नेता हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जब वह जवाब दें, तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण दें कि भविष्य में जो प्रशासक बनाये जायेंगे, उनका चरित्र क्या होगा? उनके जमाने में बकायेदार हटाये जायेंगे कि नहीं हटाये जायेंगे?

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि माननीय सहकारिता मंत्री जी का हृदय साफ है या नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस शासन का हृदय इस चुनाव के लिए साफ नहीं है, इसलिए कार्य-काल बढ़ाने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। मान्यवर, तमाम चुनाव हुए, उप चुनाव भी हुए और उप-चुनाव के बाद भी हमको काफी अवसर मिला, लेकिन इन सब परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि हम लोगों के कार्यकाल में यानी इस सरकार के कार्यकाल में चुनाव होने वाला नहीं है। यह एक बहुत बुरी बात है। जन-प्रतिनिधियों को सत्ता न सौंपा जाना, यह लोकतंत्र की परम्परा के अन्तर्गत बहुत ही घातक बात होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री से एक आश्वासन चाहता हूं कि वह सदन में इसकी घोषणा करें कि वह इतने दिन के अन्दर उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों का निर्वाचन करा करा देंगे। इसी आश्वासन के लिए मान्यवर, मैं खड़ा हुआ हूं और आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे दो शब्द बोलने का अवसर दिया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, उसके संदर्भ में मैं दो-तीन बातों की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब से माननीय मंत्री जी शासन में आये हैं, तब से वह भ्रष्टाचार दूर करने की घोषणा इस सदन में तथा सदन से बाहर कर रहे हैं। आदरणीय सदन में पिछले बार मैंने तत्कालीन सहकारिता मंत्री पर यह आरोप लगाया था कि गोरखपुर जिले में विगत तीन वर्षों में 9 करोड़ रुपये का रेसीड आयल और पाम आयल की बिक्री में गबन किया गया, जिसके लिए तत्कालीन सहकारिता मंत्री जी दोषी हैं। मैंने कहा था कि इस मामले की उच्च न्यायालय के किसी सेवामुक्त न्यायधीश के द्वारा जांच करा ली जाय और यदि मेरा आरोप असत्य सिद्ध हो जाय, तो मैं इस आदरणीय सदन से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने जांच नहीं करवाई और यह कह दिया कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। उसके बाद विभागीय जांच करवाई। क्या किसी मंत्री के द्वारा यह कहने से क्या कोई जांच-अधिकारी उसके खिलाफ जांच आख्या दे सकता है? अदरवाइज दूसरी रिपोर्ट दे सकता है? इसलिए वहां देना लाजमी होगा और रिपोर्ट आ गयी, जो रिपोर्ट देने वाले थे, जिन्होंने रिपोर्ट दिया था, जिसने 9 करोड़ रुपये के गबन को समाप्त कर दिया था, उसी व्यक्ति को गोरखपुर के डी० आर० बना दिया गया। लेकिन यह प्रशासन की एक परिपाटी होना चाहिए कि 9 करोड़ रुपया चाहे किसी दबाव के कारण समाप्त कर दिया हो और जिसको मैंने चैलेंज किया था, उसी व्यक्ति को उसी जिले का डिप्टी रजिस्ट्रार एप्वाइंट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसे एप्वाइंट कर दिया गया। यह तो आपको गुमराह करके यह सब किया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में इस संबंध में, जो विधेयक आया, उसके सम्बन्ध में, दो एक बात कहना चाहता हूं। आपके जो सहकारिता के नियम हैं, उसके अनुसार कोई भी बकाये दार प्रशासक नहीं रह सकता, लेकिन बकायेदार को प्रशासक बना दिया गया। जो सहकारिता के सदस्य नहीं हैं, उनको प्रशासक बना दिया गया है, जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, चेक पर अंगूठा लगाने वाले लोग हैं, उनको प्रशासक बनाया गया है, ऐसा कोई आदमी जो बकायेदार है, जो उस क्षेत्र का नहीं है, पढ़ा-लिखा नहीं है, उनको आप सोसाइटी का प्रशासक नहीं बनायेंगे। मैं जनता पार्टी के शासनकाल की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने नामिनेशन किया था लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया था बल्कि विधायक की राय से किया था। उन्होंने बिना इस बात का विचार किये कि कौन किस पक्ष में है, नामिनेशन किया जो भरती आप करने जा रहे हैं जो सोसाइटी जिस विधायक के क्षेत्र में है चाहे वह इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो उसकी राय लेना आवश्यक समझेंगे।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मेरा अननुमोदन का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष--

आप खड़े क्यों नहीं हुये ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

कई बार खड़ा हुआ आप देख नहीं रहे हैं तो मैं क्या करूं ?

श्री अध्यक्ष--

कभी कहीं कभी कहीं आप बैठ जाते हैं मैं तो आपको आगे देख रहा था।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जहां आपने इजाजत दिया वहां बैठ गया। मैं सहकारिता मंत्री की सदस्यता पर चोट नहीं कर रहा हूं। यह हमारे पुराने साथी हैं पुराने सोशलिस्ट हैं। जो इस विधेयक के साथ प्रक्रिया चल रही है, बिना चुनाव के प्रशासक बनाना, बिना चुनाव के नाम निर्दिष्ट कमेटियां बनाना तथा अधिकारियों और पदाधिकारियों के कब्जे में देने से इन सोसाइटी को बेहद चोट पहुंची है। सहकारिता का तात्पर्य न समाजवाद से है न साम्यवाद से है। घोर पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका में भी सहकारिता है। सहकारिता के तीन तत्व हैं, सहकारिता की आवश्यकता, सहकारिता की इच्छा और ईमानदारी। इन तत्वों के रहते हुए ही सहकारिता चल सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि समय-समय पर जब आवश्यक हो चुनाव कराये जायें। जो सहकारिता के भागीदार हैं, अंशधारी हैं उनकी राय से चुनाव कराकर समिति का गठन किया जाना चाहिये। मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी प्रशासनिक कठिनाई थी जिसके कारण सात वर्षों से चुनाव नहीं हो सका। लगातार नाम निर्दिष्ट चले आ रहे हैं। वर्तमान मंत्री ने पता नहीं अपने पुराने मंत्री के कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिये कठिनाइयों पर प्रकाश नहीं डाला। प्रशासनिक कठिनाई तो कोई है नहीं लेकिन शब्दों का जाल फैला कर फंसाया जा रहा है। सहकारिता भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। माननीय मंत्री जी ने कठिनाइयों को उजागर नहीं किया जिसके लिये मुझे अफसोस है। मंत्री जी बिना कारण बताये सदन का विश्वास लेना चाहते हैं तो लें लेकिन यह बता दें कि कब तक चुनाव करा देंगे ? अगर उस समय में चुनाव न हुआ तो आप भी पक्के दोषी माने जायेंगे जैसे भूतपूर्व सहकारिता मंत्री हैं। इन शब्दों के साथ मैं विरोध करता हूं।

श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय और ओझा जी अभी आलोचना कर रहे थे यह संसदीय एटीकेट है कि किसी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आलोचना करते हैं तो उनको सुनने के लिये रहना चाहिये। माननीय प्रधान जी ने कहा कि प्रशासक के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते हैं। शायद वह अखबार नहीं पढ़ते हैं या उनको जानकारी नहीं है, अभी हाल ही में एक प्रशासक को मैंने हटाया है, उस पर क्रिमिनल होने का आरोप था तथा वह सजायाफ्ता था। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रशासक नहीं रहेगा जो क्रिमिनल हो, जिस पर बकाया हो, जिस पर कोई केस चला हो वह निश्चित रूप से हटा दिया जाएगा।

(मेजें थपथपायी गयीं)

माननीय ओझा जी जब अपना भाषण शुरू करते हैं तो संज्ञा इस्तेमाल नहीं करते हैं, सर्वनाम से शुरू कर देते हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

जब वह अपना भाषण समाप्त कर दें तो व्यवस्था का प्रश्न करियेगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, उनके भाषण से संबन्धित ही व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बाद में व्यवस्था का प्रश्न उठाइयेगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं बैठ तो जाऊंगा, लेकिन बाद में आप व्यवस्था का प्रश्न सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष--

जी हां।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि संज्ञा से शुरू न करके वह सर्वनाम से शुरू करते हैं। अगर वह संज्ञा का प्रयोग करें और यह बतायें कि फलां-फलां प्रशासक हैं जिन पर गबन का आरोप है। फलां-फलां पर जुर्म का मुकदमा है, फलां-फलां क्रिमिनल हैं, तो मैं तुरन्त घोषणा करूंगा कि उन प्रशासक को हटा दिया जाए।

(सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

लेकिन अगर शासन को बदनाम करना है, मंत्री को बदनाम करना है तो आप कहते रहें कि क्रिमिनल प्रशासक रखा गया है। यह मुकदमा है ऐसा है वैसा है। इस तरह की शिकायत करना कि बेईमान है बड़ा भ्रष्टाचार है, इन बातों का कोई अर्थ नहीं हुआ करता है। जनतन्त्र का और कोई ठोस आरोप लगाएं। आपको शायद जानकारी नहीं है इस तरह के आदेश अब हो गए हैं कि किस तरह का प्रशासक भर्ती किया जाएगा, किस तरह का प्रशासक होगा। मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने कहा कि समाजवाद का कोई महत्व नहीं है....

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप अब समाप्त करें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं चाहूंगा कि आप इसका समर्थन करें। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखें कि सहकारिता का कार्य कैसा चल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कहें क्या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, माननीय राज्य मन्त्री जी, सहकारिता ने कहा कि प्रशासक के क्रिमिनल होने पर निकाल देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। मान्यवर, आपके माननीय सदन के एक विधायक, श्री साहब सिंह जो जमनिया के विधायक हैं यह कोआपरेटिव के प्रशासक हैं और इन पर 302 के इल्जाम लगे हुए हैं, उनको क्यों नहीं निकाला गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जिन प्रशासकों के जमाने में जिन लोगों के नाम फर्जी रुपया चढ़ा दिया गया है, मर गये हैं या जिंदा हैं, उस पैसे के लिए कोई कार्यवाही करें। उनके पैसे को राइट आफ करके जिन लोगों ने पैसा नहीं लिया है, उनको बचाने की कृपा करेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि अपने इलाके में या किसी भी इलाके में जिन लोगों ने ऋण नहीं लिया है और उनसे वसूली की जा रही है, हमें बताएं। जिन लोगों ने ऋण नहीं लिया है उनके लिए कार्यवाही हो रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी। जो ऋण नहीं लिए हैं, उनसे अदायगी कतई नहीं की जायगी और जिन्होंने लिया है, उनसे वसूली की जायगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, 4 खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

(2) यह 29 जून, 1984 को प्रवृत्त समझा जायगा।

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" रख दिये जायेंगे। धारा 35 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 1984

4—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दिनांक 11 सितम्बर, 1984 को सदन में उठाए गए औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

औचित्य के प्रश्नों पर निर्णय इस प्रकार है—दिनांक 11-9-84 को श्री मोहन सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री पंचानन राय, श्री किरंगा प्रसाद विशारद, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने औचित्य के 6 अलग-अलग प्रश्न उठाये थे, जिन पर मैंने निर्णय सुरक्षित रखा था, अब मैं अपना निर्णय दे रहा हूं।

1—पहला प्रश्न श्री मोहन सिंह का था जो विधान सभा के 3 सत्र तथा 90 दिनों के उपवेशन न होने के विषय में था। माननीय मोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि वर्ष 1984 के बजट सत्र में केवल 40 उपवेशन हुए थे। मैं उनकी सूचना हेतु बताना चाहता

हूं कि बजट सत्र में 40 उपवेशन नहीं, बल्कि मात्र 39 उपवेशन हुए थे ।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 14 के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि विधान सभा के वर्ष में 3 अधिवेशन तथा 90 उपवेशन होंगे । पर उक्त प्राविधान दो महत्वपूर्ण शर्तों द्वारा प्रतिबंधित है :—

पहली शर्त यह है कि सदन के अधिवेशन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 174 के अधीन होगी और दूसरी शर्त यह है कि उक्त नियम 14 में शब्द "साधारणतया" का प्रयोग किया गया है ।

उपरोक्त संदर्भ में यदि विधान सभा के तीन अधिवेशन नहीं बुलाये जाते तो यह नहीं कहा जा सकता कि प्रक्रिया नियमावली का उल्लंघन किया गया है । फिर भी शासन द्वारा यह प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए कि सदन के अधिवेशन अधिक से अधिक दिनों के लिए बुलाये जायं ताकि जन साधारण की समस्याओं का जन-तांत्रिक पद्धति से निवारण किया जा सके ।

जहां तक श्री रियासत हुसैन की सूचना का प्रश्न है उन्होंने दिनांक 18 अप्रैल, 1984 को कार्यवाही को अनियमित बताते हुए कई तर्क दिए हैं । मैं इन तर्कों की विशद व्यवस्था नहीं करना चाहता । केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन को अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करने का असीम अधिकार प्राप्त है और यदि दिनांक 18-4-1984 को सदन ने यह विनिश्चय किया कि दिनांक 19-4-1984 के लिए निर्धारित कतिपय मदों को उसी दिन ले लिया जाय तो इस विनिश्चय को अनियमित या असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता ।

जहां तक श्री पंचानन राय ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा था कि पिछले 3 सत्रों से उनके 20 प्रश्न स्थगित किये जा रहे हैं जो नियम विरुद्ध है । मैं उन सभी प्रश्नों का अलग से परीक्षण करा रहा हूं और तदुपरान्त यदि आवश्यक समझा गया तो उन्हें प्रश्न समिति को सन्दर्भित करने पर विचार करूंगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने भी प्रश्नों की बात उठाई थी । मैंने जो निर्णय श्री पंचानन राय के मामले में दिया है, वही श्री विशारद के मामले में भी लागू होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा था कि राज भाषा हिन्दी के सम्बन्ध में शासनादेशों का परिपालन नहीं किया जा रहा है, अतः इसके लिए समिति का गठन किया जाय । मैं संसदीय कार्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे दिनांक 23 मार्च, 1984 तथा 11 सितम्बर, 1984 की कार्यवाहियों की पृष्ठ भूमि में श्री गुप्त के सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें तथा आवश्यक कार्यवाही करें और मुझे भी सूचित करें ।

जहां तक श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न पर सूचना दी है । यह पिछले सत्र में श्री अग्निहोत्री द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत अभिसूचित एक सूचना की ग्राह्यता पर हुई चर्चा के दौरान तत्कालीन संसदीय कार्य मन्त्री, डा० रिजवी द्वारा दिए गये आश्वासन से सम्बन्धित है । सदन में दिए गए आश्वासन पर अग्रिम कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में इस सदन की आश्वासन समिति कार्य करती है और वह समिति देखेगी कि उक्त आश्वासन की पूर्ति यथाशीघ्र की जाय ।

उपरोक्त पृष्ठ भूमि में औचित्य के सभी प्रश्नों को मैं अस्वीकार करता हूं ।

आज सदन में पर्चे फेकने तथा नारे लगाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने क सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 17 सितम्बर, 1984 को जब विधान सभा की कार्यवाही चल रही थी लगभग 3 बजे माननीय सदस्य श्री रियासत हुसैन के अभिभाषण के दौरान दर्शक दीर्घा नं0 1 में बैठा हुआ एक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा हो गया और "संजय गांधी" जिन्दाबाद का नारा लगाया तथा दर्शक दीर्घा से सभा मण्डप में कुछ पर्चे फेके । दीर्घाओं में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर उसे आगे बोलने से रोक दिया और दीर्घा से उक्त व्यक्ति को हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले आये । दर्शक दीर्घा मे बैठे उक्त व्यक्ति के इस आचरण से सदन की कार्यवाही में व्यवधान हुआ । जांच करने पर उसका नाम श्री गिरीश कुमार मिश्र पुत्र श्री कोदई प्रसाद मिश्र नि0 गोबिन्दपुर, डुमरियागज, जनपद बस्ती ज्ञात हुआ । उक्त व्यक्ति के पास से आज की 1 से 3 बजे की पाली का प्रवेश-पत्र संख्या 2595 प्राप्त हुआ । यह प्रवेश-पत्र माननीय सदस्य श्री रियाज अहमद की संस्तुति पर जारी किया गया है । माननीय सदस्य द्वारा जारी किया गया संस्तुति पत्र (मूल रूप में) तथा सभामण्डप में पाये गये 3 पर्चे एवं उक्त प्रवेश पत्र इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न† हैं ।

उक्त व्यक्ति श्री गिरीश कुमार मिश्र इस समय मार्शल की अभिरक्षा में हैं ।

आज दिनांक 17 सितम्बर, 1984 को जब विधान सभा की कार्यवाही चल रही थी लगभग 12·40 बजे दर्शक दीर्घा नं0 2 में बैठे हुए व्यक्ति ने अपनी सीट पर खड़े होकर जिलाप्रशासन, फर्रुखाबाद के विरुद्ध नारे लगाये । दीर्घाओं में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर उसे आगे बोलने से रोक दिया और दीर्घा से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले आये । दीर्घा में बैठे उक्त व्यक्ति के इस आचरण से सदन की कार्यवाही में व्यवधान हुआ । जांच करने पर उसका नाम श्री सूरज नारायण मिश्र पुत्र स्व0 सोने लाल मिश्र, निवासी मो0 लोहाई, फर्रुखाबाद ज्ञात हुआ । उक्त व्यक्ति के पास से आज के लिए 11 से 1 बजे की पाली का प्रवेश पत्र सं0 5986 प्राप्त हुआ । उक्त प्रवेश पत्र माननीय सदस्य डा0 शिवानन्द नौटियाल की संस्तुति पर जारी किया गया है । माननीय सदस्य द्वारा जारी किया गया संस्तुति पत्र (मूल रूप में) तथा उक्त व्यक्ति के पास प्राप्त प्रवेश-पत्र इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न† हैं ।

उक्त व्यक्ति श्री सूरज नारायण मिश्र इस समय मार्शल की अभिरक्षा में हैं । उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने दर्शकदीर्घा से नारे लगाकर तथा पर्चे फेंककर सदन के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया है । यह कार्य सदन की अवमानना का आधार बनता है ऐसे उच्छृंखल व्यक्तियों को अनावश्यक महत्व देना समीचीन न होगा । अतः यदि सदन सहमत हो तो आज के उपवेशन की समाप्ति तक उपरोक्त व्यक्तियों को मार्शल की अभिरक्षा में रखा जाय और तदुपरान्त उन्हें रिहा कर दिया जाए ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, इस सूचना पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात को छोड़ दिया गया है, जो पहले वाला डुमरियागंज वाला मामला है, उसमें उस व्यक्ति ने यह भी नारा लगाया था कि शासन हमें मार डालना चाहता है, इसलिये हमें बचाया जाय, इसे इस रिपोर्ट में छोड़ दिया गया है और इस नारे को यहां पर विराजमान सभी माननीय सदस्यों ने सुना है ।

†छापे नहीं गए ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें कहा गया या क्या नहीं कहा गया, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, उससे मैं सहमत हूं। प्रश्न यह है कि क्या इन दोनों व्यक्ति को जो मार्शल की अभिरक्षा में रक्खा जाए या सदन समाप्त होने पर रिहा कर दिया जाए। क्या आदरणीय सदन इससे सहमत है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि इन दोनों व्यक्तियों को उपवेशन की समाप्ति के बाद रिहा कर दिया जाए, सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

वन भूमि हस्तान्तरण में प्रदेश सरकार की घोर उदासीनता एवं लापरवाही से पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्य अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 53 को माननीय सदस्य की विशेष आग्रह पर पहले लिया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में किसी अन्य का कोई अनुरोध नहीं माना जायेगा।

*डा0 शिवानन्द नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय दोनों पर्वतों के भाग के वन संरक्षण का प्रश्न है, मान्यवर, पर्वतीय अंचल में विशेष कर गढ़वाल और कुमाऊं परिसीमन में जितने भी निवासी हैं वह इसलिए कृत-संकल्प हैं। मान्यवर, वहां पर चिपको आंदोलन शुरू हुआ है और यह चिपको आंदोलन इसलिये शुरू किया गया है कि वहां पर वन कटाव न हो, लेकिन सरकार वहां पर वनों को बेतहासा काटती चली जा रही है। इसलिए इन वनों की सुरक्षा के लिये पर्वतीय अचल की महिलाओं तक ने पेड़ों पर चिपक कर इनको न काटने के लिए एक अभियान चलाया ताकि इतनी तादात में पर्वतीय अंचल में पेड़ न कटे जायं, क्योंकि पर्वतीय संरक्षण की दृष्टि से इन पेड़ों का रहना बड़ा महत्वपूर्ण है।

मान्यवर, 1980 में इस दृष्टि को देखते हुये वन संरक्षण अधिनियम कानून बनाया गया। चूंकि इस क्षेत्र में यहां की जनता सामान्य रूप से जंगलों की सुरक्षा करती है और इस प्रकार जंगलों के काटने से बचाती है जैसा कि अभी आपने सुना कि वहां के बच्चे-बच्चे और महिलाओं तक ने यह आन्दोलन सक्रिय रूप में चलाया। परन्तु यहां पर यह कहना गलत न होगा कि वह भूमि हस्तान्तरण में प्रदेश सरकार की घोर उदासीनता एवं लापरवाही के कारण पर्वतीय अंचल में विकास अवरुद्ध उत्पन्न के लिये कोई हस्तक्षेप नहीं किया, हालांकि हम जानते हैं केन्द्र द्वारा इस कानून के बनाये जाने पर आपका हस्तक्षेप कोई माने नहीं रखता है, फिर भी संस्तुति तो की ही जा सकती थी। यह मैं मानता हूं और साथ ही यह भी मानता हूं कि वहां के विकास और खेती को बढ़ाने के लिये यदि वन के कार्यों को देखें तो हमारे यहां के पर्वतीय अंचल के जितने भी कार्य हैं, वे गति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ बताना चाहता हूं कि चमोली जिले में हरमनी एक जगह है जहां पर एक पुल की बाबत एक तरफ का एबेटमेंट बन गया है लेकिन दूसरी तरफ से एबेटमेंट के लिये मोटर की जगह छोड़ दी गयी है। न वहां किसी तरह का जंगल वन विभाग का है और न किसी प्रकार की दूसरी चीज है। इसी तरह से पानी के नलों के लिये पाईप लाइन बिछाने के लिये न ही किसी तरह के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जंगल कट रहे हैं और न ही कोई व्यवधान हो रहा है, लेकिन अभी तक वह लाखों रुपए की एक योजना रुकी पड़ी हुई है। मान्यवर, जिस एबेटमेंट की बात मैं कह रहा हूं, साढ़े छः लाख रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं लेकिन दूसरी तरफ का एबेटमेंट नहीं बना है, जिस वजह से वह कार्य ठप्प है।

इसी तरह से हमारे यहां की 634 योजनाएं गढ़वाल और कुमायूं की ऐसी हैं जो सड़कों की हैं और सिंचाई से सम्बन्धित हैं और इसी तरह से पेयजल की स्कीमें हैं जो रुकी पड़ी हैं। हम जानते हैं कि सरकार के इस प्रकार के अभियान में जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पर्वतीय अंचल का प्रत्येक व्यक्ति इसके लिये कटिबद्ध है कि उन योजना को सफल करें। लेकिन, साथ ही साथ यह भी जानना जरूरी है कि हमारे लिये जो रास्ते बने हुए हैं, जो लाखों रुपए की सड़कें मंजूर हुई हैं, वह केवल 2 किलो मीटर की वजह से, आधे किलोमीटर की वजह से और कहीं-कहीं केवल 50 मीटर की वजह से रुकी पड़ी हुई हैं। इसी तरह से पेयजल की योजनाएं हैं और इसी तरह से सिंचाई की योजनाएं हैं। सारा कार्य अवरुद्ध हो गया है इस अधिनियम की वजह से। इस सम्बन्ध में हम केन्द्रीय मंत्री माननीय राव बीरेन्द्र सिंह जी से भी मिले थे, उन्होंने हमसे सीधे ही कहा था कि जो बातें रखी गयी हैं, उनकी बाबत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है। और, केवल 14 योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा, लिखकर भी दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई बात नहीं रखी है। उ0 प्र0 का वन विभाग कहता है कि हम इसके लिये रोक लगायेंगे। रोक लगाइये।

श्री अध्यक्ष--

आपको दोबारा मौका मिलेगा। आप दूसरों को भी कहने का मौका दें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, अरबों के जंगल जल गये लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश शासन के इस विभाग ने उसकी बाबत कुछ नहीं सोचा। अब हमारे यहां केवल 3 मीटर के एबटमेंट की वजह से पुल रुका हुआ है, वह पुल पूरा नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मान्यवर, पूरी जांच करा लीजिये, पूरा निरीक्षण करा लीजिये कि जिन योजनाओं में जंगल नहीं कट रहा है, वह पूरी हो जायें। इनके अनुसार जो 436 योजनाएं गढ़वाल और कुमायूं में रुकी पड़ी हुई हैं उनका निरीक्षण कर, उन पर अविलम्ब कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिये, ताकि योजनाओं पर कार्य न रुक सकें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

*श्री संजय सिंह—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं महसूस किया कि 1980 में वन संरक्षण अधिनियम इसलिए बनाना पड़ा, क्योंकि वनों का रकबा घटता जा रहा था और जितना भी फारेस्ट एरिया है, वह घटता जा रहा था। इसके अतिरिक्त पर्यावरण की सुरक्षा के लिये भी यह अधिनियम बनाना पड़ा। मान्यवर, जहां तक योजनाओं में बाधा का प्रश्न है, उ0 प्र0 से, समय-समय पर हमारी लेबिल पर मीटिंग हुई हैं और 2-3 हफ्ते पूर्व माननीय राव बीरेन्द्र सिंह भी यहां आये थे उनके साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी मीटिंग की थी। हमारे अधिकारी भारत सरकार के यहां भी आते हैं, जो स्कीमें हैं, उनको तेजी से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें जो भी प्रायरिटी है, जो वरीयता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसे जल आपूर्ति है उसमें हम लोग, काफी रिलेक्स, स्वयं अपनी तरफ से करते हैं। शीघ्रातिशीघ्र इसके बारे में ऐसी स्थिति हम बनाने जा रहे हैं, जिससे कि इस प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचेगी।

*श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, 6 सितम्बर को जब मैं टेहरी से चला था, मुझे एक व्यक्ति ने एक नोटिस दिखाया, वह वन विभाग के रेंजर का था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जल निगम और एक ठेकेदार के नाम था, लिखा गया था कि मुझे आपके आदमी जहां दिखायी देंगे मैं उनको गिरफ्तार कर लूंगा क्योंकि आप पाइप लाइन बिछा रहे हैं। इस साल हमारे यहां जैसा सूखा पड़ा है, वैसा सूखा हमारे जीवन में तो क्या, हमारे बुजुर्गों के जीवन में भी नहीं पड़ा था। जैसी भयानक आग पहाड़ों में लगी है, वैसी कभी नहीं लगी थी। यह आग वन विभाग के ठेकेदारों ने लगायी, जिनके कार्य केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम के कारण रुक गये थे, उन्होंने पूरे जंगल में आग लगवा दी, पूरा पहाड़ जलता रहा। हम लोग एक-एक बूंद पानी के लिये तरसते रहे। करोड़ों पेड़ वहां पर गिर गये हैं। अगर कहीं पर हमें 4 बित्ता जमीन की जरूरत है, एक इंच की पानी की पाइप लाइन हम नहीं ले जा सकते। मेरे क्षेत्र में मूलाड़-हुलांणाव ले-अखोड़ी मोटर मार्ग, घमातोला के पास बन्द हो गया है। केवल आधा कि0 मी0 मार्ग ऐसा है, जहां पर कि मार्ग तो बन गया है, लेकिन वहां पर 20 पेड़ खड़े हैं, सड़क बनी हुई है, लेकिन मोटर मार्ग उसके कारण आगे नहीं जा सकता। मेरे यहां 8 आदमियों की अतिवृष्टि के कारण मृत्यु हो गयी, बाढ़ आयी, भू-स्खलन हुआ। जब हम वहां पर गये 10 कि0 मी0 आगे तक मोटर मार्ग बना हुआ है, लेकिन आधे कि0 मी0 के टुकड़े के कारण गाड़ी आगे नहीं ले जायी जा सकती। वहां पर हाहाकार मचा हुआ है।

मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वनों का नुकसान निर्माण कार्यों के कारण उतना नहीं होता, जितना वन विभाग के बड़े अधिकारी नुकसान कराते हैं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों को बुलाकर समय दें। पता नहीं ये वन मन्त्री हैं या पशु मन्त्री हैं, कभी मिलते ही नहीं। हम विस्तार से इनको समझा सकते हैं कि वनों में क्या हो रहा है।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, कई बार इस सदन में केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम के बारे में हमने विचार व्यक्त किये। जैसा माननीय डा0 शिवानन्द नौटियाल जी ने और विद्यासागर नौटियाल जी ने बातें रखीं, मैंने भी स्वयं इस बात को कहा, आज भी हम लोग जितने परेशान हैं, शायद मैदानी हिस्से के लोग हमारी समस्याओं को न समझें।

मैं देख रहा हूं बहुत से माननीय विधायक, जब पर्वतीय क्षेत्र की बात आती है, हंसने लग जाते हैं कि बेकार में क्यों समय बरबाद कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ ग्राम समाज के अधिकार में हैं, यही निर्णय करते हैं किसी व्यक्ति को देने के लिये, स्कूल बनाने के लिये या मकान इत्यादि बनाने के लिये। वहां पर जो बेनाम भूमि है, केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आ जाती है। शायद ही कोई गांव ऐसा हो, जहां पर जंगल न हो या बेनाम भूमि न हो। वहां पर भी हमने जंगल बना रखे हैं। जंगलों का महत्व हम जानते हैं क्योंकि जंगलों से ही हमें पानी मिलता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम इनको महत्वपूर्ण समझते हैं तो इसका कारण है कि 1980 से पहले सरकार के साथ पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की भयंकर लड़ाई रही है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा निर्माण कार्यों के लिये है केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के आने से। माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में कई बार बातचीत हुई कि एक मोटर मार्ग है 10 किलो मीटर लम्बा उसे बनना था वह मार्ग 7 किलो मीटर बन गया है अलग-अलग जगहों पर लेकिन तीन किलो मीटर का मार्ग जगह-जगह पर 100-100 या 50-50 मीटर का रह गया है और वह इसलिये कि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उसकी भूमि आ रही है और भारत सरकार इसकी इजाजत नहीं दे रही है। तो इस तरह से वह सड़क पूरी नहीं हो पा रही है।

पर्वतीय क्षेत्र में उपजाऊ भूमि कम है, जंगल ही 80 प्रतिशत हैं। पहले हम लोग बेनाम भूमि के लिये दरख्वास्त देते थे कि अस्पताल खोलना है या स्कूल खोलना है लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसी भूमि कम है।

मैं एक बात की ओर ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सड़कें ही नहीं, पेय जल योजना भी जो स्वीकृत हुई वह नाप की जमीन में बन गयी लेकिन जब बेनाप भूमि आयी वहां वह योजना रुक गयी। इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, वह पर्वतीय क्षेत्र के हैं और उनको इन सारी चीजों का ज्ञान है। हमारे वन मंत्री जी ने कई बार वचन दिया कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को यहां चार-चार साल चिल्लाते-चिल्लाते हो गये लेकिन कोई काम पर्वतीय क्षेत्र के लिये नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

समस्याओं का कोई तत्काल हल नहीं हो पा रहा है, आप जो यहां हमें आश्वासन देते हैं उसका भी सदुपयोग नहीं होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वन मंत्री जी तत्काल आप बैठक बुलायें और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की बात को पहले सुन लें। अगर आप इस समस्या का हल नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन अनशन करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, आज पर्वतीय क्षेत्र के जन मानस में बड़ी भारी निराशा व आक्रोश पैदा हो गया है। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के बाद से सरकार की नियत पर शक पैदा हो गया है कि सरकार जानबूझकर पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यों को नहीं करना चाहती है और केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम का बहाना करके पर्वतीय क्षेत्र के सारे विकास कार्यों को उसने अवरुद्ध कर दिया है। क्षेत्र की सारी पेय जल योजना ठप्प पड़ी हुई है। इसी तरह से बिजली लाइनों को वन विभाग की भूमि कह कर रोक दिया गया है। इसी तरह से स्कूल के भवनों के लिये अस्पतालों के लिये वन भूमि कह कर पहाड़ों की प्रगति को रोका जा रहा है जिससे पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्र में वन संरक्षण भूमि अधिनियम, 1980 लागू होने के बाद से जो बेनाप भूमि है वह वन की भूमि की परिभाषा में आ गयी है। यदि हमें स्कूल बनाना है तो वन विभाग से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। सड़क बनाना है तो उसके लिये पहले वन विभाग से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। किसी भी

विकास के कार्य के लिये हमें पहले वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और स्वीकृति प्राप्त करने में इतनी कठिनाई होती है कि वर्षों तक कार्य रुके पड़े हैं इस तरह से शासन पूरे क्षेत्र को समस्या में उलझा रहा है।

(5 बजकर 20 मिनट)

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, 134 योजनाओं का प्रस्ताव अकेले चमोली जिले में विकास कार्यों के वन विभाग में हैं। परन्तु केवल 12 ही प्रस्ताव शासन के पास हैं और शेष सभी जिले में लम्बित पड़े हैं। हम दिल्ली गए थे और कृषि मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे यहां एक भी प्रस्ताव नहीं है, पूरे भारत के 10 प्रस्ताव हैं। हम मुख्य मन्त्री जी से मिले तब श्रीपति मिश्र जी थे, तो उन्होंने कहा कि राव वीरेन्द्र सिंह झूठ बोलते हैं। अब हमें नहीं मालूम कि यह सरकार झूठ बोलती है या केन्द्र सरकार झूठ बोलती है। लेकिन हम लोग आज इससे बहुत निराश हो गए हैं, पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। चमोली में एक हरमनी पुल है, उसका एक अबेटमेन्ट बन गया है और दूसरा अधूरा पड़ा हुआ है, वह नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसमें जंगल विभाग की भूमि पड़ती है। मान्यवर, हम 24 जुलाई को प्रधान मन्त्री जी से मिले थे हमारा शिष्ट मंडल मिला था, तो उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। पेड़ नहीं रह गए हैं तो प्रधान मन्त्री जी कहती हैं हमारे सारे विभाग झूठ बोलते हैं, उनको अमेरिका से खबर मिलती है कि पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ काटे जा रहे हैं।

मान्यवर, वनों पर आधारित जो उद्योग हैं, वह बन्द पड़े हैं। जिन लोगों ने लाखों रुपये का कर्ज लिया था, उनको न कच्चा माल मिलता है और न किसी तरह का मुआवजा मिल रहा है। इस तरह से उनकी उपेक्षा हो रही है। वहां के गांवों के लोगों को चुराने चुगाने की सुविधा समाप्त हो गयी है वहां के लोगों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल पा रही है। गैस व मिटटी के तेल का अभाव है यह बड़ा ही शोचनीय प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि माननीय वन मन्त्री जी आश्वासन दें कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाया जायेगा और जो प्रस्ताव जिले से आए हों उन्हें 15 दिन या एक माह में शासन केन्द्र सरकार को भेज दे जिससे विकास कार्य अवरुद्ध न हों। प्रधान मन्त्री जी ने भेंट में यह भी कहा है कि जितने भी पेड़ पर्वतीय क्षेत्र में लगाये जा रहे हैं उसमें बड़ी भारी गड़बड़ी है और झूठे आंकड़े दिए जाते हैं। मान्यवर, मैं मानता हूं कि अगर वन काटे जाते हैं तो उससे जितने नुकसान या पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है। उससे सबसे अधिक अहित पर्वतीय क्षेत्र या स्थानीय लोगों को होगा हम चाहते हैं वन लगे लेकिन आज वन मनुष्य की कीमत पर नहीं लगते हैं विकास कार्य और वन दोनों मनुष्य के लिए होते हैं। मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि वन संरक्षण के साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, बुन्देलखंड की समस्यायें उसी प्रकार की हैं, जिस प्रकार की पर्वतीय क्षेत्र की हैं। बुन्देलखंड में जो वन है, उनमें लाखों बनवासी रहते थे, वहां पर यह झोपड़ी बनाकर रहते थे, उनके पास न मकान होता था और न कपड़े होते थे। केवल जंगली लकड़ी, मेवे आदि को बेचकर अपनी जीविकोपार्जन करते थे। श्रीमन् जी, जो वन संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वन विभाग के कर्मचारी हैं वे उनको वनों से खदेड़ रहे हैं और आज उनकी कोई समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। बुन्देलखंड के क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष—

माननीय अग्निहोत्री जी, यह बहस किसके बारे में हो रही है। आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कहा गया है उसी तरह से बुन्देलखंड की भी स्थिति है। उसी तरह से वहां भी पहाड़ हैं और वन हैं। मैं एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। दूसरी बात यह है कि बुन्देलखंड क्षेत्र में वनों से गांवों तक आने-जाने का रास्ता नहीं मिलता है। मार्ग नहीं बनाये जाते हैं। चार-चार, पांच-पांच मील का चक्कर लगाकर लोगों को अपने गांव तक पहुंचना पड़ता है। सन् 1980 में यह अधिनियम बना था। आधा वन जो हैं वे कटान में साफ हो गये हैं और उनमें जो पौधे लगाये जाते हैं वे 3 महीने के बाद बर्बाद हो जाते हैं। जो वनवासी लोग थे, जो वनों की रक्षा करते थे, वनों को लगाते थे, वनों की चिन्ता करते थे, इस अधिनियम द्वारा उनका जनजीवन समाप्त करके उनको उजाड़ दिया गया है। अतः मैं आपके माध्यम मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के समान बुन्देलखंड में भी वहां के वन-वासियों को इस अधिनियम के द्वारा अव्यवस्थित कर दिया गया है। इसलिये पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के साथ-साथ आप हमारे बुन्देलखंड को भी उसमें जोड़ दें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि इस माननीय सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर एक सहमति व्यक्त की है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जहां तक पर्यावरण और भूमि संरक्षण के साथ-साथ वन संरक्षण का प्रश्न है पर्वतीय अंचल के रहने वाले उसमें सबसे पहले हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि 'चिपको आन्दोलन' इसका ऐसा प्रमाण है कि जो विश्व में और कहीं भी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। हम इस अधिनियम को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये और पर्यावरण की दृष्टि से इसका स्वागत करते हैं। परन्तु साथ ही साथ यह भी चाहते हैं कि जो हमारी अवरुद्ध योजनायें हैं जिसमें वन विभाग की एक इंच भूमि नहीं कट रही है, जंगल नहीं कट रहा है, किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है, वन विभाग और उत्तर प्रदेश का वन विभाग को हमको और हमारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये किसी भी तरह की असहमति नहीं दिखानी चाहिए जैसा कि पिछले चार वर्षों से दिखायी जा रही है। हमको एक इंच भूमि नहीं मिल पाती और बिरला को 10 हजार पेड़ प्रसन्न होकर दे दिये। हमारा तीन मीटर के लिए एबेटमेन्ट नहीं बन पा रहा है। इससे ज्यादा चिन्तनीय विषय और क्या हो सकता है। पीने के पानी के लिये नल ले जाने के लिये कोई जंगल नहीं कट रहा है, इसके लिये वन विभाग को क्या आपत्ति हो सकती है सिंचाई के लिये कोई पेड़ नहीं कट रहा है, उसको ले जाने के लिये वन विभाग को क्या असहमति हो सकती है। जहां जंगल कटते हैं जहां आग लगती है वहां पर्वतीय क्षेत्र के लोग सबसे पहले वहां जाते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। पर्यावरण के महत्व को वहां की महिलायें भी स्वीकार करती हैं। पीने के पानी के लिये, सिंचाई के साधनों के लिये सरकार ने रुपया दिया हुआ है उसको रोकना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय अंचल की भावनाओं का

आदर करेंगे और जो भावनायें वहां के लोगों में आ गयी हैं, जो जन आक्रोश वहां पर फैल गया है कि हमारी योजनाओं को चाहते हुए भी पास नहीं किया जा रहा है। यह भावना जो पर्वतीय अंचल में फैल गयी है इस भ्रांति को दूर करना आवश्यक है। जहां तक जंगलों की सुरक्षा का प्रश्न है उसको बचाने के लिए वन विभाग से ज्यादा पर्वतीय लोग तैयार रहते हैं तैयार ही नहीं रहते हैं बल्कि वह कहते हैं कि पहले हमें काटो फिर पेड़ कटेगा। यही फिलासौफी चिपको आंदोलन की है तो इससे ज्यादा और बात क्या हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आश्वासन चाहूंगा कि पर्वतीय अंचल में फैली हुई इस भ्रांति का निराकरण वह करें।

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जो चर्चा माननीय सदस्य डाक्टर शिवानन्द नौटियाल ने चलाई और उन्होंने अपनी बात कही। मैं जातीयतौर से पर्वतीय अंचल के रहने वाले लोगों से काफी हमदर्दी रखता हूं वह इसलिए कि मैं स्वयं वहां महीनों रहकर वहां के लोगों के जीवन की कठिनाइयों को देखा हूं। जहां तक इस अधिनियम के कारण वहां असुविधा और विकास के कार्यों में बाधा की बात है यह काफी हद तक सही है। लेकिन उसके निराकरण के लिए जैसा मैंने पहले निवेदन किया समय-समय पर हर स्तर से वन विभाग, स्वयं मैं तथा माननीय मुख्य मंत्री जी और केन्द्रीय सरकार सब मिलजुल कर निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश वन विभाग का प्रश्न है हम हर समय यह देखते हैं कि यह जो समस्यायें हैं, जो वहां के प्रोजेक्ट हैं उनको बरीयता से मदद दी जाय।

हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा कि वहां से ठेकेदार लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा एकदम खतम हो गयी है। जो भी कार्य हो रहा है वह वन निगम के माध्यम से हो रहा है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

यह गलत है, वहां ठेकेदारी प्रथा अभी समाप्त नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री संजय सिंह—

दूसरा निवेदन यह है कि अभी तक जितनी भी योजनायें या विकास के कार्य चलते थे उनमें कुछ बाधा पड़ती थी। जैसे सड़क बननी होती थी या सिंचाई के साधन थे उसमें पहले सम्बन्धित विभाग जो कार्य करता था जैसे पी० डब्लू० डी० से 100 कि० मी० सड़क बनानी है और उसके लिए जो पैसा मिलता था उसमें 10 कि० मी० ही सड़क बन पाती थी जब सर्वे होता था, उसकी उसी समय जानकारी नहीं होती थी कि पूरी सड़क कितने में बनेगी और फिर सर्वे में बाधा पड़ती थी। अब हमने फैसला लिया है कि जितनी लम्बाई की सड़क बननी होगी उसका सर्वे पहले होगा और उनके साथ वन विभाग भी रहेगा।

जहां तक आग लगने की बात है पहले वन विभाग के पास आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि जापान की एड से हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें फायरफाइटिंग के इक्वीपमेन्ट के साथ हैलीकाप्टर भी होंगे। उससे इस कठिनाई के निराकरण में काफी मदद मिलेगी जहां तक और विकास के कार्य हैं या शिक्षण संस्थाओं की बात है यह बात आपकी जानकारी में है कि वहां मैदानी भाग से ज्यादा नागरिक शिक्षित हैं यहां से ज्यादा वहां शिक्षण संस्थायें हैं। जहां तक और बातों का प्रश्न है उसमें हर तरह से कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा वहां दी जाय।

यहां पर हक हकूक की बात कही गयी, इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि जो पहले गांव वालों को वन विभाग से लकड़ी दी जाती थी, उसमें गड़बड़ी हुई। तो इसमें निर्णय लिया है कि जो भी हक हकूक की लकड़ी होगी वह वन निगम के माध्यम से दी जायेगी और सबको बराबर दी जायेगी जिसमें कम से कम गड़बड़ी के चांस हों।

लीसा के बारे में आज सदन में प्रश्न था जिसमें मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया कि लीसा बहुत ही आवश्यक पर्वतीय अंचल के लिये है, वहां छोटे-छोटे उद्योग इसी के सहारे रहते हैं और जो दर कमेटी बनी थी उसमें आज मुख्य मंत्री जी ने यहां कहा कि वह अंतिम निर्णय नहीं है, आज माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि आज ही निर्णय लिया है कि उस पर पुनर्विचार करेंगे और दुबारा कोई निर्णय लेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके।

मान्यवर, श्री बिष्ट जी ने सुझाव दिया कि हम अपने पर्वतीय अंचल के माननीय सदस्यों के साथ मीटिंग करें वर्तमान समस्याओं के बारे में, तो शीघ्रातिशीघ्र इस सम्बन्ध में हम मीटिंग करेंगे जिससे आपके सुझाव और आपकी बातों पर हम गहराई में जाकर विचार कर सकें। मान्यवर, आज जो भी श्री नौटियाल और अन्य माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं उनमें एक-एक बात पर विचार करूंगा और आप लोगों का सहयोग लूंगा और आपसे बातचीत करूंगा और शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लूंगा।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

मैं जानना चाहता हूं कि 1978 से जितनी सड़कों या नहरों में काम चल रहा था और आधा-आधा काम हुआ है उनको कब तक पूरा करा देंगे।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री जी का भाषण मैंने ध्यानपूर्वक सुना उन्होंने तीन वाक्य जिम्मेदारी से कहा उन्होंने कहा यह जो वन संरक्षण अधिनियम है वह सेन्ट्रल का है, आपका नहीं है। हम केन्द्र सरकार के साथ बैठकर रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पर्वतीय अंचल के बारे में जितनी उनको चिन्ता है वह हम जानते हैं, मैं भी वहां गया हूं, विकास के सभी काम वहां अवरुद्ध हैं, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जो केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के साथ बैठकर कोई रास्ता निकाला है, वह बता दें कि यह यह तय किया जिससे हमारा समाधान हो जाय।

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो बात कही है उसमें कोई हमारी तरफ से नई बात नहीं होनी है। एक नियम बना है उसका पालन होना है। दिक्कत सिर्फ प्रशासनिक पद्धति से जो कार्य पूरा होता है उसमें बाधा पड़ती है। उदाहरण के लिये जैसा निवेदन किया था कि सड़क का सर्वे होता है, एक प्वाइन्ट से दूसरे प्वाइन्ट तक सड़क बनाते हैं विभाग उतना बजट सैंक्शन नहीं करता है कि पूरी सड़क बन जाय, यही दिक्कत होती है, विभाग के कर्मचारी पूरा पैसा जो सैंक्शन होता है उसको यूटीलाईज कर लेते हैं और पूरा सर्वे नहीं करते हैं कि कहां कितने पेड़ कटने हैं और फिर दिक्कत होती हैं। जैसे पी0 डब्लू0 डी0 किसी सड़क में शामिल है तो वह अपनी सर्वे रिपोर्ट वन विभाग को भेजता और वन विभाग उसको देखता था और दुबारा फिर सर्वे होता था, इसलिये अलग-अलग काम होता था। अतः आदेश दिये हैं कि पहले वन विभाग के साथ कोअर-डिनेशन से सर्वे करवाया जाय जिससे कम इनर्जी और कम खर्चे में वह काम हो जायेगा। इसलिये जो भी औपचारिकतायें हैं उसको विभागीय तरीके से ठीक किया जायेगा, तो यह बाधा उत्पन्न नहीं होगी इसलिये यह निर्णय लिया गया।

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा प्रधानाचार्य की तानाशाही से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

क्या इसके वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाए ? सदन की राय हो तो मान लिया जाए ? सब सहमत हैं ?

(सदन ने सहमति दी)

शिक्षा मन्त्री (श्री वीर सेन)—

[उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ के प्रधानाचार्य के पद पर विंग कमाण्डर, के0 एस0 त्रिपाठी ने दिनांक 11 जुलाई, 1977 को कार्यभार ग्रहण किया था। उस समय ये भारतीय वायुसेना में थे और इनको सैनिक स्कूल में प्रतिनियुक्त पर लिया गया था। बाद में श्री त्रिपाठी ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उन्हें प्रधानाचार्य के पद पर संविलीन कर लिया जाय तो वे भारतीय वायु सेना से सेवा-निवृत्ति प्राप्त कर लेंगे। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुये दिनांक 24 दिसम्बर, 1983 को यह आदेश जारी किये गये कि उन्हें प्रधानाचार्य के पद पर निविदा (कान्ट्रेक्ट) पर 58 वर्ष की आयु तक के लिए संविलीन कर लिया गया है और यह भी शर्त रखी गई कि कान्ट्रेक्ट के हिसाब से यदि वे नौकरी छोड़ना चाहें तो उन्हें 3 महीने का नोटिस या उसके एवज में तीन महीने की तनख्वाह देनी होगी और यदि यू0 पी0 सैनिक स्कूल समिति उन्हें हटाना चाहे तो उन्हें तीन महीने का नोटिस या तीन महीने का वेतन दिया जायेगा। इसी आधार पर श्री त्रिपाठी इस समय इस पद पर कार्य कर रहे हैं। निविदा पर संविलियन की तिथि से श्री त्रिपाठी ने वायु सेवा से समय पूर्व सेवा-निवृत्ति प्राप्त कर ली है। यह बात सही है कि विधान मंडल के सदस्यों की शिकायत तथा स्कूल के 14 अध्यापकों की शिकायतें प्रधानाचार्य के आचरण एवं व्यवहार के बारे में प्राप्त हुई हैं। प्रधानाचार्य ने भी इन्हीं शिक्षकों के बारे में अनुशासनहीनता एवं उनके आचरण के बारे में रिपोर्ट की है। ये सभी रिपोर्ट एवं शिकायतें आयुक्त, लखनऊ मंडल, जो कि यू0 पी0 सैनिक स्कूल की स्थानीय प्रशासन समिति के अध्यक्ष हैं, के पास जांच हेतु भेजी गई हैं। उनकी जांच आख्या प्रतीक्षित है। जांच आख्या के प्राप्त होने पर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक गत माह अगस्त 1984 में कक्षा-11 के 85 छात्रों को निकाले जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य ने यह सूचित किया था कि कक्षा 11 के छात्रों ने कक्षा 12 के छात्रों का 16 अगस्त, 1984 को घेराव किया तथा उन्हें अपनी कक्षाओं में जाने से रोका। इसी अनुशासनहीनता के कारण इन छात्रों को कुछ समय के लिए स्कूल से निकाला गया था और उनसे अपने घर जाने के लिए कह दिया गया था और उसकी सूचना उनके अभिभावकों को दे दी गई थी और यह कहा गया था कि जब इन विद्यार्थियों के अच्छे आचरण का आश्वासन मिल जायेगा तब उनको वापस ले लिया जायेगा। बाद में आयुक्त, लखनऊ मंडल के हस्तक्षेप से उन्हें पुनः स्कूल में रहने की अनुमति मिल गई। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सैनिक स्कूल जैसे संस्थान में अनुशासन रहना अत्यन्त आवश्यक है, जिसका कि शिकायतों को देखते हुये अभाव प्रतीत होता है। इसलिए आयुक्त, लखनऊ मंडल को सारी शिकायतों की जांच करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

सैनिक स्कूल, लखनऊ के संदर्भ में जो और जितनी शिकायतें मन्त्री जी को मिली है, इसकी जानकारी उनको है और अपने वक्तव्य में भी उन्होंने इसे स्वीकार किया है। यह कितनी अफसोसजनक बात है कि जिस विद्यालय से हम कठोर अनुशासन की आशा करते हैं, वही अनुशासनहीनता का आज केन्द्र बना हुआ है। तो जो शिकायतें उन्हें मिली हैं, उनकी जांच उन्होंने कब कराई और उसमें कौन से तथ्य प्रकाश में आये ? और जांच रिपोर्ट के सन्दर्भ में उन्होंने कौन सी कार्यवाही की है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती सुनीता चौहान)--

मान्यवर, जांच लखनऊ मंडल के कमिश्नर कर रहे हैं, उनको जांच सौंप दी गई है। जो प्रश्न आज इस वक्तव्य में आने वाले थे, उसको विस्तार से जांच उनको सौंपी गई है। जहां तक अनियमितताओं का सवाल है और इसका संबंध है कि कितने लोगों के ऊपर अनियमितताओं का चार्ज है, तो उसका संकलन कई वर्षों का हमें करना है, इसलिए वह रिकार्ड तो आज हम आपको नहीं दे सकेंगे। लेकिन अनियमितताओं का तो कम व्यवहार का सवाल ज्यादा है। दोनों तरफ से आरोप इस संस्था के प्रधानाचार्य के बारे में ही हैं और जिसकी ओर जनार्दन प्रसाद ओझा जी ने ध्यान आकर्षित किया है, वहां के प्रधानाचार्य के बारे में, वहां के व्यवहारों का सवाल है, शिक्षा संस्थाओं में चाहे वह सैनिक स्कूल हो या अन्य कोई संस्था हो, वहां पर ऐसा व्यवहार बच्चों के प्रति होना चाहिए, जिससे लोगों को शिकायत का मौका न हो। वह मिलेट्री के आदमी हैं, यों वह एक योग्य व्यक्ति हैं, उनके व्यवहार के विषय में आज हमारे सामने शिकायतें आयी हैं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

ओझा जी, जरा कृपया आप बैठिये। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, यह स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, मिलेट्री के लिए लोगों को तैयार किया जाता है, वहां इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए। आप विशेष रूप से इस बात को देखें। बच्चों का नुकसान न हो, अध्यापकों का नुकसान न हो और इस स्कूल की बदनामी न हो, इस बात को आप भविष्य में अवश्य देखें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

आपने प्रधानाचार्य की चर्चा की, यह सन् 77 में यहां आए थे, तो क्या यह सही है कि इनके आने से पहले जब भूतपूर्व प्रधानाचार्य मिश्रा जी सेवा निवृत्त हुये थे, तो उस समय संचालक मंडल ने यह निर्णय लिया था कि रिटायर्ड मिलेट्री अफसर को इसका प्रधानाचार्य नहीं बनायेंगे ? परन्तु उसके विपरीत इनकी नियुक्ति की गई है। इन्होंने 85 लड़कों को निकाल दिया है, यदि मुख्य मन्त्री ने हस्तक्षेप न किया होता तो यह बच्चे आज सड़क पर होते। एक लड़के से इन्होंने कहा कि तुम अपने बाल छोटे कराओ, यह बहुत बड़े हैं, किसी कारण से उसने ऐसा नहीं किया तो उसको निकाल दिया गया और 8 हजार रुपया पुनः देकर ही उसको दाखिल दिया गया। तो क्या कृपया यह बतायेंगे कि वर्तमान प्रधानाचार्य बेस आफ एप्वानमेंट क्या है अर्थात यह परमानेन्ट हैं, टम्प्रेरी हैं या कान्ट्रेक्ट पर हैं, आदि ? और किन परिस्थितियों में पिछले प्रस्ताव के विपरीत इनकी नियुक्ति की गई है ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, यह प्रधानाचार्य, 11 जुलाई, 1977 को यहां आये थे। मान्यवर, जो शर्तें थीं उनमें था कि अगर कभी सेवा छोड़ना चाहेंगे तो 3 महीने र

नोटिस देंगे और अगर सरकार को हटाना होगा तो सरकार उनको 3 महीने का वेतन देकर हटा देगी। लेकिन जिस जगह वह सर्विस में थे तो उसको उन्होंने छोड़ दिया और यहां पर वह परमानेंट तरीके से काम कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरी जो जानकारी है वह यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में यह एक अद्वितीय संस्था है। इसका सम्पूर्ण व्ययभार उत्तर प्रदेश सरकार वहन करती है और सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अनुसार यह रजिस्टर्ड है और मुख्य मन्त्री जी इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन इसका संचालन शिक्षा विभाग करता है। यह एक विशेष प्रकार की परिस्थिति है जो गड़बड़ी का कारण है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि वहां पर जो भी अध्यापक हैं उनमें से कोई भी अध्यापक स्थायी नहीं है। दूसरे इस युग में सेवा सुरक्षा की गारन्टी प्रथम चीज है। तो किसी भी अध्यापक के स्थायी न होने और वहां पर सेवा नियमावली लागू न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, वहां कुछ अध्यापक स्थायी हैं और कुछ अस्थायी हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने बहुत साफ सवाल किया है। मैं न्यूमेरिकल झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि कितने अध्यापक स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं। इस युग में सेवा सुरक्षा की गारन्टी, यह प्रथम कदम होना चाहिये। इस संस्था में सेवा नियमावली लागू न होने का क्या कारण है ? मेरी जानकारी के अनुसार एक भी अध्यापक स्थायी नहीं है क्योंकि मेरे साथ पढ़े हुये मित्र वहां अध्यापक हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां कर्मचारियों के अस्थायी न होने का क्या कारण है और सेवा नियमावली लागू न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, सेवा नियमावली के बारे में तो सूचना की आवश्यकता होगी। एक निवेदन यह करना चाहती हूं कि यह जो विधेयक है।

श्री अध्यक्ष--

क्या आपको रोटी नहीं मिलती है ? आप जोर से क्यों नहीं बोलती हैं।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह मातायें हैं, पहले हमको खिला देती हैं, बाद में खाती हैं इसलिये ऐसा है।

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, यह जो विधेयक है, मुख्य मुद्दा इस विधेयक का जो रहा है वह प्रिंसिपल और अनियमितताओं के बारे में रहा है। 85 बच्चे जो निकाले गये थे, उनके भाग्य का क्या हुआ और उनको किस प्रकार से रखा गया यह सब इसमें विस्तृत रूप से दे दिया गया है। यह प्रश्न सेकेंडरी है इसलिए इसकी सूचना नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें कहा है--"बाद में श्री त्रिपाठी ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उन्हें प्रधानाचार्य के पद पर संविलीन कर लिया जाय तो वे भारतीय वायुसेना से सेवा निवृत्ति प्राप्त कर लेंगे।" तो इस तरह से उनको 58 वर्ष की आयु तक प्रिंसिपल रखने के लिए निर्णय ले लिया गया। अगर भारतीय वायुसेना में रहते तो 48 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते या हो सकता था कि थोड़ा ही

एक्सटेंशन मिल जाता। तो जब नियम था कि क स्कूल क प्रिंसिपल सर्विंग आफिसर होगा और प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा तो किन परिस्थितियों में उनके सा ऐसा अनुबंध कर लिया गया। आगे वक्तव्य में हाक गया है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सैनिक स्कूल जैसे संस्थान में अनशासन रहना अत्यंत आवश्यक है जिस क कि शिकायतों को देखते हुए अभाव प्रतीत होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब एक स्कूल में अनुशासन का अभाव सरकार मान लिया है तो अनुशासन के लिये जम्मेदार जो मुख्य कार्यपालक व्यक्ति प्रिंसिपल था तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, अनुशासन के अभाव की बात नहीं है, अनुशासन बनाने के लिए ही प्रिंसिपल ने सारी कार्यवाहियां कीं। लेकिन वे व्यवहार कुशल नहीं हैं, इस वजह से इतनी बात बढ़ गई। तो अनुशासन के आधार पर ही उन्होंने प्रश्न यह उठाया था कि कुछ बच्चों को निकाल दिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी ने जो अभी उत्तर दिया कि वह प्रधानाचार्य जी अस्थायी हैं। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि वह कंट्रैक्ट बेसिस पर 58 वर्ष की आयु तक के लिए रख लिए गए हैं।

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, फिर से प्रश्न पूछ लें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, मैंने सदन की राय जान ली है, प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए, सदन के तीन सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय, जो इसकी छानबीन करके अपनी रिपोर्ट दे, ताकि इस पर कार्यवाही की जा सके।

ग्राम लखीमपुर, थाना जलालपुर, जिला जौनपुर में 11 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 7/8-5-84 की रात्रि में...।

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?
(सदन ने सहमति दी)

श्री राम सिंह--

[लगभग 1 बजे ग्राम लखीमपुर, जनपद जौनपुर में 16-17 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा ग्यारह व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी। मृतकों में ग्राम लखीमपुर निवासी मेवा प्रसाद राय व सीताराम राय के परिवार के क्रमशः 5 व 6 व्यक्ति हैं जिसमें से 6 महिलाएं हैं। घटना के दौरान 2 पुरुष तथा 2 महिलाएं घायल हुयीं। इस घटना के सम्बन्ध में थाना जलालपुर में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया जिसमें 14 व्यक्तियों को नामांकित किया गया था। विवेचना के मध्य 2 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आए। उपर्युक्त 16 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त अभी फरार हैं जिनके विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही करके सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

उसी रात ग्राम पुरेव में श्री राजपति मिश्र एवं श्री रवि शंकर मिश्र के घरों में हुई लूटपाट आदि की घटना के

नोट :-- [ ] पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया जो विवेचनाधीन है ।

उक्त नर संहार का कारण दो भूमिहार परिवारों के बीच पुरानी पारिवारिक दुश्मनी है । इनके बीच भूमि सम्बन्धी विवाद तथा प्रधानी के चुनाव के दौरान पार्टीबन्दी के कारण तनाव में वृद्धि हुई ।

घटना के तुरन्त बाद मण्डलायुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया । इस मामले में पुलिस द्वारा पर्याप्त तत्परता से प्रभावी कार्यवाही की गई है । पुलिस द्वारा किसी प्रकार की निष्क्रियता या लापरवाही प्रदर्शित करने का आरोप निराधार है ।

यह कहना सही नहीं है कि पूरे क्षेत्र में आतंक व्याप्त है और लोग अपने जान व माल को पूर्णतया असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं । सुरक्षा की दृष्टि से उक्त क्षेत्र में डेढ़ सेक्शन पी0 ए0 सी0 की व्यवस्था कर दी गयी है ।

उक्त नरसंहार की घटना दो परिवारों के बीच विद्यमान रंजिश के कारण हुई है । अतः इसमें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता का औचित्य नहीं पाया गया ।]

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, यह नरसंहार जिस गांव में हुआ है, इसके बगल के गांव पुरेव का मैं स्वयं निवासी हूं । मैं पूरी रात वहां पर रहा हूं, जिस समय यह दृश्य हुआ था । रात भर लोग चिल्लाते रहे हैं । मैंने डाकखाने के टेलीफोन से थाने पर सूचना देने की कोशिश की और दो नवजवानों को पुलिस स्टेशन भेजा, तब जाकर किसी तरह से उस पुलिस स्टेशन की पुलिस सुबह होने पर उस गांव में आई है । वहां पर पूरा क्षेत्र, पूरा गांव कराह रहा है तथा भयभीत है और इसकी रिपोर्ट इतनी हल्की बना दी गयी । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने बतलाया कि दो परिवारों के क्रमशः 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति मारे गये । तो वे दो व्यक्ति मैं जानना चाहता हूं, अछैवर राय और आत्मा राय जब इस गांव के नहीं हैं, तो ये कहां के हैं ? इन दोनों परिवारों में से किस परिवार में से ये लोग थे, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, ऐसा है, इसमें इन्होंने पूछा था कि 5 व्यक्ति मेवा प्रसाद राय, श्रीमती राम कली देवी, मनोज कुमार, अछैवर और आत्मा राय हैं । ये तो मेवा राय के यहां के 5 व्यक्ति मारे गये थे, सीताराम राय के ये 6 व्यक्ति मारे गये । इनमें श्रीमती राम प्यारी, श्रीमती मनराजी, श्रीमती धनदेवी, श्रीमती बांसमती, राम दुलारी एवं संजय कुमार राय हैं ।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, मैंने जिन दो व्यक्तियों के बारे में पूछा था, मान्यवर, शायद मंत्री जी को सही सूचना नहीं दी गयी । अछैवर राय और आत्मा राय में से एक आदमी आजमगढ़ के हैं और दूसरे आदमी वाराणसी के रहने वाले थे, जिनकी हत्या कर दी गयी । माननीय मंत्री जी इनके पट्टीदार होने की बात बता रहे हैं । इसके अलावा श्रीमन्, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि एक भी अभियुक्त को जौनपुर की पुलिस पकड़ने में असफल रही है । मान्यवर, 7/8 मई, 1984 की घटना है, मैंने कहा कि हमारे गांव की घटना है लेकिन ये कहते हैं कि कोई आतंक नहीं है, वहां पर इन्होंने पी0 ए0 सी0 लगा दी । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक बार 26 जून, 1984 को उस गांव से पी0 ए0 सी0 हटाने का आदेश हुआ था यदि हुआ था तो क्या यह सही है कि

उसी दिन एक जीप और एक मिनीबस पर सवार होकर 30 लोग आये जिनको पी0 ए0 सी0 के जवानों ने दौड़ाकर क्या जीप और 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था ?

श्री राम सिंह—

26–6–84 को कोई व्यक्ति या जीप नहीं आयी थी बल्कि 29–6–84 को जीप संख्या यू0 ए.स0 एस0 8742 पर नरेन्द्र सिंह अभियुक्त के पिता तेजबहादुर आये थे वह आतंक पैदा करने नहीं आये थे बल्कि आपस में रिश्तेदारों में बातचीत करने आये थे। जहां तक जीप पकड़ने की बात है जो डकैतों ने जीप का इस्तेमाल किया था वह जीप पकड़ी गयी है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी इस बात की पुनः जांच करायेंगे कि एक व्यक्ति बनारस का और एक व्यक्ति आजमगढ़ का था और 11 व्यक्ति एक ही परिवार के थे और उन्हीं के यह रिश्तेदार थे। क्या इस बात की जांच करायेंगे ?

श्री राम सिंह—

जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। श्री अक्षयबर और आत्मा राय बाहर से आये और 2 परिवार थे।

श्री ऊदल—

मंत्री जी मेरा प्रश्न नहीं समझ पाये। यह लोग एक ही तरफ के थे। दो परिवार एक पक्ष की हत्या हुई है। जिनकी हत्या की गई है यह एक पक्ष के थे और जिनकी हत्या की गयी है उन्हीं के यह लोग रिश्तेदार थे। क्या यह बात सही है ?

श्री राम सिंह—

मैंने बताया कि वहां पर दो पक्ष थे। जिस वक्त प्रधान का चुनाव हुआ था आपस में पार्टीबाजी हुई थी। उस गांव की एक पार्टी से छोटे भाई का कत्ल मर्च में कर दिया गया। इसका एक अभियुक्त माया प्रसाद था। बेल पर छूटने के बाद उसने कुछ बदमाश हायर किया और उनके द्वारा हमला बोल दिया। यह बात सही है कि एक पक्ष के लोग मारे गये हैं।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

माननीय मंत्री जी भीषण नर संहार पर तो वक्तव्य दे रहे हैं लेकिन जो हमारे खुद के गांव में डकैती पड़ी और दो ब्राह्मण के परिवार लूट लिए गए, उनकी उपेक्षा की जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 7/8 मई, 1984 को मेरे गांव में जो डकैती पड़ी उसका कोई अभियुक्त पकड़ा गया ? यदि नहीं पकड़ा गया, तो स्थानीय पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह—

यही लोग यहां पर नरसंहार करने के बाद 2 किलोमीटर दूर एक गांव में डकैती डाले और दो घरों को लूट लिया। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इसके 14 नामजद अभियुक्त थे और ...

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने सीधा सवाल यह पूछा है कि जो उनके गांव में वारदात हुई उसके बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम सिंह—

जिन लोगों ने नरसंहार किया उन्हीं लोगों ने दूसरे गांव में डकैती डाली। इसमें 14 लोग नामजद किए गये और 2 अभियुक्तों का पता बाद में चला। 15 लोग पकड़ लिए गये हैं और एक अभियुक्त फरार है उसके खिलाफ 82–83 की कार्यवाही हो रही है।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, एक तरफ खानदानी दुश्मनी की बात कही जाती है। भूमिहारों का झगड़ा कहा जाता है, गांव के

दो ब्राह्मणों के घर लूटे जाने की बात माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो इतना बड़ा भीषण नरसंहार था उसको क्या मंत्री जी लूटपाट की घटना भी नहीं मानते हैं अगर मानते हैं तो जो थाना जिसकी व्यवस्था में यह घटना देर रात तक होती रही, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? क्या यह सही नहीं है कि जलालपुर थानाध्यक्ष की पदोन्नति कर दी गई है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, सारे अभियुक्त पकड़े गए हैं जांच रिपोर्ट जा चुकी है। न्यायालय में केस विचाराधीन है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में नहीं जा सका है। क्योंकि वह अभी तक फरार है। इसमें मैं नहीं समझता कि ज्यादती कहां से हो रही है। मान्यवर, इस प्रकार के अभियुक्त यह नहीं देखते हैं कौन क्या है और किस जाति का है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, यह पेपर की कटिंग है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। मैं माननीय मंत्री जी को निर्देश देता हूं कि इनको बुलाकर बातचीत करने के बाद तमाम चीजों का समाधान करेंगे।

(शेम-शेम की आवाजें)

जनपद हमीरपुर के कस्बा भरुआ सुमेरपुर, निवासी श्री नागा जी महाराज की हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

(गृह राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़ना आरम्भ करने पर)

श्री अध्यक्ष—

क्या इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए ?

(सदन ने सहमति दी)

गृहराज्य मंत्री (श्री राम सिंह)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार श्री आनन्दी प्रसाद पालीवाल, निवासी कस्बा सुमेरपुर ने दिनांक 25-6-84 को प्रातः 3-45 बजे थाना सुमेरपुर में एक लिखित सूचना इस आशय की दी कि वह प्रति दिन की भांति उस दिन 3 बजे सुबह स्वामी रोटी राम जी महाराज विरक्त आश्रम, सुमेरपुर के दर्शन हेतु गये तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी तख्त पर मृत पड़े हैं। उनकी गर्दन व कान के पास चोटें धारदार हथियार से पहुंचायी गई हैं। हत्या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई है। इस सूचना पर अभियोग संख्या 153, धारा 302 भा० दं० वि० थाना सुमेरपुर पर पंजीकृत हुआ। सूचना पाते ही थानाध्यक्ष सुमेरपुर तत्काल एवं तदोपरान्त जिला प्रशासन के अधिकारीगण घटनास्थल पर पहुंचे। स्वामी जी की हत्या की सूचना त्वरित गति से चारों ओर फैल गयी और देखते ही देखते एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। स्वामी जी के भक्तों, विधायक व अन्य प्रमुख व्यक्तियों और शिष्यों ने जो वहां उपस्थित थे यह अनुरोध किया कि नागाजी महाराज का शव पोस्टमार्टम हेतु न भेजा जाय। जनमानस की भावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा महात्मा जी का शव पंचायतनामा के पश्चात् समाधि हेतु दे दिया गया। दिनांक 26-6-84 को बहुत बड़ी संख्या में लोग थाना सुमेरपुर के समक्ष एकत्रित हुए और उन्होंने यातायात अवरुद्ध कर दिया तथा हत्या की जांच सी० बी० आई० से करवाये जाने की मांग की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुये शासन ने जांच सी० आई० डी० को सौंप दी। दिनांक 5-7-84 को जिलाधिकारी, हमीरपुर की

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

अध्यक्षता में उनके सभाकक्ष में क्षेत्र के सभी वर्ग सम्प्रदाय एवं पार्टी के विशिष्ट व्यक्तियों की एक बैठक बाबाजी की हत्या के सम्बन्ध में हुई। बैठक में तय हुआ कि स्वामी जी की हत्या के सफल अनुसंधान एवं अभियोजन हेतु शव विच्छेदन क्रिया आवश्यक है। जनता की राय लेने हेतु दिनांक 7-7-84 को सभी पार्टी एवं वर्ग के लोगों की एक बैठक भरुवा सुमेरपुर में स्वामी बाबा जी के आश्रम के पास की गयी। उपस्थित जनसमुदाय ने स्वामी जी के शव विच्छेदन क्रिया के पक्ष में मत व्यक्त किया। अतः दिनांक 12-7-84 को घटनास्थल पर ही डाक्टरों की एक टीम ने स्वामी जी के शव का विच्छेदन एवं परीक्षण किया। जांच परिणाम से मृत्यु चोटों के कारण होना पायी गई।

सी0 आई0 डी0 की जांच से अभी तक ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला है जिससे सत्तापक्ष के व्यक्तियों का इस हत्या में हाथ होना पाया गया हो। जनपद हमीरपुर के जनप्रतिनिधियों की भावनाओं तथा जनमानस में उत्पन्न प्रतिक्रिया को देखते हुए शासन द्वारा इस घटना की जांच सी0 बी0 आई0 से करवाये जाने हेतु दिनांक 27-7-84 को भारत सरकार को लिखा गया है। उन्हें इस मामले में तुरन्त कार्यवाही हेतु स्मरण करा दिया गया है।]

*श्री शंकर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो आपने अपना वक्तव्य दिया है, आपका जो वक्तव्य है इसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि जो घटना हुई है उस घटना के दो तीन रोज पूर्व जो आश्रम के चार कुएं थे उनमें जहर पाया गया था और जहर के पानी की सूचना जिला प्रशासन, सी0 एम0 ओ0 को दे दी गयी थी। क्या सी0 एम0 ओ0 के निर्देश पर कुओं का पानी साफ कराया गया? क्या जहर डाला गया था, अगर डाला गया था, तो प्रशासक ने जहर डालने वालों का पता क्यों नहीं लगाया। जिन पुलिस कर्मियों ने उदासीनता दिखलाई उन पर क्या कार्यवाही मंत्री जी ने की?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुंओं में जहर डालने की बात है वह सत्य से परे की बात है। वहां के पानी का परीक्षण कराया गया तो मालूम चला कि उस पानी में गन्धक जैसी बू थी। सी0 एम0 ओ0 वहां गए इसमें जहर मिला हुआ नहीं था। बहुत से लोगों ने उस कुएं का पानी पिया, उसमें कोई मरा नहीं था। इसलिए इसमें जहर मिला हुआ नहीं था, डाक्टरों की राय और पानी पीने वालों की बात इस बात की पुष्टि करती है।

(हंसी)

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, आपने अपने उत्तर में कहा कि जहर नहीं मिलाया गया लेकिन गंधक की गंध आती थी, इसलिये कुएं की सफाई करायी गयी। जहर नहीं था तो रातों-रात गंधक कैसे आ गया और फिर पानी साफ कराने की क्या आवश्यकता पड़ गयी?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि सी0 एम0 ओ0 वहां पर गये थे, उनकी जो रिपोर्ट आयी है, वही बता रहा हूं। माननीय सदस्य मेडिकल एग्जामिनर नहीं हैं, न मैं हूं। जो रिपोर्ट आयी है वह यह है कि जहर नहीं था। डाक्टर ने कहा है। यह भी तथ्य है कि उन कुंओं का पानी लोग पीते भी थे लेकिन न तो किसी की मृत्यु हुई और न किसी पर कुप्रभाव पड़ा। अगर जहर होता, तो कोई न कोई रिएक्शन हुआ होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन तथ्यों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि उनमें जहर नहीं था।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

श्रीमन् माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करें कि जैसा कि उन्होंने 10वीं पंक्ति में सूचना दी है कि स्वामी जी के भक्तों, विधायक व अन्य प्रमुख व्यक्तियों और शिष्यों ने जो वहां उपस्थित थे यह अनुरोध किया कि नागाजी महाराज का शव पोस्टमार्टम हेतु न भेजा जाय। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं ये प्रमुख व्यक्ति कौन थे, उनके नाम क्या हैं, विधायक का नाम क्या है, कृपया यह बताने की कृपा करें। दूसरे इस तथ्य पर प्रकाश डालें कि जिन्होंने इस प्रकार दबाव डाला उन्होंने कौन से ऐसे कारण उपस्थित किये कि वे प्रमुख व्यक्ति हैं या उनके भक्तगण हैं। या जो विधायक थे, उन्होंने कौन से ऐसे कारण उपस्थित किये जिनके आधार पर यह स्वीकार कर लिया गया कि पोस्टमार्टम न किया जाय ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, बाबा जी के मृत्यु के पश्चात् वहां जन समूह उजड़ पड़ा था। वहां जो लोग आये, तो यह स्वाभाविक बात है कि हमारे जो सम्बन्धी की मृत्यु इस प्रकार से हो जाती है, तो लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि उसका पोस्टमार्टम न कराया जाय। पुलिस पर दबाव पड़ रहा था। भक्तगण पुलिस पर दबाव डाल रहे थे कि पोस्टमार्टम न कराया जाय। वहां पर इस प्रकार का एक वातावरण पैदा हो गया था। सारे के सारे भारी संख्या में लोगों का आग्रह यह था कि बाबाजी का पोस्टमार्टम न किया जाय। जब इस तरह का आग्रह चारों ओर से हुआ तो प्रशासन ने, एस0 डी0 एम0 और डी0 एम0 ने पोस्टमार्टम नहीं कराया।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

आप साफ उत्तर दीजिये। आपने यह बात तो स्वीकार की कि वहां स्वामी जी के भक्त और विधायक थे और अन्य प्रमुख व्यक्ति थे। तो जो विधायक थे और अन्य प्रमुख व्यक्ति थे, उनके नाम क्या हैं ? आप नाम साफ-साफ बता दीजिये। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय विधायकों ने और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने ऐसे कौन से कारण जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए थे, जिसकी वजह से जिलाधिकारी महोदय ने पोस्टमार्टम नहीं कराया ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, सारे के सारे जनसमूह की भावना थी।

(व्यवधान)

प्रताप नारायण दुबे, एम0 एल0 ए0 वहां उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष—

आप मन्त्री जी को बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां पर कुछ विधायकगण व अन्य प्रमुख व्यक्ति मौजूद थे। खैर, उन्होंने एम0 एल0ए0 का नाम तो बता दिया, जो अन्य प्रमुख व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, उनके नाम क्या-क्या हैं और दूसरा जिलाधिकारी महोदय ने किन कारणों की वजह से पोस्टमार्टम नहीं कराया है, इसे माननीय मन्त्री जी बता दें ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैंने बताया कि प्रमुख व्यक्ति में ग्राम प्रधान आते हैं और जन प्रतिनिधि आते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी प्रश्न यह नहीं है। प्रमुख व्यक्तियों की यदि आपके पास सूची है, तो आप बता दें और यदि नहीं है, तो उसकी सूचना मंगवा ली जाय।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने बताया कि प्रताप नारायण दुबे, विधायक वहां पर थे। अन्य व्यक्तियों के नाम की सूची मेरे पास नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान वक्तव्य के अन्तिम दो लाइनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें उन्होंने यह कहा है कि जनता का बहुत दबाव पड़ा और वह मांग हुई कि सी0 बी0 आई0 से इसकी जांच कराई जाय। आपने भारत सरकार को लिख भी दिया। लेकिन सी0 बी0 आई0 का जो रुख रहा है, उत्तर प्रदेश के मामलों में, वह हमें श्री मुलायम सिंह जी के मामले से मालूम हो गया है। बुन्देलखंड के विधायक ने इस पर सूचना दी है और हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि कुछ क्षेत्रीय ऐसे लोगों की उसमें साजिश है, जिन्होंने बाबा जी को मरवाया है, ऐसे तथ्य हमारी जानकारी में आये हैं। दिनांक 27 जुलाई, 1984 को प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को लिख दिया आज दो महीने हो गये हैं। तो क्या उसके बाद प्रदेश सरकार ने इस बात का प्रयास किया कि सी0 बी0 आई0 जांच कर रही है या नहीं? यदि हां, तो यह मामला किस प्रगति पर है?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि दिनांक 27-7-84 को भारत सरकार को सी0 बी0 आई0 से जांच कराने हेतु लिख दिया गया था। उसके उपरान्त दिनांक 12 सितम्बर, 1984 को पुनः रिमाइन्डर उनको भेजा गया है। जहां तक जांच का सम्बन्ध है, इसमें निश्चित रूप से शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही हो रही है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय अग्निहोत्री जी माननीय मन्त्री जी के पास जो सूचना होगी, वही तो वह इस सदन में उत्तर के रूप में कहेंगे। जो उनके पास जानकारी थी, वह उन्होंने आपको बता दिया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

जिलाधिकारी महोदय ने किन कारणों से पोस्टमार्टम नहीं कराया, इसकी जानकारी मन्त्री जी दे दें? एक उत्तर माननीय मन्त्री जी और दे दें।

मान्यवर, 7 जुलाई, 1984 को जिलाधिकारी ने एक बैठक बुलाई और उसमें सभी दलों के नेता आए, जिसमें यह तय हुआ कि पोस्टमार्टम जो नहीं हुआ है, उसको कराया जाए। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि पहले जो पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और फिर बाद में यह कैसे करा दिया गया, इन दोनों का कारण कृपया बता दिया जाए?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जो घटना घटी है जिस दिन, उनके भक्तों के आग्रह पर यह पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जैसे कि पहले भी मैंने कहा दूसरे फिर यह कहा गया कि इस घटना में कांग्रेस आई के लोगों का हाथ है और फिर उन भक्तों ने भी उस बैठक में यह कहा कि उस रोज हम लोगों ने भावावेश में आकर कि उनका शरीर काटा-पीटा न जाए, अब हम लोगों का मत है कि पोस्टमार्टम कराया

जाए । इसलिए बाबा जी की लाश समाधि से निकाली गयी और उसका पोस्टमार्टम हुआ, इसलिए पोस्ट-मार्टम हुआ ।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने एक उत्तर भी सही नहीं दिया है । एक बार पोस्टमार्टम इसलिए नहीं कराया गया कि भक्तों ने भावावेश में कह दिया कि पोस्टमार्टम न किया जाए, लेकिन दुबारा इसलिए करा दिया गया कि इसमें यह आरोप था कि कांग्रेस (आई0) के लोगों द्वारा हत्या हुई है, तो जो जांच पुलिस द्वारा करवाई गयी और सी0आई0 डी0 जांच कराई जा रही है, तो इन दोनों जांचों की रिपोर्ट क्या है ? क्या कांग्रेस (आई0) के लोगों का हाथ उसमें नहीं पाया गया है, इस घटना में ?

श्री राम सिंह—

सी0 बी0 आई0 ने प्रस्तुत कर दिया है कि इस प्रकार का कोई हाथ कांग्रेस (आई0) के लोगों का नहीं है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

जब इस घटना में सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ नहीं है तो फिर किसका हाथ है ?

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इस पर आगे प्रश्न करने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

(श्री शंकर सिंह ने सरकार द्वारा दिये गये उत्तर से सन्तुष्ट न होने के कारण सदन का त्याग किया ।)

(6 बजकर 20 मिनट)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, यह जो इनके कागज हैं, उनको फाड़ते, हुए, मैं इस सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री सदन त्याग कर चले गये ।)

आगरा में पुलिस द्वारा श्री बदन सिंह विधायक पर कातिलाना हमले से उत्पन्न आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

क्या इस वक्तव्य को सदन में पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन ने अनुमति दी)

गृह राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-6-84 को आगरा जिले के कस्बा फतेहपुर सीकरी में लोकदल विधायक श्री बदन सिंह के नेतृत्व में थाना पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन आयोजित किया गया था । जब प्रदर्शनकारी थाना फतेहपुर सीकरी के समीप पहुंचे तो उन्होंने थाना पुलिस के विरुद्ध अपशब्द कहे एवं भद्दे नारे लगाये । पुलिस द्वारा मना किये जाने पर अधिकांश प्रदर्शनकारी चले गये परन्तु 25-30 कार्यकर्ता वहां पर रुके रहे और पुलिस के विरुद्ध गाली-गलौज करते रहे । कुछ पुलिस कर्मियों ने इन प्रदर्शकारियों को पीछे धकेलते समय साधारण बल प्रयोग किया जिसके फल-स्वरूप श्री बदन सिंह, विधायक एवं कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों के चोटें आईं । घटना की सूचना पाते ही क्षेत्राधिकारी तथा परगनाधिकारी, अछनेरा तुरन्त फतेहपुर सीकरी पहुंचे । क्षेत्राधिकारी विधायक श्री बदन सिंह को जिला अस्पताल, आगरा लेकर आये, जहां उनकी चिकित्सा एवं डाक्टरी मुआयना कराया गया । उपर्युक्त घटना की सूचना प्राप्त होते ही ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी श्री बदन सिंह विधायक को देखने के लिए जिला अस्पताल आगरा

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पहुंचे तथा स्थिति की जानकारी की। तत्पश्चात् उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में फतेहपुर सीकरी के थानाध्यक्ष श्री दीवान गिरि, उप निरीक्षक श्री सी0 बी0 सिंह तथा कान्स्ट0 रूप सिंह, सोबरन सिंह, छोतर सिंह व रनवीर सिंह को निलम्बित कर दिया गया।

इस घटना के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर सीकरी पर श्री किशन दास अध्यक्ष, अम्बेदकर युवक संघ निवासी मो0 शिवपुरी, फतेहपुर सीकरी, आगरा ने अपराध संख्या 113, धारा 147/323/336/337 भा0 द0 वि0 व 5/7 सिविल संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विधायक श्री बदन सिंह व कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया। श्री रामकिशन खण्डेलवाल निवासी, फतेहपुरी सीकरी द्वारा लिखाई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपराध संख्या 113,–ए धारा 147/323 भा0 द0 वि0, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा व वीरेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा लिखाई गई, प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अपराध संख्या 113 बी, धारा 397 भा0 द0 वि0 तथा श्री किशन स्वरूप बंसल की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपराध संख्या 113 सी, धारा 147/323 भा0 द0 वि0 थाना पुलिस के विरुद्ध पंजीकृत किये गये। प्रदर्शनकारी लोकदल समर्थकों के विरुद्ध पुलिस द्वारा अपराध संख्या 114/84 अन्तर्गत धारा 147/323/332 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया।

इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच हेतु इस प्रकरण में थाना फतेहपुर सीकरी पर पंजीकृत किये गये उपर्युक्त अभियोगों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गयी है।]

*श्री बदन सिंह—

मान्यवर, दिनांक 16 जून, 1984 को फतेहपुर सीकरी की पुलिस के द्वारा मेरे द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन आदि के समय जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ और उसके विषय में उस पुलिस के द्वारा यहां पर इस सदन में यह जो रिपोर्ट पेश की गयी है, वह बिल्कुल असत्य और तथ्यों से परे है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने गाली-गलौज दी तब पुलिस ने उनके ऊपर हल्का लाठी चार्ज किया।

श्री अध्यक्ष—

भाषण की आज्ञा नहीं है। आप केवल स्पष्टीकरण मांगें।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, इस वक्तव्य में यह कहा गया है कि इस घटना की सूचना पाकर ही क्षेत्राधिकारी और परगनाधिकारी अछनेरा, फतेहपुर सीकरी पहुंचे। मान्यवर, इस प्रदर्शन की बाबत जिला प्रशासन को पहले से ही सूचना थी, उस वक्त यह परगनाधिकारी और क्षेत्राधिकारी प्रदर्शन के समय पर फतेहपुर सीकरी क्यों नहीं पहुंचे थे?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जहां तक प्रदर्शन की सूचना का सम्बन्ध है, वहां के एस0 ओ0 इन्चार्ज जो स्टेशन इन्चार्ज थे, उनको सूचना थी। उनकी यह गलती मानते हैं कि उन्हें क्षेत्राधिकारी और परगनाधिकारी को सूचना देनी चाहिये थी उन्होंने उसकी सूचना वहां पर प्रेषित नहीं की। लेकिन, हमारी यह भी अपेक्षा है माननीय सदस्य से कि जो भी राजनीतिक दल इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे डी0 एम0 या एस0 डी0 एम0 को इसकी बाबत सूचना दे दें सीधे ही।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, यह मेरे हाथ में पर्चा है यह पर्चा पहले से ही बटवा दिया गया था। अखबार में सूचना दी गयी, तार के द्वारा डी0 एम0 को सूचना दी गयी। यह बिल्कुल असत्य है कि केवल एस0 ओ0 फतेहपुर सीकरी को ही सूचना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब केवल एस0 ओ0 फतेहपुर सीकरी को ही पता था तो थाना मलपुरा और अछनेरा की पुलिस इस प्रदर्शन के समय पर और पी0 ए0 सी0, फतेहपुर सीकरी पहले से क्यों भेजी गयी ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, वहां पर जिस वक्त यह स्थिति गम्भीर होती गयी और टेलीफोन आदि के माध्यम से सूचना मिली तो वहां पर दूसरे स्टेशन की पुलिस आयी।

श्री विजय सिंह राना--

यह बिल्कुल झूठ है। वह पहले से ही मौजूद थी।

श्री अध्यक्ष--

आप उनको बोलने दें।

श्री राम सिंह--

एक प्रदर्शन वहां पर और था और वहां के अध्यक्ष जो थे, उन्होंने सूचना दी थी। इस प्रकार की मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि पहले से ही क्षेत्राधिकारी या डी0 एम0 को माननीय बदन सिंह ने सूचना दे रखी थी।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बिल्कुल असत्य भाषण कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह क्षेत्राधिकारी व परगनाधिकारी, जब उनको इसकी सूचना मिली, उस वक्त कहां मौजूद थे ?

श्री राम सिंह--

क्षेत्राधिकारी व परगनाधिकारी मौके पर नहीं थे, जब बल प्रयोग हुआ था।

श्री बदन सिंह--

मैंने प्रश्न पूछा वक्तव्य में यह लिखा हुआ है कि सूचना पाते ही क्षेत्राधिकारी तथा परगनाधिकारी, अछनेरा आये। यह दोनों व्यक्ति सूचना के समय कहां पर मौजूद थे और यह अछनेरा और मलपुरा की पुलिस वहां कैसे पहुंच गयी थी ?

श्री राम सिंह--

वहां के सी0 ओ0 ने, जब उन्हें सूचना मिली, तो उन्होंने परगनाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को बताया और बाद में वे वहां पर आये।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, हमारा आरोप था कि पुलिस ने माननीय श्री बदन सिंह को जानबूझकर मारा क्योंकि पुलिस के विरुद्ध इन्होंने अनेक सवाल विधान सभा में उठाये थे यदि इस वक्तव्य को ध्यान से पढ़ा जाय तो यह साबित होता है कि इसमें काफी बातें सत्य से परे हैं। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सहिष्णु बनें और सहिष्णुता-पूर्वक उत्तर दें। इसमें है कि 20-30 आदमी प्रदर्शनकारियों में से रह गये और बाकी चले गये। उनका कोई कसूर नहीं था, स्वयं यह मानते हैं कि वे भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि बल प्रयोग से विधायक जी को कितनी चोटें आयीं ?

श्री राम सिंह--

जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें सिम्पिल इन्जरीज लिखा है।

(शोर)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, 3 जगह से हड्डी टूटी थी, यह कह रहे हैं कि सिम्पिल इन्जरीज थीं।

श्री राम सिंह--

मेडीकल रिपोर्ट के अनुसार जो श्री बदन सिंह की इन्जरी रिपोर्ट है, उसमें लिखा है कि--

1--दाहिने हाथ के पीछे व सामने नीलगू निशान।

2--पीठ पर नीलगू निशान ।

3--बायें हाथ पर कटा हुआ जख्म ।

4--बायें हाथ पर नीलगू सूजन ।

5--घुटने पर नीलगू निशान ।

6--बायीं तरफ बटक के निचले हिस्से पर नीलगू निशान ।

7--दाहिने हाथ पर लाल निशान ।

8--दाहिनी तरफ कान के पास सूजन ।

9--बायीं कलाई के पीछे सूजन ।

श्री किरन पाल सिंह--

क्या माननीय बदन सिंह जी का एक्स-रे हुआ ? यदि हुआ, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष --

मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है, आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो सवाल हम पूछें, उसका संगत उत्तर मिलना चाहिये । अगर आपकी जानकारी में यह तथ्य हम ले आते हैं कि उत्तर को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है, तब तो आप संरक्षण देंगे ? सवाल यह किया गया था कि माननीय बदन सिंह जी को कितनी चोटें आयी हैं ? मेडिकल रिपोर्ट तो हमारे पास भी है । अगर कोई सदस्य शंका प्रकट कर देता है कि माननीय मंत्री जी गलत सूचना देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं और उस सदस्य के पास इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण भी मौजूद है, तो क्या कार्यवाही होनी चाहिये । मैं साफ आरोप लगा रहा हूं कि पुलिस के कुकर्मों को छिपाने के लिये, उन पर पर्दा डालने के लिये, माननीय मंत्री जी इस आदरणीय सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो नियमों के अनुसार विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वह तो बाद की बात है । इस समय सवाल-जवाब हो रहे हैं, मैं इस समय की बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राम सिंह को सम्बोधित करते हुए)

आप पत्रावली मेरे सचिव को दे देंगे ताकि मैं उसको देख सकूं ।

श्री विजय सिंह राना—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि चोटों के निशान हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक्स-रे रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम सिंह—

एक्स-रे रिपोर्ट तो मेरे पास है नहीं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें, मैंने पत्रावली मंगायी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय बदन सिंह की जान-माल को खतरा अभी भी है । दारोगा अभी वहीं पर है । हमारी तरफ से कहा गया है कि दोषी पुलिस कर्मियों को हटाया जाय, लेकिन उनको अभी हटाया नहीं गया है । हम जानकारी चाहेंगे कि दोषी पुलिस कर्मियों को वहां से न हटाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह--

जरा आप अपने प्रश्न को फिर से दोहरा दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरी सूचना को सही मान कर जो पुलिस कर्मी दोषी पाये गये, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उनको कम दोषी मानते हैं और हम ज्यादा। केवल डिग्री का ही अन्तर है तो आपने उनको सस्पेन्ड किया लेकिन वे वहां पर रह रहे हैं और गवाहों को तोड़ रहे हैं, श्री बदन सिंह को धमका रहे हैं, इनके कार्यकर्त्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। माननीय बदन सिंह अबाध गति से अपने क्षेत्र में घूम फिर नहीं सकते हैं। हम और आप सभी विधायक हैं, एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं तो क्या आप तत्काल उन लोगों को वहां से हटा कर कहीं और भेजेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

मैं माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की भावनाओं का आदर करते हुए उनका सस्पेन्ड तो कर ही दिया है, उनका स्थानान्तरण भी कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब मद संख्या 52।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना—

अभी हमें तो आपने बोलने ही नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

इससे सम्बन्धित पत्रावली तो हमने मांग ली है।

श्री विजय सिंह राना—

मैं केवल एक आखिरी सवाल करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

बस आखिरी स्पष्टीकरण यह होगा, करिये

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, आपके फैसला देने के बाद क्या इस तरह से स्पष्टीकरण हो सकता है ?

श्री विजय सिंह राना—

एक स्पष्टीकरण ही करना चाहते हैं बस। जब विधायक, श्री बदन सिंह अस्पताल में रहे, यह कोई 22 या 23 दिन वहां रहे होंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस के खिलाफ इनको गार्ड नियुक्त करनी पड़ी, उसका क्या कारण था ? जो दरोगा सस्पेन्ड है वह वहीं पास के एक होटल में किराये का कमरा लेकर रहता था और दो दिन इनकी हत्या करने की मंशा से वह अस्पताल में गया था। इसलिये वहां गार्ड नियुक्त किया गया एस0 एस0 पी0 और जिलाधिकारी के द्वारा वहां की स्थानीय पुलिस के बारे में शासन को जानकारी है फिर भी आज तक उसे बन्द नहीं किया गया।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इस प्रकार की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जानबूझकर तथ्यों को छिपाया जा रहा है।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो स्थिति उभर कर हमारे सामने आयी है कि जानबूझकर यह सब हो रहा है और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है जब कि सरकार को पुलिस कर्मियों की सारी बातें पता हैं और इसलिये गार्ड की नियुक्ति की गयी और मंत्री जी कहते हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। सरकार इस बात को छिपा रही है। सरकार के इस नीति के खिलाफ मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के साथ लोकतांत्रिक मोर्चा दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री कुबेर भंडारी ने आते-जाते नारा लगाया कि "तानाशाही नहीं चलेगी ।)"

जिला जेल बाराबंकी में राजनैतिक आन्दोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार व लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)—

जिला कारागार, बाराबंकी में····

श्री अध्यक्ष—

क्या इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की अनुमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री राम सिंह—

[परिशुद्ध जनता पार्टी के आन्दोलनकारियों को दिनांक 14/15 अगस्त, 1984 को जेल में अच्छा भोजन न देने, चाय-नाश्ते में विलम्ब करने, एक अंधे आन्दोलनकारी को मारपीट कर गिरा देने, श्री प्रदीप कुमार यादव, विधायक को चोटें पहुंचाने, आन्दोलनकारियों की घड़ी, चप्पलें लूट लेने तथा दोषी जेल कर्मचारियों तथा बंदियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने की सूचना दी गई है ।

कथित बातों की जांच उप महानिरीक्षक कारागार (मुख्यालय) द्वारा कराए जाने पर ये तथ्य पाये गये :—

परगना अधिकारी, बाराबंकी ने बाराबंकी का लगभग 400 रामसनेही घाट, अधीक्षक, जिला कारागार, दिनांक 14-8-84 को आन्दोलनकारियों को जेल भेजे जाने की सूचना दी थी । आन्दोलनकारियों के जेल में पहुंचने पर श्री प्रदीप कुमार यादव, विधायक, श्री सूरज कुमार एडवोकेट तथा श्री गुप्ता, भूतपूर्व विधायक की देखरेख में रोटी, दाल, चावल तथा सब्जी बनाई गई थी । बाद में रात को लगभग 11 बजे 125 आन्दोलनकारी जेल में और दाखिल किये गये । काफी रात हो गई थी अतः बाद में आने-वाले आन्दोलनकारियों को उनके अनुरोध पर भोजन में खिचड़ी देने का प्रबन्ध किया गया, जिसके बनते और खाते-पीते 15-8-84 की सुबह के 3 बज गये । आन्दोलनकारी खिचड़ी खाकर सो गये । यह कहना सही नहीं है कि आन्दोलनकारियों को कच्ची रोटी और अधपकी खिचड़ी दी गयी थी जिसे उन्होंने नहीं खाया और भूखे सो गये ।

दिनांक 15-8-84 को स्वतंत्रता दिवस था । प्रातः झंडा रोहण के लिये जेल के अधिकारी एवं कर्मचारी गेट पर एकत्र हुये थे । उसी समय जेल के भीतर से आन्दोलनकारियों ने अवसर की गरिमा का ध्यान न रखकर अशोभनीय नारे लगाना शुरू किया, जिस पर जेल कर्मचारियों ने आपत्ति की । स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के सिलसिले में चाय नाश्ता वितरित करने में कुछ विलम्ब हो गया था । संयोगवश उस दिन दूध की आपूर्ति भी देर से हुई थी । इन कारणों से आन्दोलनकारी उत्तेजित हो उठे और उन्होंने क्यारियों से ईंटें उखाड़-उखाड़ कर जेल के फाटक को तोड़ना शुरू किया । बंदीरक्षक लल्लन प्रसाद ने उन्हें मना किया और उनके न मानने पर सीटी बजा कर एलार्म कर दिया । जेल के समस्त वार्डर वहां एकत्र हो गए और उन्होंने तोड़-फोड़ में लगे आन्दोलनकारियों को घटना स्थल से हटाना आरम्भ किया जिसमें हल्के बल का प्रयोग भी हुआ । आन्दोलनकारियों में भगदड़ मच गई और कुछ को गिरने के कारण तथा कुछ को बंदी रक्षकों के डंडों की चोटें लगीं । इस घटना में 21 आन्दोलन-

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कारियों, 10 साधारण बंदियों तथा 8 जेल कर्मचारियों को साधारण चोटें आयी । चुटैलों का तत्काल डाक्टरी मुवायना करवाकर आवश्यक उपचार किया गया ।

अंधे आन्दोलनकारी श्री गंगाराम को किसी ने नहीं मारा-पीटा था । सम्भव है कि भगदड़ में वह गिर पड़ा हो ।

विधायक श्री प्रदीप कुमार यादव को किसी ने लाठी से नहीं मारा था वरन वे भगदड़ में गिर पड़े थे जिससे उन्हें हल्की चोट आ गई थी और उनकी घड़ी भी गिर पड़ी थी जो बाद में कारापाल द्वारा उन्हें लौटा दी गई ।

बंदी रफीक और शैलेन्द्र द्वारा किसी आन्दोलनकारी को मारा-पीटा नहीं गया । बल्कि बंदी रफीक के आन्दोलन-कारियों को क्यारियों से ईंटें उखाड़ने से मना करने पर आन्दोलनकारियों ने उसे ही मारा-पीटा । बंदी शैलेन्द्र घटना के दिन आन्दोलनकारियों के नाश्ते के प्रबन्ध में लगा हुआ था, उसने किसी को नहीं मारा । इन बन्दियों को जेल में कोई विशेष सुविधायें प्राप्त नहीं हैं ।

भगदड़ के समय कुछ राजनैतिक बंदियों के जूते, चप्पल पैरों से निकल गये थे । जिन्हें बाद में उठवाकर उन तक पहुंचा दिया गया । जेल कर्मचारियों द्वारा इन बंदियों का कोई सामान नहीं लूटा गया था ।

उक्त घटना के बारे में श्री अशर्फी लाल यादव, भूतपूर्व विधायक का कोई लिखित पत्र अधीक्षक, जिला जेल, बाराबंकी को प्राप्त नहीं हुआ वरन् एक पत्र सरदार नरेन्द्र सिंह का प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने श्री अवधेश नारायण की घड़ी खो जाने के बारे में लिखा है । इस सम्बन्ध में अधीक्षक जांच कर रहे हैं ।

दिनांक 15-8-84 को झण्डारोहण के पश्चात् आन्दोलनकारियों को चाय-नाश्ता दिया गया तथा दोपहर में पूड़ी और सब्जी का भोजन कराया गया । तत्पश्चात् बन्दियों की रिहाई शुरू हो गई और सायं 7 बजे तक सभी आन्दोलनकारी जेल से मुक्त कर दिये गये ।

इस प्रकरण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि कोई जेल कर्मचारी/अधिकारी/बंदी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । उत्तेजित तथा तोड़-फोड़ में रत आन्दोलनकारियों को नियंत्रित करने तथा जेल में सुरक्षा और अनुशासन बनाये रखने के लिए जो न्यूनतम बल का प्रयोग इस घटना में किया गया वह अनुचित नहीं कहा जा सकता ।]

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है कि यह मद संख्या 52, मा० मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के लिए स्वीकार हुआ है । कुछ आपको स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न करना है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, जो माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से वक्तव्य आया है, उसको मैंने पढ़ा, उसमें कहीं भी सच्चाई की झलक नहीं मिलती है । सारा का सारा वक्तव्य निराधार, झूठ और यहां तक कि शरारतपूर्ण है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आप के माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं कि····

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । झूठ शब्द असंसदीय है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मैंने तो वक्तव्य के बारे में कहा है ।

श्री अध्यक्ष—

किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

माननीय मंत्री जी, यह चलती बेरा है, यह विधान सभा की चलती बेरा है, आखिरी समय तो आप सच बोल लें। मान्यवर, इस वक्तव्य के अन्त में कहा गया है कि उक्त घटना के बारे में श्री अशर्फी लाल यादव, भूतपूर्व विधायक का कोई लिखित पत्र अधीक्षक, जिला जेल, बाराबंकी को प्राप्त नहीं हुआ वरन् एक पत्र सरदार नरेन्द्र सिंह का प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने श्री अवधेश नारायण की घड़ी खो जाने के बारे में लिखा है। यह जो कहा गया है यह बिलकुल गलत है। जो पत्र माननीय श्री अशर्फीलाल ने जो कि उस सत्याग्रह में शामिल थे, उन्होंने जेल के अधीक्षक को लिखा है इन्चार्ज कोतवाली को भेजने के लिए, उसकी प्रति मेरे पास है। जो सहायक जेलर हैं उन्होंने उस पर हस्ताक्षर बनाये हैं और मैंने भी एक पत्र अधीक्षक जेल को लिखा, उसकी प्रति मेरे पास मौजूद है। उसको मैं दिखा सकता हूं। यह कहना कि अशर्फी लाल यादव ने कोई सूचना नहीं दी, यह गलत है, इससे साफ जाहिर होती है कि एक ओर तो हम लोगों पर लाठियां बरसायी गयीं और दूसरी ओर इस तरह कहकर झुठलाया जाता है कि कोई पत्र नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी ने इस तरह की सूचना दी है और उसने मा0 मन्त्री जी को और साथ ही साथ सदन को गुमराह किया है, उसके खिलाफ माननीय मन्त्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने बताया, इस पर जांच करा ली जायेगी। यदि यह पत्र अधीक्षक महोदय को मिला है तो उस पर कार्यवाही की जायगी, लेकिन मुझे सूचना है कि कोई पत्र नहीं मिला है।

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह सत्य से परे है और पूरा वक्तव्य मनगढ़न्त है। पूरी तरह से झूठा वक्तव्य देकर सदन को गुमराह किया है। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सूरज कुमार एडवोकेट और गुप्ता जी भूतपूर्व विधायक की देखरेख में रोटी बनाई गई, तो यह जो सूरज कुमार एडवोकेट और गुप्ता जी हैं यह लोग जेल में गए ही नहीं। बिना जेल में गए हुए ही उनके नाम का उल्लेख कर दिया जबकि वे प्रदर्शनकारियों में नहीं थे। आपने कहा कि उनकी देखरेख में सब्जी, रोटी और खिचड़ी बनाई गई जबकि उसमें खाना बना ही नहीं।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, हमारे यहां जेल रिकार्ड में दर्ज है। उनका नाम सूरज कुमार एडवोकेट तथा श्री गुप्ता, भूतपूर्व विधायक। उसके आधार पर ही कहा गया है। कोई चाहे डुप्लिकेट हो या ट्रिप्लिकेट। वह नाम हमारे रिकार्ड में है।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मैं कह रहा हूं कि यह सूचना सरासर गलत है।

श्री अध्यक्ष—

मैं महसूस करता हूं कि जो आपके पास सूचना आती है उस पर आपको अपने विवेक से भी काम लेना चाहिये कि यह बात सही है या गलत है। आप आइन्दा इसका ध्यान रखें।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, हमारे पास जो सूचना आयेंगी, उसी के आधार पर तो हम बोलेंगे विवेक से कैसे काम लेंगे। वे नाम उसमें लिखे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं जनरल बात कह रहा हूं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस लाठी चार्ज में सजा-याफ्ता श्री शैलेन्द्र और रफीक इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । और यह शैलेन्द्र जी हैं ये बाराबंकी जेल में सेसन्स जज के आदेशानुसार 7 साल के सजायाफ्ता कैदी हैं । मेरी जानकारी के अनुसार इन्हें सजा सन् 1983 में मिली । प्राविधान यह है जेल मैनुअल के अनुसार कि किसी भी थर्ड क्लास की जेल में 3 साल से अधिक सजा पाया हुआ अपराधी वहां नहीं रखा जा सकता है । इसके बावजूद भी वहां के अधीक्षक और साथ ही साथ वहां के डिप्टी या दूसरे लोग नाजायज ढंग से पैसा कमाते हैं । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर 7 साल के कैदी को जेल के अधिकारी कानून कायदे के विरुद्ध उनको जेल में भरे हुए हैं, सेन्ट्रल जेल में क्यों नहीं भेज रहे हैं ?

श्री राम सिंह—

जहां तक रफीक और शैलेन्द्र का प्रश्न है, उन्होंने आन्दोलनकारियों को नहीं मारा है....

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

सवाल यह नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह—

पहले उन्होंने कहा है कि इन्होंने ही मारा है...

श्री फखरे आलम—

मारो घुटनकूटे आंख वाली बात हो गयी ।

श्री राम सिंह—

यह पूछा गया है कि क्या इन दोनों कैदियों ने ही मारा है और वे 7 साल की सजा याफ्ता कैदी को वहां नहीं रखा जा सकता ।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, उस लाठी चार्ज में 65 लोग घायल हुए हैं । दो दर्जन लोगों का डाक्टरी मुआयना हुआ है । मुझे भी मारा गया है और कहा जा रहा है कि मेरे गिर कर चोट आयी है । इस तरह से मान्यवर, आप देखें सारे वक्तव्य में कहीं भी कोई तथ्य सही नहीं है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि शैलेन्द्र और रफीक नामक ये दो व्यक्ति अभियुक्त हैं जो कि दर्जनों मुकदमों में इन्वाल्व हैं और बाराबंकी सेशन्स जज के आदेशानुसार ये कैदी नम्बर 208/83 अंडर सेक्शन 395/412 में 7 साल की सजा याफ्ता हैं और एक हजार रुपये का जुर्माना न देने पर आर0 आई0 की सजा दी गयी है । मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जेल मैनुअल में यह प्राविधान है कि क्लास थ्री की कोई जेल है, जो कि बाराबंकी जेल है तो उसमें ऐसे सजा याफ्ता कोई कैदी को रखने का प्राविधान नहीं है तो फिर वहां ऐसे कैदियों को क्यों रखा गया है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जो सवाल पूछा है कि जो रफीक कैदी है वह क्यारियां बना रहा था ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

वह उत्तर दे रहे हैं आप खड़े क्यों हो रहे हैं ?

श्री राम सिंह--

वह ईटें लगा रहा था और क्रांतिकारी लोग ईटें उखाड़ने लगे उसके मना करने पर उसे पीटना शुरू कर दिया।

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

यह गलत उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने प्रश्न केवल इतना किया है कि यह जो तीन साल के कैदी हैं उनको वहां क्यों रखा गया है ?

श्री राम सिंह--

इस पूरी घटना की मान्यवर, मैजिस्ट्रियल इनक्वायरी हो रही है। अगर यह गलत बात होगी तो जो दोषी अधिकारी पाया जायगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह नहीं है। केवल एक ही प्रश्न किया है अगर उसकी सूचना नहीं है तो कह दीजिये कि सूचना की आवश्यकता है।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है यदि किसी अधिकारी ने त्रुटि की है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी जिसने कि नियमों का उल्लंघन किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

अब बात हो गयी पौने 7 बज रहे हैं। हम आगे बढ़े।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, आप संरक्षण दें माननीय सदस्य को खुद पीटा गया है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, जिन-जिन मुद्दों पर माननीय यादव जी ने प्रश्न उठाये उनसे माननीय मन्त्री जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वहां का कोई पत्र नहीं मिला और दो कैदी वहां सजा याफ्ता पड़े हुए हैं जिससे माननीय मन्त्री जी ने अनभिज्ञता प्रकट की है। तो इस तरह से सारे मामले को जाने अनजाने टाला जा रहा है। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए इस विधान सभा के सदस्यों की समिति गठित करके जांच करने का आश्वासन देंगे ?

श्री राम सिंह--

इसकी आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं इस मामले को प्रश्न तथा संदर्भ समिति को ज्यादा गहराई से जांच करने के लिए सुपुर्द कर रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984 तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि--

क--उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984 तथा--

ख--उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 1984 को पारित किये गये थे तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किये गये थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के आज दिनांक 17 सितम्बर, 1984 को वापस प्राप्त हो गये।

गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर करोड़ों रुपया बकाए की सरकारी घोषणाओं के बाद भी अदायगी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद एक ऐसी घोषणा की थी जिससे प्रदेश के गन्ना किसानों का जो बकाया है उसका भुगतान 15 सितम्बर, 1984 के पहले-पहले करा दिया जायेगा। इस घोषणा से हम जैसे लोगों के मन में एक आशा की किरण उत्पन्न हुई थी कि प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों जिनको अपने गन्ने को साहूकारों, पूंजीपतियों के हाथों आधे दामों में बेचना पड़ता उससे तसल्ली हुई लेकिन हर चुनाव के पहले ऐसा हुआ करता है और उसी के अनुसार मंत्री जी ने उदारतापूर्वक 23 करोड़ रुपये जो गन्ना का परचेज टैक्स था उसको उन्होंने पूंजीपतियों की तिजोरी में उदारतापूर्वक डाल दिया कि आधा तुम ले लो और आधा चुनाव में दे दो क्योंकि आज 17 तारीख है, मेरी निश्चित जानकारी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बाद 60 करोड़ रुपये का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

मान्यवर, इसमें मंत्री जी का कसूर नहीं है। आज गन्ना विभाग में दो प्रकार के लोग हैं। एक वह जो निजी स्वामित्व में मिलों को चला रहे हैं। वह अपना निश्चित धन सत्ता को देते जा रहे हैं और जिससे स्पष्ट है कि मुख्य मंत्री की स्पष्ट घोषणा के बाद भी गन्ना किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। दूसरे लोग वह हैं जो रिसीवर और कारपोरेशन के नियंत्रण में सरकारी अधिकारी मिलों का संचालन कर रहे हैं। शासन से तमाम धन उनको दिया जा रहा है, उसका किस कदर अधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको आगे सबूत देंगे, मुझे शर्म आ रही है आज इस प्रदेश में गन्ना किसान जिसके ऊपर 200-400 रुपये सरकार का कर्जा है तो अमीन कर्जा न देने पर जेलों में बन्द कर रहा है। इस प्रदेश का शासन उन पूंजीपतियों जिनकी तिजोरी में करोड़ों रुपया कैद है उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने की कार्यवाही नहीं कर रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो सुलझे मंत्री हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की पूंजीपतियों पर कोई पकड़ नहीं है, क्या कारण है कि आज तक बकाये गन्ने के मूल्य के भुगतान नहीं हुआ, क्या कारण है कि मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बावजूद भी 60 करोड़ रु0 बाकी था जिसमें 23 करोड़ आपने दे दिया, बाकी धन को न देने का क्या कारण है।

मान्यवर, सिसवा फैक्टरी में न केवल पहले और इस वर्ष का बल्कि 1981-82 का 12 लाख रुपये बाकी है। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में रामकोला फैक्टरी को लक्ष्मणगंज में और छितौनी को खड्डा मिल में मर्ज करने की चर्चा चल रही है। इस तरह भोगली का रिसीवर श्री बी0 बी0 चतुर्वेदी के खिलाफ 50 लाख रु0 के गबन का आरोप है और जब यूनियन के लोग हड़ताल की नोटिस दिया तो उसने 7 गुन्डों को जो विभिन्न अपराधों के हिस्ट्रीशीटर हैं, मजदूरों को दबाने के लिए भर्ती कर लिया और मिल में 8-10 दिन से एक मजदूर आमरण अनशन कर रहा है जिसकी हालत बहुत खराब है और मृत्यु उसकी न हो जाये। इसलिए भोगली के रिसीवर जो पी0 सी0 एस0 अधिकारी हैं, वहां 4 साल से काम कर रहा है, कई बार स्थानान्तरण हुआ लेकिन अपनी तिकड़मबाजी से रुक जाता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

अब तो प्रसन्न हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आप ही बोल लें ।

श्री अध्यक्ष—

दोनों लोग एक ही जिले के हैं । आप बोलें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्री बी0 बी0 चतुर्वेदी ने सात गुन्डों को भर्ती कर लिया ।

(इस समय 6 बज कर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

सात लोगों को उसने भर्ती कर लिया और अब गन्ना किसान यदि कोई भुगतान के लिए जाता है तो उसको मारा जाता है, मजदूर अनशन पर बैठा है तो उसको मारा जाता है । कहा यह जाता है कि इन मिलों को बन्द कर दिया जाए, क्योंकि यह अनएकोनामिक है । क्या यह सरकार जो गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर रही है, उन अधिकारियों और रिसीवरों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है जो गन्ना किसानों का उनके मूल्य का भुगतान नहीं कर रहे हैं । जनता शासन में और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुख्य मन्त्रित्व काल में यह निर्देश दिया गया था कि जिस किसान के पास गन्ने की पर्ची होगी, उससे सरकारी बकायों की वसूली नहीं होगी ।

मेरी यह निश्चित जानकारी है आज किसानों के पास पर्चियां पड़ी हुई हैं, लेकिन किसानों से वसूली जारी है । किस बेरहमी से वसूली का यह काम हो रहा है, उसको आप नहीं समझ रहे हैं न अनुभव कर रहे हैं । गन्ना उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है, उससे सम्बद्ध हजारों लाखों लोग आज बहुत परेशान हैं । इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है । जिस प्रकार से यदि किसान पर 100/200 रुपया सरकारी बकाया है तो उसके खिलाफ आर0 सी0 की कार्यवाही और बन्द करने की कार्यवाही आप करते हैं, उसी तरह से जो रिसीवर या अन्य अधिकारी जो मिलों को चला रहे हैं उस पर यदि किसानों का बकाया है तो उसके खिलाफ भी आर0 सी0 की वसूली होनी चाहिए और उनको भी सिविल लाक-अप में बन्द करने की कार्यवाही होनी चाहिए । आपको यह व्यवस्था होगी तभी हम कह सकेंगे कि मन्त्री जी की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है । तब हम जानेंगे कि वह गन्ना किसानों के सच्चे हमदर्द हैं । लेकिन अभी तक जो हमने देखा है, यह सारी कार्यवाहियां किसानों के भुगतान के सम्बन्ध में निरर्थक हैं । कहीं पर भी मिल मालिकों पर कोई असर नहीं पड़ा है । कहीं भी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है । सिसवा बाजार में जाकर आप देखें, उसके किसान आधे दाम पर अपनी पर्ची बेचने के लिए विवश हैं । हमारे मन्त्री जी इस बात को सुनिश्चित करें कि जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो पी0 सी0 एस0 अधिकारी तीन साल से ज्यादा से एक स्थान पर पड़ा हुआ है और जिस पर पचासों लाख रुपये के सरकारी धन के लूट का आरोप है, उनको हटाकर उसकी आप जांच करायेंगे ।

आप यह भी सुनिश्चित करें कि रामकोला छितौनी मिल नहीं तोड़ी जाएगी । आप यह देखें कि आज यह स्थिति क्यों है कि निगम की तरफ से जो यह कहा जा रहा है कि यह मिलें अनएकोनामिक हैं, घाटे में हैं । मैंने छितौनी मिल के अधिकारी पर एक आरोप लगाया था, उसने 25 हजार रुपये की दिल्ली में मरम्मत पर 75 हजार रुपया खर्च कर दिया, फिर भी गाड़ी बेकार पड़ी हुई है और उस पर कोई चढ़ नहीं रहा है । यह मैंने भ्रष्टाचार का एक उदाहरण दिया । जब आपके

रिसीवर इस पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो किसानों को दाम कैसे मिल पाएगा। यह सही है कि इधर शासन ने अपरम्पार पैसा इन मिलों को चलाने के लिए, उन्हें अपने घरों पर खड़े करने के लिए, और भुगतान करने के लिए दिया है। 40 रुपये कुन्टल की लकड़ी 100 रुपये कुन्टल में खरीदी जा रही है तो उनका भुगतान कहां से होगा। इसी शासन ने यह तय किया था कि गन्ना मूल्य का 85 प्रतिशत किसान के खाते में जायेगा।

मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे मिल मालिक हैं जो आपके निर्देश के अनुसार उनके हिस्से में 85 प्रतिशत जमा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। शासन की नीति को बिलकुल परिपालन नहीं हो रहा है। यदि यह 85 प्रतिशत उनके खाते में जमा हो जाता तो भुगतान की यह स्थिति आज न होती।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी आप पहले कुछ कहना चाहेंगे।

गन्ना विकास मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)—

अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आखीर में जवाब दे सकता हूं।

श्री कुबेर भंडारी—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने गन्ना मूल्य के भुगतान न होने के सम्बन्ध में जो चर्चा हो रही है उस पर मुझको बोलने के लिये अवसर दिया। मान्यवर, सरकार गन्ना किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। सरकार पेमेन्ट समय पर नहीं करती है जिससे किसान पर दोहरी मार पड़ रही है। गन्ना किसान जो केन सोसइटियों के माध्यम से कर्ज पर खाद लेते हैं उसका सूद दर सूद वसूला जा रहा है जिससे किसान पर दोहरी मार पड़ रही है। मान्यवर, जो सुगर केन ऐक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर गन्ने के किसान को पेमेन्ट 15 दिनों के अन्दर नहीं होता है तो किसान को सूद देगी। लेकिन 1953 का जो ऐक्ट है वह सरकार की उदासीन नीतियों के के कारण लागू नहीं हो पाया है। ढपोरसंख मन्त्री जी ने घोषणा की कि 15 तारीख तक पेमेन्ट हो जायेगा लेकिन अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ है। मन्त्री जी चले जायेंगे और यह सरकार चली जायगी तब तक यह पेमेन्ट नहीं होने वाला है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1953 के ऐक्ट को लागू किया जाय और किसान को जो बकाया है उस पर सूद दिया जाय। मान्यवर, आप देख लें, पारसाल गन्ना किसानों ने गन्ना मिलों को दे दिया लेकिन उसका अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ है। मैं इस बहरी नपुंसक सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर इस तरह से गन्ना किसानों के साथ अन्याय होगा तो हम लोग पूर्वांचल में आन्दोलन खड़ा करेंगे और मन्त्री लोग इस सदन में आने नहीं पायेंगे। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, आज ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से प्रदेश के लिये, खासतौर से पूर्वांचल में आज एक भयावह स्थिति पैदा हो गयी है। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार को मैं इस बात के लिये जरूर बधाई दूंगा कि गन्ना किसानों से उनका बड़ा पुराना सम्बन्ध रहा है और गन्ने के विषय में उनकी बड़ी जानकारी है और उन्होंने घोषणा भी किया है और उनमें चिंता भी व्याप्त है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि पूर्वांचल जहां से मैं आता हूं वहां पर 14 चीनी मिलें हैं। अधिकांश गन्ना वहां पर पैदा होता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गन्ना वहां की खास कमाई है और गन्ने पर ही वहां के लोगों की शादी और मौत दोनों बेस करते हैं ।

(इस समय 7 बजकर 4 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।

मान्यवर, शुगर कारपोरेशन की फैक्ट्रीज का पेमेन्ट हो रहा है, जो कोआपरेटिव फैक्टरीज हैं उनका पेमेन्ट हो रहा है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, पडरौना, पचकुंइयां, गौरी बाजार इन फैक्टरीज का पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है । हमारी कांस्टीट्यूयेंसी के अन्दर मैंने आमरण अनशन किया था । उसके बाद माननीय राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्री श्रीपति मिश्र की मेहरबानी से यहां किसी तरह पेमेन्ट हुआ । वहां पर 3 करोड़ रुपये लास्ट इधर का बकाया है । कई बार ऐसी घोषणायें की गयीं कि किसानों का पेमेन्ट किया जायगा ।

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि एक तरफ बाढ़ की भयानक विभीषिका से, जहां पर पचासों गांव 15 दिन तक डूबे रहे हैं, किसानों को वहां एक टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा है । किसानों के पास जो कुछ था वह उसको सेठ-साहूकार के पास गिरवी रख चुके हैं । मैं दौड़-दौड़ कर आया, माननीय मन्त्री जी से लेकर माननीय मुख्य मन्त्री जी को तमाम पत्र लिखे लेकिन यह मालूम हुआ है कि अब तक 20 लाख रुपया गया है । मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि 3 करोड़ रुपया जो पडरौना, पचकुइयां का बकाया है उसको तत्काल दिलाने का व्यवस्था की जाय । इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि रामकोला और छितौनी फैक्टरी को तोड़ने की बात की जा रही है ।

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और मुख्य मन्त्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह किसानों के नेता हैं, गरीबों और मजदूरों के नेता हैं । वहां पर फैक्टरी को चलाने की आवश्यकता है । फैक्ट्री तोड़ने की आश्यकता नहीं है, वहां के किसान कहां जायेंगे ? आज भी वहां गन्ना इतना अधिक पैदा होता है कि उनको समय से वे नहीं पेर पाते हैं । फैक्ट्री की मरम्मत आप करायेंगे नहीं, उसे ढंग से चलायेंगे नहीं, पुरानी फैक्ट्री चलेगी ? फैक्ट्री तोड़ दी जायगी तो वहां के किसान कहां जायेंगे ? फैक्ट्री किसी भी कीमत पर टूट नहीं सकती । एक तरफ विरोधी पक्ष के लोग ऐसे मौके पर इसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं कि सरकार फैक्ट्री तोड़ रही है । हजारों लोगों ने मुझको घेर लिया कि ऐसा सुनने में आया है कि फैक्ट्री टूट रही है । मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है । फैक्ट्री नहीं टूटेगी । माननीय मुख्य मन्त्री का बयान आना चाहिए कि फैक्ट्री नहीं टूटेगी । छितौनी और रामकोला फैक्ट्री किसी भी कीमत पर नहीं टूटनी चाहिए । छितौनी के फैक्ट्री का रिसीवर, श्री दहिया एक कुख्यात डकैत आदमी है, वह लाखों-लाख रुपया सालाना लूट रहा है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उसे तत्काल हटाया जाय ।

*श्री फखरे आलम—

अध्यक्ष महोदय, हमने मैदां में बहाया जो चमन की खातिर, सरकार ने बाजार में जाकर वह लहू बेच लिया ।

मान्यवर, किसान अपने खून-पसीने से गन्ना पैदा करता है, मिलों में करोड़ों रुपया उसका बकाया रहता है । 60 करोड़ रुपया बकाया था, मेरी जानकारी यह है कि 50 करोड़ रुपया बकाया अब भी है । मेरे जिला बदायूं में एक कोआपरेटिव की मिल है, जिसको किसानों ने अपना गन्ना देना इसलिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बन्द कर दिया कि उनको पेमेन्ट नहीं होता, जिसका नतीजा यह है कि प्राइवेट सल्फोटेशन प्लान्ट्स को किसान अपना गन्ना देता है, जहां से 100 के नौ उसको मिलते हैं और उक्त मिल में जो नौकर रखे जाते हैं, वह जिला बदायूं के आदमी नहीं रखे जाते हैं। जिनकी जमीन ली गयी है, उनके घर वालों को भी उस चीनी मिल में नौकरी नहीं दी जाती बल्कि जनरल मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहां के रहने वाले हैं, वहां के लोगों को नौकरी दी गयी और दी जाती है। माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात आयी होगी और न आयी हो, तो मैं उनकी जानकारी में लाता हूं। बदायूं सहकारी चीनी मिल में एक ऐसा जनरल मैनेजर आ गया और उसने जो हरकत किया है मान्यवर, एक त्यागी जी आ गये जनरल मैनेजर हो कर और उस समय हमारे जिले के एक मंत्री हो गये, उनकी वह चमचागीरी करने लगे, वह उनकी साइकोफेन्सी में लगा रहा। एक लाख का माल उन मंत्री जी के यहां पहुंचा दिया। मगर करोड़ों रुपया जो किसानों का था उनका पेमेंट नहीं हुआ। हमारे मंत्री गन्ना किसानों से दिलचस्पी रखते हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच करायें और जिस अधिकारी ने ऐसी हरकत किया है उसको दन्डित करायें जिसने किसानों को परेशान किया है।

श्री अध्यक्ष--

7·20 बजे इसको समाप्त होना है।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, 60 करोड़ रुपया बकाये की सरकारी घोषणाओं के बाद भी अदायगी न होने से उत्पन्न गन्ना किसानों की स्थिति के सम्बन्ध में। आज यह स्थिति नहीं है। आज के दिन जब सदन में यह चर्चा हो रही है केवल 28 करोड़ बकाया है।

श्री फखरे आलम--

यह कहां की फीगर है।

श्री लोकपति--

मैं मंत्री हूं जो फीगर दे रहा हूं। सही दे रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं।

श्री फखरे आलम--

मंत्री जी मुझ से कम पढ़े लिखे हैं, वह हमको कानून बता सकते हैं।

श्री लोकपति--

मुझे एतराज नहीं है। मेरे पिता जी ने मेरा नाम लल्लू रखा था जिसका मतलब होता है उल्लू। मैं आपको अपनी श्रेणी में नहीं रख सकता।

श्री फखरे आलम--

लेकिन आप मेरी श्रेणी से बहुत नीचे हैं।

श्री लोकपति--

श्रीमन्, 385 करोड़ का गन्ना पेरा गया। इस तरह 385-27=358 (तीन सौ अठावन करोड़) इतना दे दिया गया। जो ओझा जी ने कहा, जितनी बातें ओझा जी ने कहा सब सत्य कही, लेकिन वर्ष का फर्क है। 1984 में आप बोल रहे हैं। आप उन दिनों की घटना दोहरा रहे हैं जब इस देश के दुर्भाग्य से आप इधर बिराजमान थे। जो किसानों के बकाये के बारे में आपके हृदय में स्पन्दन हो रहा है जो वाणी प्रस्फुटित हुई है वह 1978-79 की थी।

श्री कुबेर भंडारी--

बड़े योग्य मंत्री बने हैं किसान परेशान है यह जबाब देने में लगे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री लोकपति—

हर चीज का जवाब दिया जा सकता है लेकिन आज तक कुबेर का जवाब कोई नहीं दे सका और फिर उस कुबेर का जो भन्डारी हो। श्रीमन्, इस वर्ष किसानों का जो बकाया रहा तो उत्तर प्रदेश शासन ने सहकारी, सरकारी और कन्ट्रोल के अन्तर्गत जो चीनी मिलें थी और निजी क्षेत्र की चीनी मिलें थी सब के ऊपर जो गन्ना का देय शेष था, सरकार ने अपने अंश को छोड़ दिया वह 28 करोड़ पहुंचा। जिसमें सरकारी अंश सरकारी कारखानों को, सहकारी मिलों और राज्य चीनी मिलों के तथा कन्ट्रोलर की चीनी मिलों को दिया गया। आदेश यह था कि यह पैसा केन यूनियन को दे दिया जाय ताकि गन्ना किसानों के खाते में चला जाय। यह तो निजी क्षेत्रों में हुआ। सिसवां की चीनी मिल के बारे में ओझा जी ने कहा कांग्रेस सरकार ही है जो उस मिल को चला रही है और किसानों को देय दे रही है। जो पिछले वर्ष 1982-83, 1983-84 में दिया श्रीमन्, उसके बारे में उच्च न्यायालय का निर्णय है कि रिटायर्ड जज को उसका अधिकारी बना दिया जाय। सिसवां की जो बकाया दर है उसको देने की बात है एक बात उन्होंने कही कि दो मिलें तोड़ी जा रही हैं रामकोला और छितौनी मिल, तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई मिल तोड़ी नहीं जा रही है। नवाबगंज की मिलों को भी चलाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है सहकारी और कन्ट्रोलर की चीनी मिलें जो हैं उनको देय दे दिया गया है। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों में जो अगला सत्र पेराई का शुरू होगा उससे पूर्व देय दिलाने का प्रयास किया गया है। उस दिन वित्त मंत्री जी ने घोषणा की और मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि रिजर्व बैंक से इनको देय दिलाने के लिये बैंकों से बात कर ली है। रिजर्व बैंक को धन देने के आदेश हो गये हैं। जितना बिक्री देय है। अगला सत्र होने तक दे दिया जाएगा। माननीय ओझा जी, आपको धन्यवाद दे दूं कि आपने ऐसा प्रश्न किया कि अपने आप ही अपना गुणगान कर बैठे।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

जो समय निर्धारित है उसके अनुसार चार-पांच मिनट बाकी रह गये हैं।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मेरा कहना है कि आज की चर्चा का विषय है वह इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि गन्ने की बकाया देयों का भुगतान 15 सितम्बर तक कर दिया जाएगा। मुझे यह कहना है कि माननीय गन्ना मंत्री जी भी कृपया सुनने की कृपा करें कि भुगतान आपके कहने के बावजूद भी नहीं हुआ। सरकारी खजानों से रुपया गन्ना मिल लेती हैं क्योंकि आपकी मिल घाटे में जाती है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि तिलहर चीनी मिल में 50 लाख का घाटा हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि सहकारी चीनी मिल तिलहर में पिछले वर्ष 10 दिन तक हड़ताल रही और चीनी मिल बन्द रही।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

(व्यवधान)

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है वह इसलिए उत्पन्न हुई है कि गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हो रहा। केवल नीतियां बना दी गयी हैं। आज 37 साल बाद भी प्रदेश के गन्ना किसानों का गन्ना 35 प्रतिशत मिलों में पेरा जाता है बाकी गन्ना किसान आधे दाम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर बेचता है। हमारी मांग है कि बाकी गन्ना किसानों का निर्धारित मूल्य पर खरीद कर पिरवायें, चाहे वह जैसे पिरायें।

(7 बजकर 20 मिनट)

चाहे वह गन्ने को सुखा ले, लेकिन उनका भुगतान अवश्य निश्चित करें। यह नीति निर्धारण का सवाल है। जो यह खोखला कानून इन्होंने बनाया है, इनकी नीयत साफ नहीं है मुझे बता दें कि आज तक गन्ना किसानों को सूद का कितना भुगतान किया गया है। ये अरबों रुपये क्रय कर की छूट मिल मालिकों को देते हैं और उसमें भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने अरबों रुपये खाये हैं ..

(व्यवधान)

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि वसूलयाबी के दो तरीके हैं। एक तो जब किसी गरीब आदमी किसान, मजदूर से पैसा वसूली की जाती है तो उसके विरुद्ध सरकारी कार्यवाही होती है और राजस्व की तरह से पूरी वसूली है, लेकिन आज तक के कांग्रेस शासन के इतिहास में किसी मिल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। कानून में लिखा है कि 18 फीसदी सूद वसूल होगा, उस पर जो बकाया है। माननीय मन्त्री बता दें कि कांग्रेस के इतिहास में किसानों को सूद मिला है। 18 फीसदी सूद का कानून लागू कर दें तो गन्ना मूल्यों का भुगतान तुरन्त हो जायगा। कारण क्या है गन्ना सोसाइटियां बीच में हैं कन्ट्रोल गन्ना सोसाइटी से होता है और किसानों को सूद कभी नहीं मिलता। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कभी किसानों को उनके बकाया पर 18 प्रतिशत सूद दिया गया। यदि यह हो जाय तो कभी बकाया ही न रहे। इन किसानों के पैसे से मिलें चल रही हैं। आप इसका जवाब दे दें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जब यह बहस हो रही है कि सरकारी, रिसीवर वाली और व्यापारियों की मिलों में गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जाय। इन गन्ना मिलों के अतिरिक्त खान्डसारी यूनिटें भी हैं। मण्डलीय विकास निगम इनको चलाता है। हमारे यहां रमबापुर कली एक यूनिट है इसका 15–20 लाख रुपया बकाया है। मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पहले मिश्र जी के समय में उनके क्षेत्र की जो यूनिटें थीं उनका भुगतान हो गया, लेकिन हमारे क्षेत्र का नहीं हुआ। मन्डलीय विकास निगम की गोरखपुर यूनिट का 15 लाख रुपया बकाया है। माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि वे वहां के किसानों के बकाये का भुगतान करवा दें।

(व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिस मुद्दे पर मैंने सदन और शासन का ध्यान आकृष्ट किया है उसी के सन्दर्भ में सबकी भावनायें चाहे इधर के हों या उधर के, एक हैं। केवल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ गलत बयान कर गये हैं जो उनका स्वभाव है। यह सन् 1978–79 का सवाल नहीं है 1981–82 का प्रश्न है जबकि आप आसीन थे। लेकिन मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूं।

मान्यवर, हम तो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि हम 15 सितम्बर तक किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कर देंगे, परन्तु वह आज तक क्यों नहीं किया गया। इसका भुगतान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न होने का कारण यह है कि जो ये प्रशासक हैं, इनकी अपनी लूट-खसोट है। पिछली बार भी यह प्रश्न आया था, तो मंत्री जी ने यह कहा था कि हम रिसीवरशिप में चलने वाली फैक्टरियों को निगम के हवाले सौंप देंगे परन्तु वह अभी तक नहीं हुआ। इसे भी माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि अभी तक उन्हें निगमों को क्यों नहीं दिया गया।

मान्यवर, जैसा कि माननीय श्री वर्मा जी ने कहा है कि जिस प्रकार रेवेन्यू की रिकवरी होती है, उसी प्रकार से मिल मालिकान से, पी0 सी0 एस0 अधिकारियों से या रिसीवर से और मैनेजर से पेमेन्ट नहीं किया जा रहा है तो उनके खिलाफ रिकवरी सार्टीफिकेट इश्यू किये जायं। जो फैक्टरियां घाटे में चल रही हैं, उनके प्रशासकों को हटाया जाय। हुगली के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन लेना चाहूंगा कि वहां पर 78 व्यक्तियों को जो भर्ती किया गया है, जो सिर्फ एक ही बिरादरी के हैं, जिसमें एक भी हरिजन व अन्य जाति का व्यक्ति नहीं है, वहां पर जबकि यह शासन का निर्णय था कि मरने वालों के वारिसों को भर्ती किया जायेगा, उन्हें भर्ती क्यों नहीं किया गया।

मान्यवर, चीनी मिलों के बारे में एक परेशानी और है। लेबर मंत्री जी कहते हैं कि इसमें मेरा सम्बन्ध क्या है और गन्ना मन्त्री जी कहते हैं कि यह लेबर मिनिस्टर का कार्य है। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस पर उदारतापूर्वक आश्वासन दें कि जो गन्ना वाले किसान हैं, उनके बकायों को तुरन्त भुगतान कर दिया जायेगा और जो जानबूझकर इसमें ढिलाई बरत रहे हैं, उनके खिलाफ रिकवरी सार्टीफिकेट इश्यू किये जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो इस चर्चा में असल बात उठायी है, वह यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि 15 सितम्बर तक गन्ना बकायों का भुगतान कर दिया जायेगा। परन्तु उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है यह बात सही है कि एक मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 15 सितम्बर तक गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किये जाने का प्रयास किया जायेगा। ऐसा कभी नहीं कहा था कि 15 सितम्बर तक तमाम भुगतान कर दिया जायेगा। उस मीटिंग में मिल मालिक भी आये थे और उनके बैंकर्स भी आये थे, उन पर मुख्य मंत्री जी ने जोर डाला था कि गन्ना भुगतान का बकाया पैसा आपके जिम्मे है, इसे आप जल्दी करें: इस पर मिल मालिकों ने शासन से कहा था कि शासन इसमें हमें कुछ मदद करें तब हम अपने बैंकर्स से कहेंगे और भुगतान कर सकेंगे। उस समय माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उनसे कहा था कि जो सहायता आप हमसे मांग रहे हैं वह आप परचेज टैक्स रिमीसन के लिए मांग रहे हैं, हम उसका रिमीसन नहीं कर पायेंगे।

जहां तक परचेज टैक्स में छूट देने की बात है, वह हम सब्सिडरी के रूप में आपको देंगे, बशर्ते कि आप वायदा करें कि हम गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान 15 सितम्बर, तक कर देंगे। मिल मालिकों ने उस पर उन्हें आश्वासन दिया था कि 15 सितम्बर तक भुगतान करने का हम प्रयास करेंगे। इसी सन्दर्भ में यह प्रश्न यहां पर उठाया गया है कि घोषणा करने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रश्न भी किया था, जिस पर उन्होंने अपने उत्तर में कहा था कि सबस्टेन्शियल पेमेन्ट जरूर हो जायेगा 15 सितम्बर तक।

मान्यवर, इस वक्त भुगतान की स्थित ऐसी है कि 31 अगस्त तक कुल जो देय था 381.82 करोड़ और करीब जो भुगतान हुआ है 30 अगस्त तक 336'57 करोड़ रु0 का। इस प्रकार

जो अवशेष रहा वह 45·25 करोड़ रु0 का। इस अवशेष का जो विवरण है वह इस प्रकार है कि निजी क्षेत्र पर 38.52 करोड़ का बकाया है तथा सरकारी क्षेत्र में राज्य चीनी निगम का 0·52 करोड़ अधिकृत नियन्त्रक में शून्य शासकीय आढ़ाता 0·47, सहकारी मिलों का 2·29 करोड़ ऊपर के जो दो तीन एकाउन्ट हैं वह छोटे-छोटे अंश हैं जिनमें कुछ झगड़े हैं, वह भी जल्दी ही निपटा दिये जायेंगे और सहकारी मिल वाला का हिसाब हो गया है, यह भी जल्दी ही निपट जायेंगे और रहा कस्टोडियन मिल वाला 3.45 करोड़, इस सिलसिले में भारत सरकार से बात हो गयी है। इस प्रकार यह 45.25 करोड़ रु0 का ब्योरा है। लेकिन अब इसकी स्थिति कुछ और बेहतर हुयी है, जहां तक सरकारी क्षेत्र का सवाल है यह भुगतान भी शीघ्र ही हो जायेगा ऐसी आशा की जाती है। और जो धन कोआपरेटिव व कस्टोडियन पर है इस सिलसिले में केन्द्र सरकार से बात हो चुकी है, वह भी शीघ्र ही निपट जायेगा। जैसा कि इस सिलसिले में हमने पहले भी कहा है। इस तरह से सरकारी क्षेत्र का 11 करोड़ रु0 दिया जा चुका है। अब रहा निजी क्षेत्र का अवशेष 38.52 करोड़ रु0 है। इसके सिलसिले में रिजर्व बैंक से बात चल रही है। मिल मालिकों ने बैंकों से 28 करोड़ की मांग की है। जिसमें से 11 करोड़ रुपये की स्वीकृत मिल गयी है और इन मिल मालिकों को सरकार की तरफ से 13.50 करोड़ रुपये परचेज टैक्स की सब्सिडी के रूप में अनुदान भी मिल गया है। अब चूंकि मिल पर अवशेष सिर्फ 14 करोड़ रुपये बाकी रह जाता है इस धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी है। इस सिलसिले में माननीय वित्त मन्त्री जी भी रिजर्व बैंक के गवर्नर से इस धनराशि को स्वीकृत कराने के लिए बम्बई गए हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि यह धन इस माह के अंत तक प्राप्त हो जायेगा।

अब तक इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन बैठकें की हैं एक बैठक आज ही हुई है। जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी बैंकर्स को बुलवाया था और उन सभी से कोशिश की कि जो धन मांगा जा रहा है उसे शीघ्र से शीघ्र मिल को दे दें। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की स्वीकृति मिलने में देरी हो रही है इस लिए माननीय वित्त मंत्री जी बम्बई गए हुए हैं और हमें आशा है कि इस माह के अन्त तक यह धन मिल जाएगा न दिया गया तो शायद न मिलने से विपक्ष को तो जरूर फायदा होगा और हमारा स्वयं का नुकसान हो जायेगा।

(व्यवधान)

मान्यवर, इसमें एक बात और कही गयी है कि सरकारी मिलों में कुछ गड़बड़ घोटाला भी है, तो मैं इस बात को अवश्य मानता हूं कि गड़बड़ घोटाला होगा। इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि वहां पर कोई गड़बड़ घोटाला न हो, इसके भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं। और अन्त में यह बात एक उठी थी कि अगर मिल मालिकान यह रुपया न दें तो सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी। यह तो हमारे कानून में है कि यदि कोई भी मिल या प्राइवेट पार्टी पैसा न दे तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, लेकिन ऐसा करने की अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह तो पैसा देने को स्वयं तैयार हैं। सरकार से ऋण नहीं मांग रहे हैं। बल्कि सरकार कोशिश कर रही है बैंकर्स से कहकर, ताकि बैंक्स से उनको ऋण दिला दिया जाय। वह लोन दिया जा रहा है। हम लोगों का जो प्रयास हो रहा है, उसमें कामयाबी हासिल है। किसी भी स्टेज पर यह नहीं कहा गया कि ऋण नहीं मिलेगा। इसका भुगतान जल्दी ही हो जायेगा। यहां यह कहा गया कि किसान का जो रुपया मिलों पर रह जाता है उस पर सूद क्यों नहीं मिलता। यह बात सही है कि कानून में यह प्रोविजन है कि अगर पेमेन्ट किसान को 15 रोज के

बाद होता है या देर से होता है तो उस पर किसान को 18 प्रतिशत के हिसाब से सूद मिलना चाहिये। मान्यवर, यह अपनी जगह सही है लेकिन कठिनाई यह है कि मिल मालिकान यह कहते हैं कि यह कानून हम पर लागू तब तक नहीं होता है जब तक भारत सरकार की जो स्टेटयूरी मिनिमम प्राइज है, वह न दिलवाई जाय। उनमें जो कीमत दिलायी जा रही है, वह बहुत अधिक है। इसलिए वे इस हालत में नहीं है कि उनका इसमें सूद दिया जा सके। बाकी में कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य-गण चिंता न करें, शासन इस दिशा में जागरूक है कि उनके हितों की रक्षा करें। इस सम्बन्ध में सरकार बचन बद्ध है।

सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी, प्रस्ताव करें।

संसदीय कार्य-मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक मिनट में लेना चाहूंगा। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव किया है, मुझे दुख है कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकूंगा। उसका कारण यह है कि जैसा कि यह जो 4-5 दिन का सत्र हुआ इसके प्रारम्भ में ही यह चर्चा उठी फिर मान्यवर, आपकी अध्यक्ष पीठ से यह व्यवस्था दी गयी कि कम से कम 90 दिन वर्ष में हमारा सत्र होना चाहिये। तीन सत्र होने चाहिये, 90 उपवेशन होने चाहिये। लेकिन जो तौर तरीका पता लग रहा है उससे बिल में जो संदेह था उसकी पुष्टि होती है कि सरकार का इरादा अब आगे सत्र बुलाने का कब है, यह स्पष्ट नहीं है। यह 4-5 दिन में जो बिजनेस चला, उससे यही दिखा कि जल्दी-जल्दी चीजों को लिया गया। जनहित की कितनी महत्वपूर्ण समस्यायें थीं, उनके ऊपर पूरे तौर से चर्चा नहीं हो पायी। न जाने कौन सी जल्दी इस सरकार को कि सरकार इस सदन के आगे नहीं बढ़ाना चाहती और प्रतिपक्ष के उजागर प्रश्नों का सामना नहीं करना चाहती। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यही कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव किया है कि हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं, अच्छा होता यदि वह यह कहते कि यह कार्य है हम अगले महीने बैठ रहे हैं। मान्यवर, जो मेरी जानकारी है बिजनेस की कमी नहीं है न जाने कितने विधेयक अभी पेंडिंग हैं। और ज्यादा न कहकर, माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और अन्य नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने मुझको सहयोग दिया है वह प्रशंसनीय है। इस थोड़े से समय में जितना कार्य किया गया है, वह भी सराहनीय है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, उसके अनुसार यह सदन दिनांक 10 सितम्बर, 1984 को आरम्भ हुआ था और अभी तक नियम 301 के अन्तर्गत कुल 119 सूचनायें स्वीकार की गयी; नियम 56 के अन्तर्गत 3 सूचनाओं के विषय को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया तथा 17 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया; नियम 51 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थीं, उनमें वक्तव्य के लिये दो सूचनायें स्वीकार की गयीं ।

जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है, कुल 4734 प्रश्नों की सूचनायें मेरे सचिवालय में प्राप्त हुई हैं, जिसमें लगभग 3079 प्रश्न स्वीकार किये गये और उनम से लगभग 1031 प्रश्नों के उत्तर सदन में दिये गये। मैं पुनः आप लोगों को अपने सहयोग के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं और यह आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से भविष्य में भी पूरे तरीके से अपना सहयोग देते रहेंगे ।

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित-काल के लिये स्थगित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 7 बज कर 40 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ : भाल चन्द्र शुक्ल,

17 सितम्बर, 1984 सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)।

कृषि रक्षा अनुभाग में दिनांक 1 अप्रैल, 1983 के बाद की नियुक्तियों का विवरण :—

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	नियुक्ति का दिनांक	पूरा पता	अस्थायित
1	2	3	4	5
	सर्वश्री—			
1	सुमेर चन्द्र	9 जनवरी, 1984	टिहरी गढ़वाल	अल्पकालिक
2	जगदीश कुमार	4 मई, 1984	ग्राम व पो0 सेमरा, बढ़नी, मिर्जापुर	
3	नरेश पाल	16 मई, 1984	सहारनपुर	अल्पकालिक
4	प्रेम चन्द्र	..	पुत्र श्री बनवारी लाल, ग्राम पेंडरा, मैनपुरी	अल्पकालिक
5	श्रीमती गीता देवी	4 जुलाई, 1984	ग्राम सुपनीपुर कला, पो0 कतवारपुर, इलाहाबाद	
6	चन्द्र पाल सिंह	3 नवम्बर, 1983	बरेली	
7	चन्द्र पाल सिंह	30 अप्रैल, 1984	बरेली	अल्पकालिक
8	श्रीमती रामदुलारी	20 दिसम्बर, 1983	ग्रा0 ककरेया, पो0 लखना, इटावा	
9	श्री यादवेन्द सिंह	3 जनवरी, 1984	ग्रा0 अघवा की मड़ैया, पो0 अघवा, इटावा	
10	प्रेम चन्द्र सिंह	19 अप्रैल, 1983	ग्रा0 व पो0 पैउव, मैनपुरी	
11	वशिष्ठ नारायण उपाध्याय	19 जनवरी, 1984	ग्रा0 भरखरे, सुल्तानपुर	
12	कैलाश नारायण	2 जून, 1983	132, बजरिया तुलाराम, पीलीभीत	
13	हरेन्द्र सिंह विष्ट	12 जून, 1983	ग्रा0 कुठली पो0 सिगोसी पौड़ी, गढ़वाल	

1	2	3	4	5
14	हरी राम	29 मार्च, 1984	ग्रा0 लोढ़वा, पो0 मानपुर, बस्ती	
15	बयाराम	1 अप्रैल, 1984	ग्रा0 इमरी अहरा, पो0 मुण्डेरवा, बस्ती	
16	शिव शंकर	16 जुलाई, 1983	मो0 सआदत गंज फैजाबाद	
17	आनन्दमणि पोखरियाल	3 जनवरी, 1984	ग्रा0 लोढ़ी गांव, पो0 गवानी, पौड़ी-गढ़वाल	
18	रामकृष्ण बाजपेयी	7 मई, 1983	ग्राम हुसैनापुर, पो0 डुगरेई, फतेहपुर	
19	रमेश सिंह	1 मई, 1984	ग्रा0 झुझेला, बिजनौर	
20	अम्बिका सिंह	31 अक्तूबर, 1983	ग्रा0 पो0 असना, देवरिया	
21	भानु प्रताप	30 दिसम्बर, 1983	ग्रा0 मुहम्मदपुर, पो0 भवईपार, गोरखपुर	अल्पकालिक
22	अमर नाथ सिंह	11 जनवरी, 1984	ग्रा0 बैकुन्ठपुर पो0 सरदारनगर, गोरखपुर	अल्पकालिक
23	श्रीमती विश्वासी सिंह	16 जनवरी, 1984	ग्रा0 बडहरा नं0 2 पो0 बोदखार, देवरिया	अल्पकालिक
24	श्री जोधन सिंह	30 जनवरी, 1984	अल्मोड़ा	प्रत्यावर्तित होकर अपने मूल पद पर वापस आये।
25	राम मिलन	20 अगस्त, 1983	ग्रा0 सेबहा चौबे, डा0 मुजहरा, बस्ती	अल्पकालिक
26	सुन्दर लाल	27 अक्तूबर, 1983	ग्रा0 चाबमऊ, पो0 बेनीकामा, रायबरेली	अल्पकालिक
27	छोटेलाल गुप्ता	27 अक्तूबर, 1983	ग्राम स्वीनपुर, पो0 कुठगा, रायबरेली	अल्पकालिक
28	सितम सिंह	20 जनवरी, 1984	9/2 विष्णुपुरी कालोनी, लखनऊ	अल्पकालिक
29	रमाकान्त	23 जनवरी, 1984	ग्रा0 झकरासी, पो0 भांव, रायबरेली	अल्पकालिक
30	विशम्भर सिंह	29 अगस्त, 1983	ग्रा0 व पो0 मुडुआरी, गाजीपुर	

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

कृषि रक्षा अनुभाग में दिनांक 1 अप्रैल, 1983 के बाद मृत कर्मचारियों का विवरण

क्रम सं0	मृत कर्मचारी का नाम व पद	मृत्यु की तिथि	आश्रितों की नियुक्ति का विवरण			
			नाम व सम्बन्ध	पद	आदेश संख्या तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
	सर्वश्री—					
1	नजीर अली, वे0 प0, फैजाबाद	10 मार्च, 1984	श्री नसीर अली पुत्र	क्षे0 प0	429, दिनांक 16 मई, 1984	फैजाबाद में
2	श्री पूरन चन्द्र शर्मा, क0 नि0, देहरादून	6 सितम्बर, 1983	श्रीमती सर्वेश शर्मा, पत्नी	क0 लि0	502, दिनांक 17 सितम्बर, 1983	देहरादून में
3	कमल सिंह, क्षे0 प0 टेहरी, गढ़वाल	5 दिसम्बर, 1983	..	..	..	इनकी पत्नी ने राजकीय सेवा करने में असमर्थता प्रकट की
4	राम सिंह वाहन चालक, सहारनपुर	29 दिसम्बर, 1983	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी	दैनिक श्रमिक		नियमित नियुक्त विचाराधीन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
5	मंगला प्रसाद, क्षे0 प0, इलाहाबाद	6 मई, 1983	श्रीमती गीता देवी, पत्नी	क्षे0 प0	दिनांक 4 जुलाई, 1984	इलाहाबाद ।
6	नवतप्ती सिंह, स0 वि0 अ0 (कृषि रक्षा, गोरखपुर)	17 अप्रैल, 1983	श्रीमती विश्वासी सिंह, पत्नी	क्षे0 प0	3719, दिनांक 16 जनवरी, 1984	तीन माह के लिए नियमित नियुक्ति विचाराधीन।
7	मूल चन्द्र चौरसिया, क्षे0 प0, हमीरपुर	29 अगस्त, 1983	श्री नन्द किशोर, पुत्र	क्षे0 प0	485, 4 मई, 1984	बांदा।
8	महेश चन्द्र, कृ0 र0 प0, मुजफ्फरनगर	13 मई, 1984	..	..	..	पत्नी को नियुक्ति विचाराधीन ।
9	के0 के0 मिश्र, यान्त्रिक, लखनऊ	14 मई, 1983	श्रीमती मिथलेश, मिश्र, पत्नी	क0 लि0	1215, दिनांक 6 अगस्त, 1983	लखनऊ।
10	उमा प्रसाद कुशवाहा, स0 वि0 अ0 (कृषि रक्षा) उन्नाव	21 सितम्बर, 1983	..	..	..	केवल एक पुत्री है जो विवाहित है ।
11	ज्ञान शंकर दीक्षित, क्षे0 प0, उन्नाव	24 दिसम्बर, 1983	..	..	..	मात्र दोनो बालिग बच्चे हैं।

सम्पूर्ण स्थिति :—6 नियुक्तियां हुई ।

2 विचाराधीन हैं जिसमें से 1 दैनिक श्रमिक पर कार्यरत ।

1 ने असमर्थता व्यक्त की ।

2 कोई सेवा योजन योग्य नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

संलग्नक (क)

क्रमांक	योजना का नाम
	जनपद—आजमगढ़
1	बहादुर ग्राम समूह पेयजल योजना
2	लालगंज ग्राम समूह पेयजल योजना
3	रानी की सराय पेयजल योजना
4	गहुनी ग्राम समूह पेयजल योजना
5	जगदीशपुर ग्राम समूह पेयजल योजना
6	गहुआर ग्राम समूह पेयजल योजना
7	फरिहा ग्राम समूह पेयजल योजना
8	बलीदपुर ग्राम समूह पेयजल योजना
9	जीवनपुर ग्राम समूह पेयजल योजना
10	घोसी ग्राम समूह पेयजल योजना
11	कसारा ग्राम समूह पेयजल योजना
12	मधुबन ग्राम समूह पेयजल योजना
13	दुबारी ग्राम समूह पेयजल योजना
	जनपद : बस्ती, गोंडा, फैजाबाद, बहराइच तथा बाराबंकी
	शून्य
	जनपद—देवरिया
14	मथोली, पेयजल योजना
15	भुलवनी, पेयजल योजना
16	तमकुही, पेयजल योजना
17	मंशाछापार पेयजल योजना
18	गौरी बाजार, पेयजल योजना
19	खड्डा पेयजल योजना
	जनपद—गोरखपुर
20	धानी ग्राम समूह पेयजल योजना
21	पीपीगंज ग्राम समूह पेयजल योजना
22	जंगल कौड़िया पेयजल योजना
23	पिपरौली पेयजल योजना
24	भैसा बाजार पेयजल योजना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सख्या 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की सूची

क्रमांक	नाम विकास खण्ड	कार्य का स्थान	कार्य की प्रगति			
			मिट्टी का किमी0	कंकड़/सोलिंग किमी0	मिट्टी/पेटिंग किमी0	पुलिया संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	धर्मापुर	1—कइवा परियांवा—सलखापुर	3.4	3.4	..	8
		2—परियावां—अमदहा मार्ग	1.0	0.5	..	3
		3—कबगांव—सलखापुर	3.75	3.75	..	9
		4—पगवाद	0.18	..	..	..
		5—बंशगोपालपुर मार्ग	1.2	1.2	..	..
		6—अहमदपुर—जफराबाद मार्ग	1.5	1.5	..	7
		7—गौराबादशाहपुर इन्टर कालेज	0.36	0.36	..	3
		8—जौनपुर—जफराबाद	..	..	3.0	..
		9—भण्डारी चकिया	..	..	0.5	..
		10—भण्डारी—पचहटिया	..	..	0.2	.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11—नाथूपुर लिंक	1.3	1.3	..	5
12—वाराणसी–मई	3.7	..	3.7	1
13—कजगांव से इलिमपुर	1.5	0.5	1.0	4
14—जमैथा–जफराबाद	..	..	2.5	..
15—जमैथा लिंक	..	0.5	..	..
16—कुकहा लिंक	1.5	..	..	..
17—गौराबादशाहपुर–नयनसंड	3.5	2.0	..	..
18—चौकी–पिलखुआ ग्राम	..	..	..	1
19—ग्राम कतलपुर	..	..	..	1
20—ग्राम मीरपुर	..	..	..	1
21—ग्राम सरसौडा नं0 1	..	..	..	1
22—ग्राम धनैजा	..	..	..	1
23—ग्राम तरसण्ड	..	..	..	1
24—ग्राम कबीरुद्दीनपुर	..	..	..	प्रगति में है।
25—ग्राम खालिशान	..	..	..	,,
26—ग्रामसभा देवचन्दपुर	..	0.2 खड़ंजा	..	..

27—ग्राम सभा नाथूपुर (पंचायत भवन) दीवार बन गई है, छत का लिंटर लगाया जा रहा है।

28—धर्मापुर विकास खण्ड में वर्ष 1983–84 में 4.10 लाख नर्सरी (पौधे) लगाये गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	1	3	4	5	6	7
2	मुफ्तीगंज	29—बेलांव–बिजयीपुर संपर्क मार्ग	1.3	1.3	..	1
		30—मुर्तजाबाद–हरिकरन पट्टी	1.0	..	..	2
		31—बिजयीपुर–हरिजन बस्ती मार्ग	..	0.8	..	4
		32—रामपुर–नंपुरा मार्ग	2.0	1.5	..	6
		33—नहर–बनपुरउवा मार्ग	0.6	..	..	2
		34—कबूलपुर–बीबीपुर	2.0	1.0	..	..
		35—बीबीपुर–सुगुलपुर	1.2	0.3	..	..
		36—लखठेपुर–बग्हूपुर	1.0	0.5	..	..
		37—मामपुर–बीरमपुर	2.5	1.0	..	..
		38—मइली से मांगी नदी तक नाला	1.2	..	..	..
		39—घोनापुर–सुरेला नाला	3·0	..	..	..
		40—गांव सभा मउआरी पुलिया	कार्य प्रगति में है।	..	..	..
		41—गांव सभा पथरी पुलिया	कार्य प्रगति में है।			

अविभाजित विधान सभा

	42—गांव सभा बंजारी खड़ंजा	..	0.2	..	..
	43—गांव सभा बगधारी खड़ंजा	कार्य प्रगति में है ।			
	44—मुफ्तीगंज विकास खण्ड में वर्ष 1983–84 में 1.60 लाख नर्सरी (पौधे) लगाये गये ।				
3 जलालपुर	45—पराडगंज से चक्के संपर्क मार्ग	2.0	..	..	6
	46—चौरी–ओइना मार्ग	2.0	1.6	..	6
	47—महरेव–नहोरा संपर्क मार्ग	2.5	..	0.5	..
	48—पुरेंव–नहर संपर्क मार्ग	0.6	..	0.5	..
	49—सिरकानी–गांव	5.0	..	5.0	5
	50—रेहठी–घर्राव	5.0	..	..	..
	51—रेहठी संपर्क मार्ग	1.0	1.0	..	..
	52—लोहगाजर संपर्क मार्ग	कार्य प्रगति में है ।			
	53—गांव सभा पुरेंव (पंचायत भवन) दीवार तैयार है, छत का कार्य प्रगति में है ।				
	54—गांव सभा लोहगाजर में खड़ंजा प्रगति में है ।				
	55—गांव सभा चबरी में खड़ंजा प्रगति में है ।				
	56—जलालपुर विकास खण्ड में 1.20 लाख नर्सरी (पौधे) वर्ष 1983–84 में लगाये गये ।				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 112 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

ग्राम कुशमौरी, परगना मूड़, विकास खण्ड बांकेगंज में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत योजना के आरम्भ से जुलाई, 1984 तक लाभान्वित लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई योजनाओं तथा उपलब्ध कराये गये अनुदान का विवरण।

क्रम-संख्या	नाम लाभार्थी मय आत्मज	योजना का नाम	अनुदान जो दिया गया
1	2	3	4
			रु0
1	श्री सीताराम पुत्र खुशाल	भैंसा	533.00
2	,, सरवन सिंह पुत्र दिलीप सिंह	डनलप	566.00
3	,, सकरू पुत्र छेदी	चारा मशीन	108.00
4	,, बलवंत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह	डनलप, बैल, पम्पसेट	2,369.00
5	,, भोला पुत्र दीना	बैल	325.00
6	,, मैकू पुत्र कुबेर	बैल	266.00
7	,, जोधा राम पुत्र अग्गू	बोरिंग/पम्पसेट	1,750.00
8	,, सुरजीत सिंह पुत्र जोगेन्दर सिंह	पम्पसेट	1,375.00
9	,, चन्द्रिका प्रसाद पुत्र तौले राम	भैंसा/डनलप	1,456.00
10	,, अयोध्या प्रसाद पुत्र मूधर	भैंसा/डनलप	1,289.00
11	,, रामरतन पुत्र नाथ	हैरों	112.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

12	श्री राम भरोसे पुत्र जियन लाल	डनलप	750.00
13	,, त्रिभुवन लाल पुत्र लालता प्रसाद	डनलप/भैंसा	1,500.00
14	,, छैल बिहारी पुत्र गंगादीन	पम्पसेट	2,000.00
15	,, राम औतार पुत्र बलदेव	बैल	550.00
16	,, बनवारी लाल पुत्र पुत्तूलाल	बैल	412.00
17	,, लक्ष्मीनरायन पुत्र पुत्तूलाल	डनलप बैल	1,025.00
18	,, रतनू पुत्र मोहन	डनलप	937.00
19	,, सूरजबली पुत्र रघुबर दयाल	बोरिंग	200.00
20	,, द्वारिका पुत्र खुशाल	डनलप/भैंसा	1,650.00
21	,, गयादीन पुत्र बल्देव	डनलप/भैंसा	1,550.00
22	,, खूबचन्द्र पुत्र दीपा	डनलप/भैंसा	1,550.00
23	,, बनवारी लाल पुत्र पुत्तू लाल	डनलप	750.00
24	,, जोधराम पुत्र जगनू	डनलप/बोरिंग	1,475.00
25	,, बाबू पुत्र गिरवर	पम्पसेट	1,500.00
26	,, सतनू पुत्र नरायन	डनलप/भैंसा	2,204.00
27	,, छोटे लाल पुत्र खग्गा	डनलप/भैंसा	2,204.00
28	,, छैल बिहारी पुत्र लक्षिमन	डनलप/भैंसा	2,204.00
29	,, गगा पुत्र रिक्खी	पम्पसेट	2,166.60

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर)

संलग्नक

क्रम-संख्या	वृत्त	वन विभाग	अग्नि से प्रभावित क्षेत्र (हे0)	अनुमानित आर्थिक क्षति (रु0)
1	2	3	4	5
1	कुमायूं वृत्त	(1) पूर्वी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	9,883.00	47,600
		(2) पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	1,968.00	21,000
		(3) नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	10,198.00	54,547
		(4) पश्चिमी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	19,589.00	45,783
		उपयोग (आरक्षित वन)	41,638.00	1,68,930
		(1) भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत	516.00	9,641
		(2) भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल	1,163.00	1,12,567

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	(3) अति0 भू0 सं0 वन प्रभाग, रामनगर	588.00	8,620
	(4) सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पिथौरागढ़	296.00	24,250
	(5) सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा	127.00	12,286
	उपयोग (सिविल सोयम वन)	2,690.00	1,67,364
	योग 1	44,328.00	3,36,294
2 पश्चिमी वृत्त	(1) हल्द्वानी वन प्रभाग	2,954.00	31,000
	(2) तराई केन्द्रीय वन प्रभाग	204.50	1,49,171
	(3) तराई पूर्वी वन प्रभाग	355.90	152
	(4) तराई पश्चिमी वन प्रभाग	405.30	30,550
	(5) रामनगर वन प्रभाग	1,280.00	2,000
	(6) कालागढ़ वन प्रभाग	386.50	रिक्त
	योग 2	5,616.20	2,12.873
3 गढ़वाल वृत्त	(1) लेसडाउन वन प्रभाग	1,830.00	20,600
	(2) गढ़वाल वन प्रभाग	29,733.00	2,84,500
	(3) बद्रीनाथ वन प्रभाग	829.00	4,600
	(4) केदारनाथ वन प्रभाग	6,655.00	15,500
	उपयोग (आरक्षित वन)	39,047.00	3,25,200

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
		(1) भूमि संक्षरण वन प्रभाग, लैंसडाउन	208.00	92,000
		(2) अलकनन्दा वन प्रभाग	141.00	98,400
		(3) उपरिगंगा वन प्रभाग	31.00	31,100
		उपयोग (सिविल सोयम वन) ..	380.00	2,03,500
		योग 3 ..	29,427.00	5,28,700
4	यमुना वृत्त	(1) यमुना वन प्रभाग, मसूरी	5,038.95	1,39,350
		(2) टौंस वन प्रभाग, पुरोला	6,179.52	7,65,000
		(3) चकराता वन प्रभाग, कालपी	1,283.70	1,30,000
		उपयोग (सिविल सोयम वन) ..	12,502.17	10,34,350
		(1) अपर यमुना भू0 सं0 वन प्रभाग, बढ़कोट	393.50	2,90,200
		(2) चकराता भू0 सं0 वन प्रभाग, कालसी	541.00	86,818
		उपयोग (सिविल सोयम वन) ..	934.50	3,77,018
		योग 4 ..	13,36.67	14,11,368
5	शिवालिक वृत्त	(1) पूर्वी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	600.00	5,910
		(2) पश्चिमी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	1,012.96	12,098
		योग 5 ..	1,612.96	18,008
6	भागीरथी वृत्त	(1) टिहरी वन प्रभाग	6,889.17	71,620,80
		(2) उत्तरकाशी वन प्रभाग	5,238.70	14,180,00
		योग 6 ..	12,127.87	85,800,80
		महायोग 1 से 6 तक ..	1,16,548.70	25,93,043,80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 146 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर)

विकास खण्ड पिन्ड्रा, जनपद वाराणसी में अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979–80 से 1984–85 में मई, 1984 तक आई0 आर0 डी0 स्कीम व लघु किसानों को वर्षवार समायोजित छूट का विवरण :

क्रम-संख्या	वर्ष	आई0 आर0 डी0 स्कीम		अल्प सिंचाई विभाग द्वारा		योग	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1979–80	..	..	61	108,071	61	1,08,071
2	1980–81	..	..	73	1,35,177	73	1,35,177
3	1981–82	69	1,80,822	..	..	69	1,80,822
4	1982–83	77	1,46,240	82	1,37,863	159	2,84,103
5	1983–84	72	1,55,852	17	28,485	89	1,84,337
6	1984–85	26	53,150	..	..	26	53,150
	मई, 1984	..	..	..	..	..	..
	कुल योग ..	244	5,36,064	233	4,09,596	473	9,45,660

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ 132 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के पांचवें शुक्रवार के लिए श्री विजय पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर—

प्रश्न	उत्तर
15—क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी के खादर में प्रति व्यक्ति जोत सीमा प्रदेश के प्रत्येक जनपद (जिन जनपदों में यमुना नदी बहती है) के समान है? यदि असमानता है तो उसके क्या कारण हैं ? प्रदेश के प्रत्येक ऐसे जनपदों में प्रति व्यक्ति जोत सीमा समान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?	15—सीलिंग कान सिंचित भूमि की अधि प्रदेश में एक समान है के अवधारण के प्रयो असिंचित भूमि की डेढ़ सिंचित भूमि के एक हेक्टेयर के बराबर माना गया है, किन्तु इलाहाबाद, इटावा, मथुरा तथा आगरा जिलों के यमुनापारी भाग और यमुना की गहरी धारा से सोलह किलो-मीटर तक इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मथुरा तथा आगरा जिले के यमुना के इस पार के भाग के साथ-साथ सीलिंग कानून की धारा 4 (2) में उल्लिखित अन्य विशिष्ट सात क्षेत्रों के किसी एकल फसल वाली भूमि की डेढ़ हेक्टेयर अथवा किसी अन्य असिंचित भूमि की ढाई हेक्टेयर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टेयर के बराबर माना गया है। यह व्यवस्था इन क्षेत्रों की भूमि की उत्पादन शक्ति तथा विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए की गयी थी। इस व्यवस्था में सम्प्रति किसी परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पो0 एस0 यू0 पी0—28 वि0 सभा—1984 (पी0 डी0)।